लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र]
Eleventh Session

[खण्ड 44 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—22, गुरुवार, 27 अगस्त, 1970/5 भाद्र, 1892 (शक)
No.—22, Thursday, August 27, 1970/Bhadra 5, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
633. हरियाणा प्रसारण केन्द्र का निर्माण	Construction of Haryana Broadcasting Station	1—3
634. भारतीय चीनी मिल संघ द्वारा चीनी के उत्पादन पर लगे उत्पादन-शुल्क में छूट के लिए प्रार्थना	Request from Indian Sugar Mills Association to Allow Remission of Excise Duty on Production of Sugar	3—6
635. हिसार में बारानी खेती के विकास की योजना	Scheme for Development of Dry Farming in Hissar	6—8
637. अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस	All India Trade Union Congress	8—9
638. पटसन उद्योग में मजूरी निर्धारण	Fixation of Wages in Jute Industry	9—10
639. चलचित्र परिषद् में चलचित्र उद्योग का अधिक प्रतिनिधित्व	Larger Representation of Film Industry on Film Council	11—14
640. फिल्म वित्त निगम को दिया गया ऋण	Loan Advanced to Film Finance Corporation	14—17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या / S. Q. Nos.	विषय / Subject	Pages
641. बेरोजगार युवकों के कृतिक बल (टास्क फोर्स) के लिए धनराशि का नियतन	Allocation for a Task Force of Unemployed Youth	17—18
643. कार्मिक संघों द्वारा स्थायी श्रम समिति की बैठक का बहिष्कार	Boycott of Standing Labour Committee Meeting by Trade Unions	19—20
अल्प-सूचना प्रश्न	**SHORT NOTICE QUESTION**	
8. छात्रों का सारनाथ आकाशवाणी केन्द्र पर कब्जा करने का प्रयास	Students Attempt to Seize Sarnath Radio Station	21—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
631. फिल्म परिषद् के बारे में मलयाला चलचित्र परिषद् के सुझाव	Suggestions from Malayala Chalchithra Parishad regarding Film Council	23—24
632. प्रेस परिषद् द्वारा भारतीय तार अधिनियम 1885 और भारतीय डाक घर अधिनियम 1898 का पुनरीक्षण	Review of Indian Telegraph Act 1885 and Indian Post Office Act 1898 by Press Council	24—25
636. अनाज के मूल्यों और वसूली संबंधी नीति का पुनरीक्षण	Review of Policy regarding Prices and Procurement of Foodgrains	25—26
642. कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की आलोचना	Criticism of Indian Council of Agricultural Research by Agricultural Scientists	26—29
644. अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की स्थापना	Installation of High Power Transmitters	29—31
645. चीनी का आरक्षित भंडार	Buffer Stock of Sugar	31
646. देश व्यापी टेलिवीर्जन व्यवस्था	Country-wide Television Net Work	31
647. बारानी खेती सम्बन्धी परीक्षण	Experiments in Dry Farming	31—32
648. बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कोयला खान मजदूरों की मांगें	Demands of Coal Mine Workers in Bihar and West Bengal	32

ता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
S. Q. Nos.	Subject	Pages
649. पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों से नकदी तथा जेबरों का छीना जाना	Taking away of Cash and Jwellery from East Pakistan Refugees	32—33
650. पंचायती राज व्यवस्था का ह्रास	Erosion of Panchayati Raj	33
651. पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Sunderban Area of West Bengal for Rehabilitation of East Pakistan Refugees	33—34
652. चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्यवाही	Steps for Improvement in Production of Rice	34—35
653. कर्मचारी भविष्य निधि पर व्याज की दर	Employees Provident Fund Rate of Interest	35
654. खेती के विकास हेतु क्षेत्र-वार नीति	Area Based Strategy for Farm Development	35—36
655. राष्ट्रीय उद्यान तथा पशु शरण-स्थल और वन्य जीवों का संरक्षण	National Parks and Sanctuaries and Preservation of Wild Life	36—37
656. समुद्री जीव विज्ञान में अनुसंधान	Research in Marine Biology	37—38
657. पश्चिम बंगाल में नगर-पालिका कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Municipal Employees in West Bengal	38
658. समाचारपत्रों के विज्ञापनों में यौनभाव	Sex in Newspaper Advertisements	38
659. आकाशवाणी के कलाकारों तथा कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Artistes and Employees of A. I. R.	38—39
660. देश में ट्रंक टेलीफोन सेवा का आधुनिकी करण	Modernising Trunk Telephone Service in the Country	39—40

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4121. सरकारी उपक्रमों में हड़तालें	Strikes in Certain Public Undertakings	40
4122. ट्रेक्टरों का उत्पादन और वितरण	Production and Distribution of Tractors	40—41
4123. 1969-70 के दौरान बर्फ गिरने तथा वर्षा की कमी के कारण राज्यों में फसल की क्षति	Damage to Crops due to Snowfall and Shortage of Rain in States during 1969-70	41—42
4124. संसद् सदस्यों के लिए टेलीविजन सेट	T. V. Sets for Members of Parliament	42
4125. चावल के लिये निर्बाध दक्षिण क्षेत्र	Free Southern Zone for Rice	42
4126. गेहूं के लिये निर्बाध क्षेत्र	Free Zone for Wheat	42—43
4127. अनाज का रक्षित भण्डार	Buffer Stock of Foodgrains	43
4128. उत्तर प्रदेश में डाक-घर तथा उप-डाकघर और उनकी इमारतों के लिये किराये का भुगतान	Post Offices and Sub Post Offices in Uttar Pradesh and Rents Paid for their Buildings	43—44
4129. आर०एस० 09 ट्रेक्टरों में खराबी	Nature of Break Downs in RS 09 Tractors	44
4130. होटल मैनेजमेंट केटरिंग एण्ड न्यूटरिशन संस्था नई दिल्ली में विद्यार्थियों से मध्याह्न-भोजन का खर्चा लेना	Lunch Charges from Students in Institute of Hotel Management Catering and Nutrition, New Delhi	45
4131. होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्स मे कम्पार्टमेंट में आये विद्यार्थी	Students Getting Compartment In Diploma Course for Hotel Management	45– 46
4132. होटल प्रबन्ध में उच्च अध्ययन के लिये व्यवस्था	Arrangements for Advanced Study in Hotel Management	46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4133. विदेशी तेल कम्पनियों में कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा संबंधी गोखले आयोग का प्रतिवेदन	Gokhale Commission Report on Job Security of Employees of Foreign Oil Companies	47
4134. विदेशी तेल समवायों में गिरमिटिया प्रणाली तथा स्वचालित प्रणाली के कारण व्यक्तियों का फालतू होना	Surpluses Created due to Contract Labour System and Automation in Foreign Oil Campanies	47—4
4135. मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड फरीदाबाद द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना का आरम्भ किया जाना	Introduction of E. S. I. Scheme in M/s. Bharat Carpets, Ltd. Faridabad	48
4136. फरीदाबाद स्थित मैसर्ज भारत कारपेट्स लिमिटेड में कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था करना	Introduction of Employees Provident Fund in M/s. Bharat Carpets Ltd. Faridabad	49
4137. दिल्ली और बादली औद्योगिक क्षेत्र में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling System between Delhi and Badli Industrial Estate	49—50
4138. श्रीनिवासपुरी कालोनी, नई दिल्ली में दुकानों के खुलने तथा बन्द होने का समय	Timings of Shops in Srinivaspuri Colony, New Delhi	50
4139. चावल के उत्पादन में वृद्धि	Increas in Rice Production	50—51
4140. अच्छी किस्म के बीजों के मूल्य	Price of Good Quality Seeds	51
4141. छोटे ट्रैक्टरों की कमी तथा उनका निर्माण	Shortage of Small Tractors and their Manufacture	51—52
4142. पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को सहायता देने हेतु धन के लिये रामकृष्ण मिशन का निवेदन	Ramakrishna Mission Request from Funds for Providing Relief to East Pak. Refugees	52—53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4143. भारतीय ट्रैक्टरों तथा आयातित ट्रेक्टरों के तुलनात्मक मूल्य	Comparative Prices of Indian and Imported Tractors	53—54
4144. राज्य द्वारा कुप्रबन्धित चाय बगानों को अपने अधिकार में लेना	State takeover of Mismanaged Plantations	54
4145. विभागीय उपक्रम द्वारा टेलिफोन उपकरण, फालतू पुर्जे आदि का निर्माण	Manufacture of Telephone Equipment, Spares etc. through Departmental Undertaking	55
4146. चलचित्रों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन	Eradiction of Social Evils through Films	55—56
4147. त्रिपुरा में प्लाई लकड़ी के एक कारखाने की स्थापना	Setting up of a Plywood Factory in Tripura	56—57
4148. राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Recommendations of National Labour Commission	57
4149. राजस्थान में अकाल राहत कार्य के लिये दी गई धनराशि का दुरुपयोग	Misuse of Funds Provided for Famine Relief works in Rajasthan	58
4150. काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क	Kaziranga National Park	58
4151. चण्डीगढ़ का सुपर बाजार	Super Bazar ; Chandigarh	58—59
4152. डाक तार विभाग द्वारा मैसर्स कोठारी एण्ड एसोसिएट्स को काम देना	Allotment of Jobs to M/s. Kothari and Associates by P and T Department	59
4153. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातों के प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे	Stipends to Trainees of Industrial Training Institutes	59—60
4154. आदिवासी कृषक	Adivasis as Agriculturists	60
4155. बेरोजगारी बीमा	Unemployment Insurance	60—61
4156. ट्रैक्टरों का राज्यों में साम्यिक वितरण	Equitable Distribution of Tractors in States	61—62

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4157. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य विधान सभा में औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति	Permission for Introduction of Industrial Relations Bill by Andhra Pradesh Government in State Legislature	62
4158. चीनी मिलों के स्तर का पुनरीक्षण करने के लिये तकनीकी समिति	Technical Committee for Revision of Standard for Sugar Mills	62—63
4159. केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत मछलियों को डिब्बे में भरने सम्बन्धी योजना	Scheme of Canning of Fish Submitted by Kerala Government	63
4160. केरल में काजू उद्योग का विकास	Development of Cashew Industry in Kerala	64
4161. भारत और उत्तरी कोरिया के मध्य रेडियो टेलीफोन तथा तार सेवा	Radio Telephone and Telegraph Service between India and North Korea	64—65
4162. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति	Progress made in use of Hindi by Senior Officers in Ministry of Food, Agriculture and Community Development and Cooperation	65—66
4163. श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग में प्रगति	Progress in use of Hindi by Senior Officers in Ministry of Labour and Rehabilitation	66
4164. संचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग में प्रगति	Progress in the use of Hindi by Senior Officers in Department of Communications	66—67
4165. वर्ष 1969-70 के दौरान ट्रैक्टरों का आयात तथा उनका वितरण	Import of Tractors during 1969-70 and their Distribution	67—68
4166. समाचार पत्रों में साम्प्रदायिक लेखन को रोकने के लिये प्रेस परिषद् के मार्गदर्शी सिद्धान्त	Press Council Guidelines to Check Communal Writings in Newspapers	68—69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4167. पत्रकारिता में प्रशिक्षण	Training in Journalism	69
4168. प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में प्रेस परिषद् को पेश की गई शिकायतें	Complaints Lodged with Press Council regarding Freedom of Press	70
4169. समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के विरुद्ध प्रेस परिषद् को प्राप्त शिकायतें	Complaints received by Press Council against Newspapers and Periodicals	71
4170. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग करने में प्रगति	Progress made in use of Hindi in Information and Broadcasting Ministry	71—72
4171. केन्द्रीय मंत्रियों, अथवा उनकी पत्नियों और बच्चों के नाम में 20 एकड़ से अधिक के फार्म तथा उनके स्थान	Farms of more than 20 Acres Owned by Central Ministers or by their Wives and Children and their Locations	72
4172. बेरोजगारी की स्थिति पर पुनर्विचार	Review of Unemployment Situation	72—73
4173. वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की अनुमित संख्या तथा उनके लिये राहत तथा पुनर्वास की व्यवस्था	Refugees from East Pakistan Expected in 1970 and their Relief and Rehabilitation	73
4174. जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन के लिये अनिर्णीत आवेदन-पत्र	Applications pending for Telephone Connections in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Chandigarh	73—74
4175. जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा तथा चण्डीगढ़ के टेलिफोन एक्सचेंजों की क्षमता विस्तार	Expansion of Capacity of Telephone Exchanges in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Chandigarh	74—75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4176. श्रमजीवी पत्रकारों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण	Revision in Minimum Wage of working Journalists	75
4177. युव-वाणी कार्यक्रम के उद्घोषक	Yuva Vani Programme Announcers	75
4178. राजस्थान के लिये रेडियो स्टेशन	Radio Stations for Rajasthan	75—76
4179. अनाज सुखाने का यंत्र	Mechanical Grain Drier	76
4180. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के वैज्ञानिकों में व्याप्त निराशा	Frustration among Scientists of Indian Agricultural Research Institute	76—77
4181. पंजाब तथा हरयाना में वर्षा से क्षतिग्रस्त गेहूँ का क्रय	Purchase of Rain Damaged Wheat in Punjab and Haryana	77
4182. गुजरात मंडल के डाक तार विभाग कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश, 1 अक्तूबर 1969, को कार्य करने के कारण प्रतिकर देना	Compensation to P and T Employees of Gujarat Circle for working on Ist October, 1969 which was a paid Holiday	77—78
4183. अहमदाबाद के हैड पोस्ट-मास्टर द्वारा अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को "अनुपस्थित" मानना	Treatment of Head Post Master, Ahmedabad, towards Scheduled Casts Employees at 'Dies Non'	78—79
4184. पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति सहकारी गृह निर्माण समिति नई दिल्ली के प्लाटों का आवंटन	Allotment of Plots to East Pakistan Displaced Persons Cooperative House Building Society, New Delhi	79
4185. दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों को आवंटित भूमि के किराये में कमी करने का दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव	Proposals of Delhi Administration for Reduction of Ground Rent of Land Allotted to West Pakistan Displaced Persons in Delhi	79—80

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4186. पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में भूमि का प्रीमियम किस्तों में भुगतान करने पर व्याज की वसूली को स्थगित करना	Deferment of Realisation of Interest for Payment of Premium in Instalments on Accouut of Land in EPDP Colony Kalkaji, New Delhi	80
4187. कालका जी, नई दिल्ली में स्थित पूर्वी पाकिस्तान विस्थापितों की बस्ती के आवंटियों से भूमि के किराये की वसूली स्थगित करना	Deferment of Realisation of Ground Rent from Allottees of East Pakistan Displaced Persons Colony, Kalkaji, New Delhi	80—81
4188. महिसिल गवर्नमेंट कालोनी, आसनसोल में एक डाक-तार खोला जाना	Opening of a Post Office at Mahisil Government Colony, Asansol	81
4189. अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस द्वारा स्थायी समिति की सिफारिशों का अस्वीकार किया जाना	A. I. T. U. C's Rejection of Standing Labour Committee Recommendations	81
4190. सोयाबीन के तेल तथा तोरिये का आयात	Import of Soyabean Oil and Rapeseed	82
4191. पंचायत राज के बारे में शैक्षिक विशेषज्ञों का मैसूर में सम्मेलन	Conference of Academic Experts on Panchayat Raj held at Mysore	82—83
4192. बारानी खेती के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Dry Farming	83
4193. बीज प्रबन्ध के बारे में अखिल भारतीय सम्मेलन	All India Conference on Seed Management	84
4194. फिल्म परिषद की स्थापना	Establishment of Film Council	84
4195. बिहार सर्किल में टेलिग्राफ इंजीनियरिंग कर्मचारियों की संख्या और उनके लिए केन्टीन की व्यवस्था	Number of Telegraphs Engineering Employees in Bihar Circle and Provision of Canteens for them	85—86

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4196. कोयला खान संगठन के करमा स्थित चिकित्सा अस्पाल झूमरी तलैया के डाक-तार कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधायें	Medical Facilities to P and T Employees of Jhumari Tilaiya at Medical Hospital Karma of Coal Mines Organisation	86
4197. बेरमो के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की फुसरो मेडिकल अस्पताल में चिकित्सा	Medical Treatment of P and T Employees of Bermo at Phusro Medical Hospital	86—87
4198. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा वर्ष 1969 तथा 1970 में दूध की सप्लाई में किये गये विलम्ब के मामले	Instances of Delay in Supply of Milk by Delhi Milk Scheme during 1969 and 1970	87
4199. फसलों पर कीटाणु नाशक दवाइयां छिड़कने के लिए हैलीकाप्टर रखने वाले राज्य	States having Helicopters for Spray of Insecticides over Crops	87—88
4200. ढोरों की नस्ल तथा चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैण्ड के साथ करार	Agreement with Switzerland for Development of Cattle Breeding and Fodder Production	88—89
4201. कार्मिक संघ के प्रतिनिधि ढांचे के बारे में स्थायी श्रम समिति का सुझाव	Standing Labour Committee's Suggestion Regarding Representative Character of Trade Union	89
4202. रामपुरा, दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना का एक दुग्ध डिपो खोला जाना	Opening of a D. M. S. Booth in Rampura Delhi	90
4203. पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में प्लाटों के प्रार्थियों से जमीन किराये और प्रीमियम के रूप में वसूली की गई धनराशि	Amount Realised as Premium and Ground Rent from Applicants of Plots in E. P. D. P. Colony, Kalkaji	90—91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4204. कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में जल तथा बिजली की सप्लाई	Supply of Water and Electricity in Kalkaji Colony, New Delhi	91
4205. कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Civil Amenities in Kalkaji Colony, New Delhi	91—92
4206. अपनी किश्तें जमा करने के बारे में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की कालोनी के अलाटियों को जारी किये गये नोटिस	Notices Issued to Allottees in E. P. D. P. Colony for Depositing their Instalments	92
4207. पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में प्लाटों के आवंटन में परिवर्तन	Change in Allotments of Plots in EPDP Colony Kalkaji, New Delhi	92—93
4208. बाजरे के प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि करने के लिये उपाय	Steps for Improvement in Per Hectare Yield of Bajra	93 –94
4209. दिल्ली में विस्थापितों तथा शरणार्थियों की कालोनियां	Displaced Persons and Refugees Colonies Delhi	94
4210. दिनांक 13-8-1967 के प्रैस नोट के अनुसार कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को प्लाटों का अवंटन	Allotment of Plots to EPDPs Vide Press Note Dated 13-8-1967 Kalkaji Colony, New Delhi	94—95
4211. नई दिल्ली में कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में जल की सप्लाई	Supply of Water to EPDP Colony at Kalkaji, New Delhi	95—96
4212. औसत भारतीय को प्रामाणिक पौषक-आहार की आवश्यकता	Standard Nutritional Requirements of an Average Indian	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4213. सहकारी क्षेत्र में मिलें खोलने के लिये लाइसेंस देना तथा गन्ना पेरने के लिए अन्य कार्यवाहियां करना	Licences to Start Mills in Cooperative Sector and other Measure for Crushing Sugarcane	96—97
4214. तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 'अपना टेलीफोन लगाओ' योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदन पत्र	Applications for Telephone Connections Pending under 'Own Your Telephone Scheme' in Tamil Nadu	97—98
4215. 27-7-70 को बन्द कर दिये गये कटक और सम्बलपुर के आकाशवाणी केन्द्र	Cuttack and Sambalpur A. I. R. Station Closed on 27-7-70	98
4216. चीनी का उत्पादन बढ़ाने की मांग	Demand for Expansion of Sugar Production	98—99
4217. विदेशी प्रसारण सेवा अनुभागों में रिक्त पद	Vacant Post in External Service Sections	99
4218. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी	Unemployment in Rural and Urban Areas	99—100
4219. दिल्ली के चिड़िया घर का कार्य तथा प्रसार	Working and Expansion of Delhi Zoo	100—101
4220. गाडगिल आश्वासनों के अन्तर्गत दिल्ली में शरणार्थियों के लिये वैकल्पिक आवास	Alternative Accommodation to Refugees in Delhi Under the Gadgil Assurances	101
4221. उत्पादन तथा वितरण अनुभाग में दोष होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा	Losses in the Working of Delhi Milk Scheme due to Defects in its Production and Distribution Section	101—102
4222. फार्म रेडियो अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Farm Radio Officers	102

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4223. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों पर खर्च की राशि की अधिकतम सीमा में छूट के लिए तमिलनाडु सरकार का अनुरोध	Tamil Nadu Request to Relax Ceiling on Expenditure on Workers Under E. S. I. S.	102—103
4224. उड़ीसा के कोरापुट तथा भोलंगीर जिलों के लिए एक पृथक पोस्टल डिवीजन की मांग	Separate Postel Division for Koraput and Bholngir Districts of Orissa	103
4225. न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन	Revision of Minimum Wages Act	103—104
4226. तारों के शीघ्र भेजे जाने और वितरण किये जाने के लिये कार्यवाही	Steps for Expeditious Despatch and Delivery of Telegrams	104
4227. कलकत्ते में टेलिफोन व्यवस्था के प्राय: खराब रहने के बारे में कलकत्ते के वाणिज्य मंडल का प्रस्ताव	Resolution of Chamber of Commerce, Calcutta Regarding out of Order Telephone's in Calcutta	104—105
4228. निमाड़ वाणिज्य मंडल द्वारा खंडवा सिटी की टेलिफोन सेवा के बारे में शिकायतें	Complaint Regarding Telepone Service in Khandwa City by Nimad Chamber of Commerce	105
4229. मध्य प्रदेश को आयातित ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Imported Tractors to Madhya Pradesh	105
4230. मध्य प्रदेश में पक्की सड़कों का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Construction of Pucca Roads in Madhya Pradesh	105—106
4231. मध्य प्रदेश में उत्पादित चावल का निर्यात	Export of Rice Produced in Madhya Pradesh	106
4232. मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में लघु और मध्यम चीनी उद्योगों और चावल मिलों के विकास का कार्यक्रम	Programme for Development of Small and Medium Scale Sugar Industries and Rice Mills in Co-operative Sector in Madhya Pradesh	106—107

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4233. देश में पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन-राशि	Amount Required for Meeting Nutritional Needs in the Country	107—108
4234. नगरीय तथा ग्रामीण मजदूर	Urban and Rural Labour	108
4235. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के लिए अर्ध-स्वायत्तशासी बोर्ड बनाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A. R. C. Recommendation for Semi-Autonomous Board for Information and Broadcasting	109
4236. चयन की गई कालोनियों में खेतिहर भूमिहीन मजदूरों का पुन: बसाया जाना	Resettlement of Agricultural Landless Labourers in Selected Colonies	109
4237. अपनी बेदखली को रोकने के लिए मेहोवा के किसानों का प्रधान मंत्री से मिलना	Meeting of the Mehowa Peasants with Prime Minister to Stop their Eviction	109—110
4238. पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को उद्योगों में बसाने के उद्देश्य से हांगकांग के नमूने का अध्ययन	Study of Hong Kong Pattern for Industrial Rehabilitation of East Pakistan Refugees	110
4239. दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्रों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताएं	Iregularities Committed by Staff working in Delhi Milk Scheme Booths	110—111
4240. चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Public Call Offices in Rural Areas of U. P. under IV Plan	111
4241. विदेशों से उपहार में मिले खाद्यान	Foodgrains Donated by Foreign Countries	111—112
4242. मक्का के प्रति हैक्टर उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय	Steps to Increase Yield of Maize Per Hectared	112

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4243. कर्मचारी भविष्य निधि में काम करने वाले कर्मचारियों की मांगें	Demands of E. P. F. Employees	113
4244. राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ के समानान्तर यूनियनों और संघों को मान्यता	Recognition of Unions and Federation Parallel to National Federation of P and T Employees	113
4245. शिक्षाप्रद चलचित्रों के निर्माण के लिये वित्त	Finances for Production of Educative Films	114
4246. त्रिपुरा को खाद्य पदार्थों की सहायता	Food Aid to Tripura	114—115
4247. त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी	East Pakistan Refugees in Tripura	115—116
4248. उपभोक्ता सहकारी स्टोरों द्वारा बेचा गया तस्करी का माल	Smuggled Goods Sold by Consumer Co-operative Stores	
4249. प्रचार रूपक लिखने के लिये कार्य पर लगाये गये पत्रकार	Commissioning Journalists to Write Publicity Feature	116—117
4250. केन्द्रीय मंत्रियों के निवासों पर टेलीफोनों के सम्बन्ध में ट्रंक काल बिल	Trunk Call Bills in Respect of Telephones at Central Minister's Residences	117
4251. तारघरों की कुल संख्या और वहां से हिन्दी में तार भेजने की सुविधा	Total Number of Telegraph Offices and Facility of Sending Telegrams in Hindi Therefrom	117—
4252. पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों तथा पूर्वी भारत से पाकिस्तान गये मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पति का अनुमान	Assessment of Properties Left Behind by East Pakistan Refugees and Muslim Migrants from Eastern India to Pakistan	1 18
4253. प्रस्तावित अधिक शक्ति-शाली ट्रांसमीटर के हिमालय सीमा पार कार्यक्रम	Proposed High Power Transmitters Programmes Across Himalayan Border	118

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4254.	उड़ीसा में 27 जुलाई, 1970 को 'बन्द' के कारण सभी संचार सुविधाओं का अस्तव्यस्त होना Dislocation of Communication Facilities in Orissa due to Bandh on 27th July, 1970	119
4255.	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से स्थानान्तरित किये गये हिन्दी का कार्य करने वाले व्यक्ति Persons Engaged in Hindi work Transfered from Delhi A. I. R.	119
4256	मसानी समिति प्रतिवेदन के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही Action taken by Government on Masani Committee Report	119—120
4257.	सहायक-स्टेशन निदेशकों तथा कार्यक्रम प्रबन्धकों की पदोन्नति Promotion of Programme Executives and Assistant Station Directors	120
4258.	प्रोग्राम कार्यकारी अधिकारियों के रूप में काम कर रहे ट्रांसमिशन कार्यकारी अधिकारी Transmission Executives working as Programme Executives	120
4259.	आकाशवाणी के सभी केन्द्रों में कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए कसौटी Criteria for Effecting Transfers of Staff Among All India Radio Stations	120
4260.	विकास खण्डों की समाप्ति Abolition of Development Blocks	121
4261.	1970 में अनाजों का आयात Import of Foodgrains during 1970	121
4262.	राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण Hindi Version of National Labour Commission Report	121
4263.	उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ के डाकघरों के सुपरिंटैन्डेन्टों के विरुद्ध शिकायतें Complaint against Superintendent of Post Offices Azamgarh, Uttar Pradesh	121—122
4264.	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों की कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में अनधिकारी लोगों को प्लाटों का आवंटन Allotment of Plots to Ineligible Persons in E. P. D. P. Colony at Kalkaji, New Delhi	122

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4265. कालकाजी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों को प्लाटों का आवंटन	Allotment of Plots of East Pakistan Displaced Persons in Kalkaji, New Delhi	122—124
4266. कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में भूमि किराये में कमी	Reduction of Ground Rent in Kalkaji E. P. D. P. Colony, New Delhi	125
4267. तिलहनों तथा बिनौलों के आयात को उदार बनाने के बारे में वित्त मंत्रालय की राय	Opinion of Finance Ministry to Liberalise Import of Vegetable Oils and Cotton Seed	125—126
4268. भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में विभागीय पदोन्नति समिति का गठन	Constitution of Departmental Promotion Committee in Indian Agricultural Research Institute	126
4269. बनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि का तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर प्रभाव	Affect on Class III and IV Employees of Increase in Price of Vanaspati Ghee	126
4270. अखबारी कागज को वितरण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन के लिए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की मांग	Demand of I. F. W. J. for Revision of Newsprint Distribution Policy	127
4271. मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के विकास की योजना	Scheme for Development of Fishing Harbours	127—128
4272. रामपुरा, दिल्ली में डाकघर खोलना	Opening of a Post Office in Rampura, Delhi	128
4273. प्रसारण, कार्यक्रमों में भाग लेने के राजनीतिक दलों को बुलाना	Invitation to Political Parties for A. I. R. Programmes	129
4274. यौनभाव तथा हिंसा दिखाने वाले भारतीय चलचित्रों का सेंसर	Censor of Indian Films Depicting Sex and Violence	129

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4275. पुराने टेलीफोन मीटरों के कारण अधिक राशि के टेलीफोन बिल	Inflated Telephones Bills due to Old Telephone Meters	129—130
4276. राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्बन्धी टेप रिकार्डों को प्रसारण से पूर्व आलोचकों को सुनाया जाना	Tapes on National Programme Play Back to Critics before Broadcast	130
4277. मैसूर चिड़ियाघर में एक हथिनी के पेट से शल्प चिकित्सा द्वारा बच्चा निकालना	Cassarean Operation on an Elephant in Mysore Zoo	130—131
4278. श्वेत चीते	White Tigers	131
4279. मैसूर चिड़ियाघर में रखे गये विभिन्न जाति के जीवों का प्रजनन	Breeding of Various Species in Mysore Zoo under Capacity	131—132
4280. खण्डों (ब्लाकों) में बीज, उर्वरक तथा कीटनाशी औषधियां बेचने के लिए केन्द्र	Centres for Sale of Seed Fertilizer and Insecticides in Blocks	132
4281. कलकत्ता क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों में वृद्धि	Increase in Telephone Exchange in Calcutta Region	132—133
4282. जनरल जोरावर सिंह की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamp on Zorawar Singh	133
4283. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता	Overtime Paid to Staff of Indian Agriculture Research Institute	133
4284. छोटे किसानों की विकास सम्बन्धी योजनाओं में प्रगति	Progress of Small Farmers Development Schemes	134—135
4285. यवतमाल जिले में आरनी के स्थान पर डाकघर की नई इमारत का निर्माण	Construction of New Building for Post Office at Arni Yeotmal District	135

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4286. यवतमाल और बम्बई के बीच टेलीफोन लाइनों में सुधार के लिए कार्यवाही	Steps for Improvements in Telephone Lines between Yeotmal and Bombay	135—136
4287. महाराष्ट्र राज्य में 1970-71 में बारानी खेती सम्बन्धी अनुसन्धान तथा उस पर व्यय	Research in Dry Farming in Maharashtra during 1970-71 and Expenditure Thereon	136
4288. महाराष्ट्र में खेतिहार श्रमिकों तथा छोटे किसानों के लिये विकास योजनायें	Development Scheme for Submarginal Farmers and Agricultural Labour in Maharashtra	136
4289. भारतीय परिस्थितियों के लिये उपयुक्त ट्रैक्टर बनाना	Development of a Tractor Suitable to Indian Conditions	137
4290. आयातित ट्रैक्टरों पर प्रीमियम	Premium on Imported Tractors	138
4291. मनीपुर में रोजगार की योजना	Plan for Employment in Manipur	138
4292. इम्फाल में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchange at Imphal	138—139
4293. इम्फाल में 1970-71 में अनिर्णीत पड़े टेलीफोन कनेक्शनों के मामले	Telephone Connection Pending in Imphal 1970-71	139
4294. मनीपुर में भूमि के अलाटियों के नाम प्रीमियम के भुगतान की माफी के लिये उनसे आवेदन	Applicants from Allottees of Land for Condonation of Payment of Premium due from them in Manipur	139
4295. मनीपुर में शरणार्थियों का बसाया जाना	Settlement of Refugees in Manipur	140
4296. रोजगार तलाश करने वालों का नया पंजीकरण	New Registration of Employment Seekers	140
4297. 1000 किलोवाट के ट्रांसमिटरों वाले रेडियो स्टेशन	Radio Station with 100 K. W. Transmitters	140—141

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4298. पश्चिम बंगाल में सांविधिक आधार पर एक राज्य सहकार विकास निगम की स्थापना करना	Setting up a State Cooperative Development Corporation in West Bengal on Statutory Basis	141
4299. दतिया, मध्य प्रदेश, में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्र तथा दतिया टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार	Applications for Telephone Connections Pending in Datia, Madhya Pradesh and Expansion of Datia Telephone Exchange	141
4300. मध्य प्रदेश के जिला भिंड में टेलीफोन एक्सचेंज की नई इमारत	New Building of Telephone Exchange in Bhind District, Madhya Pradesh	141—142
4301. मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सिजोंदा के टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार	Expansion of Telephone Exchange Sijonda, District (Madhya Pradesh)	142
4302. मध्य प्रदेश के भिंड़ तथा दतिया जिले में तार, फोन-तार (फोनोग्राफ) और डाकघर खोलना और स्तर बढ़ाना	Opening and Upgrading of Telegraph, Phonagraph, and Post Offices in Bhind and Datia District of Madhya Pradesh	142
4303. गो-हत्या विरोधी अभियान को फिर से आरम्भ करना	Revival of Anti-Cow Slaughter Agitation	143—144
4304. "भारत 1967" नामक वृत्त चित्र	Documentary Film "India 1967"	144—145
4305. पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा	Ceiling on Land Holding in Rural Areas in West Bengal	145
4306. पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के बारे में संसदीय सलाहकार समिति	Parliamentary Consultative Committee on Land Reforms in West Bengal	145—146
4307. फालतू भूमि का अधिग्रहण करने के लिये मुआवजा देने हेतु राज्यों के वित्तीय साधनों में कमी	Shortage of Financial Resorces of States for Payment of Compensation for Acquisition of Surplus Land	146—147

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
4308. बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने का साधन	Sources for Collecting Unemployment Data	147—148
4309. उर्वरकों का मूल्य	Price of Fertilisers	148—149
4310. राजनीतिक दलों द्वारा भूमि राजस्व का वसूल किया जाना	Land Revenue Appropriated by Political Parties	149—150
4311. गांवों के लिए पीने के जल की योजनायें	Rural Drinking Water Schemes	150—151
4312. बन पशुओं को समाप्त होने से बचाने के लिये शेर, चीते, रीछ और हिरण मारने पर प्रतिबन्ध	Ban on Shooting of Lion, Tiger, Bear and Dear to Check Extinction of Wild Life	151—152
4313. केरल के कनानौर जिले में मदाई के मछुओं को मछली पकड़ने का लाइसेंस पुन: जारी करना	Re. Issue of Fishing Licence to Fishermen of Madai, Cannonore District, Kerala	152
4315. केरल में अंशकालिक आकस्मिक श्रमिकों द्वारा सत्याग्रह तथा अनशन	Satyagraha and Hunger Strike by Part-time Contigency workers in Kerala	152
4316. आकाशवाणी, सारनाथ पर विद्यार्थियों का आक्रमण	Students Attack on AIR Sarnath	152—153
4317. सिविल इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों और नई दिल्ली नगरपालिका के मस्टर रोल कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Civil Engineering Department and Muster Roll Employees of N. D. M. C.	153
4318. मालिकों द्वारा अपनी भूमि का कब्जा छोड़ने का विरोध किये जाने के कारण भूमि सुधार में विलम्ब	Delay in Land Reforms due to Resistance by Owners	153—154
4319. चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी निर्णय को स्थगित करना	Postponement of decision Regarding Nationalisation of Sugar Industry	154

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
320. चौथी पंचवर्षीय योजना में फार्मों तथा कृषि मजदूरों के लिए योजना	Scheme for Farms and Agricultural Labour under Fourth Plan	154—15
0 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3854 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Correcting Statement to Unstarred Question No. 3854 dated 20-3-1969	155—156
प्रविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	156
ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन के भारत स्थित यूनिट का बन्द किया जाना	Closure of BBC Unit in India	156
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	156
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	156—162
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	163
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member	163
(श्री राम सेवक यादव)	(Shri Ram Sewak Yadav)	163—164
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1970-71	Demands for Supplementary Grants (Railways) 1970-71	164—165
श्री को० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	165—166
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	166—167
श्री जि० मो० विस्वास	Shri J. M. Biswas	167—169
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Romsekhar Prasad Singh	169
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	169—170
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	171
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	171
श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	172—173
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	173
श्री मु० अ० खां	Shri M. A. Khan	173—174
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	174

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री शिव नारायण	Shri Shiv Narayan	174
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	174
श्री मीठालाल मीना	Shri Meetha Lal Meena	174—175
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	175
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	175
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Pal Chaudhary	175
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	175
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	175
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	176
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	176
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	176
श्री अब्दुल गनी डार	Shri Abdul Ghani Dar	176
श्री नन्दा	Shri Nanda	176—182
विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1970—पुरःस्थापित	Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1970 Introduced	182
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	183
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	183
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	183—184
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	184
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	184—185
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	185
आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion	185
देश में नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि	Increase in Naxalite Activities in the Country	185
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	185—188
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	188—192

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
भारतीय रुई निगम की स्थापना के बारे में चर्चा	Discussion Re. Establishment of Cotton Corporation of India	192
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	193—195
श्री मि० रु० मसानी	Shri M. R. Masani	195—196
श्री देवराव पाटिल	Shri Deo Rao Patil	197—198

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरूवार, 27 अगस्त, 1970/5 भाद्र, 1892 (शक)
Thursday, August 27, 1970/Bhadra 5, 1892 (Saka)

लोक-सभा 11 बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हरियाणा प्रसारण केन्द्र का निर्माण

*633. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा प्रसारण केन्द्र के निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब वह किस अवस्था में है ;

(ग) वह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) उक्त केन्द्र पर कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रायोजना का प्रारम्भिक विवरण तैयार किया जा रहा है और निर्माण कार्य निकट भविष्य में शुरू हो जायेगा ।

(ग) 1972-73 तक ।

(घ) लगभग 55 लाख रुपए ।

श्री श्रीचन्द गोयल : हरियाणा राज्य वर्ष 1966 में अर्थात् 4 वर्ष पूर्व बना हुआ था तथा मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से पता लगता है कि वहां आकाशवाणी का केन्द्र स्थापित

करने में तीन वर्ष से अधिक समय लग सकता है। इसका अर्थ है कि राज्य में एक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने में सात वर्ष लगेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि विलम्ब का क्या कारण है और क्या देश में ऐसा कोई अन्य राज्य भी है जिसका अपना प्रसारण केन्द्र नहीं है ?

फिर, उक्त प्रसारण केन्द्र की स्थापना हेतु स्थान का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा भेजे गये दल ने करनाल की सिफारिश की है परन्तु चूंकि संचार मन्त्री रोहतक के हैं तथा चौधरी रणधीर सिंह भी वहां के हैं और वे पंडित माधो राम से अधिक प्रभावशाली है...

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री श्रीचन्द गोयल :...तो करनाल की बजाय रोहतक का चयन करने के क्या कारण हैं ? मैं यह प्रश्न इसलिये भी पूछता हूं कि ऐसा लगता है कि भौगोलिक तथा गुण-दोषों के आधार पर उस दल द्वारा की गई सिफारिशों की उपेक्षा की गई है तथा राजनैतिक दबाव में आकर ही रोहतक का चयन किया गया है।

श्री कंवरलाल गुप्त : रोहतक एक अच्छा स्थान है।

श्री० इ० कु० गुजराल : यदि किसी सदस्य के प्रभाव में आकर मुझे निर्णय करना होता तो मैं शायद चण्डीगढ़ में उक्त केन्द्र स्थापित करना चाहता क्योंकि श्री श्रीचन्द गोयल वहां के हैं। रोहतक को केन्द्र बनाने का मुख्य आधार तकनीकी दृष्टि से उसका अनुकूल होना है। रोहतक की स्थिति इस प्रकार की है कि वहां से हरियाणा के अधिकांश भागों में प्रसारण सुना जा सकता और इसीलिए रोहतक को चुना गया है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है।

जहां तक समयावधि की बात है, ऐसा करना तो हमारे लिए कठिन है कि ज्योंही कोई राज्य अस्तित्व में आये वहां अगले दिन ही हम आकाशवाणी केन्द्र चालू कर दें। कई राज्य हैं जहां आकाशवाणी केन्द्र नहीं है जैसे नागालैण्ड तथा मेघालय और हम वहां भी एक-एक केन्द्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पीलू मोडी : जैसे अकसाईचिन

श्री इ० कु० गुजराल : नहीं, नहीं जैसे बम्बई।

श्री पीलू मोडी : वहां एक केन्द्र क्यों नहीं स्थापित करते ?

श्री इ० कु० गुजराल : यह आधार नहीं है ; राजनैतिक आधार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आधार ध्यान में रखा जाता है।

श्री श्रीचन्द गोयल : मन्त्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में अथवा विदेशों से या राष्ट्र विरोधी तत्वों से प्रभावित होने की सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों में, रेडियो संचार का एक अत्यन्त प्रभावपूर्ण माध्यम है। वहां लोग समाचार पत्र तो बहुत ही कम पढ़ते हैं। अतः मैं जानना चाहूंगा कि उक्त पिछड़े तथा नाजुक क्षेत्रों में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? विशेष रूप से लेह तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों में चौथी योजना के दौरान प्रसारण कन्द्र खोलने के बारे में सरकार की क्या योजना है ? फिर, एक किलोवाट शक्ति

के ट्रान्समीटर से काफी दूरी तक प्रसारण नहीं हो सकता। क्या सरकार का विचार इन ट्रांसमीटरों के स्थान पर अधिक शक्ति वाले ट्रान्समीटर लगाने का है ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक प्रसारण केन्द्रों की संख्या का संबंध है, हम 38 नये प्रसारण केन्द्र खोलने जा रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : वह तो बड़ी दूर की बात करने लगे हैं। प्रश्न केवल हरियाणा के बारे में है।

श्री श्रीचन्द गोयल : प्रश्न केवल हरियाणा से संबंधित हो सकता है परन्तु उन्हें तो समूचे देश के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। आप उन्हें पूरी जानकारी देने से क्यों रोकते हैं जो कि सारी सभा के लाभ की हो ? हमारी सहायता करने के बजाय आप...

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसी बात मत कीजिये। अनुपूरक प्रश्न केवल मुख्य प्रश्न से संबंधित होने चाहिये।

डा० सुशीला नैयर : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगी कि किसी प्रसारण केन्द्र के लिए स्थान चुनने में क्या-क्या मानदंड सम्मुख रखे जाते हैं ? मैं यह प्रश्न विशेष रूप से पूछ रही हूं क्योंकि बुन्देलखंड में झांसी का स्थान निर्धारित किया गया था। दो मन्त्रियों ने सार्वजनिक वक्तव्य भी दिये थे परन्तु अब वह स्थान बदल दिया गया है। इसी प्रकार हरियाणा के बारे में भी स्थान बदल दिया गया है। ये स्थान क्यों बदले जाते हैं तथा ऐसा किस आधार पर किया जाता है ?

श्री इ० कु० गुजराल : ये मानदंड तो सर्वविदित हैं और ये हैं सांस्कृतिक एकरूपता क्षेत्र का आकार-प्रकार, एक स्थान जहां से अधिकाधिक क्षेत्रों में प्रसारण पहुंच सके तथा जहां कृषि कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकाधिक व्यक्ति पहुंच सकें। यही बातें ध्यान में रखी जाती हैं और इन्हीं के आधार पर प्रसारण केन्द्रों के स्थान निर्धारित किए जाते हैं।

डा० सुशीला नैयर : इन दो मामलों में आपने स्थानों में परिवर्तन क्यों किया ? इसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

भारतीय चीनी मिल संघ द्वारा चीनी के उत्पादन पर लगे उत्पादन-शुल्क में छूट के लिए प्रार्थना

*634. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ के अध्यक्ष ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि सरकार 1 जून 1970 से चीनी के कुल उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क में पूरी छूट दे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चीनी पर लगे उत्पादन कर में छूट के रूप में केन्द्र द्वारा और गन्ने पर लगे गन्ना क्रय कर में छूट और वापिसी के रूप में राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही दी गई रियायतें पर्याप्त समझी जाती हैं। चीनी पर लगे उत्पादन कर में और अधिक छूट की अनुमति देने का सरकार का कोई भी विचार नहीं है।

श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या मिल संघ ने अतिरिक्त उत्पादन पर 8 रुपये प्रति क्विंटल की छूट की मांग की थी तथा क्या राज्य सरकारों ने 1 मई, 1970 के पश्चात पेरे गये गन्ने पर क्रय-कर में पूरी छूट दी है ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : कुछ राज्य सरकारों ने 15 मई के पश्चात् पेरे गये गन्ने पर गन्ना-शुल्क पर छूट प्रदान की थी। वस्तुतः उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पग आगे बढ़कर 10 जुलाई से पेरे गये गन्ने पर गन्ना उपकर वापस कर दिया था। जहां तक उत्पादन-शुल्क में छूट देने का संबंध है गतवर्ष अधिक उत्पादन पर जो अतिरिक्त रियायत दी गई थी उसके अलावा हमने जुलाई तथा सितम्बर के मध्य हुए उत्पादन पर भी उत्पादन-शुल्क में रियायत दी थी। हमारे विचार से इतनी छूट काफी तथा न्यायोचित है।

श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या सरकार ने 1 मई, 1970 से किसानों को बोनस तथा उत्पादन के लिये रियायत देने हेतु सहकारी चीनी मिलों को निर्देश दिये हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : रियायत देने के बारे में हम सहकारी संस्थाओं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच भेद-भाव नहीं करते क्योंकि ये रियायतें उत्पादन से संबंधित हैं।

श्री के० सूर्यनारायण : क्या सरकार को मालूम है कि राज्य सरकारों ने किसानों को लाभ देने के लिए कई प्रकार की सिफारिशें की हैं तथा क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कुछ मिल मालिकों ने गन्ने का मूल्य निर्धारित करने वाले आदेश को समाप्त कराने के उद्देश्य से अदालत का आश्रय लिया है क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य कारखानों की उत्पादन लागत को भी पूरा करने के लिये अपर्याप्त हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार ने केवल टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन को ही ध्यान में रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि टैरिफ आयोग ने निर्माताओं के सारे खर्च को ध्यान में नहीं रखा। यही कारण है कि निर्माता कम से कम गन्ने का मूल्य भी अदा नहीं कर पाते।

पिछले मौसम में, किसानों ने वास्तव में गन्ना जला दिया क्योंकि कारखानों ने उसे नहीं खरीदा। इन सब बातों के हल के लिये क्या सरकार सभी राज्यों के लिये कोई सामान्य सूत्र निर्धारित करने पर विचार करेगी ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : माननीय सदस्य के प्रति पूरे सम्मान सहित मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न तो उत्पादन शुल्क में रियायत से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा होता कि आप केवल मुख्य प्रश्न की सीमा में ही प्रश्न पूछते।

श्री वि० कृष्णमूर्ति : हमारे क्षेत्र के सभी प्रदेशों में गन्ने से चीनी की प्राप्ति घटकर 6 प्रतिशत, बल्कि 5.2 प्रतिशत, रह गई है। सरकार ने 9.2 प्रतिशत चीनी प्राप्त कराने वाले गन्ने के मिल द्वारा देय मूल्य को 73 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है। जबकि प्राप्ति घटकर 6 प्रतिशत रह गई है, चीनी मजूरी बोर्ड द्वारा संशोधन किये जाने के बाद से उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई है तथा गन्ने के मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में यदि उत्पादन-शुल्क में रियायत न दी जाये तो देश में उपलब्ध अतिरिक्त गन्ने को कारखानों में कैसे पेरा जा सकता है ? पहले तो उत्पादन शुल्क...

अध्यक्ष महोदय : कृपया तर्क मत कीजिये।

श्री वि० कृष्णमूर्ति : मैं तो मन्त्री महोदय को इस बात की आवश्यकता के बारे में विश्वास दिला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है। यह तो प्रश्नकाल है।

श्री वि० कृष्णमूर्ति : जब मन्त्री महोदय श्री नरसिम्हाराव के पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उत्पादन शुल्क में रियायत दी गई है तथा वह उसे कम नहीं कर रहे हैं। पहले उत्पादन शुल्क 24 प्रतिशत प्रति क्विंटल था। अब यह 37 रुपये प्रति क्विंटल है। उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण कारखाने गन्ना नही पेर सकते क्योंकि यह अलाभकारी है। उत्पादन शुल्क में संशोधन किये जाने से सरकार को चालू वर्ष में 80 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। यदि आप इस अतिरिक्त गन्ने की खरीद द्वारा देश के किसानों की रक्षा करना चाहते हैं तो आप उत्पादन शुल्क में रियायत देकर या फिर 1 जून 1970 से आगे कारखानों द्वारा पेरे जाने वाले सभी प्रकार के गन्ने पर उत्पादन शुल्क पूर्णतः समाप्त करके इन कारखानों को चलने दें। परन्तु रियायत न देने के लिए उन पर वित्त मन्त्री का दबाव पड़ रहा है और इसीलिये वह उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप हमारी सहायता करेंगे।

श्री अन्नासाहेब शिंदे : मुझे मालूम है कि श्री कृष्णमूर्ति सहकारी चीनी उद्योग से निकट का संबंध रखते हैं। परन्तु मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि उत्पादन शुल्क में वृद्धि से मिलमालिकों पर कुप्रभाव पड़ता है क्योंकि अन्ततः यह मूल्य-तंत्र का एक अंग बन जाता है और वास्तव में तो वह उपभोक्ता के सिर पड़ता है...(**व्यवधान**)...जहां तक तमिलनाडु की चीनी मिलों का सम्बन्ध है उत्पादन शुल्क में कोई वृद्धि से मिल मालिकों अथवा किसानों पर प्रभाव नहीं पड़ता। भारत सरकार ने उत्पादन शुल्क पर जुलाई से सितम्बर तक के उत्पादन पर अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है तथा अधिकांश कारखानों ने जुलाई से सितम्बर तक उत्पादन का दूसरा दौर चलाया है। अतः वे इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : मन्त्री महोदय ने कहा है कि उत्पादन शुल्क से न तो उपभोक्ताओं पर और न ही गन्ना उत्पादकों पर प्रभाव पड़ा है, तो फिर किस पर इसका प्रभाव पड़ता है ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : मैंने यह तो नहीं कहा, मैंने तो यह कहा था कि इससे कारखानों के मालिकों या गन्ना उत्पादकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : इसीलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ। यही कारण है कि यह छूट का निवेदन बहुत अच्छा था। आप इस पर विचार क्यों नहीं करते ?

श्री हेम बरुआ : यदि यह सच है कि चीनी के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क में छूट देने का उद्देश्य चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की सरकार नीति को अस्त-व्यस्त करना है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीयकरण की नीति के मामले में केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य एक दूसरे पर उत्तरदायित्व डाल रहे हैं ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : मेरे विचार से राष्ट्रीयकरण का हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

हिसार में बारानी खेती के विकास की योजना

*635. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने हिसार जिले में बारानी खेती के विकास के लिए एक योजना तैयार की है और उसे केन्द्र की मंजूरी के लिए भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उस योजना पर कितना व्यय होगा तथा केन्द्र का विचार हरियाणा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का है ; और

(घ) उस योजना से किसानों को किस प्रकार लाभ होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) अन्य स्कीमों की भांति यह भी एक मार्गदर्शी परियोजना है इसकी विशेषताओं में भूमि को समतल बनाना भूमि विकास, जोताई कार्य और भूमि प्रबन्ध ; जलीय कटाई विधियां लघु सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, नई किस्मों का सूत्रपात, नई फसलें उचित फसल प्रणाली, कृषकों का प्रशिक्षण और प्रदर्शन आदि शामिल हैं।

(ग) 1970-71 के दौरान इस योजना की क्रियान्विति पर 22.20 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है। यह एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना है अतः इस पर होने वाला सारा व्यय (संस्थानात्मक वित्त से पूरी होने वाली 1.55 लाख रुपये कि अल्प कालीन ऋण की राशि के सिवाये) भारत सरकार पूरा करेगी।

(घ) यह योजना प्रदर्शन-एवं-प्रशिक्षण परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जायेगी। प्राप्त होने वाले परिणामों से कृषकों को नई नीति के लाभों का ज्ञान होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना में भाग लेने वाले कृषकों को आदानों, स्थाई निर्माण कार्यों और अवस्थापना सम्बन्धी प्रबन्धों के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है।

Shri Yashpal Singh : We could have manufactured hundreds of tube wells with this money, but that was not done. The dry farming would result in eliminating the ground-nut

and 'Bajra' cultivation and the cultivators will not be able to have cash crops. I want to know the reasons for which the Government has chosen Hissar in Haryana for this purpose and not some other area ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : इस परियोजना के लिए हरियाणा सरकार भी बहुत उत्सुक थी परन्तु यह केवल हरियाणा तक ही सीमित नहीं है । इस प्रकार की 24 परियोजनायें हैं जिन्हें देश में चालू किया जा रहा है तथा इनसे एक बड़े क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा । माननीय सदस्य इस तथ्य को अनुभव करेंगे कि हमारे देश के एक तिहाई भाग में बारानी खेती होती है तथा नलकूप लगाने तथा बड़ी अथवा छोटी सिंचाई कार्यक्रमों के कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी । परन्तु बारानी क्षेत्रों के किसानों की सहायता के लिए भारत सरकार ने यह नई टेक्नालाजी तथा नई परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

Shri Yashpal Singh : Sugar-cane and rice cannot be cultivated under dry farming. The farmers of the area where the experiment of dry farming is going on, should be given the benefit of an additional project producing paddy, sugar cane and fodder for their cattle ; otherwise the area under this project will be deprived of rice and sugar.

श्री अन्नासाहेब शिंदे : उनके लिए अलग योजनायें हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय हमें बतायेंगे कि जिन राज्यों में कृषि उत्पादन सबसे कम रहा है जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तथा असम, तथा जहां या तो सिंचाई सुविधायें बिलकुल ही उपलब्ध नहीं कराई गई हैं अथवा बहुत छोटे पैमाने पर उपलब्ध कराई गई हैं, उन क्षेत्रों में बारानी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ? वहां इस समय केवल एक ही फसल होती है, इसलिये बारानी खेती का स्वागत है । तो ऐसे क्षेत्रों में बारानी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल हरियाणा तथा हिसार से सम्बन्धित है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री शिंदे जी बड़े ही जानकार व्यक्ति हैं । आप उनकी परीक्षा ले सकते हैं और वे कुछ न कुछ बता ही देंगे । भले ही वे बातें तथ्यों से सम्बन्धित न हों तो भी वे कुछ न कुछ तो कहेंगे ही ।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों ही बड़े जानकार व्यक्ति हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो उन्हें उत्तर देने दें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है ।

Shri Tulshidas Jadav : If such dry farming projects are to be set up in every other State of the country, it will have to be seen that since the loans given to the farmers for dry farming will have to be recovered every year as usual, and that it is generally difficult for the farmers to repay these loans, have some arrangements been made to ensure that these farmers do not get burdened with these loans.

श्री अन्नासाहेब शिंदे : हमने इस बात का ध्यान रखा है कि माननीय सदस्य के जिले में भी यह योजना चालू की जाये तथा हम अन्य कठिनाइयों को भी ध्यान में रखेंगे ।

Shri Tulshidas Jadav : What measures are being taken to see that in stead of recovering loans from the cultivators every month, the instalments are spread out and swelly rate of interest is charged thereon ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : यह तो एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है ।

All India Trade Union Congress

*637. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether the All India Trade Union Congress is affiliated to any international Labour Organisation ;

(b) whether it is a fact that its functioning and activities in regard to launching of agitations etc. are guided bv the Directors for foreign countries ;

(c) whether this Organisation has been receiving any financial assistance from any International body from time to time ; and

(d) if so, the action Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bishwanath Roy) : (a) The All India Trade Union Congress is affiliated to the World Federation of Trade Unions.

(b) and (c). Government have no information.

(d) Does not arise.

Shri Bharat Singh Chauhan : Regarding foreign financial assistance, the Government have declared that organisations like the All India Trade Union Congress should not be allowed to get foreign finances. Will the Government ensure that of foreign assistance received by A. I. T. U. C. is stopped and what action is being taken in this regard because it is a question of policy and we want stop this kind of foreign assistance to stop ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : As has been stated in the answer, to the main question, Government have no information as to whether the A. I. T. U. C. is getting any assistance from any foreign organisation. Neither we are aware of it, nor we have received any complaint in this connection.

Shri Bharat Singh Chauhan : Are the Government aware that the policies of AITUC are formulated on the pattern of the policy of U. S. S. R. and their activities also conform to those policies ?

Shri Bhagwat Jha Azad : No Sir, there is nothing like that.

Shri Balraj Madhok : The hon. Minister has stated that he has no information in this regard, will he make an effort to find out details ? Is there any international organisation through which AITUC is getting financial assistance from communist countries and whether the expenses of the AITUC delegations visting foreign countries every year are met by this organisation ? In case the Government do not have such information at present, would they try to gather it and place it on the Table of the House ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Not only of the AITUC delegates but many other delegations go abroad and I donot think there is any need for conducting inquiries in this behalf. We have not received any complaint or information as such.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मन्त्री महोदय तथा प्रश्नकर्त्ता को जानकारी है कि अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का नारा है "दुनियां के मजदूरों ! एक हो जाओ" और इसीलिए वह संघ विश्व की सबसे शक्तिशाली मजदूर संस्था डबल्यू० एफ० टी० यू० से सम्बद्ध है ? क्या यह सच है कि कुछ अन्य ऐसी केन्द्रीय कर्मचारी संघ संस्थायें भी हैं जो आई० सी० एफ० टी० यू० जो अन्य विश्व संघों से सम्बद्ध है ? यदि हां, तो क्या उन संस्थाओं को इन संस्थाओं से कोई धन प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो वे कौन सी संस्थायें हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न श्री मधोक के प्रश्न के मुकाबले में किया गया प्रश्न है।

श्री स० मो० बनर्जी : वह यह तो बता सकते हैं कि क्या कुछ अन्य संस्थाएं अन्य विश्व संघों से सम्बद्ध है ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के तथा एच० एम० एस०, आई० सी० एफ० टी० यू० से सम्बद्ध हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मेरा वही उत्तर है जो मैंने अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के बारे में दिया है।

पटसन उद्योग में मजूरी निर्धारण

*638. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1969 के समझौते की शर्तों के अनुसार पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग के लिए कोई व्यवस्था-तंत्र कायम कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कौन-कौन से मामले सौंपे गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी व्यवस्था की स्थापना में सरकार कितना समय लेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार तथा उसके विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में नियोजकों तथा श्रमिकों के बीच मतभेद हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा यह तन्त्र स्थापित नहीं किया जा सका। अध्यक्ष के चयन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा यह तन्त्र स्थापित किया जायेगा।

श्री कं० हाल्दर : 13 अगस्त को पटसन कर्मचारी संघ तथा पटसन मिलों ने कुछ नामों का सुझाव दिया था जिनमें से एक को विवादों को निपटाने वाली समिति का अध्यक्ष चुना जाना था। परन्तु अध्यक्ष की नियुक्ति से पूर्व ही ढाई साल के भीतर पटसन कर्मचारियों तथा भारतीय पटसन मिल के बीच इस बारे में एक समझौता हो गया।

श्री भागवत झा आजाद : एक त्रिपक्षीय बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि कर्मचारी तथा मालिक नामों की एक सूची पेश करेंगे। मालिकों ने तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सूची पेश कर दी परन्तु कर्मचारियों ने अपनी सूची पेश नहीं की।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने एक नाम पेश किया है।

श्री भागवत झा आजाद : जी हां। यह निश्चय किया गया था कि यह 7 दिन के भीतर होना चाहिए। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से सहमत हूं कि एक नाम पेश किया गया था परन्तु त्रि-पक्षीय बैठक में यह निर्णय किया गया था कि नामों की एक सूची पेश की जाये। वह सूची पेश नहीं की गई। इसीलिए यह मामला अभी तक अनिर्णीत पड़ा है। एक नाम पेश किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन सज्जन से पूछा था कि क्या वह अध्यक्ष पद संभालना चाहेंगे। हमें नहीं मालूम कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। इसीलिए यह विवाद अभी तक रुका पड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार इस विवाद को निपटाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है।

श्री कं० हाल्दर : क्या यह सच है कि पटसन कर्मचारियों ने समिति के निर्देश पदों में से राजसहायता तथा मंहगाई भत्ते के विषय को निकालने के विरोध में 10 अगस्त को हड़ताल की थी क्योंकि इन विषयों का उन निर्देशपदों में शामिल किया जाना अनिवार्य था ?

श्री भागवत झा आजाद : जी हां। यह सच है कि बोनस के लिए तथा अनिवार्य भविष्य निधि तथा राज सहायता के बारे एक सांकेतिक हड़ताल की गई थी। उन्होंने कहा है कि उनके विवादों को हल करने के लिए अगस्त 1969 में हुए करार के अनुसार समिति का गठन तुरन्त ही किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय को मालूम है कि अगस्त 1969 में हड़ताल से सम्बन्धित एक करार हुआ था और जहां तक मुझे मालूम है मन्त्री महोदय भी उस समय वहां उपस्थित थे। इस समिति के अतिरिक्त एक अन्य व्यवस्था-तन्त्र का सुझाव दिया गया था तथा इसके पश्चात वह एक व्यवस्था-तन्त्र गठित ही किया गया है। यह जांच आयोग अधिनियम के अधीन एक जाँच आयोग है। इसे भी राज्य सरकार के श्रम विभाग ने दिसम्बर 1969 में स्थापित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह आयोग अभी भी कार्य कर रहा है अथवा नहीं ? क्या इस आयोग ने कोई प्रतिवेदन पेश किया है, यदि हाँ तो इस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है तथा क्या यह सच है कि इस आयोग को अपना कार्य पूरा करने के लिए कोई धन नहीं दिया गया और भारतीय पटसन मिल्स संगठन इसे बन्द करवाने का प्रयत्न कर रहा है ? इसलिए सरकार उस आयोग के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमने अगस्त 1969 में केन्द्रीय स्तर पर एक करार किया था जिसके अनुसार वेतन में 30 रुपये की वृद्धि की गई थी। इसके पश्चात् हमने अन्य विषयों पर विचार करने के लिए एक अन्य व्यवस्था स्थापित करना स्वीकार किया था परन्तु वह अब तक नहीं की जा सकी क्योंकि वे लोग परस्पर सहमत नहीं थे। अब वे लोग पुनः पश्चिम बंगाल में एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन करने के बारे में सहमत हुए हैं। इस जांच आयोग के बारे में वर्तमान स्थिति का पता लगाकर मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

चलचित्र परिषद् में चलचित्र उद्योग का अधिक प्रतिनिधित्व

+

*639. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री नारायणन :

क्या **सूचना और प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र उद्योग के प्रतिनिनिधि केन्द्रीय मन्त्री से मिले थे और उनमें अनुरोध किया था कि प्रस्तावित चलचित्र परिषद् में उद्योग को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म परिषद की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप में विचाराधीन है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : चलचित्र परिषद की स्थापना कब तक की जा रही है ? इस परिषद की स्थापना के उद्देश्य के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई विचारधारा बनाई है ?

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक समय का संबन्ध है, इस समय मेरे लिए यह बताना कठिन है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसकी स्थापना के विषय में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

जहां तक उद्देश्य का प्रश्न है इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है, जो पारित समिति के प्रतिवेदन से आरम्भ होता है । जहां तक चलचित्र उद्योग का प्रश्न है, आवश्यकता इस बात की है कि एक केन्द्रीयकृत एजेन्सी की स्थापना की जाय जिसका कार्य सलाह देना, कार्य को नियमित करना तथा उद्योग का सम्बर्द्धन करना है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या चलचित्र उद्योग ने मन्त्री महोदय को अपनी विभिन्न कठिनाइयां बताई हैं और सरकार ने विशिष्ट रूप से यह देखने के लिए कि चलचित्र उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कच्ची फिल्मों की सप्लाई की जाती है या नहीं कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : आदरणीय मित्र को यह ज्ञात होना चाहिए कि अब कच्ची फिल्में भी भारत में ही तैयार की जा रही हैं । इसके उपरान्त भी समय-समय पर इनकी कमी हो जाती है और आयात करके इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है । इस समय कोई विशेष कमी नहीं है । कुछ समय पहले ऐसा अनुमान लगाया गया था जिसके फलस्वरूप कुछ आयात की अनुमति दी गई थी । सरकार को चलचित्र उद्योग की अन्य दूसरी कठिनाइयों का भी पता है और इस सम्बन्ध में सरकार भरसक सहायता प्रदान करने का प्रयत्न करती है । हमें आशा है कि चलचित्र परिषद की स्थापना के पश्चात ये कठिनाइयां सुगमता से हल हो जायेंगी ।

Shri B. P. Mandal : I would like to know the functions at this film council whether it is an advisory council or some statutory body ? Will the council have some executive powers.....

Mr. Speaker : It has been explained just now.

Shri B. P. Mandal : The standard of Indian Films at present has gone very low. Profit making to the only objective and the Film Industry is mainly concerned with making money by rousing cheap sentiments and taking recourse to sex appeal. I would like to know whether the council would also look into this ?

Shri S. M. Banerjee : Why do you go to such films ? We people do not go to see them at all.

श्री इ० कु० गुजराल : पाटिल समिति के प्रतिवेदन में चलचित्र परिषद की स्थापना की रूपरेखा की गई हैं। इन्हीं आधारों पर हम विस्तृत रूप से विचार कर रहे हैं और क्योंकि यह एक लोक लेख्य है, इसीलिए मुझे आशा है कि इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा जायेगा।

जहां तक चलचित्र प्रवृत्तियों का प्रश्न है, इन्हें रोकने के दो उपाय हैं। सेन्सर बोर्ड द्वारा ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्तियों को रोकने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। हम बड़े-बड़े निर्माताओं को अच्छी फिल्में बनाने के सुझाव दे रहे हैं। तीसरे, चलचित्र वित्त निगम द्वारा हमें अच्छी फिल्में प्राप्त हो रही हैं। माननीय सदस्य ने गत सप्ताह देखा होगा कि कुछ अच्छी फिल्में आ रही हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, is it a fact that many a producers are found indulging in real practices, they invest a large amount of their black money in film production and pay heavily, under the table to actors and actresses ?

Mr. Speaker : How can you say such things ?

Shri Kanwar Lal Gupta : If it is fact, then, through Film council you may get it.....

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : वह सदन के पटल के विषय में ऐसी बातें नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदय : इस सदन के लिए ही नहीं, सदस्यों के लिए भी वह ऐसा नहीं कह सकते।

Shri Kanwar Lal Gupta : I would like to know from the hon. Minister, whether this film council would try check such mal practices and whether it would have any legal sanctily ? Would be ensure agianst interference by the Government in its working and freedom of expression ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे माननीय मित्र हमेशा की तरह भ्रमित दीख पड़ते हैं। एक ओर वह इस परिषद द्वारा भ्रष्टाचार को रोके जाने की इच्छा करते हैं दूसरी ओर वह यह भी चाहते हैं कि सरकार को इस परिषद के कार्यक्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकतीं। चलचित्र परिषद का कार्य विनियमन करना, सम्बर्द्धन करना तथा सलाह देना है। यह प्रेस परिषद की तरह की नहीं है क्योंकि संसद के विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत, चलचित्र परिषद को प्रेस परिषद जैसा स्तर प्रदान नहीं किया गया है। अतः उन आधारों पर सोचना संभव नहीं हैं।

उस चलचित्र परिषद में सरकार का भी प्रतिनिधित्व होगा और सरकार को अपने विचार रखने होंगे केवल केन्द्रीय सरकार ही नहीं राज्य सरकारें भी इसमें सम्मिलित होंगी । यहां पर सरकार तथा चलचित्र उद्योग के बीच पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान हो सकेगा । वर्तमान समय में ऐसा विचार किया जा रहा है कि अधिनियम के अन्तर्गत इसकी स्थापना की जानी चाहिए । जैसे ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे मैं इससे सम्बन्धित विस्तृत योजनाओं पर प्रकाश डालूंगा ।

श्री बसुमतारी : अभी मन्त्री महोदय ने संसद सदस्यों को दिखाये जाने वाले चलचित्रों के बारे में कहा है । मैं उन्हें बधाई देता हूं । साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी लेखकों को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता है । चलचित्र उद्योग में बंगला लेखकों द्वारा अच्छे चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, पता नहीं, सरकार हिन्दी लेखकों को वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुकूल चलचित्र निर्माण करने के प्रोत्साहन क्यों नही देती है ?

श्री इ० कु० गुजराल : हम सभी भाषाओं के भारतीय लेखकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं । एक या दो भाषाओं को प्रोत्साहन देने का प्रश्न ही नहीं उठता...(**व्यवधान**)

श्री बसुमतारी : सरकार ने हिन्दी लेखकों को ऐसी कहानियां लिखने के लिए क्यों प्रोत्साहित नहीं किया है ?

श्री इ० कु० गुजराल : सरकार हिन्दी चलचित्र निर्माताओं को अच्छे चलचित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है । यदि माननीय सदस्य ने पिछले सप्ताह या उससे पहले सप्ताह चलचित्र देखे हों तो ज्ञात हुआ होगा कि उनमें से कई हिन्दी के चलचित्र उच्च कोटि के हैं । हम किसी भी निर्देशक, निर्माता, फोटोग्राफर और लेखक आदि की मातृ भाषा नहीं पूछते हैं ।

श्री धीरेश्वर कलिता : अभी-अभी माननीय मित्र ने कहा है प्रस्तावित चलचित्र परिषद के लिए संसद में विधेयक पेश करने की आवश्यकता है । सरकार इस सम्बन्ध में संसद में विधेयक पेश करने में असफल रही है । मेरे विचार से भारतीय चलचित्र संघ कुछ विरोध प्रकट करने जा रहा है क्योंकि यह चलचित्र परिषद के विरुद्ध है । मैं सरकार से यह जानना छाहता हूं कि प्रस्तावित चलचित्र परिषद का किन बातों पर विरोध किया जा रहा है और सरकार इस स्थिति से किस प्रकार निपटना चाहती है ।

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे वरिष्ट साथी की अध्यक्षता में दो, तीन सप्ताह पूर्व हुई बैठक के परिणाम स्वरूप फिल्म फैडरेशन, फिल्म गिल्ड और अन्य दूसरे संगठित चलचित्र उद्योग और संस्थायें, चलचित्र परिषद के निर्माण के विचार से सहमत हो गई हैं । इस समय चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो चलचित्र परिषद् का विरोध कर रही है ।

श्री धीरेश्वर कलिता : मेरा तात्पर्य है, कि विरोध किया है ।

श्री इ० कु० गुजराल : विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सभी उसका समर्थन, कर रहे हैं ।

श्री स० कुण्डू : मन्त्री महोदय ने कहा है कि प्रस्तावित चलचित्र परिषद के कुछ विनियमन सम्बन्धी कार्य भी है। क्या मंत्री महोदय बड़े पैमाने पर की जाने वाली फिल्म तस्करी से अवगत हैं जिस से भारत सरकार को 3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस तस्करी को रोकने का कार्य, जिससे विदेशी मुद्रा की हानि से बचा जा सके, इस परिषद के लिए छोड़ा जा रहा है या कि सरकार इस कार्य को स्वयं ही पूरा करने का विचार कर रही है।

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि तस्करी रोकने का कार्य परिषद द्वारा नहीं किया जा सकता। यह सरकार द्वारा ही किया जाएगा। चाहे इसे गृह-मंत्रालय करे या वित्त मंत्रालय। मेरे विचार से मंत्रालय इस तस्करी से अवगत हैं और इसे रोकने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

फिल्म वित्त निगम को दिया गया ऋण

*640. **डा० सुशीला नायर** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म वित्त निगम को ऋण के रूप में वृहत राशि दी गई है ताकि वह देश में उच्च स्तर के चलचित्रों के निर्माण के लिए चलचित्र-निर्माताओं को धन दे सके।

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस निगम को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ;

(ग) क्या सरकार को इस ऋण राशि के उपयोग में हुई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1963-64 से 1966-67 तक के वर्षों के दौरान सरकार ने फिल्म वित्त निगम को 50 लाख रुपये के ऋण दिए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निगम को कोई ऋण नहीं दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डा० सुशीला नैयर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह ऋण उच्च स्तर के चलचित्रों के निर्माण के लिए दिये गये हैं, मैं यह जानना चाहती हूं कि उच्च स्तर के चलचित्र का वास्तविक अर्थ क्या है ? क्या इन चलचित्रों का उद्देश्य यह है कि जनता के मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़े, इन चलचित्रों द्वारा किसी विचारधारा का प्रतिपादक हो, यदि यह सच है तो मैं यह

जानना चाहती हूं कि किस प्रकार के चलचित्रों का निर्माण किया जाएगा ? क्या इन चलचित्रों द्वारा साम्प्रदायिक एकता तथा अस्पृश्यता निवारण का प्रचार किया जायेगा ? क्या हमारे सामने कोई स्पष्ट विशिष्ट उद्देश्य है जिसे दृष्टि में रख कर चलचित्रों का निर्माण किया जायेगा ? जन विचारधारा को शिक्षित करने के लिए चलचित्र सर्वोत्तम माध्यम हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस माध्यम से सरकार किस प्रकार की उपलब्धि चाहती है और उच्च स्तरीय चलचित्र से सरकार का क्या तात्पर्य है।

श्री इ० कु० गुजराल : चलचित्र निर्माण में स्वस्थ प्रवृतियों को प्रोत्साहन देना ही चलचित्र वित्त आयोग का उद्देश्य रहा है। दो शब्दों में यह बताना कि ये स्वस्थ प्रवृतियां क्या हैं, बहुत कठिन है। परन्तु इन प्रवृतियों का राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय विचारधारा तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल होना आवश्यक है। चलचित्र वित्त आयोग को कुछ गत वर्षों में जो परिणाम उपलब्ध हुए हैं वे बहुत ही उत्साहवर्धक हैं क्योंकि 31 मार्च, 1970 तक जो 43 चलचित्र बनाये गये तथा जिन्हें चलचित्र वित्त आयोग द्वारा वित्तीय सहायता दी गई उनमें से 21 चलचित्रों को योग्यता (मेरिट) प्रमाण पत्र दिये गये हैं और उनकी योग्यता के कारण उन चलचित्रों को मनोरंजन कर से छूट दी गई है। सत्यजीतरे आदि के उत्कृष्ट चलचित्रों को भी भारतीय चलचित्र निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है। इन चलचित्रों को चलचित्र निर्माण में स्वस्थ प्रवृतियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में सफलता मिली है।

डा० सुशीला नैयर : मंत्री महोदय ने सहमति प्रकट की है कि चलचित्र जनविचारधारा को सुशिक्षित बनाने का एक सशक्त माध्यम है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार चलचित्र निर्माण के लिए कोई निश्चित निर्देश या विचारधारा रखना चाहती है और उस विचारधारा को अन्तिम रूप देने के लिए क्या सरकार किसी सलाहकार समिति या स्वैच्छिक एजेन्सी जिसमें संसद सदस्य सम्मिलित हों अथवा कोई अन्य समिति बनाने का विचार करती है जिससे इस सशक्त माध्यम का उपयोग उस विचारधारा के प्रचार हेतु किया जा सके जो हम सभी को प्रिय हो, चाहे हमारा सम्बन्ध किसी भी राजनैतिक दल से क्यों न हो ?

श्री इ० कु० गुजराल : हमें आशा है कि फिल्म परिषद द्वारा यह कार्य पूरा किया जायगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : चलचित्र आयोग की वित्तीय सहायता से निर्मित बहुत से चलचित्र विफल हुए हैं और आयोग को, इन चलचित्रों को दिए गये ऋणों में से एक बड़े भाग की हानि हुई है यद्यपि कुछ चलचित्रों को राज्य स्तर के पारितोषिक भी दिये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि बट्टे खाते डाली जानी वाली धनराशि कितनी है और ऋण देने का आधार क्या है ; क्या निदेशक अनुभवी व्यक्ति हैं ; क्या कहानी आदि की जांच पड़ताल के लिये उनके पास कोई समिति है जिससे धन राशि की यह हानि न होने पाये।

श्री इ० कु० गुजराल : बाक्स आफिस पर चलचित्र का विफल होना उसकी अच्छाई, बुराई का कोई माप दण्ड नहीं है क्योंकि बहुत दुर्भाग्य से अच्छे चलचित्रों का प्रदर्शन ही नहीं हो

पाता है। साथ साथ पैसा कमाने वाले चलचित्र भी अच्छे ही हों, यह भी आवश्यक नहीं है। दुर्भाग्यवश मांग के अनुसार हमारे देश में सिनेमाओं की भी बहुत कमी है और लोग प्रदर्शनी उद्योग में रुचि रखते हैं जो अच्छे चलचित्रों के लिये प्रोत्साहक नहीं हैं। अच्छे चलचित्र बनाते हैं और यदि इनका प्रदर्शन नहीं किया जाता है तो ये वित्तीय रूप से विफल हो जाते हैं। यह न तो चलचित्र निर्माता का दोष है और न ही प्रोत्साहिक करने वालों का। अतः हमें ऐसे उपाय ढूंढने होंगे जिन से हम ऐसी परिस्थितियां तथा ऐसा वातावरण बना सकें जिनमें अच्छे चलचित्रों का प्रदर्शन सम्भव हो सके। खोसला समिति ने एक ऐसा ही सुझाव दिया है और परामर्शदात्री समिति ने भी इसे प्रोत्साहन दिया है। वह सुझाव यह है कि कला केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाये और हम इस सुझाव को क्रियान्वत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक ऋण आदि का सम्बन्ध है, कहानी विचारधारा तथा कलाकारों आदि के विषय में, रुपया देने से पहले ही जांच-पड़ताल की जाती है। गत दस वर्षों में जब से यह निगम स्थापित हुआ है, बट्टेखाते जाने वाली धन राशि, ब्याज सहित 12.66 लाख है।

Shri Prem Chand Verma : The hon. Minister has rightly said that they do not intend to produce films for making money and their sole objective is to produce good films. It is good that the Film Finance Corporation has been set up to produce good films. I want to know the machinery established by the Government to check, before advancing money to the films, the scripts, dialogues and all other things which should be there in a good film and ensure on the other hand that the film would not prove a flop at box office and would bring a good return ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे विचार से इसमें दोहरी विचारधारा काम कर रही है। यदि चलचित्र अभिव्यक्ति तथा शिक्षा प्रसार के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है तो यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार इसमें रुपया लगाये। श्रेष्ठ चलचित्रों को प्रोत्साहन देने के लिये विनियोजित धन-राशि जमा नहीं की जाती है। और न ही यह बट्टेखाते जाती है। जहां तक प्राक्रिया का प्रश्न है प्रत्येक कहानी की समिति द्वारा जांच की जाती है। समिति में बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यही कारण है कि अधिकतर परिणाम अच्छे ही निकलते हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : अच्छे चलचित्रों को प्रोत्साहन देने में यदि ऐसा कोई चलचित्र विफल हो जाता है, पैसा नहीं कमाता तो क्या सरकार उस हानि को पूरा करेगी क्योंकि मंत्री महोदय ने निगम का उद्देश्य अच्छे चलचित्रों को प्रोत्साहन देना बताया है। जब कोई स्वस्थ कहानी प्रस्तुत की जाती है तो, उसमें सेन्सर द्वारा काट छांट कर दी जाती है।

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे विचार से सेन्सर अच्छे तथा स्वस्थ चलचित्रों के मार्ग में बाधक नहीं है बल्कि यह ऐसे चलचित्रों को प्रोत्साहन देता है।

जहां तक हानि को पूरा करने का प्रश्न है। मैं बहुत ज्यादा निश्चित नहीं हूं कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिये, परन्तु मेरे विचार से निश्चय ही कुछ ऐसी संस्थायें खोली जानी चाहियें जहां कि सशक्त माध्यम का राष्ट्रीय हित के लिये उपयोग किया जा सके।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने कहा है कि चलचित्र शिक्षा प्रसार का अच्छा माध्यम है। क्या मंत्री महोदय ने इसके दूसरे पहलू पर भी विचार किया है कि चलचित्रों

की एक बड़ी संख्या युवकों तथा छात्रों में अनुशासनहीनता फैलाने के लिए उत्तरदायी है ? क्या मंत्री महोदय ने प्रश्न के इस पहलू पर भी विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : चलचित्र परिषद से आरम्भ होने वाली यह चर्चा चलचित्रों के सभी पहलूओं तक पहुंच गई है। यदि मंत्री महोदय उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो मुझे कोइ आपत्ति नहीं है।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय ने कभी इस पहलू के अध्ययन के लिए समय दिया है ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने इस माध्यम के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है जैसी की अपेक्षा की जाती है। चलचित्रों के उपभोग में अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी। मेरे विचार से चलचित्रों ने कभी कभी अस्वस्थ प्रवृतियों को प्रोत्साहन दिया है।

श्री समर गुह : इस वर्ष तथा आगामी वर्ष में भारतके महान पुरुषों की अनेकों शताब्दियां मनाई जानी हैं जैसे स्वर्गीय सी० आर० दास की शताब्दी तथा राजा राम मोहन राय, विद्यासागर और अरबिन्द घोष की द्विशतवार्षिकी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चलचित्र निगम को इन महान पुरुषों के जीवन तथा उनकी गतिविधियों पर वृत्तचित्र बनाने के आदेश दिए गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा बढ़ती चली जा रही है ; ये सभी सुझाव मात्रहैं।

श्री इ० कु० गुजराल : यह चलचित्र वित्त निगम की जिम्मेदारी नहीं है। आत्मकथात्मक वृत्तचित्रों का कार्य फिल्म्स डिविजन द्वारा पूरा किया जाता है। जो बातें माननीय मित्र ने कही हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाएगा।

बेरोजगार युवकों के कृतिक बल (टास्क फोर्स) के लिए धन राशि का नियतन

*641. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवकों का राष्ट्रीय कृतिक बल बनाने के लिए, जो सड़कें नहरें, बांध तथा अन्य सरकारी परियोजनाओं का निर्माण करेगा, केन्द्रीय सरकार से कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?'

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

Shri Beni Shankar Sharma : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has replied technically, it may be right.....

Mr. Speaker : He says that question does not arise. What more you would like and ask ?

Shri Beni Shankar Sharma : Supposing that no request to build a national task force has been made by any of the institutions or any of the individuals, I would like to know whether the hon. Minister is aware of the discusssions held on unemployment a number of times here is the House ? Not only the House but the country as a whole is deeply concerned about problem. Has the Government, therefore, thought out any scheme to build a national task force in rural areas, so that the construction of roads and irrigation facilities might be regularised ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : No doubt the matter has been given a serious thought a number of times and we have said on many such occasions that the Government is also equally worried and seized of the problem. That is why we have increased the size of the Fourth Five Year Plan on which a some of Rs. 24,882 crores is likely tb be incurred now. There would be an expenditure of Rs. 400 crores more during the current year as compared to that of last year. I agree with the suggestion of the hon. Member and we are trying to take subjects like construction of roads, electricity plans and soil conservation etc., which need physical labour, in order to provide employment to the people employed in rural areas.

Shri Beni Shankar Sharma : I thank the hon. Minister for the answers given by him, but I would like to ask a second question also. I donot object to lesser wages as compared to those normal in the villages where these unemployed youths are given work ; but I would like to know whether the hon. Minister, would try to adjust these people by relaxing the related labour laws ?

Shri Bhagwat Jha Azad : This is a suggestion for action.

श्री स० मो० बनर्जी : श्री मान जी, श्री ज्योतिर्मय बसु के गैर सरकारी संकल्प के उत्तर में सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि बेरोजगारी के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक प्रवीण समिति नियुक्त की जायेगी जो इस समस्या को हल करने के लिए उपायों का सुझाव देगी । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस समिति के बारे में स्थिति क्या है ; क्या इस समिति की नियुक्ति कर दी गई है यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान, यह प्रश्न नहीं उठता है । परन्तु यदि इसका ब्यौरा न मांगा जाये तो मैं यह बता सकता हूँ कि हम शीघ्र ही ऐसी समिति नियुक्त करेंगे । अन्य बातों को अन्तिम रूप दे दिया गया है केवल इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में विचार किया जा रहा है ।

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Minister has said that they have widened the scope of fourth five year plan and they are planning to provide employment opportunities to a large number of people. I would like to know as to how far this estimate is correct that the total number of unemployed people by the end of 4th five year plan would be $4\frac{1}{2}$ crores ? Can he assure us that there would be no unemployed by the end of fourth five year plan ? If not, what would be the number of unemployed people at that time ?

Shri Bhagwat Jha Azad : This much, I may assure you, that we would try to provide employment to a maximum number of people.

Shri Om Prakash Tyagi : In view of the increased scope and enhanced investment what would be the number of total unemployed at the end of fourth five year plan ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Though the scope of the question is very limited the supplementaries are being asked on all points concerning unemployment.

कार्मिक संघों द्वारा स्थायी श्रम समिति की बैठक का बहिष्कार

+

*643. **श्री इंद्रजीत गुप्ता :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले महीने हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक में क्या मुख्य निर्णय किए गए ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बैठक में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा यू०टी०यू०सी० ने भाग नहीं लिया था ;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार करने के क्या कारण बताये हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यद्यपि एच०एम०एस० ने इस बैठक में भाग लिया था तथापि सरकारी दृष्टिकोण से उसका बहुत मतभेद था ;

(ङ) यदि हां, तो स्थायी श्रम समिति के निर्णयों में आम राय कहां तक अभिव्यक्त होती है ; और

(च) सरकार का विचार इस मामले में और क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) 23 और 24 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में हुई स्थाई श्रम समिति की बैठक के मुख्य निष्कर्ष, जिन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है, अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक सम्बन्ध आयोगों की स्थापना तथा उनके कार्यों, प्रतिनिधि यूनियनों की सांविधिक मान्यता, मान्यता देने के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में निर्दिष्ट "उद्योग" तथा "कर्मकार" शब्द की परिभाषा और सरकार द्वारा स्वीकृत मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के सांविधिक प्रवर्तन के बारे में है।

(ख) जी, हां।

(ग) बैठक के परियोजन तथा उसकी कार्य सूची में सम्मिलित विषयों पर असहमति।

(घ) और (ङ). हड़ताल बैलट तथा प्रतिनिधि यूनियन निर्धारित करने की पद्धति के सम्बन्ध में निर्णय करने का विचार औद्योगिक सम्बन्ध आयोग को विकल्प देने जैसे प्रश्नों को छोड़ कर, हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधियों ने स्थाई श्रम समिति के निष्कर्षों के साथ कोई सामान्य असहमति प्रकट नहीं की।

(च) सरकार निर्णय लेने से पहले इन विषयों पर व्यक्त विभिन्न विचारों को ध्यान में रखेगी।

श्री इंद्रजीत गुप्ता : श्रीमान् यह वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्रियों को सलाह दूंगा कि वे जहां जवाब काफी लंबा होता है, सभा पटल पर रख दिया करें।

श्री इंद्रजीत गुप्ता : मैं उन का जवाब समझ नहीं पाया ।

अध्यक्ष महोदय : आपने जितना अंश समझ लिया है, उसके आधार पर प्रश्न पूछिये ।

श्री इंद्रजीत गुप्ता : मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थाई श्रम समिति ने श्रमिक संघों को मान्यता देने की प्रक्रिया/हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के सवाल पर राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृति दी है या नहीं ? इन मामलों में स्थाई श्रम समिति का रवैया क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : समिति ने क्या किया, इसके बारे में मैं सकारात्मक उत्तर दूंगा । स्थाई समिति की पिछली बैठक में औद्योगिक सम्बन्ध आयोग और उसके कार्यों के सम्बन्ध में विचार किया गया था । राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थायी श्रम समिति कुछ परिवर्तन करने पर सहमत हुई । स्थाई श्रम समिति ने प्रतिनिधि श्रमिक संघों को सांविधिक मान्यता देने और उसके कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय किया । समिति ने प्रतिनिधि श्रमिक संघों को सांविधिक मान्यता देने की प्रक्रिया के बारे में भी कहा और उसके बाद समिति ने 'कर्मकार' तथा 'उद्योग' की परिभाषा पर चर्चा की । उसके बाद तीन पार्टियों के बीच एक समझौता न होने के कारण यह काम सरकार को सौंप दिया गया । अतः में सांविधिक मजूरी बोर्ड योजना और अन्य सिफारिशों के बारे में भी चर्चा की गई ।

आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन तथा अन्य मामलों पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके ।

श्री इंद्रजीत गुप्ता : श्रमिक संघ के प्रतिनिधि स्वरूप का जहां तक सम्बन्ध है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दो श्रमिक संगठनों ने बैठक का बहिष्कार किया और अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस तथा हिन्द मजदूर सभा दोनों, प्रतिनिधि स्वरूप का निर्णय करने के लिये श्रमिकों द्वारा मतदान के पक्ष में हैं तथा कई बड़े-बड़े नियोक्ताओं का यह मत है कि श्रमिक संघों को मतदान के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिये न कि किसी सरकारी मशीनरी द्वारा किये जाने वाले सत्यापन के आधार पर । इस महत्वपूर्ण एवं मूलभूत लाइन के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री भगवत झा आजाद : यह सच है कि औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में श्रमिक संघों के लिये यह एक महत्वपूर्ण सवाल है । स्थायी श्रम समिति में इस पर चर्चा की गई थी और उसके पहले भारतीय श्रम सम्मेलन में भी इस पर चर्चा की गई । वहां जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस तथा पश्चिम बंगाल, बिहार, पांडीचेरी आदि राज्य सरकारें गुप्त मतदान के पक्ष में थीं । मगर अन्य श्रमिक संघ जैसे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस तथा अन्य राज्य सरकारें और नियोक्ता सत्यापन के पक्ष में थे । अतः सम्मेलन में सबको मान्य कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका । अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि इस विषय पर क्या किया जा सकता है ।

———

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

छात्रों का सारनाथ आकाशवाणी केन्द्र पर कब्जा करने का प्रयास

8. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 60 छात्रों ने 8 अगस्त, 1970 को सारनाथ आकाशवाणी केन्द्र पर कब्जा करने का प्रयास किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन छात्रों ने आकाशवाणी केन्द्र पर उस समय जबरदस्ती प्रवेश किया था जबकि आकाशवाणी दिल्ली से प्रातः काल का समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा था और माइक्रोफोन को जबरदस्ती अपने कब्जे में करके स्वर्गीय डा० लोहिया के नारे लगाये ; और

(ग) यदि हां, तो सभी महत्वपूर्ण उपकरणों के रक्षार्थ आकाशवाणी केन्द्र के परिसर के बाहर पुलिस गार्ड तैनात करने के लिए सरकार ने स्थायी आदेश पहले ही क्यों नहीं जारी किए थे ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां । 8 अगस्त, 1970 को प्रातः लगभग 6 बज कर 38 मिनट पर 60 से 70 व्यक्ति, जो विद्यार्थी लगते थे, सारनाथ स्थित आकाशवाणी के प्रेषण केन्द्र में उस समय घुस गए जब कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित हिन्दी समाचार रिले किये जा रहे थे तथा उन्होंने रेडियो में कुछ नारे प्रसारित करने के प्रयत्न किए । तथापि, उनके प्रयत्नों को ड्यूटी पर तैनात स्टाफ द्वारा असफल कर दिया गया ।

(ग) यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जहां भी आवश्यक समझे पुलिस गार्ड तैनात कर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/सम्पत्ति की सुरक्षा करे । इस घटना के घटने से पूर्व आकाशवाणी, वाराणसी में पुलिस कर्मचारियों को नियमित रूप से तैनात करने के प्रश्न पर पहले ही राज्य सरकार से बातचीत शुरू कर दी गई थी ।

Shri Yashpal Singh : Will the Minister State as to what was the reason for the agitation ? What is the reason for their discontentment ? What steps the Government have taken to remove their grievances ?

Mr. Speaker : This question relates to so many Ministries. The hon. Minister may reply in so far as it relates to radio station.

श्री इ० कु० गुजराल : मैं क्या कर सकता हूं ? मैं नहीं जानता कि उन के असंतोष का क्या कारण था । मैं केवल इतना ही जानता हूं कि वे आकाशवाणी केन्द्र में घुस गए । यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ युवक कुछ राजनैतिक दलों द्वारा भड़काये जाते हैं और सरकारी कार्यालयों में घुस कर तोड़फोड़ करना उचित समझते हैं ।

Shri Yashpal Singh : Did the police posted there take action remained silent ? May I know whether any police men were there ? If so, why did they not do their duty ?

Shri I. K. Gujral : Police was not there.

Shri M. A. Khan : Was it the duty of the State Government or not to protect the station ? Had the authorities of AIR informed the State Government of the impending agitation and sought protection ? If so, what action was taken by the State Government ?

Which political party was involved in this agitation. Who instigated them ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं राजनैतिक दल का नाम बता नहीं सकता। मगर उन्होंने जो नारे प्रसारित करने चाहे वे मैं बता सकता हूं। नारे थे :

बेकारों को काम दो।
इंजीनियरों को काम दो।
हिन्दी में काम हो।

उन्होंने इन तीनों नारों का प्रसारित करना चाहा, मगर यह नहीं हो सका क्योंकि वहां जो व्यक्ति काम कर रहा था, उसने स्विच को लाउडस्पीकर की तरफ कर दिया जैसा मैंने कहा इस घटना के घटने के पूर्व पुलिस कर्मचारियों को तैनात करने के प्रश्न पर पहले ही राज्य सरकार से बातचीत शुरू कर दी गई थी। मगर दुर्भाग्यवश यह घटना अप्रत्याशित घटी।

Shri Hukam Chand Kachwai : There had been ample preparations for this prior to this incident. It was organised in a planned way. In Varanasi such unforward incidents, organised by students, occur every now and then. Some political parties are behind this. May I know which is that party that instigates the students and lead them to go on rampage ? What is the difficulty in naming the responsible party ? He should name the party.

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक इन प्रश्नों का सम्बन्ध है कि किस ने आंदोलन चलाया और इसके लिए तैयारी की जा रही थी या नहीं इसके बारे में हमें कोई पूर्व जानकारी नहीं मिली थी। वहां के हमारे कर्मचारियों को इस आन्दोलन से बड़ा आश्चर्य हुआ। जहां तक वाराणसी का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि वहां क्या समस्यायें हैं और इसी लिए हम वहां युव-वाणी के लिए एक नया केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं।

Shri Janeshwar Misra : First of all, I would congratu'ate the students in Varanasi who did this. I want them to capture the Government also.

Mr. Speaker : Now, every body might have known which is the party.

Shri Bal Raj Madhok : The name of the party has been revealed now.

Shri Janeshwar Misra : In the second part of the question, it was said that the students were raising slogans of the late Dr. Lohia. The Minister has referred to unemployment, English, Hindi etc. But he did not say anything regarding this slogan. Are the Government aware of the fact that Dr. Ram Manohar Lohia had started the Azad Radio in 1942 and it is due to that and such other things that now these people are in power ? Are the Government aware that when Shri Gujral, their Prime Minister and others were playing "gillie danda" somewhere in Bombay or Allahabad, Dr. Lohia was fighting for freedom ?

Will the Government withdraw the cases against the students who raised the slogans of Dr. Lohia and tender apology for having arrested them ?

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, Sir, in 1942, the Prime Minister was in jail. Shri Feroze Gandhi was also in jail. It is not correct to say that they were all playing "*gillte danda*".

An hon. Member : They were mere children at that tmie.

Shri Shashi Bhushan : He said that Dr. Lohia had started the Azad Radio. But it was Khursheed Ben who was operating the Azad Radio in Bombay. I challenge his statement.

Shri Janeshwar Misra : To say that they were playing "*gillte danda*" is not unparliamentary.

Mr. Speaker : The question should be properly understood. One should not use such words in the House.

Shri Janeshwar Misra : All right, I would say they were playing cricket.

श्री इ० कु० गुजराल : 1942 में मेरे माननीय मित्र जेल नहीं गए थे। उन्हें पता नहीं है कि कौन जेल गया और कौन नहीं। चूंकि ऐसा लगता है कि वे पुस्तक या इतिहास नहीं पढ़ते, इसी लिए मैं उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं। 1942 में प्रधान मंत्री जेल गई थीं। मुझे भी कारावास का दण्ड मिला था। माननीय सदस्य कम से कम इतना तो समझ लें। मेरा कारावास डा० लोहिया से भी लम्बे समय का था।

Shri Janeshwar Misra : He is giving false statement. In 1942 Dr. Lohia had suffered the longest inprisonment. The Prime Minister or even her father did not suffer so long an imprisonment as was suffered by Dr. Lohia . (*Interruptions*) . This should be enquired whether the Prime Minister was imprisoned in 1942 or not. All kinds of false statements are being given here...(*Interruption*).

श्री बलराज मधोक : इस मामले में आप डा० लोहिया को क्यों ला रहे हैं ? वे इस सदन के एक आदरणीय सदस्य थे। हम उनका आदर करते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

फिल्म परिषद के बारे में मलयाला चलचित्र परिषद के सुझाव

*631. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मलयाला चलचित्र परिषद्, मद्रास से फिल्म परिषद् की स्थापना के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् ने क्या सुझाव दिए हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) मलयाला चलचित्र परिषद् की कार्यकारिणी समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रस्तावित फिल्म परिषद् में मलयालम फिल्म उद्योग के उचित प्रतिनिधित्व के लिए परिषद् में कम से कम एक प्रतिनिधि केरल सरकार का और एक प्रतिनिधि मलयाला चलचित्र परिषद् का नियुक्त किया जाना चाहिए ।

(ग) फिल्म परिषद् के गठन को अन्तिम रूप देते समय परिषद् की प्रार्थना पर विचार किया जायेगा ।

प्रेस परिषद द्वारा भारतीय तार अधिनियम 1885 और भारतीय डाकघर अधिनियम 1892 का पुनरीक्षण

*632. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस परिषद ने भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5 और 29 का और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1892 के तदनुरूपी उपबन्धों का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को परिषद से वह प्रतिवेदन मिल गया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रेस परिषद को सिफारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है । उन्होंने भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 और 29 और भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 26 में संशोधन करने का सुझाव दिया है ।

(ग) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सरकार को प्राप्त हुई है और सिफारिशों की जांच की जा रही है । जहां तक भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 का प्रश्न है, जैसा कि विधि आयोग ने सिफारिश की है, इस धारा के संशोधन का विधेयक राज्य सभा में 22 मई, 1970 को पेश किया गया था और वह 25 अगस्त, 1970 को पारित हो गया है ।

तार अधिनियम की धारा 29 के संशोधन पर कार्रवाई जारी है ।

जहां तक भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 26 का संबंध है, इस पर विधि आयोग की रिपोर्ट के साथ विचार किया जा रहा है जो कि प्राप्त हो चुकी है ।

विवरण

तार और डाकघर अधिनियमों के संबंध में प्रेस परिषद की सिफारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा ।

1. यह महसूस किया गया है कि हिंसा या कानून भंग करने पर रोक लगाने के लिए राज्य के महत्वपूर्ण हितों को देखते हुए तार संदेशों के अन्त:रुद्ध करने का आदेश देने की शक्ति सरकार के पास सुरक्षित रहनी चाहिए ।

2. केन्द्रीय और राज्य सरकारें सार्वजनिक आपातकाल के अवसर पर या सार्वजनिक सुरक्षा के हितों के लिए तार संदेशों को अन्त:रुद्ध करने की शक्ति का इस्तेमाल बराबर करते रहें बशर्ते कि इंचार्ज मंत्री के आदेश ले लिये जाएं ।

3. तार अधिनियम की धारा 5 के अधीन कार्रवाई करने की आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में केन्द्रीय या राज्य सरकार के औपचारिक परिपत्र जारी किया जाना चाहिए ।

4. तार विभाग जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे तार प्रस्तुत करें, जिनका वितरण, कार्यालय के प्रमुख अधिकारी के विचार में, सार्वजनिक शांति या सुरक्षा के विरुद्ध पड़ने की संभावना हो ।

5. भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन होता है ।

6. तार विभाग का एक विशेष रजिस्टर तैयार करना होगा जिसमें धारा 5 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किये गये तारों की सूची होगी । इसमें प्रेषक का और पाने वाले का नाम पारेषण के लिए तार किस समय प्राप्त हुए वह समय आदि दिया रहेगा ।

7. भारतीय तार अधिनियम की धारा 29 के अधीन अपराध अप्रेशय माना जाना चाहिए ताकि मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना पुलिस झूठे तार भेजने वाले को बंदी बनाने की स्थिति में न हो ।

8. भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 26 के संबंध में प्रेस परिषद ने सिर्फ भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 पर की अपनी टिप्पणी और सिफारिशों की ओर ध्यान दिलाया है जो कि इस मामले में भी लागू होंगी जबकि प्रेस पर डाकघर अधिनियम की धारा 26 का प्रभाव तार अधिनियम की धारा 5 की अपेक्षा काफी कम है ।

अनाज के मूल्यों और वसूली सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

*636. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनाज के मूल्यों और वसूली सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). सरकार प्रत्येक कटाई मौसम से पूर्व खाद्यान्नों के मूल्यों तथा अधिप्राप्ति

नीतियों की समीक्षा करती है। सितम्बर, 1970 के अन्त में नये खरीफ मौसम के प्रारम्भ होने से पूर्व इस बारे में समीक्षा की जायेगी।

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की आलोचना

*642. **श्री मयावन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण की आलोचना की है और सरकार को इसके कार्यकरण की जाँच करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) उन्होंने किन-किन दोषों का उल्लेख किया है ; और

(घ) उनके बारे में क्या जाँच पड़ताल की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारत के वैज्ञानिक कार्यकर्त्ताओं के संगठन के तत्वावधान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में कार्य कर रहे कुछ वैज्ञानिकों की एक बैठक हाल ही में संस्थान के आडिटोरियम में हुई थी। इस बैठक में परिषद् और संस्थान के कार्य से सम्बन्धित कुछ शिकायतों की चर्चा की गई, परन्तु उनके बारे में परिषद् या सरकार को सरकारी तौर पर सूचित नहीं किया गया। इस विषय में केवल प्रेस को सूचित किया गया था और परिषद् ने उस रिपोर्ट की एक प्रति निदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान से प्राप्त की है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ऐसी बैठक हुई थी।

(ख) सरकार कृषि वैज्ञानिकों की सही शिकायतों और उनकी विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने में सदैव उत्सुक रही है।

(ग) और (घ). इस दिशा में विभिन्न कदम उठाये गये हैं। सरकार द्वारा किये गए कुछ उपायों का निर्देश करने वाला एक विवरण संलग्न है। बैठक में उपस्थित कुछ वैज्ञानिकों द्वारा उठाये गये आरोप मुख्य रूप से तीन मदों में सन्निहित है :

(1) परिषद् के पुनर्गठन के पश्चात् वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन में कमी।

(2) वैज्ञानिक साहित्य की चोरी ; और

(3) भर्ती पद्धति में समानता का अभाव।

जैसा कि पहले बताया गया है सरकार कृषि वैज्ञानिकों की कठिनाइयों और अड़चनों से भिज्ञ है। परिषद् के पुनर्गठन के पश्चात् कृषि वैज्ञानिकों के कार्य की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में किए गए उपाय **संलग्न विवरण** में दिए गए हैं। यहां यह भी बता दिया जाए कि यह एक निरन्तर प्रक्रिया है और निकट भविष्य में वैज्ञानिकों की कार्य की परिस्थितियों में और सुधार करने तथा विभिन्न विदेशी प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहें हमारे अनेक सुयोग्य वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए अनेक और कदम उठाये जाने हैं।

विवरण

भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि वैज्ञानिकों में व्याप्त कुंठा की भावना के विभिन्न कारणों को दूर करने के लिए गत पांच वर्षों में उठाये गये कदम

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सन् 1966 में पुनर्संगठित किया गया था तथा परिषद् के शासी निकाय को पुनर्गठित कर से मुख्यत: वैज्ञानिकों तथा कृषि में रुचि अथवा ज्ञान रखने वालों का निकाय बना दिया गया था। एक विख्यात वैज्ञानिक को पुनर्संगठित परिषद् का प्रथम महानिदेशक तथा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

2. कृषि वैज्ञानिकों के वेतनमान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा परमाणु ऊर्जा आयोग जैसे अन्य कई वैज्ञानिक संगठनों में वर्तमान वेतनमानों की तुलना में पर्याप्त कम थे, वेतनमानों को संशोधित कर उनमें वृद्धि के सामान्य प्रतिबन्ध के बावजूद कृषि वैज्ञानिकों के वेतनमानों को मन्त्रिमंडल तथा वित्त मन्त्रालय की विशेष अनुमति से विभिन्न स्तरों पर संशोधित कर दिया गया है, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के निर्देशकों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिकों, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के प्रोफेसरों तथा प्रभागों अथवा अनुभागों के अध्यक्षों के वेतनमानों का संशोधन किया गया है, निचले स्तरों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य वैज्ञानिक संगठनों के वेतनमानों में क्रियात्मक रूप से कोई अन्तर न था। फिर भी, निचले स्तरों पर अच्छे वैज्ञानिकों को आकर्षित करने लिए, परिषद ने नयी परियोजनाओं के लिए रु० 350-900 के वेतनमान में द्वितीय श्रेणी के पदों के स्थान पर, जो कि अब तक अधिक प्रचलित था, कनिष्ठ श्रेणी I (रु० 400-950) के पद सृजित करने का निर्णय कर लिया है। इसी प्रकार, अनुसंधान सहायकों के पद 210-425 के पूर्व वेतनमान के स्थान पर अब प्राय: रु० 325-575 के वेतनमान में सृजित किये जा रहे हैं।

3. विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं तथा अनुसंधान संस्थानों को सशक्त करने की योजनाओं की संस्वीकृति से नौकरी के अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हो गये हैं।

4. कृषि विश्व-विद्यालयों को विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिमानों के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस प्रकार के संशोधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है। इसके फलस्वरूप राज्य अनुसंधान संगठनों के बहुत से कृषि वैज्ञानिकों को अच्छे वेतनमान प्राप्त हो गये हैं तथा उनकी सेवा की शर्तों में भी सुधार हुआ है।

5. पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की शिक्षा वृत्तियां तथा छात्रवृतियां वैज्ञानिक

तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षा-वृत्तियों तथा छात्रवृतियों की तुलना में कम राशि की थीं। अब इन्हें उन्हीं के समकक्ष कर दिया गया है और उनकी संख्या में भी काफी वृद्धि कर दी गई है।

6. वैज्ञानिक पदों के लिए चमन विभिन्न पदों के लिये संरचित विख्यात वैज्ञानिकों की समितियों द्वारा पद के विशिष्ट अनुशासन तथा सेवा की विशेषीकृत आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है। इन समितियों में कार्य करने वाले विख्यात वैज्ञानिकों को कृषि विश्वविद्यालयों सहित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों से लिया जाता है। इस कार्य के लिये एक समान नियुक्ति नियम बना लिये गये हैं तथा विभिन्न वर्गों के पदों के लिए अर्हताओं (योग्यता) को नवीकृत तथा क्रमबद्ध कर दिया गया है।

7. जब किसी वैज्ञानिक पदों को विज्ञापित किया जाता है तो हमारे राजदूतावासों, उच्चायुक्तों आदि के माध्यम से इन्हें विदेशों में स्थित वैज्ञानिकों की सूचना में लाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। हाल ही में वरिष्ठ पदों के विज्ञापनों को विदेशों में प्रकाशित भारतीय समाचार पत्रों के परिशिष्टों में प्रकाशित करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। इसका परिणाम उत्साहजनक रहा है तथा वर्तमान में विभिन्न विदेशों में कार्य कर रहे बहुत से वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र भेज रहे हैं। जिन मामलों में चयन समिति विदेशों में स्थित अच्छे वैज्ञानिकों को ढूंढ पाने में सफल होती है, वहां प्रायः उनका चयन उनकी योग्यता की तुलना स्वयं उपस्थित प्रार्थियों तथा वस्तुतः साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों से करने के बाद, उनकी अनुपस्थितियों में ही कर लिया जाता है।

8. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों के पूल में कृषि बैज्ञानिकों को भी यथोचित स्थान दिया जाता है, इसमें विदेशों से वापस आने वाले वैज्ञानिकों को अस्थायी व्यवस्था के रूप में, जब तक कि वे नियमित पदों पर नियुक्त नहीं हो पाते, सम्मिलित किया जाता है, पूल अधिकारियों की अवधि समाप्त होने पर, यदि उनके वैज्ञानिक कार्यों को प्रर्याप्त उपयोगी समझा जाता है तो बहुत से मामलों में उनके लिए अधिकसंख्य पद सृजित किये जाते हैं।

9. प्रायः ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में निदेशकों तथा प्रभागाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ सहकर्मियों द्वारा कनिष्ठ वैज्ञानिकों को उचित श्रेय नहीं दिया गया है। यह पहले भी प्राक्कलन समिति की सूचना में आया था और इस सम्बन्ध में कुछ निदेश भी जारी किये गये थे। इस पर निदेशकों के विभिन्न सम्मेलनों में विचार-विमर्श किया गया था तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक द्वारा कनिष्ठ वैज्ञानिकों को उचित श्रेय तथा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर सदैव बल दिया जाता रहा है। परिषद् इस पर पर्याप्त ध्यान दे रही है, परिषद् के वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा स्वयं महानिदेशक विभिन्न संस्थानों में

चल रही परियोजनाओं की सूची की स्वयं समय-समय पर जांच करते रहते हैं, जिससे कि सभी स्तरों पर वैज्ञानिकों तथा विशेषकर कनिष्ठ वैज्ञानिकों को, समुचित सख्या में परियोजनायें नियतित की जा सकें। श्रेय का भागी बनने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा अपने नाम को परियोजनाओं की अत्यधिक संख्या से संयुक्त करने की प्रणाली को परिषद् द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है। महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा प्रायः संस्थानों का दौरा किया जाता है और प्रयोगशालाओं में कार्य करने की सुविधाओं के सुधार की आवश्यकताओं की ओर तथा वरिष्ठ वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं।

10. वैज्ञानिकों को सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिये विभिन्न संस्थानों में बहुत से अस्थायी पदों को स्थायी कर दिया गया है। पी० एल०—480 योजनाओं में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को सस्थान की नियमित स्थापना से सम्बन्धित न समझते हुए उन्हें पूर्णतः अस्थायी कर्मचारी समझा जाता था। यह प्रणाली अब समाप्त कर दी गई है और अब उन्हें भी संस्थान के नियमित कर्मचारियों के समान प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई है।

11. सेवा निवृत विख्यात वैज्ञानिकों को "अवकाशप्राप्त वैज्ञानिकों" के पद प्रदान करने की एक नयी योजना अभी हाल ही में परिषद् द्वारा प्रारम्भ की गई है।

12. संस्थान में प्रयोगशाला भवनों, कर्मचारियों के मकानों तथा उपयुक्त उपकरणों के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध की जा रही है।

अधिक शक्तिशाली ट्रांसमिटरों की स्थापना

*644. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की स्थापना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए निर्धारित समय क्या है ; और

(ग) यदि प्रगति धीमी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) ट्रांसमिटरों के लगाने की प्रगति सामान्यतया सन्तोषजनक है। सिवाए राजकोट के अति उच्च शक्तिवाले मीडियम वेव ट्रांसमीटर के जिसका लगाया जाना मैसर्स इनवेस्ट इम्पोर्ट आफ यूगोस्लाविया द्वारा उपकरणों की सप्लाई में देरी के कारण निर्धारित समय से पीछे है। शेष मुख्य उपकरण स्थान पर पहुंचने शुरू हो गए हैं।

विवरण

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में लगाये गये और चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में शामिल किये गये अधिक शक्तिवाले ट्रांसमीटरों की सूची

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में लगाये गये अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर

	स्थान	लगाये गये ट्रांसमीटरों की संख्या
मीडियम वेव		
	कलकत्ता	2 (एक सुपर पावर)
	हैदराबाद	1
	जालंधर	1
	डिब्रूगढ़	1
	जम्मू	1
शार्ट वेव		
	खामपुर, दिल्ली	3

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में शामिल किये गये अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर

स्थान	ट्रांसमीटरों की संख्या	पूरा किये जाने की निर्धारित तिथि
मीडियम वेव		
राजकोट	1 (सुपर पावर)	वर्ष 70-71 का उत्तरार्द्ध
शिमला	1	,,
जोधपुर	1	,,
एलेप्पी	1	,,
गोरखपुर	1	वर्ष 71-72 का उत्तरार्द्ध
नजीबाबाद	1	1973-74
इम्फाल	1	वर्ष 1970-71 का उत्तरार्द्ध
कोहिमा	1	वर्ष 1971-72 का उत्तरार्द्ध
श्रीनगर	1	चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्तर्गत
नागपुर	1	,,
इन्दौर	1	,,
कटक	1	,,

1	2	3
शार्ट वेव		
अलीगढ़	4	वर्ष 1970-71 के उत्तरार्द्ध तक योजना के प्रथम चरण में 2 ट्रांसमीटर अन्य दो ट्रांसमीटर चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्तर्गत ।

चीनी का आरक्षित भंडार

*645. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी के आरक्षित भंडार बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष के बजट में उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). चीनी के बफर स्टाक की योजना से सम्बन्धित ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

देश व्यापी टेलीवीजन व्यवस्था

*646. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार समस्त देश में टेलीविजन व्यवस्था स्थापित करने के बारे में एक विस्तृत योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां । योजना भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों के परामर्श से तैयार की जा रही है । इसको अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । अतः इस अवस्था में इसका ब्यौरा देना सम्भव नहीं है ।

बारानी खेती सम्बन्धी परीक्षण

*647. **श्री स० च० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बारानी खेती योजना से लाभ उठाने वाले किसानों को किस प्रकार इस योजना के विभिन्न पहलुओं से अपने आपको सम्बन्धित करना पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : समेकित बारानी भूमि के कृषि विकास सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण परियोजनाओं के रूप में कार्य करने हेतु मार्गदर्शी परियोजनायें शुरू की गई है। चुने हुए क्षेत्र में किसानों के खेतों में ये परियोजनायें क्रियान्वित की जायेंगी। योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन सम्बन्धी सब कार्यों में इन कृषकों को सम्मिलित किया जायेगा।

बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कोयला खान मजदूरों की माँगे

*648. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल तथा बिहार के कोयला क्षेत्र में आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में यूनियनों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त, 1970 तक सप्ताह मनाने का निर्णय किया था ; और

(ख) इन मजदूरों की मुख्य मांगे क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, धनबाद-क्षेत्र में आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में यूनियनों के कतिपय मांगों के समर्थन में 3 अगस्त से 9 अगस्त तक एक मांग-सप्ताह मनाया।

(ख) उनकी मुख्य मांगे कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करना, ग्रेच्युइटी योजना का समावेश, ठेका मजदूर एवं सी० आर० ओ० शिविरों की प्रथा का उन्मूलन, कोयला व अन्य खानों का राष्ट्रीयकरण तथा अस्थाई श्रमिकों को स्थाई करना है।

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों से नकदी तथा जेवरों का छीना जाना

*649. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी प्रवासी जो त्रिपुरा में जाते हैं वहाँ बड़ी दयनीय दशा में प्रवेश करते हैं ;

(ख) क्या उनकी नकदी तथा जेवर सीमा पर पाकिस्तान के बदमाशों अथवा पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा छीन लिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) त्रिपुरा सरकार ने यह सूचित किया है कि जो प्रवासी त्रिपुरा के राहत विभाग में अपना पंजीकरण करवाते हैं वह, ऐसा मालूम हुआ है, त्रिपुरा में बड़ी दयनीय दशा में आये हैं।

(ख) अभी तक किसी भी प्रवासी ने लिखित रूप में ऐसा विवरण नहीं दिया है कि उनकी नकदी तथा जेवर पाकिस्तान बदमाशों अथवा पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा छीन लिये गये थे।

(ग) उपरोक्त (ख) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंचायती राज व्यवस्था का ह्रास

*650. **श्री स० कुण्डू** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में पंचायती राज्य का ह्रास हो रहा है तथा कुछ राज्यों ने जिला परिषदों को समाप्त कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जिला परिषदों के निर्माण के लिए संविधान के अन्तर्गत गारन्टी देने के हेतु कोई संवैधानिक संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी नहीं । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

तीन राज्यों अर्थात् केरल, मध्य प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थायें स्थापित की जा चुकी हैं । मुख्य मंत्री और सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के राज्य मंत्रियों ने 1 जून, 1968 को मद्रास में हुए सम्मेलन में निर्णय किया था कि लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के उपकरण के रूप में पंचायती राज चालू रहना चाहिए ; दो स्तरीय प्रणाली अथवा तीन स्तरीय प्रणाली को अपनाने का प्रश्न राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए । उड़ीसा के मामले में जहां जिला सलाहकार परिषदों द्वारा जिला परिषदों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश जहां जिला परिषदों को अधिकारच्युत कर दिया गया है, को छोड़कर जिला परिषदों को प्रतिस्थापित करने के बारे में राज्यों की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है । अधिकारों तथा साधनों की अपर्याप्त सुपुर्दगी के कारण, कुछेक राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का कार्य पूर्वानुमान से कम हुआ । योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन देश में चुने हुए जिलों में आवश्यकीय सुधार सुझाने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में अध्ययन आरम्भ कर रहा है ।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल के सुन्दर बन क्षेत्र को कृषि योग्य बनाना

*651. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सुन्दर बन के विस्तृत क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के बारे में स्वर्गीय पंडित नेहरू, स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री तथा वर्तमान प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी को पश्चिम बंगाल के सुन्दर बन तटीय क्षेत्र के लोगों की ओर से लगातार अभ्यावेदन दिये गये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार सुन्दर बन क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने सम्बन्धी परियोजना को कब आरम्भ करने का है ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों के पुनर्वास के लिए सुन्दरवन में कुछ क्षेत्रों का उद्धार करने के लिए समय समय पर कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) चूंकि पश्चिम बंगाल में पहले ही अधिकतम सीमा पहुंच चुकी थी, इसीलिए राज्य सरकार के परामर्श से 1964 में नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया था कि नए प्रवासियों को (वे जो कि 1-1-1964 या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आये), जिन्होंने राहत शिबिरों में प्रवेश माँगा था और जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजा गया था, पश्चिम बंगाल से बाहर पुनर्वास सहायता दी जायेगी । तथापि, पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्र में हीरोभंगा योजना-11 में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में अवशिष्ट समस्या के भाग के रूप में बसाने की संभावना के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार छान-बीन कर रही है ; राज्य सरकार को जल विज्ञान सम्बन्धी स्थितियों तथा क्षेत्र में भूमि की विशेषताओं की ब्यौरे-वार छान-बीन करने के लिए 5,000 रुपये का ऋण मंजूर कर दिया गया है । उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्यवाही

*652. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कृषि क्रान्ति मुख्यतया गेहूं तक ही सीमित है तथा चावल की प्रति हैक्टेयर उपज गत पांच वर्षों में नहीं बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) यह सत्य है कि गेहूँ के सम्बन्ध में हाल ही के वर्षों में अतिरिक्त उत्पादन के रूप में प्राप्त उपलब्धि पर्याप्त सफल रही है किन्तु चावलों के सम्बन्ध में की गई प्रगति अभी तक संतोषजनक नहीं है ।

(ख) प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के अतिरिक्त चावलों के प्रति हैक्टार उत्पादन में सुधार के अभाव के निम्न कारण हैं :—

(1) खरीफ के मौसम में, जो कि फसल का मुख्य उत्पादक मौसम है । उपयुक्त अधिक उत्पादनशील किस्मों की उपलब्धि ।

(2) सिफारिश की गई पैकेज प्रणालियों, विशेषकर उर्वरकों संतुलित उपयोग को न अपनाया जाना ।

(3) अनाज के मोटेपन तथा चिपचिपेपन के कारण उपभोक्ताओं द्वारा अधिक उत्पादनशील किस्मों की अग्राह्यता ।

(4) फसल पर कीटों तथा रोगों का शीघ्र प्रभाव, आदि ।

(ग) अनुसंधान को तीव्र करने, शिक्षा तथा कृषकों के प्रशिक्षण में विस्तार के अतिरिक्त चावलों के उत्पादन में सुधार के लिये उठाये गये कदमों में, अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्त-

र्गत विस्तृत क्षेत्रों को लाना, बहुद्देशीय फसलें, सिंचाई विशेषकर भूमिगत जल संस्त्रोतों का सघन विकास, बीज, उर्वरक आदि आदानों की निश्चित आपूर्ति, कीटों तथा रोगों का निरीक्षण और बनस्पति रक्षण के सुसंगठित क्रिया कलाप तथा संस्थागत ऋण आदि का अधिक प्रावधान भी सम्मिलित है। इनके साथ-साथ चावलों की रोग तथा कीट निरोधी और उपभोक्ताओं को ग्राह्य अधिक उत्पादनशील किस्मों के विकास के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं विभिन्न मृदा तथा जल परिस्थितियों के उपयुक्त नई किस्मों को हाल ही में निर्मुक्त किया गया है।

Employees Provident Fund Rate of Interest

*653. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that employees are paid interest at the rate of Rs. 5.70 per cent on their deposits in the Employees Provident Fund Accounts ;

(b) whether it is also a fact that the rate of interest in the market is about 9 per cent; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to increase the rate of interest on the deposits in the Employees Provident Fund ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) Interest is payable at the rate of 5.7% for the financial year 1970-71.

(b) The rate of interest in the market depends on various factors like the type of investment/deposit, the risk involved and the period for which the investment/deposit is made and similar other factors governing the money market. It is, therefore, not possible to indicate categorically the prevailing market rate of interest.

(c) The rate of interest depends on the yield obtained by the investment of the Provident Fund accumulations. The Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund, reviews the pattern of investment of provident fund accumulations from time to time and makes recommendations in the matter to the Central Government. The pattern of investment is prescribed by Government after taking into account the views of the Board. During the period 1962-63 to 1970-71, the rate has increased from 3,75% to 5.70%.

सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों के मध्य असन्तुलन दूर करने के लिए खेती के विकास हेतु क्षेत्र-वार नीति

*654. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने खेती के विकास के लिए एक नई क्षेत्र-वार नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उस नई नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस नई नीति को कब तक तथा कहां-कहां क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(घ) क्या उस नई नीति को कार्य रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). कृषि विकास से निम्नलिखित चार विभिन्न क्षेत्र को लाभ पहुँचना चाहिए :—

(1) **सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्र :**

ऐसे क्षेत्रों के लिए अधिक उत्पादनशील किस्मों और सघन बहुउद्देशीय फसल के अन्तर्गत विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए चौथी योजना के दौरान "चुने गए जिलों में बहुउद्देशीय फसल सम्बन्धी मार्गदर्शी परियोजनायें" चालू करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस योजना को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है।

(2) **कम सिंचाई की गहनता किन्तु सुनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्र :**

ऐसे क्षेत्रों में, खाद्यान्नों की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती और नकद फसलों के लिए पैकेज कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(3) **सुनिश्चित सिंचाई विहीन तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र :**

चौथी योजनावधि में 24 मार्गदर्शी परियोजनायें शुरू करके समग्र शुष्क कृषि भूमि विकास के लिए एक योजना लागू की जायेगी। सन् 1970-71 के दौरान शुरू में प्रदर्शन-एवं-प्रशिक्षण परियोजनाओं के रूप में 9 मार्गदर्शी परियोजनायें क्रियान्वित की जायेंगी।

(4) **निरंतर रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्र :**

किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन सम्बन्धी ग्रामीण निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों में चुने हुए जिलों में ग्रामीण निर्माण कार्यों तथा श्रम-प्रधान कार्यों के लिए एक नान-प्लान स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है।

(घ) उपरोक्त योजनायें राज्यों को विचारार्थ परिचालित कर दी गई थी और इन योजनाओं को उनके परामर्श से अन्तिम रूप दिया जायेगा।

राष्ट्रीय उद्यान तथा पशु शरण-स्थल और वन्य जीवों का संरक्षण

*655. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान तथा पशु शरण-स्थल हैं तथा उनके नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं ;

(ख) यह राष्ट्रीय उद्यानों तथा पशु-शरण स्थलों का क्षेत्रफल क्या है ;

(ग) इन राष्ट्रीय उद्यानों तथा पशु शरण स्थलों में कितने पवित्र (सैक्टम) पशु शरण स्थल हैं ; और

(घ) इन पशु शरण-स्थलों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). सन् 1968 तक राष्ट्रीय उद्यान/प्राणी आश्रय स्थलों की संख्या 122 थी। सूची संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—4073/70]

(ग) और (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

समुद्री जीव विज्ञान में अनुसंधान

*656. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रोफेसर जी० ई० फाग, के इस कथित वक्तव्य की (16 जुलाई, 1970 का टाइम्स आफ इंडिया) ओर दिलाया गया है कि भारत में समुद्री जीव विज्ञान में अनुसंधान के बारे में उत्साह का अभाव है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसंधान सम्बन्धी जो सुविधायें उपलब्ध हैं उनका भी उपयोग नहीं किया जा रहा है जैसे कि केरल विश्वविद्यालय का जीव विज्ञान अनुसंधान सम्बन्धी जहाज इस कारण समाप्त किया जाने वाला है कि उसके रख रखाव के लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) भविष्य में समुद्री जीव विज्ञान में अनुसंधान को अधिक महत्व देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) केरल विश्वविद्यालय से जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(ग) भारत सरकार समुद्री जीव विज्ञान में अनुसंधान के महत्व से पूर्णतः भिज्ञ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रशासकीय नियंत्रण में एक राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था है जो न केवल समुद्री विज्ञान में अनुसंधान करती है बल्कि देश के आस पास के समुद्र के समस्त पहलुओं का भी अध्ययन करती है। इन अखिल भारतीय अध्ययनों के अतिरिक्त, आंध्र, केरल और अन्नामलाई विश्वविद्यालयों के स्थानीय समस्याओं से सम्बन्धित अनुसंधान गतिविधियों तक सीमित समुद्री जीव विज्ञान और समुद्र विज्ञान विषय अनुसंधान के लिए अपने विशेष विभाग हैं। सघन मत्स्यहरण अनुसंधान कार्यक्रम में समुद्री जीव विज्ञान के अध्ययनों के महत्व को देखते हुए केन्द्रीय समुद्री मत्स्यहरण अनुसंधान संस्थान भी समुद्री जीव विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान करता है। हाल ही के अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्री अभियान में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया। भाग लेने वाले विभिन्न देशों द्वारा खोज के दौरान काफी बड़ी संख्या में इकट्ठे किये गए परिप्लावी जीव (प्लैंकटन) के नमूनों के विधायन के लिए इस देश में उपलब्ध विशेषज्ञों को दृष्टिगत रखते हुए यूनेस्को ने भारत सरकार के सहयोग से भारतीय समुद्री जीव विज्ञान केन्द्र की स्थापना की है। इस विषय के महत्व और देश के समुद्री जीव-विज्ञानियों के उत्साह को

देखते हुए एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान संस्था का गठन किया गया था और यह संस्था नियमित रूप से भारतीय समुद्र जीव विज्ञान संस्था नामक पत्रिका प्रकाशित करती है।

पश्चिम बंगाल में नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*657. **श्री भगवान दास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में 89 नगरपालिकाओं के 30,000 कर्मचारी पश्चिम बंगाल नगर पालिका कर्मचारी संघ के नेतृत्व में 16 जून, 1970 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन नगरपालिका कर्मचारियों की मांग के समर्थन में कलकत्ता निगम के पार्षदों तथा कलकत्ता के आस-पास के जिलों के नगर आयुक्तों ने "राइटर्स बिलगिंड" के सामने 17 जून, 1970 को प्रदर्शन किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इन नगरपालिका कर्मचारियों की मांगें क्या हैं तथा इनके साथ सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

समाचारपत्रों के विज्ञापनों में यौनभाव

*658. **श्री रा० बरुआ** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसायटी के अध्यक्ष ने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि समाचार पत्रों के विज्ञापनों में यौनभाव के उपयोग के बारे में जो बढ़ता जा रहा है, मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने के लिए सरकार को एक समिति की स्थापना करनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सुझाव पर विचार कर लिया है तथा समाचारपत्रों में ऐसे विज्ञापन देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Bonus to Artists and Employees of A. I. R.

*659. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a scheme for giving bonus to the artists and employees of the All India Radio out of the income accuring to it from advertisements ; and

(b) if so, the time by which the said scheme is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the partment of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

देश के ट्रंक टेलीफोन सेवा का आधुनिकीकरण

*660. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की पा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रंक टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने तथा उनके आधुनिकीकरण बारे में योजनायें बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

1. सुचारु ट्रंक टेलीफोन सेवा की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :

(क) पारेषण सर्किट सुस्थिर हों और इसके साथ-साथ बिना शोर और गड़बड़ी के आवाज साफ पहुंचनी चाहिए ; तथा

(ख) काल शीघ्र और तुरन्त लगने चाहिए ।

2. ट्रंक सेवा के इन दोनों पहलुओं में सुधार करने और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

3. जहां तक सुस्थिर पारेषण सर्किटों की व्यवस्था करने का संबंध है, यह बात बड़ी स्पष्ट है कि कुछ वर्ष पहले तक हमारे सभी सर्किट सुले तारों वाली लाइनों पर काम कर रहे थे । इन लाइनों पर मौसम के खराब होने का असर पड़ता था और मुख्य ट्रंक सर्किट तांबे के तार के होने की वजह से तांबे के तार की चोरी की वारदातें अक्सर होती रहती थीं । इनमें निम्नलिखित सुधार किये जा रहे हैं ;

(क) मुख्य मार्गों पर चौड़ी पट्टी की सहधुरीय और सूक्ष्मतरंग पारेषण प्रणाली की व्यवस्था करना ;

(ख) आनुषंगिक मार्गों पर चौड़ाई की पट्टी के सूक्ष्मतरंग और यू०एच०एफ० तथा वी०एच०एफ० प्रणालियों की व्यवस्था करना ;

(ग) तांबे के तार कंडक्टरों के स्थान पर अल्यूमीनियम और तांबे से झले इस्पात के तार लगाना ; और

(घ) खुली तार लाइनों पर वाहक टेलीफोन प्रणाली की व्यवस्था करना ।

4. जहां तक कालों को शीघ्र और तुरन्त लगाने का संबंध हैं, विलम्ब को दूर करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(क) सभी प्रमुख मार्गों पर सीधी उपभोक्ता डायलिंग की व्यवस्था करना ; और

(ख) अन्य मार्गों पर भी स्वचल पारगमन प्रणाली सहित आपरेटर डायलिंग सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(घ) घंटी द्वारा संकेत देने की प्रणाली के स्थान पर सेंट्रल बैटरी सिग्नलिंग से यथासंभव एक ट्रंक आपरेटर से काम लेना ।

इस्पात कारखानों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में हड़तालें

4121. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, तथा हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड सरकारी उपक्रमों में जून, 1969 से मई 1970 तक कुल कितनी हड़तालें हुई ;

(ख) उक्त अवधि में इन सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे कार्मिक संघों के नाम क्या हैं ; कार्मिक संघों के माध्य प्रतिद्वन्द्विता के कारण, कितनी झड़पें हुई ; इनमें कुल कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए तथा इसके फलस्वरूप सार्वजनिक सम्पत्ति को किस प्रकार की तथा कितनी हानि हुई ;

(ग) इन हड़तालों में तथा झड़पों के कारण प्रत्येक कारखाने में कितने जन-दिवसों की हानि हुई ;

(घ) इनके कारण उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा ; और

(ङ) प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के संबंधों में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

ट्रैक्टरों का उत्पादन और वितरण

4122. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक प्रकार के टैक्टरों का कितना उत्पादन होता है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे व्यक्तियों की वर्षवार प्रतिशतता कितनी है जिन्होंने टैक्टरों के लिए आवेदन किया लेकिन उन्हें ट्रैक्टर प्राप्त नहीं हो सके और कुल आवेदनकर्ताओं की संख्या कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) इस समय देश में 5 औद्योगिक एककें व्हील्ड ट्रैक्टरों के निर्माण में लगी हुई हैं ।

गत पांच वर्षों के दौरान उनका उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

फर्म का नाम	1965	1966	1967	1968	1969	1970 (जून तक)
1. सर्वश्री ईचर ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद (ईचर 26.5 अश्व शक्ति)	113	135	122	346	328	306
2. सर्वश्री इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई (बी-275)	225	550	2669	3818	4329	2325
3. सर्वश्री ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्वीपमेंट लिमिटेड, मद्रास (एम०एफ०-35 अश्व शक्ति)	2935	3400	3819	3336	3344	1090
4. सर्वश्री एस्कोर्ट लिमिटेड, फरीदाबाद						
एस्कोर्ट 37(34.5 अश्व शक्ति)	1202	3115	1316	3034	4806	3667
27(28.0 " ")			795	200	1474	255
47 डब्ल्यु (45 अश्व शक्ति)				1033	1840	400
5. सर्वश्री हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा						
हिन्दुस्तान 35 अश्व शक्ति—		370	773	1194	832	110
50 " "	1843	1043	1032	838	1139	679
योग :	6318	7613	10526	13799	18092	8832

(ख) देशी ट्रैक्टरों के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

1969-70 के दौरान बर्फ गिरने तथा वर्षा की कमी के कारण राज्यों में फसल की क्षति

4123. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में बर्फ गिरने से प्रत्येक राज्य में फसल को कितनी क्षति पहुंची ;

(ख) 1969-70 में वर्षा की कमी के कारण प्रत्येक राज्य में फसल को कितनी क्षति पहुँची ; और

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में किसानों को कितनी सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी ।

संसद सदस्यों के लिये टेलीविजन सेट

4124. **श्री रा० बरुआ** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किसी स्थानीय व्यापारी के साथ बातचीत करके 100 संसद सदस्यों को टेलीविजन सेट अलाट किये थे ;

(ख) क्या उस व्यापारी ने कुछ सदस्यी को अभी तक टेलीविजन सेट सप्लाई नहीं किये हैं, जब कि उनमें से बहुत से सदस्यों ने टेलीविजन सेट का मूल्य जमा भी करवा दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यापारी द्वारा संसद सदस्यों को टेलीविजन सेट सप्लाई किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उनको शीघ्र टेलीविजन दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां, ।

(ख) टेलीविजन सेट अभी 59 संसद सदस्यों को सप्लाई किये जाने हैं । पता लगा है कि इनमें से 13 सदस्यों ने विक्रेता के पास धन जमा कराया है ।

(ग) इन सैटों की मरम्मत के लिये जिन फालतू पुर्जो की जरूरत थी, उनका उपलब्ध न होना । यह मन्त्रालय इन फालतू पुर्जो को आयात करने में विक्रेता की सहायता कर रहा है । विक्रेता ने मन्त्रालय को यह अश्वासन दिया है कि फालतू पुर्जों को प्राप्त होने पर जैसे ही सैटों की मरम्मत हो जायेगी, वे संसद सदस्यों को सप्लाई कर दिये जायेंगे ।

चावल के लिये निर्बाध दक्षिण क्षेत्र

4125. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार चावल के लिये तत्काल एक निर्बाध दक्षिण क्षेत्र बनाने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक, विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : जी नहीं । चावल के संचलन पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के प्रश्न पर सितम्बर, 1970 के अन्त में होने वाले मुख्य मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में, पूर्ववत्, विचार किया जायेगा । सरकार चावल के क्षेत्रों के वर्तमान ढांचे की समीक्षा उसके बाद करेगी ।

गेहूं के लिये निर्बाध क्षेत्र

4126. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं के निर्बाध क्षेत्र का समस्त देश में विस्तार न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों को छोड़कर फिलहाल देश भर में गेहूं और गेहूँ से बने पदार्थों के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जब तक इन क्षेत्रो में सांविधिक राशन व्यवस्था चल रही है तब तक उन में गेहूं के खुले आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि सांविधिक राशन व्यवस्था से अभिप्राय इन क्षेत्रों की घेराबंदी से है।

अनाज का रक्षित भण्डार

4127. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अनाज का रक्षित भण्डार कितना है ;

(ख) इसको जमा रखने में प्रति मास कितना धन खर्च होता है ; और

(ग) गैर-सरकारी गोदामों में किराये पर रखे गये अनाज को न बेचने के क्या कारण हैं और ऐसा करने से प्रति मास कितने किराये की बचत होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जुलाई, 1970 के अन्त में सरकारों (केन्द्रीय तथा राज्यों) के पास 53 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का प्रत्यक्ष स्टाक था। इस में से लगभग 30 लाख मीटरी टन को बफर स्टाक समझा जा सकता है।

(ख) स्टाक के रखने में बफर स्टाक तथा कार्यचालन स्टाक में कोई प्रत्यक्ष सीमाकंन नहीं किया जा सकता है। अतः बफर स्टाक के मासिक भण्डारण खर्चे के संबंध में कुछ बताना सम्भव नहीं है।

(ग) जब तक सरकार पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त गोदामों का निर्माण नहीं कर लेती है जब तक गैर सरकारी गोदामों का प्रयोग करना आवश्यक है। केवल गैर सरकारी गोदामों के कुछ किराये को बचाने हेतु खाद्यान्नों के स्टाक को बेचना बुद्धिमता नहीं होगी।

Post Offices and Sub-Post Offices in Uttar Pradesh and Rents Paid for their Buildings

4128. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of post offices and sub-post offices functioning in urban and rural areas of Uttar Pradesh at present ;

(b) whether it is a fact that most of the said post offices and sub post offices are functioning in rented buildings on account of shortage of Government buildings ;

(c) if so, the total number of post offices, which are functioning in the rented buildings in the State ; and

(d) the approximate annual amount of rent which Government are paying on this account ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Number of Post Offices, category-wise, functioning in urban and rural areas of Uttar Pradesh as on 20-8-70.

Category of Post Office	Number of Post Offices in Urban areas	Rural areas
Head Post Office	52	—
Departmental Sub Post Office	1064	884
Extra Department Sub-Post Office	107	44
Departmental branch Post Office	—	1
Extra Departmental branch Post Office	87	10635

(b) Only departmental post offices are housed in departmental buildings or in buildings secured on rental basis by the P and T Department.

As regards the extra departmental post offices, the Postmasters themselves are responsible for housing the post office either in their own buildings or in other buildings secured by them. Only in very exceptional cases, however, an allowance is sanctioned towards the rent of the office in scuh cases.

(c) There are 2001 departmental post offices in Uttar Pradesh, of which 202 are housed in departmental buildings and the rest 1799 are housed in buildings secured by the P and T Department on rental basis.

(d) About Rs. 15 lakhs.

आर० एस० 09 ट्रेक्टरों में खराबी

4129. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान कृषि उद्योग निगम ने कितने आर० एस० 09 ट्रेक्टरों के खराब होने की सूचना दी तथा वह खराबी किस प्रकार की थी ; और

(ख) उक्त खराबी से उत्पन्न स्थिति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). प्राप्त होने वाली शिकायतें आमतौर पर बिजली पद्धति से सम्बन्धित थी जिनमें मास्टर स्विच, स्क्रू इलास्टिक कैप आफ ग्लो प्लग टैस्टर चालू करने का तरीका, इंजन तथा ग्रामयन्त्र आदि सम्मिलित हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में निगमों से विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है। पहले से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पूर्वी जर्मनी के सम्भरण कर्त्ताओं से विचार विमर्श हुआ है। ट्रेक्टर के कार्यसंचालन के सुधार के लिए, जमानत अवधि को बढ़ाने हेतु खराब पुर्जों को मुफ्त बदलने के लिए किए गए निर्णयों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

होटल मैनेजमैंट केटरिंग एण्ड न्यूटरिशन संस्था नई दिल्ली में विद्यार्थियों से मध्याह्न भोजन का खर्चा लेना

4130. **श्री शशि भूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल मैनेजमेंट केटरिंग एण्ड न्यूटरिशन संस्था नई दिल्ली में विद्यार्थियों को अपना मध्याहन भोजन कालिज में ही लेना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके लिए विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस में 100 रुपये की वृद्धि कर दी गई है और भोजन स्तर में गिरावट आ गई है और उसकी मात्रा में कमी कर दी गई है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी और यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) सरकार स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है लेकिन प्रशिक्षण के समय विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया खाना उन्हें मध्यान्ह के भोजन के समय परोसा जाता है ।

(ख) यह वृद्धि मध्यान्ह के भोजन के खर्चे में नहीं हुई है वरन खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुये और प्रशिक्षण-स्तर को सुधारने की दृष्टि से भोजन प्रशिक्षण शुल्क को 50 रुपये प्रति सत्र बढ़ा दिया गया है ।

(ग) सरकार को कल्पित नाम से भेजे गये पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि विद्यार्थियों के मध्यान्ह के भोजन की मात्रा में कमी कर दी गई है और उन्हें अच्छे किस्म का खाना भी नहीं दिया जा रहा है । जांच करने पर यह पता चला है कि उक्त पत्र निराधार था ।

(घ) भोजन प्रशिक्षण शुल्क की बड़ी धनराशि प्रशिक्षण-स्तर और भोजन सुधारने में सहायक होगी ।

होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्स में कम्पार्टमेंट में आये विद्यार्थी

4131. **श्री शशि भूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल मैनेजमेंट केटरिंग एण्ड न्यूटरिशन संस्था के डिप्लोमा कोर्स में एक या एक से अधिक पत्रों में कम्पार्टमेंट में आये विद्यार्थियों के उन सब पर्चों में भी फिर से परीक्षा देनी पड़ती है जिनमें उन्हें 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होते हैं ;

(ख) क्या उक्त प्रथा किसी अन्य संस्था में भी प्रचलित है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) यदि नहीं तो होटल मैनेजमेंट, केटरिंग और न्यूटरिशन संस्था के साथ उक्त भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) सामान्यतः विद्यार्थियों को सभी विषयों में उत्तीर्ण होना होता है लेकिन तकनीकी शिक्षा-परिषद के नियमों में यह व्यवस्था है कि यदि कोई अनुत्तीर्ण छात्र किसी विषय में 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो वह बाद में होने वाली परीक्षा में उस विषय में बैठने से मुक्त किये जाने के योग्य है ।

(ख) दिल्ली में अपने किस्म की यह एक ही संस्था है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) परीक्षा संबंधी नियम तकनीकी शिक्षा-परिषद जिस से यह संस्था संबंधित है, द्वारा बनाये जाते हैं और परीक्षा संबंधी नियमों पर पुनर्विचार करने का प्रश्न फिलहाल परिषद के विचाराधीन है ।

होटल प्रबन्ध में उच्च अध्ययन के लिए व्यवस्था

4132. **श्री शशि भूषण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय इन्डियन इंस्टीट्यूट फार होटल मनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूटरिशन संस्था का संचालन करता है और विद्यार्थियों को डिप्लोमा देता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त डिप्लोमा कोर्स के बाद होटल प्रबन्ध में आगे उच्च अध्ययन करने की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कमी के कारण उच्च विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं ; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि विद्यार्थी इस विषय में अपना अध्ययन जारी रख सकें ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) यह मन्त्रालय होटल प्रबन्ध, खान-पान तथा पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली को जिसका प्रबन्ध एक स्वायत्त निकाय द्वारा किया जाता है, केवल अनुदान प्रदान करता है । तकनीकी शिक्षा बोर्ड, दिल्ली प्रशासन डिप्लोमा देता है ।

(ख) विशेषित होटल प्रबन्ध पाठ्यक्रम के अध्ययन से सम्बन्धित प्रबन्ध इस संस्थान में ही विद्यमान हैं ।

(ग) और (घ). इस संस्थान के डिप्लोमा तथा विशेषित प्रबंध पाठ्यक्रम खान-पान औद्योगिकी तथा होटल प्रबंध में उच्च पाठ्यक्रम हैं और भर्ती आदि के लिए इन्हें देश भर में उच्चतम योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

विदेशी तेल कम्पनियों में कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सम्बंधी गोखले आयोग का प्रतिवेदन

4133. **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी तेल कम्पनियों में कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा के सम्बन्ध में गोखले आयोग द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) गोखले आयोग की किन-किन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). गोखले आयोग की सिफारिशों पर 15 अक्तूबर 1969, को हुई त्रिपक्षीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श मुख्यत: एक ही प्रश्न पर केन्द्रित था कि क्या 1957 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 15 वें अधिवेशन में सूत्रबद्ध किये गये अभिनवीकरण सम्बन्धी आदर्श समझौते को, परिवर्ती प्राद्योगिक परिवर्तनों के अनुरूप आवश्यक संशोधनों सहित, कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। त्रिपक्षीय बैठक में गोखले आयोग की अन्य सिफारिशों पर कार्यवाही के लिए विशेष रूप से बल नहीं दिया गया।

विचार-विनिमय के बाद, नियोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि, सभी मामलों पर एक माह के अन्दर सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुँचने के उद्देश्य से आयोग की सिफारिशों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श करने के लिए सहमत हो गये। सफलता प्राप्त न होने पर वे आगामी बैठक के लिए श्रम मंत्रालय को अपने मत-भेदों के सम्बन्ध में सूचित करेंगे। चूंकि सम्बन्धित पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुँच सके, अत: सरकार गोखले आयोग की सिफारिश के अनुसार सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का परामर्श लेकर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में समुचित संशोधन के प्रश्न पर विचार कर रही है, ताकि सभी उद्योगों में समान श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा के कुछ उपाय सुनिश्चित हो सकें।

विदेशी तेल समवायों में गिरमिटिज्या प्रणाली तथा स्वचालित प्रणाली के कारण व्यक्तियों का फालतू होना

4134. **श्री भागवान दास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी तेल समवायों में गिरमिटिज्या प्रणाली स्वचालित प्रणाली के परिणाम स्वरूप फालतू होने वाले व्यक्तियों की संख्या को बढ़ने से रोकने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). ठेका प्रणाली तथा स्वचालित मशीनों के लगाने के संदर्भ में सभी उद्योगों, विशेषकर तेल कम्पनियों के श्रमिकों की

नौकरी की सुरक्षा की समस्या अनेक प्रकार से हल करने का विचार है। ठेका श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) विधेयक, 1967 संसद द्वारा पारित हो चुका है और उसके अधिनियम बनने की प्रतीक्षा है। स्वचालन के सम्बन्ध में वेंकटरामन समिति पहले ही विचार कर रही है और इस विषय के सम्बन्ध में कि सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में स्वचालित मशीनें लगाने की अनुमति देने अथवा उनपर पाबंदी लगाने का क्या आधार होना चाहिए, उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। नौकरी की अधिकाधिक सुरक्षा की दृष्टि से औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रस्तावित कुछ संशोधनों को विभिन्न सम्बन्धित पक्षों के विचार जानने के लिए उनके ध्यान में ला दिया गया है।

मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड, फरीदाबाद द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना का आरम्भ किया जाना

4135. **श्री चंद्रशेखर सिंह**: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड का पोस्ट आफिस, अमर नगर, फरीदाबाद स्थित कारखाना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आता है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रशासन व्यय का भुगतान करने के उद्देश्य से उक्त कारखाना किस तारीख से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आता है ;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि उक्त कारखाने में निर्माण कार्य कारखाना प्रबन्धकों द्वारा दी गई तारीख से बहुत पूर्व किया जाना चाहिए था ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उक्त फर्म से निर्माण से पूर्व की तिथि से भूतलक्षी तारीख से प्रशासनिक व्यय प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रशासन का सम्बन्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम से है जोकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है।

निगम ने निम्न सूचना भेजी है :—

(क) जी, हां।

(ख) यह कारखाना 17-10-66 से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आ गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी प्रशासन-व्यय देय नहीं है।

(ग) और (घ). इस मामले की जांच की जा रही है।

फरीदाबाद स्थित मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड में कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था करना

4136. **श्री चंद्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-घर अमर नगर, फरीदाबाद स्थित मैसर्स कारपेट्स लिमिटेड के कारखाने के कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू किया गया है, यदि हां, तो किस तारीख से लागू किया गया हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड ने जब इस कारखाने को अपने अधिकार में लिया था तो वह उस समय से तीन वर्ष पहले चल रहा था ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई थी कि भविष्य निधि योजना को इस कारखाने के तीन वर्ष पूरा होने की पिछली तारीख से लागू करेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिधियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और भारत सरकार से इसका मुख्य रूप से सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) मैसर्स भारत कारपेट्स लिमिटेड फरीदाबाद 10 मई, 1969 से अस्थाई रूप से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आ गया है।

(ख) और (ग). इस मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली और बादली औद्योगिक क्षेत्र में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

4137. **श्री देविंदर सिंह गार्चा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और बादली के औद्योगिक क्षेत्रों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राहकों को अपनी काल को मिलाने के लिए बहुत समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ग) क्या भी सच है कि टेलीफोन लाइनें अक्सर खराब रहती हैं ;

(घ) क्या सरकार को इनके बारे में इस बीच कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे ग्राहकों की असुविधाओं को दूर किया जा सके ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिल्ली के टेलीफोन जाल से सीधे डायलिंग की सुविधा वाला 100 लाइनों का एक्सचेंज बादली में लगाने का प्रस्ताव है। इस एक्चेंज के 1972 में किसी समय चालू हो जाने की संभावना है।

श्री निवासपुरी कालोनी, नई दिल्ली में दुकानों के खुलने तथा बन्द होने का समय

4138. **श्री रामचंद्र वीरप्पा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री निवासपुरी, कालोनी, नई दिल्ली के अधिकांश दुकानदार दुकानों के खोलने और बन्द करने के नियमों का प्रतिदिन उल्लंघन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चावल के उत्पादन में वृद्धि

4139. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रश्न पर ब्यौरे-वार विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उनकी चर्चा के फलस्वरूप कोई विशिष्ट प्रस्ताव सामने आये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) सम्मुलन ने 'जगन्नाथ' और 'पंकज' जैसी नई किस्मों को जल लगन और रोगवाले क्षेत्रों के लिए, और उन क्षेत्रों के लिए जहां बासमती जैसी अच्छी किस्मों को अग्रता दी जाती है और 'साबरमती' 'जमुना' किस्मों की निर्मुक्ति किये जाने की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रगति को सन्तोषजनक बताया है।

सम्मेलन ने ऐसी किस्मों के विकास पर बल दिया जो टंगरू वाइरस का अवरोध कर सकें और उन किस्मों का जो छिलका उतरने पर अधिक चावल देंगी। सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर निम्न उपाय किये गये हैं :—

(ग) (i) पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां टंगरू वाइरस विद्यमान है,

के क्षेत्रों के लिए नई उच्च उपज देने वाली (आई० आर० 20) किस्म जो टंगरू वाइरस का अवरोध करती है, निर्मुक्त की गई है।

(ii) भारत सरकार ने चावल के कीड़ों तथा बीमारियों के फैलाने वाले विशेषकर टंगरू वाइरस का सर्वेक्षण करने के लिए पांच निरीक्षण टुकड़ियां तैनात की हैं। किस्मों की निर्मुक्ति की केन्द्रीय उप समिति ने अच्छे दाने और अधिक प्रतिशत उपज देने वाली, सी० आर० 10-5437 तथा सी० आर० 1-6 नामक दो अधिक उपज देने वाली चावल की किस्में निर्मुक्त करने की सिफारिश की है।

अच्छी किस्म के बीजों के मूल्य

4140. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय अच्छी किस्म के बीजों के मूल्य अत्यन्त अधिक हैं और इनमें 'हरी क्रान्ति' को शीघ्र क्रियान्वित करने में सहायता मिलने की कोई संभावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषकों को उचित दर पर अच्छी किस्म के बीजों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) बीजों के मूल्यों का उतार चढ़ाव क्या रहा है और इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) बीज उत्पादन में काफी अधिक लागत और अधिक जोखिम होने के कारण खाद्यान्न के मूल्यों की तुलना में अच्छी किस्म के बीजों के मूल्य सदैव अधिक होते हैं। परन्तु बीज एक छोटा आदान है और अक्छी किस्म के बीजों के विषय में कृषक उसके मूल्यों की अधिकता की परवाह नहीं करता क्योंकि अच्छे बीजों के प्रयोग से काफी लाभदायक उपज प्राप्त होती है।

(ख) इस समय बीजों की कोई कमी नहीं है। बीज उत्पादन और वितरण करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय बीज निगम ने भी देश भर में उचित मूल्यों पर अच्छे बीज उपलब्ध करने के लिए विक्रेताओं का जाल बिछा दिया है। हाल ही में तराई विकास निगम ने भी बीज बितरण सम्बन्धी व्यवस्था का विस्तार कर दिया है । इनके अतिरिक्त, बीजों का गैर-सरकारी उत्पादन हो रहा है।

(ग) बीजों का पर्याप्त उत्पादन होने और स्वस्थ प्रतियोगिता के कारण बीजों के मूल्यों में प्रायः कमी आ रही है।

छोटे ट्रैक्टरों की कमी तथा उनका निर्माण

4141. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे ट्रैक्टरों की देश में सप्लाई कम है ;

(ख) यदि हाँ, तो देश में किस किस्म के कितने ट्रैक्टरों की अत्यधिक मांग है ;

(ग) देश में किस किस्म के ट्रैक्टरों का निर्माण हो रहा है और प्रत्येक किस्म के ट्रैक्टरों की कितनी कमी है ; और

(घ) मांग और सप्लाई के अन्तर को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) जैटर-2011 (20 अश्व शक्ति) तथा डी० टी०-14 बी० (14 अश्व शक्ति) ट्रैक्टर

(ग) देश में छोटे ट्रैक्टरों का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है ।

(घ) छोटे अश्व शक्ति के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए सिद्धान्त रूप से निम्नलिखित योजनायें स्वीकृत की गई हैं :—

फर्म का नाम	मेक तथा अश्व शक्ति	वार्षिक क्षमता
1. सर्वश्री हिन्दुस्तान मशींन टूल्स लिमिटेड, पिंजौर	जेटर-2011/2511 (20 अश्व शक्ति)	12,000
2. सर्वश्री गाजियाबाद इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ।	डी० टी० 14-बी (14 अश्व शक्ति)	10,000
3. डा० आर कयमल (अब कयमल ट्रैक्टर एण्ड इंजीनियरिंग इन्टरप्राइजिज, हैदराबाद)	गुल्डनर (15 अश्व शक्ति)	2,000
4. सर्वश्री इंडियन एग्रो मशीन्स, बम्बई	आर० एस०09 (20 अश्व शक्ति)	10,000

छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए कुछ अन्य प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन हैं । इसके अतिरिक्त. 20,000 छोटे ट्रैक्टरों को आयात करने का निर्णय किया गया है । सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए विदेश में रहने वाले भारतीय सम्बन्धियों से उपहार के रूप में ट्रैक्टरों के आयात की भी अनुमति दी गई है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को सहायता देने हेतु धन के लिए रामकृष्ण मिशन का निवेदन

4142. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल रामकृष्ण मिशन की एक ऐसा स्वयं सेवा संगठन है जो

बशीरहट में एकत्रित हुए शरणार्थियों को स्थल पर ही सहायता देने का वास्तविक कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या मिशन ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि धन की कमी होने के कारण उनके कार्य को धक्का लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मिशन को सहायता देने का है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). रामकृष्ण मिशन ने बशीरहट में जब सहायता कार्य प्रारम्भ किया था, तो उसने मई, 1970 में केन्द्रीय सरकार को शीघ्र धन-राशि देने के बारे में कहा था ।

केन्द्रीय सरकार ने तात्कालिक राहत के खर्च के लिए, जिसमें रामकृष्ण मिशन जैसे लोकोपकारी संगठनों को सहायक अनुदान देना भी शामिल है, राज्य सरकार को अब तक 89 लाख रुपये का 'लेखे पर' अग्रिम दिया है। इस राशि में से, 4-8-70 तक राज्य सरकार द्वारा रामकृष्ण मिशन के 2.10 लाख रुपये मंजूर किए जा चुके हैं। इस राशि में, उस चावल के मूल्य का 1 लाख रुपये शामिल है जो कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों में वितरण के लिए रामकृष्ण मिशन को दिया गया था ।

भारतीय ट्रैक्टरों तथा आयातित ट्रैक्टरों के तुलनात्मक मूल्य

4143. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रैक्टरों को अनुमानित मांग कितनी है और मांग को किस प्रकार पूरा किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार की ओर से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बिना शुल्क आयात किये गये ट्रैक्टर देश में निर्मित ट्रैक्टरों की संख्या कम मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं ;

(ग) विदेशों में ट्रैक्टरों को कम मूल्यों पर बेचने के कारण भारत में निर्मित ट्रैक्टरों पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आयातित तथा भारतीय ट्रैक्टरों के मूल्यों में समता सुनिश्चित करेगी ; और

(घ) क्या आयातित ट्रैक्टरों की बिक्री से ट्रैक्टरों के मूल्यों में समता लाने पर, प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि से किसानों के लिए एक विशेष निधि बनायी जायेगी जो कि छोटे किसानों के लिए शक्ति चालित हलों में राजसहायता देने में प्रयोग में लाया जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) वर्ष 1969-70 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों की ट्रैक्टरों की सापेक्ष मांग 1.14 लाख ट्रैक्टरों तक थी जबकि इसी वर्ष ट्रैक्टरों का कुल देशीय उत्पादन केवल 17,099

ट्रैक्टर था । ट्रैक्टरों की बढ़ती हुई माग की पूर्ति के लिए 35,000 ट्रैक्टरों के आयात का निश्चय किया गया, ट्रैक्टरों की उपलब्धि को सुलभ बनाने के लिए, देशीय उत्पादन को बढ़ाने के अतिरिक्त विदेशों में रहने वाले भारतीय सम्बन्धियों से उपहार स्वरूप ट्रैक्टरों के आयात की भी अनुमति दी गई है । इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्व बैंक परियोजनाओं के अन्तर्गत ट्रैक्टरों के आयात के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं ।

(ख) देश में निर्मित किये जा रहे मेक तथा माडलों का आयात अभी तक नहीं किया गया है, अतः मूल्यों की तुलना नहीं की जा सकती ऐसे ट्रैक्टरों का जब कभी आयात किया गया, उनके विक्रय मूल्य को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मामले के सभी पक्षों पर विचार करते हुए, निश्चित किया जायेगा ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं होते ।

राज्य द्वारा कुप्रबंधित चाय बागानों को अपने अधिकार में लेना

4144. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार कुप्रबन्धित चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने के बारे में विचार कर रही है और उसने श्रमिक नेताओं को आश्वासन दिया है कि वह इस बारे में उनकी मांगों पर विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मांग 10 जुलाई, 1970 को हुए चाय बागान सम्बन्धी समिति के 13वें सत्र में श्रमिक प्रतिनिधि ने की थी ;

(ग) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में और क्या मांगें की गई थी ; और

(घ) सरकार उनके सुझावों पर कहां तक सहमत हो गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (घ). बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति ने 10 जुलाई, 1970 को हुए अपने 13वें अधिवेशन में, पिछले अधिवेशन के एक निष्कर्ष पर की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण करते समय, कुप्रबन्धित इकाइयों को अपने अधिकार में लेने की दृष्टि से निम्न निर्णय लिया :

> "ऐसे कुप्रबन्धित चाय बागानों का, जिनके बन्द होने की आशंका है, सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर श्रम तथा रोजगार विभाग द्वारा चाय अधिनियम अथवा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में संशोधन करके आगे कार्यवाही की जा सकती है ।"

इस प्रयोजन के लिए चाय अधिनियम में संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

विभागीय उपक्रम द्वारा टेलीफोन उपकरण, फालतू पुर्जे आदि का निर्माण

4145. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सी० बी० और स्वचालित केन्द्र के लिए हेड-गियर सैट्स, टेलीफोन यन्त्रों तथा कनेक्शनों आदि के विस्तार के लिए प्लान यन्त्रों की कमी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन उपकरणों की कमी के कारण देश में दूर-संचार व्यवस्था के विकास में बाधा पड़ रही है ;

(ग) क्या मैसर्स मजदा इलैक्ट्रिकल्स, दिल्ली जैसी गैर सरकारी फर्म तथा अन्य फर्में डाक तथा तार विभाग द्वारा अनुमोदित भारतीय टेलीफोन उद्योग के नमूने पर इन उपकरणों को बना रहा है और वे डाक तथा तार विभाग की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है ; और

(घ) यदि हां, तो विभागीय उपक्रमों द्वारा उक्त उपकरण तथा सहायक पुर्जों को न बनाने तथा डाक तथा तार विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर सरकारी उपक्रमों से इन उपकरणों को क्रय करके भी सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) जहां तक डाक-तार विभाग को मालूम है, डाक-तार के विशेष निर्देशों के अनुसार कोई देशी फर्म टेलीफोन के यंत्रों का निर्माण नहीं कर रही है । कुछ देशी फर्म हैडगियर-सैटें मुहैया करने को तैयार थीं, लेकिन उनकी किस्म-डाक-तार के मानकों के अनुकूल न थी और इसीलिए आयात का ही सहारा लेना पड़ा है ।

(घ) डाक-तार विभाग की इन मदों से संबंधित मांगों पूर्ति भारतीय टेलीफोन उद्योग कर रहा है लेकिन मुख्यत: विदेशी मुद्रा की कमी और आयात किये जाने वाले कच्चे माल और पुर्जे का उत्पादन उत्तरोत्तर अपने देश में ही करने के कारण उनके मुहैया करने में थोड़ी कमी आ गई है । इन कठिनाइयों पर धीरे-धीरे काबू पाया जा रहा है । इन मदों को तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय टेलीफोन उद्योग के अधीन नैनी में भी एक नया कारखाना लगाया जा रहा है । ऊपर (ग) में बताये गये कारणों से निजी फर्मों से इन वस्तुओं को मुहैया नहीं किया जा सका ।

Eradication of Social Evils through Films

4146. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether Government have made efforts to remove social evils like casteism, untouchability, child marriage etc. through the exhibition of films also ; and

(b) if so, the number and the names of feature or documentary films produced by Government themselves or through the initiative of Government during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). A number of docu-

mentary films regarding removal of social evils have been produced by the Films Division so far. A list of 12 such films is laid on the Table of the House.

Since the feature film industry is in the private sector, no such feature film has been produced by Government.

STATEMENT

The following films have been produced by the Films Division concerning removal of social evils :—

1.	Children of God	(for social uplift of Harijans)
2.	Andhere Se Ujale Me	(against untouchability)
3.	Raidas	(against Casteism and untouchability)
4.	Brahmin	(against Casteism and untouchability)
5.	Bargad Ki Aap Beeti	(against Casteism)
6.	Sankararukku Oru Sodhanai	(advocates abolition of caste and creed and that all men are equal)
7.	Manssa Adi Ho Manus (Marathi Version)	(Obtained from Government of Maharashtra for realease by Films Division)
8.	An Ancient Curse	(against untouchability)
9.	Bekbari	(against begging)
10.	Kal Udas No Hogi	(on prohibition)
11.	Dry Leaves	(against Dowry System)
12.	And Miles To Go	(against corruption)

त्रिपुरा में प्लाई लकड़ी के एक कारखाने की स्थापना

4147. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री त्रिपुरा में प्लाई लकड़ी के एक कारखाने की स्थापना के बारे में 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में प्लाई लकड़ी के एक कारखाने की स्थापना के लिए मैसर्ज जयश्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी के प्रस्ताव के बारे में त्रिपुरा में वनों से इमारती लकड़ी को हटाने के अधिकार को पट्टे पर लेने के लिए उक्त कम्पनी के करार मसौदे को इस बीच स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने को स्थापित करने के सम्बन्ध में और आगे क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उक्त करार-मसौदा कब से सरकार के विचाराधीन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). अनुबन्ध का प्रारूप कुछ संशोधन के पश्चात् विधि मन्त्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और अब क्लियरेंस हेतु वित्त मन्त्रालय के विचाराधीन और उसके लिए पड़ौसी

राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। फिर भी, अनुबन्ध के संशोधित प्रारूप पर नवम्बर, 1969 से भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

4148. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री मीठालाल मीना :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों का, जिन्हें सरकार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है, क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

1. **सिफारिशें जो मार्गदर्शन के लिए नोट कर ली गई अथवा जिन पर किसी विशिष्ट कार्य की आवश्यकता नहीं है।**

   1 से 11, 12 (क), 12 (ख), 22 (क), 41, 88, 90 से 92, 94 से 100, 109, 124 (क), (ख) और (घ), 133, 148 से 150, 157, 163, 164, 165, 167, 168, 246, 26 , 271 और 297 से 300

2. **वे सिफारिशें जिन पर कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों/प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से सिफारिश की गई है।**

   12(ग), 21, 22(ग), 25, 26, 39, 42, 55, 93, 103, 124(ग). 125, 126, 151(क), 207, 208, 213 से 218, 248, 281 और 290।

3. **वे सिफारिशें जिन पर राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्, स्वचालन समिति, सार्वजनिक उद्यमों के ब्यूरो आदि जैसे अन्य निकायों से कार्यवाही करने की सिफारिश की गई।**

   25, 26, 110, 112 से 117, 141, 01 से 203, 205 और 206

4. **वे सिफारिशें जिन पर नियोजकों तथा श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों से कार्यवाही करने की सिफारिश की गई।**

   22 (ग), 23 से 26, 39, 42, 93, 128, 131, 134, 143 से 147, 151(क) और 215 से 218।

5. **वे सिफारिशें जिन पर श्रम और रोजगार विभाग तथा उसके कार्यालयों में कार्यवाही की जा रही है।**

   13, 16, 18, 22 (ख), 23, 24, 29, 31 (ख), 33, 42, 52, 89, 124 (ग), 126, 127, 239, 281 से 293, 285, 291, 293 और 294 से 296।

राजस्थान के अकाल राहत कार्य के लिए दी गई धनराशि का दुरुपयोग

4149. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में अकाल राहत कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करने की हाल ही में की गई जांच से पता लगा है ;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क

4150. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ तथा भूमि कटाव से गत तीन वर्षों में आसाम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को भारी क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या इससे वन्य पशुओं को खतरा उत्पन्न हो गया है तथा उनकी नस्ल ही समाप्त होने वाली है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त राष्ट्रीय पार्क की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). असम सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चण्डीगढ़ का सुपर बाजार

4151. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ सुपर बाजार घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण तथा इसकी दशा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसमें सरकार की कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(घ) इसके निदेशकों की नियुक्ति संबंधी क्या मापदण्ड निर्धारित है तथा इन निदेशकों का शेषधारियों से चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) कर्मचारियों तथा किराए सम्बन्धी अधिक व्यय, और कमियों की अत्यधिक घटनाएं घाटे के मुख्य कारण हैं। व्यय में मितव्ययता करने, कमियों में घटाव करने तथा भण्डार के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग) 7.95 लाख रुपये, जिसमें 4 लाख रुपये अंश पूंजी के रूप में, 3.50 लाख रु० ऋण के रूप में और 0.45 लाख रु० उपदान के रूप में समाविष्ट हैं।

(घ) समिति की उप-विधियों के अनुसार, प्रबन्ध समिति केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा नामित की जाती है तथा यह फुटकर व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों को छोड़कर विभिन्न प्रकार के निवासियों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान नामित समिति की अवधि 22 अक्तूबर, 1970 को समाप्त होती है तथा उस तिथि से आगे प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए व्ययस्था कर दी गई है।

डाक-तार विभाग द्वारा मैसर्स कोठारी एण्ड एसोसिएट्स को काम देना

4152. **श्री क० लकप्पा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सह सच है कि डाक तथा तार विभाग के विभिन्न कार्यों का आवंटन करने में मैसर्स कोठारी एन्ड ऐसोसिएट्स पर अनुचित कृपा की जा रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों में डाक तार विभाग ने मेसर्स कोठारी एण्ड ऐसोसिएट्स को कितने कार्य सौंपे ; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे

4153. **श्री रा० बरुआ :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे के रूप में बहुत कम धन राशि दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो निर्वाह क्रम में हुई असाधारण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले वजीफे की राशि में वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के

अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या के 33 1/3 प्रतिशत भाग को 25 रुपये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी प्रतिमास की (साधन व योग्यता के आधार पर) छात्रवृति दी जाती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जाति के सभी प्रशिक्षणार्थियों को 45 रुपये प्रतिमास की छात्रवृति दी जाती है।

(ख) और (ग). प्रशिक्षणार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि के प्रश्न पर राज्य सरकारों की परामर्श से विचार किया गया और यह तय किया गया कि इस प्रस्ताव को आर्थिक संकट के कारण आस्थगित रखा जाये।

बाद में, अगस्त, 1962 से प्रशिक्षण का स्तर सुधारने के लिये योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति देने की एक योजना चलाई गई। इस योजना के अनुसार, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या के 4 प्रतिशत को 15 रुपये प्रतिमास की छात्रवृति दी जाती है।

दिनांक 1-4-1969 से दस्तकार प्रशिक्षण योजना का वित्तीय नियंत्रण राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है।

आदिवासी कृषक

4154. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आदिवासियों को कृषि आदि व्यवसायी बनने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : यद्यपि आदिवासियों को कृषि आदि व्यवसायी बनने के उद्देश्य के लिये कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है, जनजाति विकास खण्डों में आदिवासियों और अनुसूचित आदिमजाति के दूसरे सदस्यों के आर्थिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम जारी रखा जा रहा है। ये खण्ड जिनकी संख्या 489 थी द्वितीय योजना में जाति जाति की अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों के गहन विकास के लिए आरम्भ किये गए थे। चतुर्थ योजना से, जनजाति विकास खण्डों की कुल अवधि एक नये तीसरे चरण की व्यवस्था द्वारा 10 लाख रुपये प्रति खण्ड आवंटन के सहित अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए 10 से 15 वर्ष तक बढ़ाई जा रही है। इन खण्डों में परम अग्रता कृषि उत्पादन तथा अन्य सम्बद्ध विषयों को बढ़ाने के लिए दी जा रही है।

बेरोजगारी बीमा

4155. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में लागू बेरोजगारी बीमा योजना के आधार पर देश में बेरोजगारी बीमा आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ख) क्या किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों द्वारा ऐसी कोई योजनाएं आरम्भ की गई है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). भारत की स्थिति ब्रिटेन

जैसे विकसित देशों से भिन्न है जिनका लक्ष्य सामान्यत: समस्त श्रमिक जनसंख्या के लिए बेरोजगारी बीमा की व्यवस्था करना है। जो व्यक्ति, कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य हैं उनके लिए बेरोजगारी बीमा की सीमित योजना आरम्भ करने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस संबंध में ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

ट्रैक्टरों का राज्यों में सामयिक वितरण

4156. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों के कृषकों को अपने खेतों के लिये ट्रैक्टर प्राप्त करने में अन्य राज्यों के कृषकों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) विभिन्न राज्यों को विभिन्न मेक के कुल कितने ट्रैक्टरों का आवंटन किया गया ; और

(ग) राज्यों में ट्रैक्टरों का अपेक्षाकृत अधिक सामयिक वितरण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). देश में निर्माण किये गये तथा विदेश से आयात किये गये ट्रैक्टरों की तुलना में ट्रैक्टरों की कुल मांग देश में बहुत अधिक है। इस प्रकार राज्यों में किसानों को अपनी बारी तक ट्रैक्टर के लिए रुकना पड़ता है।

विभिन्न राज्यों की कृषि उद्योग निगमों द्वारा सूचित की गई मांगों के अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों आदि को आयात किये गये ट्रैक्टरों का आवंटन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है :

(1) राजकीय कृषि उद्योग निगमों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, आदि द्वारा पंजीकृत की गई सापेक्ष मांग।

(2) संबन्धित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक उत्पादनशील किस्मों/बहु-फसली खेती का क्षेत्र।

(3) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ट्रैक्टरों की वर्तमान संख्या।

उपरोक्त मापदंडों के आधार रर 1968-69 तथा 1969-70 की मांग में से विभिन्न राज्यों आदि को आयात किये गये ट्रैक्टरों के वास्तविक आवंटन को प्रदर्शित करने वाले दो विवरण संलग्न हैं [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4074/70]। राज्यों द्वारा वास्तविक सप्लाई सामान्यत: 'जो पहले आये, पहले ले जाये' के आधार पर की जाती है। जिन राज्यों में अनिर्णीत मामले (पैन्डिन्ग) कम हैं ऐसे राज्यों के किसानों की अपेक्षा उन राज्यों के किसानों को जहां अनिर्णीत मामले अधिक हैं स्वाभाविक रूप से अपनी बारी के लिये देर तक रुकना पड़ता है।

विनिर्माताओं द्वारा अपने विक्रेताओं के माध्यम से देशी ट्रैक्टरों का वितरण किया जाता है और उनके वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है ।

अत्यधिक संभव सीमा तक ट्रैक्टरों की समस्त मांग को पूरा करने की दृष्टि से सरकार देशी उत्पादन तथा आयात को बढ़ाने के लिये सभी संभव प्रयत्न कर रही है । इससे देश के, किसानों में ट्रैक्टरों के समान वितरण के कार्य में काफी सहायता मिलेगी ।

आंध्र देश सरकार द्वारा राज्य विधान सभा में औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का पुरः स्थापित करने की अनुमति

4157. **श्री अदिचन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध प्रदेश सरकार ने औद्योगिक सम्बन्धी विधेयक को विधान सभा में पुरः स्थापित करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले ली थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की उक्त विधेयक को पुरःस्थापित न करने की कभी सलाह दी थी ;

(ग) क्या भारत सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री द्वारा 14, 15 मई, 1970 को जारी किये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह इस विषय पर केन्द्रीय कानून की प्रतीक्षा करे अथवा विकल्प में विधेयक में संशोधन करे ताकि इसे राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अतत: लिये गये निर्णयों के प्रकाश में किये गये आवश्यक परिवर्तनों के सम्बन्ध में बिना पक्षपात के वर्तमान नीति और आचरण के अनुरूप बनाया जा सके ।

(ग) जी, हां ।

(घ) राज्य श्रम मंत्री के विचारों को नोट कर लिया गया है ।

चीनी मिलों के स्तर का पुनरीक्षण करने के लिये तकनीकी समिति

4158. **श्री मंगलाथमाडोम** :
श्री राम चरण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों के स्तर का पुनरीक्षण करने के लिये एक तकनीकी समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में चीनी निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पुनरीक्षित स्तरों के अन्तर्गत चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता में अनुमानत: कितनी वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। कुछ उपकरणों के तकनीक तथा डिजायन खाकों में अब तक हुए विकास को दृष्टि में रखते हुए 1964 के प्रारम्भ में चीनी संयंत्रों के लिए तैयार की गई मानक निर्दिष्टियों की समीक्षा हेतु जुलाई, 1970 में एक 17 सदस्यीय तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी जिसमें चीनी उद्योग तथा चीनी मिल मशीनरी निर्माताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ख) चीनी उद्योग ने यह मान लिया है कि चीनी कारखानों के लिए संयंत्र तथा मशीनरी मौजूदा निर्दिष्टियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

(ग) मौजूदा निर्दिष्टियों के संशोधन का वर्तमान चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत मछलियों को डिब्बे में भरने सम्बन्धी योजना

4159. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने चौथी योजना और 1970-71 के दौरान समुद्री-खाद्य-पदार्थ परिरक्षण और डिब्बा बन्दी उद्योग के विकास के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) केरल सरकार द्वारा समुद्र से प्राप्त होने वाले खाद्य के परिरक्षण के लिए एक बर्फ संयंत्र तथा शीतागार स्थापना की योजना चतुर्थ योजना तथा वर्ष 1970-71 की वार्षिक योजना में सम्मिलित कर ली गई है। इस समय योजना में डिब्बा बंदी एककों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) चतुर्थ योजना के लिए 40 लाख रुपये तथा 1970-71 के लिए 15 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित व्यवस्था जारी रहेगी तथा निम्न बर्फ संयंत्रों और शीतागारों के अवशिष्ट कार्यों को पूरा किया जायेगा—विलिंगडन द्वीप में 100 मीटरी टन का बर्फ संयंत्र तथा 300 मीटरी टन का शीतागार, बलियापट्टम में 100 मीटरी टन का बर्फ संयंत्र बेयपोर में 25 मीटरी टन का बर्फ संयंत्र और त्रिवेन्द्रम के निकट अतिप्रा में 10 टन का संयंत्र।

(ग) यह योजना राज्य के चतुर्थ योजना प्रस्तावों में मत्स्य विकास के लिए सम्मिलित अन्य योजनाओं के साथ सामान्यतः स्वीकार कर ली गई है।

केरल में काजू उद्योग का विकास

4.60. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ योजना और वर्ष 1970-71 में केरल में काजू उद्योग का विकास करने के लिए केरल सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). केरल सरकार से कोई विशिष्ट योजना नहीं मिली है। फिर भी भारत सरकार ने चौथी पंचवषीय योजना के दौरान राज्य में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें स्वीकृत की हैं :—

योजना	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय
1. काजू एयर लेयर्स की उत्पादन	1,25,000 (संख्या)	1.57 लाख रु०
2. पौद संरक्षण उपाय	17,223 (एकड़)	9.51 लाख रु०
3. प्रदर्शन प्लाट	490 (संख्या)	4.32 लाख रु०
4. विपणन सर्वेक्षण	—	1.28 लाख रु०
	कुल	16.68 लाख रु०

भारत और उत्तरी कोरिया के मध्य रेडियो, टेलीफोन तथा तार सेवा

4161. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और उत्तरी कोरिया के मध्य रेडियो, टेलीफोन सेवा और रेडियो तार सेवा हाल ही में आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ये सेवायें किस तिथि से चालू हुई हैं ; और

(ग) उस सेवा की तरंग लम्बाई समय क्या है ; और उसका शुल्क कितना है जो इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए भारतीयों को देना पड़ेगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग).

बहुत समय से भारत और उत्तरी कोरिया के बीच नियमित चौबीसों घंटे की स्विच्ड रेडियो-तार सेवा उपलब्ध रही है ।

एक स्विच्ड रेडियो टेलीफोन सेवा 1-7-1970 से भारत और उत्तर कोरिया के बीच उद्घाटित हुई है जो रविवार को छोड़कर रोज भारतीय मानक समय के 1500 से 2100 बजे तक कार्य करती है ;

क्योंकि ये सेवायें सीधी सेवायें नहीं है अतः तरंग-दैर्घ्य (वेव लेंग्थ) का प्रश्न नहीं उठता ।

इन सेवाओं के प्रभार इस प्रकार हैं :—

रेडियो तार सेवा

1. साधारण तारों की दर... ... ... 1.30 रु० प्रति शब्द
2. पत्र-तारों (लेटर टेलीग्राम्स) की दर ... 0.65 रु० प्रति शब्द

रेडियो टेलीफोन सेवा

1. तीन मिनट की अवधि की साधारण काल की दर—63.00 रु०
2. प्रति अतिरिक्त मिनट अथवा उसके भाग के लिए—21.00 रु०

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति

4162. **श्री राम चरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग में अब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नही हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में ऐसे कुल कितने अवर सचिव तथा इससे ऊपर के पदों के अधिकारी हैं जो 1967, 1968 और 1969 के अन्त तक, अलग-अलग, सरकारी कार्य हिन्दी के कर रहे थे ; और

(ग) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी में प्रयोग में वृद्धि लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी नहीं । हिन्दी भाषी राज्यों से पत्र व्यवहार हिन्दी में ही किया जाता है और हिन्दी में प्राप्त होने वाले अन्य पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में ही दिये जाते हैं ।

(ख) सुविधा के अनुसार कुछ अधिकारी अपना कार्य हिन्दी में करते हैं । इस बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं ।

(ग) गृह-मंत्रालय द्वारा हिन्दी के प्रयोग पर बल देने के लिए, समय-समय पर जो अनुदेश

जारी किये जाते हैं उनकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों सहित समस्त सम्बन्धितों को कराई जाती है। इस विभाग में विभिन्न अधिकारियों को हिन्दी के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें समेकित प्रशासन शब्दावली, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से प्राप्त शब्द कोष और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद से प्राप्त सहायक साहित्य, उन्हें वितरित कर दिया गया। राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 के अधीन इस मंत्रालय के प्रत्येक विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिवों की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां समय-समय पर अपनी बैठकों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति के बारे में पुनर्विलोकन करती है और सरकारी कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर जोर देती रहती है।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग में प्रगति

4163. **श्री राम चरण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी में प्रयोग के मामले में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में अवर सचिव तथा इसके ऊपर के पदों के ऐसे कुल कितने अधिकारी हैं जो 1967, 1968 और 1969 के अन्त में, अलग-अलग सरकारी कार्य हिन्दी में कर रहे थे ; और

(ग) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कुछ प्रगति हुई है तथा कुछ वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय के कुछ काम में हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं।

(ख) अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पदों में ऐसे अधिकारियों की संख्या, जो अपने कार्यालय का कुछ काम हिन्दी में कर रहे हैं। 1967, 1968 तथा 1969 के अन्त में क्रमशः 4,5 और 13 थी।

(ग) समय समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं, जिनमें कार्यालय के काम में हिन्दी के क्रमिक प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सहायक साहित्य सामग्री की भी व्यवस्था की गई है। हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों के लिए हिन्दी में प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।

संचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग में प्रगति

4164. **श्री राम चरण** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग में अब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 के अन्त तक अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पदों के ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या क्या है जो अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करते रहे थे ; और

(ग) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग किया जा रहा है। 1969 के अन्त तक 33 वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने सरकारी काम आंशिक रूप से हिन्दी का प्रयोग आरम्भ कर दिया था। 1967 और 1968 के आंकड़े रखे नहीं गये थे।

(ग) सभी अधिकारियों को समय समय पर हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह दी गई है और उन्हें प्रशिक्षण दिला कर तथा उनके लिए आम प्रयोग में आने वाले मानक हिन्दी वाक्यांशों आदि की सूचियां उपलब्ध करा कर उन्हें इस विषय में हर प्रकार की सुविधा सुलभ कराई जाती है।

वर्ष 1969-70 के दौरान आर० एस० 09 ट्रैक्टरों का आयात तथा उनका विवरण

4165. **श्री राम चरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 के दौरान विदेशों के (राज्यवार) कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया तथा उन्हें कृषकों को किस मानदण्ड के अनुसार वितरित किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : 1969-70 के दौरान गत वर्ष के आयात कार्यक्रम में से 10,478 ट्रैक्टर प्राप्त हुए थे। परन्तु, 1969-70 की मांग में से 35,000 ट्रैक्टर आयात करने का निर्णय भी किया गया था। इनमें से 25,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिए राजकीय व्यापार निगम और विदेशी सम्भरण-कर्त्ताओं में निम्न करार तय हुए हैं :—

देश	मैक	आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों की संख्या
		(आयात रोक दिया गया है)
पूर्वी जर्मनी	आर० एस०-09	7,000
चैकोस्लोवेकिया	जेटर-2011 (एस०के०डी०)	2,500
	जेटर-2011 (एस०के०डी०) चावल विशेष	1,000
	जेटर-2011 चावल विशेष (पूर्ण रूप से निर्मित)	2,500
	जेटर-5511 (पूर्ण रूप से निर्मित)	1,000

रूमानिया	यू-650	2,250
	यू-651	750
रूस	बाइलेरस	1,500
पोलैण्ड	यू०आर०एस०यू०एस०-328 (पी०के०डी०)	3,000
	यू०आर०एस०यू०एस०-335	2,000
यूगोस्लाविया	आई०एम०टी०-555	650
यू० के०	फोर्ड-3000	850
		25,000

शेष 10,000 ट्रैक्टरों के लिए करार तय किया जा रहा है। ट्रैक्टरों के आयात राज्यवार आधार पर नहीं, बल्कि समस्त देश के आधार पर प्रभाव पड़ता है। फिर भी विभिन्न राज्यों आदि को 30,000 ट्रैक्टरों का आवंटन किया गया है। इन आवंटनों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4075/67]। आयातित ट्रैक्टरों को विभिन्न राजकीय कृषि उद्योग निगमों आदि के माध्यम से वितरित किया जाता है। आमतौर पर ट्रैक्टरों का वितरण निगमों द्वारा "जो पहले आये, पहले ले जाये" के आधार पर किया जाता है, परन्तु पंजाब और हरियाणा आदि कुछ राज्यों में इनका वितरण लाटरी द्वारा किया जाता है।

समाचार पत्रों में साम्प्रदायिक लेखन को रोकने के लिए प्रेस परिषद् के मार्गदर्शी सिद्धांत

4166. **श्री रवि राय : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में समाचार पत्रों में साम्प्रदायिक लेखन को रोकने के लिए प्रेस परिषद ने कुछ मार्ग दर्शी सिद्धांत अपनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां। प्रेस परिषद के कुछ मार्गदर्शी बाते निर्धारित की हैं जिनमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि परिषद किन बातों को पत्रकारिता की नैतिकता के विरुद्ध समझती है और समाचार पत्रों को साम्प्रदायिक या प्रादेशिक मुद्दों से सम्बन्धित मामलों पर समाचार देने या टिप्पणी करने में किन बातों से दूर रहना चाहिए। वे इस प्रकार हैं :—

1. साम्प्रदायिक मामलों से संबंधित तथ्यों या घटनाओं को विकृत रूप से या बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना या अपुष्ट अफवाहों, सन्देहों या अनुमानों को इस प्रकार बताना मानो कि वे सही हों और उन पर अपनी टिप्पणियां आधारित करना।

2. साहित्यिक लेख के रूप में या अलंकारिक रूप में या जोर देने के लिए भी समाचार या विचार प्रस्तुत करने में असंयत भाषा का प्रयोग करना ।

3. कष्टों, चाहे वे उचित हों या न हों, को दूर करने के लिए साधन के रूप में, भड़काने पर भी, हिंसा को प्रोत्साहित करना या क्षम्य बताना ।

4. किसी भी जाति की उचित और न्याय संगत शिकायतों की ओर ध्यान दिलाना समाचार पत्रों का न्यायोचित कार्य है ताकि वे शिकायतें सभी शान्तिपूर्ण, कानूनी तथा वैध उपायों से दूर की जा सकें ; परन्तु शिकायतों को आविष्कृत करना या वास्तविक कठिनाइयों को इस प्रकार बढ़ाकर बताना जिससे कि उनसे साम्प्रदायिक दुर्भावना बढ़े या घृणा उत्पन्न हो, अनुचित है तथा पत्रकारिता की नैतिकता के विपरीत है ।

5. जातियों या व्यक्तियों पर निकृष्ट या असत्य आक्षेप विशेषकर जब इसके साथ उन पर उनके किसी विशिष्ट समुदाय या जाति के सदस्य होने के कारण दुराचरण के आरोप हों ।

6. ऐसी घटनाओं को, जिनमें विभिन्न जातियों के लोग शामिल हों, झूठ-मूठ साम्प्रदायिकता का रंग देना ।

7. ऐसे मामलों पर जोर देना जो विभिन्न जातियों के बीच साम्प्रदायिक घृणा या दुर्भावना या अविश्वास की भावना पैदा करें ।

8. ऐसे खतरनाक समाचार छापना जो मूल रूप से गलत हों या इस प्रकार के समाचारों पर ऐसी टिप्पणियां करना जिससे विभिन्न जातियों या प्रादेशिक या भाषाई समूहों के मध्य तीखे हों ।

9. सनसनी पैदा करने के उद्देश्य से वास्तविक घटनाओं को बढ़ाकर बताना तथा ऐसे समाचारों को मुख्य शीर्षकों या मोटे अक्षरों में छापना जो साम्प्रदायिक सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ।

10. विभिन्न धर्मों या विश्वासों या उनके प्रवर्तकों के बारे में अपमानजनक, असम्मानजनक या अप्रतिष्ठात्मक टिप्पणियां करना ।

पत्रकारिता में प्रशिक्षण

4161. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस परिषद् ने देश में पत्रकारिता में प्रशिक्षण देने हेतु योगदान देने के बारे में अपने विचार बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, नहीं । प्रेस परिषद् अभी मामले के, जिसकी बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है, विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है ।

प्रेस की स्वतन्त्रता के बारे में प्रैस परिषद को पेश की गई शिकायतें

4168. **श्री रवि राय** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रैस परिषद् को वर्ष 1969 के दौरान प्रैस की स्वतन्त्रता के बारे में प्रैस परिषद् अधिनियम की धारा 12 के अधीन विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के विरुद्ध पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों के स्वरूप के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रैस परिषद ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। प्रैस परिषद को 1969 के दौरान प्रैस की स्वतन्त्रा के बारे में प्रैस परिषद् अधिनियम की धारा 12 के अधीन 5 शिकायतें प्राप्त हुई थीं ; इनमें से तीन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विरुद्ध थीं और शेष दो समाचार एजेंसियों के विरुद्ध थीं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विरुद्ध तीन शिकायतों में से एक हरियाणा स्माल न्यूजपेपर्स एडीटर्स एसोसियेशन के सेक्रेटरी जनरल की हरियाणा सरकार के विरुद्ध थी जिसमें उच्च पुलिस अधिकारियों की आलोचना करने के कारण संपादकों को गिरफ्तार करने और तंग करने का आरोप था। जब शिकायतकर्त्ता से आवश्यक ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया तो उसने शिकायत वापस ले ली।

दूसरी शिकायत पंजाब सरकार के विरुद्ध एक हिन्दी समाचार और एक उर्दू समाचार पत्र द्वारा राज्य सरकार की नीतियों की प्रबल आलोचना करने के कारण सरकारी विज्ञापन आदि के मामले में उनकी कथित "काली सूची" में रखने के बारे में थी। जब इस बारे में पंजाब सरकार से टिप्पणी मांगी गई तो उसने परिषद् को सूचित किया था कि इन पत्रों को सरकारी विज्ञापन दिया जाना फिर से शुरू कर दिया गया है। शिकायत कर्ता को इस बारे में सूचित कर दिया गया और तत्पश्चात उससे कोई शिकायत नहीं मिली।

तीसरी शिकायत केन्द्रीय सरकार (पत्र सूचना ब्यूरो, मद्रास) के विरुद्ध एक फिल्म साप्ताहिक के विशेष संबाददाता की थी जिसमें प्रैस सुविधाओं से वंचित करने और इस प्रकार समाचार एकत्र करने के एक पत्रकार के अधिकार में हस्तक्षेप करने का आरोप था। यह शिकायत अभी निर्णयाधीन है और आरम्भिक बातें पूरी हो जाने के पश्चात इस पर सुनवाई शुरू होगी।

समाचार एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में ब्यौरा प्रेस परिषद की चौथी वार्षिक रिपोर्ट (1969), जिसकी प्रतियां सदन की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी हैं, के अध्याय 3 में दिया हुआ है।

समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के विरुद्ध प्रेस परिषद् को प्राप्त शिकायतें

4269. **श्री रवि राय** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रैस परिषद् को वर्ष 1969 में प्रैस परिषद् अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के विरुद्ध 72 शिकायतें प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । परन्तु उनमें से कुछ पर आवश्यक विवरणों के अभाव, शिकायत कर्ताओं की मामले को सिद्ध करने में असफलता तथा क्षेत्राधिकार की सीमाओं जैसे विभिन्न कारणों से परिषद द्वारा विचार नहीं किया जा सका ।

(ख) वर्ष 1969 के दौरान परिषद् द्वारा जिन 34 शिकायतों पर विचार किया गया उनमें से 28 साम्प्रदायिकता, 2 अश्लीता । बुरे भाव शेष तीन पत्रकारिता अनौचित्य के बारे में थीं । परिषद ने तीन सम्पादकों की निन्दा की, 16 को चेतावनी दी, 4 की क्षमा याचना स्वीकार की और तीन समाचार पत्रों को अपनी अप्रसन्नता सूचित की ।

(ग) इन मामलों में प्रेस परिषद् के निर्णय अन्तिम हैं और उनको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । सरकार द्वारा आगे कोई कार्यवाई प्रेस परिषद् के अधिकार को कम करने के समान होगी ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में हिन्दी का प्रयोग करने में प्रगति

4170. **श्री बलराज मधोक** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिन्दी के प्रयोग में अब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है जिससे कि निम्न पदों के कर्मचारियों में भी इस भाषा का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़े ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 के अन्त में अवर सचिव तथा इससे ऊपर के पदों के ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या क्या है जो अपना सरकारी कार्य हिन्दी में कर रहे थे ; और

(ग) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इन वर्षों के दौरान सूचना रखी नहीं गई थी। अब से आगे सूचना रखी जा रही है।

(ग) नौकरी के दौरान अधिकारियों को हिन्दी में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनके मार्ग दर्शन के लिए उनको वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली स्थाई आयोग द्वारा निकाला गया सहायक साहित्य तथा गृह मन्त्रालय द्वारा निकाले गये छोटे आम वाक्यांशों के चार्ट बांटे गए हैं।

केन्द्रीय मन्त्रियों, उनके पुत्रों अथवा उनकी पत्नियों और पत्नियों के नाम में 20 एकड़ से अधिक के फार्म तथा उनका स्थान

4171. **श्री शारदानंद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय मन्त्रियों के क्या नाम हैं जिनके अपने नाम में या उनकी पत्नियों और बच्चों के नाम में 20 एकड़ से अधिक के फार्म अथवा भूमि हैं ;

(ख) उन फर्मों के स्थानों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मन्त्री तथा उसके आश्रितों के नाम में कितना क्षेत्र है ; और

(ग) उन केन्द्रीय मंत्रियों के क्या नाम हैं तथा उन फर्मों का ब्यौरा क्या है जो उन्हें सरकार की ओर से पट्टे पर अथवा किसी अन्य रूप से प्राप्त हुए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बेरोजगारी की स्थिति पर पुनर्विचार

4172. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी की स्थिति पर पुनर्विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनर्विचार के समय किन-किन मुख्य बातों पर प्रकाश डाला गया ;

(ग) क्या बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). देश में बेरोजगारी की स्थिति का निरन्तर सर्वेक्षण किया जा रहा है। वर्ष 1968-69 की नियोजन समीक्षा के अनुसार अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में नियोजन अवसरों की वृद्धि 1.9 प्रतिशत आंकी गई। विस्तृत विवरण 1968-69 के सेवा नियोजन समीक्षा में देखा जा सकता है, जिसकी प्रतियां सभी संसद सदस्यों को पहले ही बेची जा चुकी है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की चौथी पंचवर्षीय योजना (जिसका बढ़ा हुआ कुल पूंजीगत विनियोग 24,882 करोड़ रुपये है) में सम्मिलित कृषि, उद्योग, सिंचाई व बिजली,

परिवहन व संचार, और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अधिकाधिक नियोजन अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त अधिक नियोजन अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष परियोजनाओं को आरम्भ कराने का सुझाव है, जिनमें छोटे किसानों के लिए कार्यक्रम अजल खेती, डेरी विकास, क्षेत्रीय विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यक्रम, लघु उद्योगों इत्यादि सम्मिलित हैं।

वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की अनुमति संख्या तथा उनके लिए राहत तथा पुनर्वास की व्यवस्था

4173. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 के अन्त तक पूर्वी पाकिस्तान के भारत में कितने शरणार्थियों के आगमन की संभावना है ; और

(ख) क्या भारत ने उनके लिए राहत तथा पुनर्वास की व्यवस्था करने हेतु योजना तैयार की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) अगस्त 1970, के प्रथम सप्ताह में, पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल में आने वाले लोगों की औसत प्रतिदिन संख्या 760 थी। यदि यह प्रवृत्ति चलती रही तो 1970 के अन्त तक पश्चिमी बंगाल में लगभग 1,14,000 व्यक्तियों की आने की संभावना है।

(ख) जी हां; भारत आने पर, ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्हें राज्य सरकारें द्वारा राहत शिविरों में प्रवेश के लिए भेजा जाता है, पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा से बाहर विभिन्न राज्यों के राहत शिविरों में विनियमित राहत प्रदान की जाती है। उनको शीघ्र पुनर्व्यवस्थापन प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन के लिए अनिर्णीत आवेदन-पत्र

4174. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचय प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों और चंढीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदकों के नाम हैं ; और

(ख) उनकी मांगों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 30-6-1970 को प्रतीक्षा-सूची में स्थिति इस प्रकार थी :

जम्मू व काश्मीर	1371
हिमाचल प्रदेश	506
पंजाब	12012
हरियाणा	3810
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	1619

(ख) एक्सचेंज उपस्कर और विशेषकर भूमिगत केबल की आमतौर पर कमी है। इस लिए प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा इसकी कोई निश्चित तारीख बता सकना कठिन है।

जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा तथा चण्डीगढ़ टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता विस्तार

4175. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जी हां। टेलीफोन की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए सारे भारत में एक्सचेंजों की क्षमता में लगातार वृद्धि की जा रही है। नीचे दी गई सारणी में यह बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के राज्यों, चण्डीगढ़ के संघीय राज्य, और जम्मू और काश्मीर राज्य में कितने एक्सचेंज खोले गये हैं या उनका विस्तार किया गया है और 1969-70 में क्षमता बढ़ाई गई है और 1970-71 में क्षमता बढ़ाये जाने की संभावना है।

राज्यों के नाम	खोले गए या विस्तार किए गए एक्सचेंजों की संख्या		एक्सचेंज क्षमता लाइनों की संख्या	
	1969-70 में चालू किए गए	1970-71 में चालू किये जाने का प्रस्ताव	1969-70 में जोड़ी गई	1970-71 में जोड़े जाने का प्रस्ताव
पंजाब	27	35	3535	4135
हरियाणा	23	21	1440	3930
चंडीगढ़	1	कोई नहीं	2000	कोई नहीं
हिमाचल प्रदेश	14	7	615	460
जम्मू और काश्मीर राज्य	7	7	5	275

सीमित साधनों के कारण कई वर्षों तक यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि टेलीफोन की जितनी भी मांगें प्राप्त हो उन्हें समूचे तौर पर पूरा किया जा सके। समूचे भारत में नया टेलीफोन लगाने में औसतन 4 से 5 वर्ष तक के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन राज्यों में टेलीफोन देने की स्थिति सारे भारत की औसत स्थिति से कुछ अच्छी है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद आदि बड़े नगरों में टेलोफोन देने में काफी ज्यादा समय लगता है।

श्रमजीवी पत्रकारों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण

4176. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारती श्रमजीवी पत्रकार फैडेरेशन की राष्ट्रीय परिषद् ने उड़ीसा में अपनी हाल की बैठक में सरकार से ऐसे कदम उठाने को कहा है जिससे न्यूनतम मजूरी 145 रुपये से बढ़कर जैसा कि मजूरी बोर्ड हिसाब लगाया है न्यूनतम 350 रुपये हो जाये ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'युव-वाणी' कार्यक्रम के उद्घोषक

4177. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में 'युव-वाणी' कार्यक्रम के विद्यार्थी उद्घोषकों के स्थान पर दिल्ली बी० के नियमित उद्घोषकों को रख दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन विद्यार्थी उद्घोषकों की सेवाओं का उपयोग नही करने का क्या कारण है ; और

(ग) इस व्यवस्था से सरकार द्वारा कितनी धनराशि की बचत करने का अनुमान है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, नहीं। दिल्ली "युव वाणी" कार्यक्रम में विद्यार्थियों तथा दिल्ली केन्द्र के उद्घोषकों दोनों का ही उपयोग किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Radio Stations for Rajasthan

4178. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up 28 additional Radio Stations during the Fourth Plan ;

(b) if so, whether it is proposed to set up a Radio Station in Rajasthan also ; and

(c) if so, the location thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Proposals for setting up new Radio Stations at 38 places have been included in the Fourth Five Year Plan;

(b) Yes, Sir.

(c) Suratgarh.

अनाज सुखाने का यन्त्र

4179. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि बम्बई की एक फर्म ने एक नवीनतम अमरीकी नमूने के आधार पर अनाज सुखाने के एक यन्त्र का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस यंत्र की कार्य-प्रणाली तथा उपयोगिता का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस मशीन की कार्य प्रणाली तथा उपयोगिता का अभी मूल्यांकन किया जाना है । प्राथमिक निरीक्षण के आधार पर इस अनाज को सुखाने के यंत्र का एक विशेष लाभ यह है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया सकता है । अन्य अनाज सुखाने वाले यन्त्रों की तुलना में इसके कार्य निस्पादन का अनुमान इसके पूर्ण परीक्षण के बाद ही लगाया जा सकता है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों में व्याप्त निराशा

4180. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों में उस संस्थान में विद्यमान कार्य की स्थिति के कारण भारी निराशा फैली हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां की समस्या का अध्ययन किया है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारत के वैज्ञानिक कार्यकर्त्ताओं की संस्था के तत्वावधान में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में कार्य कर रहे कुछ वैज्ञानिकों की एक बैठक हाल ही में संस्थान के अडीटोरियम

में हुई थी और इस बैठक में परिषद और संस्थान के कार्य से सम्बन्धित कुछ शिकायतों की चर्चा की गई। परन्तु उनके बारे में परिषद या सरकार को सरकारी तौर पर सूचित नहीं किया गया। इस विषय में केवल प्रेस को सूचित नहीं किया गया था और परिषद् ने उस रिपोर्ट की एक प्रति निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से प्राप्त की है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ऐसी बैठक हुई थी।

(ख) और (ग). इस तथ्य के बाये में कि कृषि वैज्ञानिकें में कुछ निराशा फैली हुई है; इसकी सरकार को काफी समय से जानकारी है। देश में कृषि वैज्ञानिकों के साहस को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार द्वारा विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में उठाए गए कुछ कदम संलग्न अनुबन्ध में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4076/70]

पंजाब तथा हरयाना में वर्षा से क्षतिग्रस्त गेहूँ का क्रय

4181. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में पंजाब और हरियाना में वर्षा के कारण खराब हुई गेहूं खरीदा है ;

(ख) यदि हां, तो उन दोनों राज्यों में अब तक कितनी मात्रा में ऐसी गेहूँ खरीदी गई है ; और

(ग) सरकार का उक्त गेहूं का किस प्रकार प्रयोग करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 18-8-70 तक 1,12,507 मीटरी टन पंजाब में और 48,301 मीटरी टन हरियाणा में।

(ग) इस गेहूं को अच्छे गेहूं के साथ आटा मिलों को दिया जा रहा है।

गुजरात मंडल के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को सवैतनिक अवकास 1 अक्तूबर 1969 को कार्य करने के कारण प्रेतिकर देना

4182. **श्री द० रा० परमार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी शताब्दी की पूर्व संन्ध्या के अवसर पर डाक तथा तार विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों में 1 अक्तूबर, 1969 को सवैतनिक अवकास घोषित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अहमदाबाद के पोस्ट मास्टर जनरल ने इन आदेशों की उपेक्षा की थी और गुजरात मंडल के सभी प्रशासनिक कार्यालयों को खोले रखा था ;

(ग) यदि हां, तो उन आदेशों की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या डाक निरीक्षक एसोसिएशन ने अपने सदस्यों द्वारा 1 अक्तूबर,1969 को कार्य किये जाने के कारण उन्हें प्रतिकर देने के बारे में अभ्यावेदन दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या 1 अक्तूबर, 1969 को कार्य पर और कर्मचारियों को प्रतिकर दिया गया या नहीं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) जी हां । 26 जनवरी, 1969 का दिन रविवार का दिन था, इसलिए डाक-तार विभाग के प्रशासनिक कार्यालयों में इस दिन के बदले में यह दिवस राष्ट्रीय छुट्टी का दिवस घोषित किया गया था ।

(ख) और (ग). गुजरात सर्कल में डाक-तार प्रशासनिक कार्यालय इस दिन खुले हुए थे । ऐसा इस कारण हुआ था क्योंकि कार्यालय बन्द रखने के आदेशों को समय पर जारी नहीं किया जा सका और कि पोस्टमास्टर जनरल अहमदाबाद के पास ये आदेश 29-9-1969 को मिले थे और सितम्बर, 1969 के अन्तिम दिनों में साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण कर्फ्यू लगे होने के परिणामस्वरूप कार्यालय या तो थोड़े समय के लिए ही खुले थे या बन्द रहे थे ।

(घ) जी हां ।

(ङ) कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों को बदले में छुट्टी नहीं दी गई थी क्योंकि 1 अक्तूबर, 1969 को कर्फ्यू लगे होने और असामान्य परिस्थितियों में गलतफहमी के कारण उपस्थिति बहुत कम थी । फिर भी, उन कर्मचारियों को छुट्टी का मुआवजा देने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

अहमदाबाद के हैड मास्टर द्वारा अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को "अनुपस्थित" मानना

4183. **श्री द० रा० परमार** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद के हैड पोस्टमास्टर ने अनुसूचित जाति के अधिकांश कर्मचारियों को भेदभावपूर्ण ढंग से "अनुपस्थित" माना है हालांकि उन कर्मचारियों ने अपने अवकाश के समर्थन में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्यभारी हैड पोस्टमास्टर द्वारा इस अवधि को देय अवकाश की अवधि स्वीकार करने की कार्यवाही को स्थायी हैड पोस्ट मास्टर ने चुनौती दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) जी नहीं । अनुपस्थिति की अवधि के दौरान कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाणपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण या उनके एकदम अनुपस्थित होने के कारण उन्हें "अनुपस्थित" माना गया है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति सहकारी गृह निर्माण समिति नई दिल्ली को प्लाटों का आवंटन

4184. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कालकाजी, नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में 55 बड़े आकार के आवासीय प्लाट एक पंजीकृत संगठन को अर्थात पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति सहकारी गृह निर्माण समिति (दिल्ली) को आवंटित करने तथा उक्त कालोनी में दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों, जिनको अभी तक मकान नहीं मिले हैं, को फ्लैटों का आवंटन करने के लिये बहु-मंजिले भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस योजना को किस प्रकार से कार्यान्वित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) नई दिल्ली में कालका जी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित व्यक्ति सहकारी गृह-निर्माण समिति (दिल्ली) द्वारा सामूहिक आवास के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों को आवंटित भूमि के किराये में कमी करने का पिछली प्रशासन का प्रस्ताव

4185. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने पिछली संघ राज्य क्षेत्र में पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापितों को उनके पुनर्वास के लिए आवंटित भूमि के किराये में कमी करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने प्रस्ताव किया है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को पट्टे पर दी गई भूमि को "फ्री होल्ड" भूमि माना जाये ; और

(ग) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं तथा उनके बारे में सरकार ने क्या-क्या निर्णय किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रथम पाँच वर्षों के लिये प्रति सौ वर्ग गज पट्टे की वार्षिक दर कम करके एक रुपया की जानी चाहिए और, उसके उपरान्त, प्लाटों को "फ्री होल्ड" माना जाना चाहिए। विभाग ने वर्तमान पट्टे की शर्तों में कोई तब्दीली स्वीकार नहीं की है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में भूमि का प्रीमियम किस्तों में भुगतान करने पर ब्याज की वसूली को स्थगित करना

4186. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कालकाजी नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के अलाटियों से भूमि का प्रीमियम किस्तों में भुगतान करने पर, ब्याज की वसूली को विशेष मामलों के रूप में तब तक स्थगित करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है जब तक कि वे सारी किस्तों का भुगतान नहीं कर देते ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख). नई दिल्ली में कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में प्लाटों के अलाटियों को प्रिमियम और उस पर लगे ब्याज के भुगतान के लिये वही सामान्य शर्तें दी गई हैं जो कि सभी विस्थापित व्यक्तियों पर लागू हैं। ऐसी कोई विशेष परिस्थतियां नहीं हैं जिन के फलस्वरूप सामान्य शर्तों में अन्तर किया जाये।

कालकाजी, नई दिल्ली में स्थित पूर्वी पाकिस्तान विस्थापितों की बस्ती के आबंटियों से भूमि के किराये की बसूली स्थगित करना

4187. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार नई दिल्ली में कालकाजी के समीप स्थित पूर्वी पाकिस्तानीं विस्थापितों की बस्ती के आवंटियों से, मल-व्यवस्था बड़ी मात्रा में जल पूर्ति तथा अन्य सम्बन्धित व्यवस्थाओं सहित समस्त विकास कार्य की पूर्ति करने तक भूमि के किराये की वसूली स्थगित करने की वाँछनीयता पर विचार कर रही है क्यों कि उनको आवंटित भूमि को अभी पूरी तरह विकसित किया जाना है तथा उसे मकानों के निर्माण तथा आवास के योग्य बनाया जाना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख). कालोनी में विकास कार्य प्रायः पहले ही पूर्ण हो चुका है। दिल्ली नगर निगम उन अलाटियों की योजनाओं को पास कर रहा है जो कि अपने मकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना चाहते हैं। वास्तव में 100 मकान पहले ही निर्माणाधीन हैं। पर्याप्त पानी की सप्लाई और मल-निकासी की नालियों को मुख्य नालियों के साथ जोड़ने की व्यवस्थाओं के शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना है। घरेलू प्रयोजनों के लिये बिजली पहले ही उपलब्ध है और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था का प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है।

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, अलाटियों से भूमि के किराये की वसूली को स्थगित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महिसिल गवर्नमेंट, कालोनी, आसनसोल में एक डाक-घर खोला जाना

4188. **श्री देवेन सेन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि महिसिल गवर्नमेंट कालोनी, आसनसोल पश्चिम बंगाल में, एक उपडाकघर खोलने का प्रस्ताव 7 वर्ष पूर्व किया गया था तथा इस समय उस क्षेत्र की जनसंख्या 20,000 से अधिक है फिर भी उक्त प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थानीय जनता द्वारा एक पूर्ण डाक-घर खोले जाने की मांग के बारे में आसनसोल डिवीजन के डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). आसनसोल की महीसिल गवर्नमेंट कालोनी में डाकघर खोलने की मांग पहली बार वर्ष 1963 में प्राप्त हुई थी। गत वर्षों में समय-समय पर इस प्रस्ताव की जांच की गई थी, परन्तु ऐसा पाया गया कि डाकघर खोलना मौजूदा नियमों के अनुसार उचित नहीं ठहरता, क्योंकि इसके कारण होने वाला घाटा, घाटे की स्वीकृत सीमा से अधिक होता था। फिर भी, पोस्ट-मास्टर जनरल, कलकत्ता इस प्रस्ताव की पुनः जांच कर रहे हैं। प्रस्तावित डाकघर का खोला जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि विभाग द्वारा निर्धारित मानक पूरे उतरते हैं या नहीं।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि महीसिला में एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर पहले से ही काम कर रहा है। यह डाकघर महीसिल गवर्नमेंट कालोनी से लगभग एक मील की दूरी पर है। अब इस कालोनी में दैनिक रूप से महीसिला अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर से डाक सेवा प्रदान की जा रही है।

अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस द्वारा स्थायी समिति की सिफारिशों का अस्वीकार किया जाना

4189. **श्री वेंकटस्वामी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने, जिसने स्थाई श्रम समिति की हाल की बैठक का वहिष्कार किया था, औद्योगिक विवाद के न्याय निर्वाचन तथा प्रतिनिधि संघों को मान्यता देने के लिए औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित करने की समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में कोई भी औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सोयाबीन के तेल तथा तोरिये का आयात

4190. **श्री नारायणन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1970 में 20,000 मीट्रिक टन सोयाबीन के तेल का आयात करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तरल तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसके अतिरिक्त कनाडा से 25,000 मीट्रिक टन तोरिये का आयात कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सोयाबीन के तेल के आयात की जरूरत खाद्य तेलों के मूल्यों में हो रही वृद्धि के कारण उत्पन्न हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सोयाबीन के तेल के आयात से देश में खाद्य तेलों के मूल्यों को किस सीमा तक स्थिर किया जा सका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) संयुक्त राज्य प्राधिकारियों ने हाल ही में पी० एल० 480 के अधीन 20,000 मी० टन सोयाबीन तेल के आयात के लिए क्रय-प्राधिकरण जारी किया था जो कि जुलाई, 1970-जून, 1971 में 135,000 मी० टन सप्लाई करने हेतु पहले किये गये हमारे अनुरोध के प्रति अग्रिम रूप में है ।

(ख) जी हां ।

(ग) देशी सप्लाई की कमी को पूरा करने और वनस्पति के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए आयात की व्यवस्था की गई थी ।

(घ) जबकि यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है कि ऐसे आयातों से किस हद तक मूल्य में स्थिरता प्राप्त हुई है, खाद्य तेलों की बढ़ी उपलब्धि और आयातित तेलों के कम मूल्य का बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रक प्रभाव पड़ता है ।

पंचायत राज के बारे में शैक्षिक विशेषज्ञों का मैसूर में सम्मेलन

4191. **श्री नारायणन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायत राज के बारे में शैक्षिक विशेषज्ञों का एक सम्मेलन जून, 1970 में मैसूर में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख). अखिल भारतीय पंचायत परिषद की विषय-निर्वाचन समिति तथा समाज विज्ञान अनुसंधान की भारतीय परिषद ने विश्वविद्यालयों की सहायता से पंचायती राज सम्बन्धी अनुसंधान का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए 5 से 7 जून, 1970 तक एक सम्मेलन आयोजित किया था । कार्य-सूची निम्न प्रकार थी :

(1) विविध विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के माध्यम से पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित एक समन्वित अल्प-कालीन तथा दीर्घ-कालीन अनुसंधान कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना ।

(2) अनुसंधान परियोजनाओं के समन्वय, मार्गदर्शन तथा चालन के लिए एक समन्वय समिति गठित करना, ताकि वह समय पर उनके प्रभावी समापन में योग दे सके ।

(3) समन्वय समिति की संरचना ।

(4) प्रतिनिधियों की सामान्य सहमति से कोई दूसरे सम्बद्ध विषय ।

कार्य-सूची की मद संख्या 4 के अन्तर्गत मैसूर सम्मेलन ने ग्रामीण कार्य में विश्वविद्यालयों को सम्मिलित करने के प्रश्न पर चर्चा की थी । आम राय यह थी कि हमारे विश्वविद्यालय अधिक ग्रामीण अनुस्थापित होने चाहिए तथा ग्रामीण जीवन में अधिक सन्निहित होने चाहिए । श्री एस० के० दे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पंचायत परिषद को सम्मेलन में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस मामले को शिक्षा मंत्री तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के साथ अनुशीलन करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ।

बारानी खेती के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4192. **श्री नारायणन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों में बारानी खेती के लिए जोर दिया है ;

(ख) क्या हरियाणा सरकार ने बारानी खेती की एक योजना तैयार कर ली है ;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों ने भी ऐसी ही कोई योजना तैयार कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार इन राज्यों को किस प्रकार की सहायता देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने अपनी योजनाएं 1970-71 में बनाई हैं।

(घ) यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, अतः तकनीकी मार्गदर्शन के अतिरिक्त, योजना की सारी लागत, जो दीर्घकालीन ऋण और अनुदान के रूप में है (सिवाय अल्प कालीन ऋणों के जिसे संस्थानीय संसाधनों से पूरा किया जायेगा) भारत सरकार वहन करेगी ।

बीज प्रबन्ध के बारे में अखिल भारतीय सम्मेलन

4193. **श्री नारायणन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त 1970 में नई दिल्ली में बीज प्रबन्ध के बारे में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया था तथा क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में देश में एक गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योग की स्थापना का सुझाव दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय यूनिसेफ और अन्य संस्थाओं के सहयोग से 27 जुलाई से 31 जुलाई, 1970 तक की अवधि में एक बीज प्रबन्ध विचार गोष्ठी का आयोजना किया था ।

(ख) चर्चित विषय और मुख्य सिफारिशें संलग्न हैं । ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4077/70]

(ग) और (घ). देश के गैर-सरकारी क्षेत्र में बीज उद्योग पहले ही मौजूद है । परन्तु विचार गोष्ठी में सिफारिश की गई है कि अच्छे बीजों की उन्नत किस्मों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों का पूर्ण रूप से विकास किया जाना चाहिए । भारत सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है ।

फिल्म परिषद की स्थापना

4194. **डा० सुशीला नैयर** :
श्री रा० बरुआ :
श्री सीता राम केसरी :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच देश में एक फिल्म परिषद की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां,तो यह परिषद कब तक स्थापित हो जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस परिषद के सदस्य कौन-कौन होंगे ;

(घ) इस परिषद पर प्रति वर्ष कितना व्यय किये जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजरत्न) : (क) से (घ). फिल्म परिषद की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

बिहार सर्किल में टेलीग्राफ इंजीनियरिंग कर्मचारियों की संख्या और उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था

4195. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर, धनवाद, रांची, गया, हजारीबाग, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, मोतीहरी, बट्प्पा-पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, देवधर, आरा तथा बोकारो स्टील सिटी में कुल कितने टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) इन स्थानों पर टेलीग्राफ इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सुविधा के लिए डाक तथा तार विभाग ने कुल कितने विभागीय केन्टीन/खान-पान कक्ष खोल रखे हैं ;

(ग) क्या जमशेदपुर, रांची, धनबाद, मुजफ्फरपुर और गया में विभागीय केन्टीन/खान-पान कक्ष के लिए स्थान उपलब्ध है ; और

(घ) सरकार का उपर्युक्त स्थानों पर इन कर्मचारियों के लिए उनके दिन-रात चलने वाले कठिन काम को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तार इन्जीनियरी कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

जमशेदपुर	209
धनबाद	184
रांची	497
गया	218
हजारीबाग	44
मुजफ्फरपुर	268
छपरा	55
दरभंगा	103
मोतीहारी	31
बेटिया	22
पूर्णिया	14
कटिहार	85
भागलपुर	101
देवघर	37
आरा	34
बोकारो स्टील सिटी	23

(ख) (1) मुजफ्फरपुर और बेटिया में खान-पान कक्ष खोले गये ।

(2) धनवाद में कर्मचारियों के प्रबन्ध में केन्टीन खोली गई ।

(ग) जमशेदपुर, रांची और मुजफ्फरपुर में कैंटीन/खान-पान कक्ष के लिए स्थान उपलब्ध है।

(घ) इन्जीनियरी यूनिटों या अन्य शाखाओं के कर्मचारियों के साथ सम्मिलित ऐसे खान-पान कक्ष खोलने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

कोयला खान संगठन के चिकित्सा अस्पताल झूमरी तलैया के डाक-तार कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधायें

4196. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झूमरी तलैया स्थित सरकारी अस्पताल में रोगी को अस्पताल में रखकर इलाज करने की सुविधा न होने के कारण झुमरी तलैया स्थित डाक-तार कर्मचारियों को अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या कोयला खान संगठन द्वारा संचालित चिकित्सा अस्पताल के लिए प्राधिकारी डाक-तार कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का इलाज करने से इन्कार करते हैं ;

(ग) क्या डाक-तार कर्मचारी सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा उपचार नियमों के अधीन इलाज कराने तथा चिकित्सा व्यय वापिस पाने के पात्र हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार न्याय तथा मानवता के नाम पर कोयला खान संगठन के चिकित्सा अस्पताल में डाक-तार कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का इलाज कराने हेतु कार्यवाही करने का है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) करमा केन्द्रीय अस्पताल के संबंध में यह सूचना मिली है कि श्रम और नियोजन मंत्रालय के नियंत्रण में अभ्रक खान-मजदूरों के लिए एक दूसरा संगठन उसका संचालन करता है । डाक-तार कर्मचारियों को चिकित्सा से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता । अस्पताल के अधिकारी भुगतान करने पर दूसरों को भी ये सुविधायें प्रदान कर सकते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अस्पताल के अधिकारी जिन शर्तों के अधीन ये चिकित्सा सुविधायें डाक-तार कर्मचारियों को भी देने को तैयार होंगे, उनके ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है ।

बरमो के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारिमों की फुसरो मेडिकल अस्पताल में चिकित्सा

4197. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 30 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8094 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा

करेंगे कि बेरमो स्थित डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा के लिए कोयला खान संघ के फुसरो मेडिकल अस्पताल को मान्यता देने के बारे में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : बिहार के स्वास्थ्य सेवा निदेशक के साथ इस अस्पताल को मान्यता देने का प्रश्न उठाया गया था, लेकिन अभी इस मामले में उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। आगे मामले की पैरवी की जा रही है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा वर्ष 1969 तथा 1970 में दूध की सप्लाई में किये गये विलम्ब के मामले

4198. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना राजधानी में उपभोक्ताओं को समय पर दूध सप्लाई करने में कई बार असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में ऐसा कितनी बार हुआ है ;

(ग) गत वर्ष इसी अवधि में हुए ऐसे मामलों के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं और गत वर्ष ऐसे कुल कितने मामले हुए ; और

(घ) ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) कभी-कभी दूध की गाड़ियों के खराब होने के सिवाय, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के डिपुओं पर प्रायः समय पर दूध पहुंचाया जाता है।

(ख) और (ग). हाल ही में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्थिति में सुधार के लिए यथा शीघ्र कदम उठाये जा रहे हैं।

(घ) इनमें से अधिकांश मामलों में दूध की गाड़ियों के खराब होने के कारण देरी हुई है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की 35 नई गाड़ियों के लिए आदेश दिये गये हैं। इन गाड़ियों के प्राप्त होने पर स्थिति में सुधार हो जायेगा उनमें से 6 गाड़ियां प्राप्त हो चुकी हैं।

फसलों पर कीटाणु नाशक दवाइयां छिड़कने के लिए हैलीकाप्टर रखने वाले राज्य

4199. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके पास फसलों पर कीटाणुनाशक दवाइयां छिड़कने के लिए हैलीकाप्टर हैं ;

(ख) उनके पास कितने हैलीकाप्टर हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए शेष राज्यों को हैलीकाप्टर देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने का विचार है तथा अब तक यह कितना उपयोगी सिद्ध हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). अभी तक ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसके पास फसलों पर कीटाणु-नाशक दवाइयां छिड़कने के लिए हैलिकाप्टर हों ।

(ग) सातवें ऐक्सिम बैंक ऋण के अधीन पंजाब स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फैडरेशन और ऐग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन तमिलनाडु को दो-दो हैलिकाप्टरों का नियतन किया गया है ; यहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध हैं, उन्हें फसलों पर कीटाणुनाशक दवाइयों को छिड़कने के लिए हैलिकाप्टर खरीदने के हेतु विदेशी मुद्रा दिये जाने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि पंजाब व तमिलनाडु दोनों राज्यों की सरकारों को अभी हैलिकाप्टर प्राप्त करने हैं, अतएव उनकी उपयुक्तता बताने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी, दवाइयां छिड़कने का उपक्रम, चाहे वे हैलीकाप्टरों द्वारा किया गया हो अथवा वायुयानों द्वारा किया गया हो, उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि इनसे फसलों की उपज बहुत बढ़ गई है ।

ढोरों की नस्ल तथा चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्विटजरलैंड के साथ करार

4200. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ढोरों की नस्ल तथा चारे का उत्पादन बढ़ाने में निरन्तर तकनीकी सहयोग के लिए भारत और स्विटजरलैंड के किसी करार पर इस बीच हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सबके लिए दूध सुनिश्चित करने हेतु देश भर में ढोरों की नस्ल सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इस परियोजना में ये सम्मिलित हैं : (i) 62.5 प्रतिशत विदेशी वंश से एक नई जाति के पशुओं का विकास, (ii) चारा उत्पादन में सुधार तथा वृद्धि विशेषतया ऊंचे स्थानों के चारागाहों में और (iii) विस्तार योजनाओं के माध्यम से बड़े क्षेत्र में परियोजना में विकसित हुए अनुभवों तथा पद्धतियों का प्रयोग ।

इस परियोजना का कार्य-संचालन एक संयुक्त संस्थान के रूप में भारत सरकार तथा स्विटजरलैंड की सरकार द्वारा किया जायेगा । स्विटजरलैंड की सरकार ने इस परियोजना में में कार्य करने वाले अधिकारियों के विशेष परिशिक्षण के लिए स्विस विशेषज्ञों तथा छात्रवृत्तियों के साथ-साथ 40 लाख स्विस फ्रांक देना स्वीकार कर लिया गया है ।

यह करार 31 मार्च, 1970 तक लागू रहेगा ।

(ग) केन्द्रीय राज्य सरकारें दुग्ध उत्पादन के लिए गायों तथा भैंसों के सुधार के लिए बहुत ध्यान दे रही हैं । पशुओं की किस्म में तेजी से सुधार लाने और उनके दूध देने की क्षमता

को सुधारने के लिए देश में पशु प्रजनन नीति में संशोधन किया गया है। बड़ी संख्या में साड़ों तथा विदेशी नस्लों के पशुओं के जमे हुए वीर्य को, विशेषतः सघन पशु विकास परियोजना तथा डेरी परियोजनाओं से सम्बद्ध प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत, बड़े पैमाने पर संकर प्रजनन कार्य के लिए आयात किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के उद्देश्य को लेकर तैयार की गई कुछ महत्वपूर्ण पशु विकास योजनायें निम्नलिखित है :

1. प्रमुख ग्रामीण योजना।
2. सघन पशु विकास योजना।
3. शहरी तथा उप नगरीय क्षेत्रों में कृतिम वीर्याधान केन्द्रों की स्थापना।
4. पशु प्रजनन तथा सांड पालन फार्मों की स्थापना।
5. बछड़ा पालन योजना।
6. प्रजनन परीक्षण योजना।
7. विदेशी जीवाणु प्लाज्म से संकर प्रजनन योजना।
8. चारा दाना योजना।
9. राज्य पशुधन फर्मों को सुदृढ़ करना और विस्तार करना।
10. पशु खल तथा दुग्ध उत्पादन प्रतियोगितायें।
11. गोशाला विकास योजना।
12. रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

कार्मिक संघ के प्रतिनिधि ढांचे के बारे में स्थाई श्रम समिति का सुझाव

4201. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थाई श्रम समिति जिसकी कि हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई थी, ने यह सुझाव दिया है कि कार्मिक संघ के प्रतिनिधि ढांचे का निर्णय गुप्त मतदान के माध्यम से सदस्यता के सत्यापन द्वारा किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी संजीवैया) : (क) और (ख). स्थायी श्रम समिति के 23-24 जुलाई, 1970 के हुए 29 वें अधिवेशन के निष्कर्षों के रिकार्ड का मसौदा उन सबको, जिन्होंने बैठक में भाग लिया, भेज दिया गया है और हमेशा की तरह उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने पर ही उसे अग्रिम रूप दिया जायेगा। तथापि, बैठक में मतैक्य सामान्यतः मान्यता का दावा करने वाली यूनियनों के प्रतिनिधित्व-स्वरूप निर्धारित करने के लिए चन्दा देने वाले सदस्यों के सत्यापन के पक्ष में था। सरकार नें इस मामले में अभी निर्णय लेना है।

रामपुरा, दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना का एक दुग्ध डिपो खोला जाना

4202. **श्री क० लकप्पा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामपुरा, दिल्ली-35 और, और इसके आस-पास की कालोनियों में दिल्ली दुग्ध योजना का कोई दुग्ध डिपो नहीं है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में निवासी दूध-विक्रेताओं को दूध की अपनी आवश्यकता के लिए अधिक मूल्य दे रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उस क्षेत्र में जिसकी आबादी 5,000 हैं, दिल्ली दुग्ध योजना का दुग्ध डिपो न खोले जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना का दुग्ध-डिपो वहां कब तक खोला जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) रामपुरा में दिल्ली दुग्ध योजना का कोई दुग्ध डिपो नहीं है, परन्तु रामपुरा के पास ओंकारनगर में डिपो संख्या 809 स्थित है ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना की तुलना में गैर-सरकारी बिक्रेता अधिक दर लेते हैं ।

(ग) दूध डिपो सं० 809 क्षेत्र में संतोषजनक रूप में कार्य कर रहा है । इस डिपो से लगभग 560 बोतलें सप्लाई होती हैं जिससे इस समय एक नया डिपो खोलना न्यायसंगत नहीं है ।

(घ) इस क्षेत्र में एक नया डिपो खोलने के बारे में उस समय विचार किया जायेगा जब डिपो सं० 809 से बिक्री 700 बोतलों से बढ़ जायेगी ।

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में प्लाटों के प्रार्थियों से जमीन किराये और प्रीमियम के रूप में वसूली की गई धनराशि

4203. **श्री बे० क० दासचौधरी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में प्लाटों के प्रार्थियों से प्रीमियम और जमीन किराये के रूप में, अलग-अलग कितनी धन-राशि वसूल की गई ;

(ख) क्या धन के जमाकर्त्ताओं को ब्याज दिया जायेगा क्योंकि मल निकासी और जल-प्रदाय आदि की व्यवस्था न होने के कारण यह कालोनी अविकसित और अपूर्ण है और इसी कारण वे व्यक्ति इन प्लाटों का उपयोग नहीं कर सकते ; और

(ग) क्या ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जहां इन प्लाटों का अभी तक कागजी हस्तान्तरण नहीं किया गया ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है, और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) यह सत्य नहीं है कि अपूर्ण-विकास के कारण प्लाटों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो अलाटी मकानों का निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं उनकी योजनायें नगर निगम द्वारा पास की जा रही है। वास्तव में, 100 मकान पहले ही निर्माणाधीन हैं। पर्याप्त जल-प्रदाय और मल निकासी की नालियों को मुख्य नालियों के साथ मिलाने की व्यवस्थायें शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना है। घरेलू प्रयोजनों के लिए बिजली भी उपलब्ध है। अलाटियों को कालोनी में अपने मकानों का निर्माण शुरू करने में कोई कठिनाई नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जमाकर्त्ताओं को ब्याज देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) दूसरी किस्त का भुगतान करने वाले 304 अलाटियों में से 58 मामलों में कागजी हस्तान्तिरण कर दिया गया है। शेष मामलों में कागजी हस्तानान्तरण प्रावस्था भाजित रीति से किया जा रहा है।

कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

4204. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली, नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी कालकाजी नई दिल्ली, को क्रमशः पानी तथा बिजली की सप्लाई करने तथा परिणामी व्यय-वहन करने के लिए सहमत नहीं हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैय्या) : (क) और (ख). कालोनी में घरेलू प्रयोजनों के लिए बिजली की सप्लाई पहले ही उपलब्ध है। कालोनी में पर्याप्त जल सप्लाई की व्यवस्था कार्य पहले ही दिल्ली नगर निगम ने हाथ में लिया हुआ है। तथापि किसी भी विशेष क्षेत्र में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था निगम द्वारा तभी की जाती है जबकि वहां 50 प्रतिशत मकानों का निर्माण हो जाय। अलाटियों के साथ हुए करारों के अनुसार, मई 1971 के अन्त तक 50 प्रतिशत मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इस बीच में, यह प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है कि बस्ती में सड़कों पर रोशनी की उत्तम व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है ;

कालकाजी कालोनी नई दिल्ली में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

4205. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास विभाग का पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी कालकाजी नई दिल्ली, में नालियां बिछाने, पीने का पानी सप्लाई करने, सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करने सम्बन्धी नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिए अन्तिम तारीख नियत करने और इस सब सुविधाओं पर आने वाले खर्च का तब तक सहन करने का है जब तक ये सुविधायें पूरी नहीं हो जाती ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : दिल्ली नगर निगम द्वारा पर्याप्त पानी

की सप्लाई की व्यवस्था तथा मल नालियों के जोड़ने के विषय में सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए निगम को धन-राशि पहले दी जा चुकी है। तथापि, किसी भी विशेष क्षेत्र में, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था निगम द्वारा तभी की जाती है जबकि वहां 50 प्रतिशत मकानों का निर्माण हो जाय। अलाटियों के साथ हुए करारों के अनुसार, मई, 1971 के अन्त तक 50 प्रतिशत मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इस बीच में, यह प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है कि बस्ती में सड़कों पर रोशनी की उत्तम व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है उपरोक्त परिस्थितियों में, विभाग के लिए कोई ऐसी अन्तिम तारीख निश्चित करना संभव नहीं है जिससे पूर्व ये बिभिन्न सेवायें प्रदान की जा सके।

अपनी किश्तें जमा करने के बारे में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की कालोनी के अलाटियों को जारी किये गये नोटिस

4206. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में अलाटियों को कुछ मामलों में एक सप्ताह के भीतर अपनी किश्तें जमा करने के बारे में नोटिस जारी किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इतनी थोड़ी अवधि के कारण अलाटियों को परेशानी हो रही है ;

(ग) क्या ऐसा पुनर्वास विभाग में कागजों पर ठीक कार्यवाही न करने और अलाटियों को नोटिश भेजने में विलम्ब करने के कारण होता है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सही मामलों में बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिये किश्त जमा करने की अवधि को बढ़ाने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). जिन अलाटियों ने प्लाटों की अलाटमेंट के उपरान्त बार-बार स्मरण-पत्र भेजने और समय में वृद्धि करने पर भी प्रथम किश्त जमा नहीं की है उन्हें अन्तिम अवसर दिया गया है कि वे दो सप्ताह के अन्तर्गत अपनी किश्तों का भुगतान कर दें अन्यथा प्लाटों की अलाटमेंट रद्द कर दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) करारों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के अतिरिक्त, समय में वृद्धि करने के लिए लाचारी के वास्तविक मामलों पर पुनर्वास विभाग द्वारा सदैव सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में प्लाटों के आवंटन में परिवर्तन

4207. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की

कालोनी में आवंटन तथा अलाटियों द्वारा किश्तों की अदायगी किये जाने के पश्चात् भी विभाग द्वारा प्लाटों के आकार तथा स्थान/स्थिति में एक तरफा (बिना परामर्श के) परिवर्तन किया जा रहा है ;

(ख) पुनर्वास विभाग द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों/कागजातों के आधार पर अलाटियों द्वारा दिल्ली नगर निगम अपना प्लान मंजूर करा लिये जाने के पश्चात् तथा पुनर्वास विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने और रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकरण करा लिये जाने के पश्चात् भी प्लाटों की वास्तविक संख्या तथा उनकी स्थिति और आकारों में परिवर्तन होता रहता है ; और

(ग) यदि हां, तो पुनर्वास विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) सड़कों की सीध में तब्दीली होने तथा अन्य तकनीकी कारणों के फलस्वरूप कालोनी में लगभग 35 प्लाटों के क्षेत्र/क्षेत्रफल में हुई है।

(ख) और (ग). जी, नही। एक मामले को छोड़कर, अलाटियों द्वारा नगर निगम से मंजूरी प्राप्त करने के उपरांत इस प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं। उस एक मामले में भी जो क्षेत्र कम किया गया था उसे फिर से दे दिय गया है।

बाजरे के प्रति हैक्टर उपज में वृद्धि करने के लिए उपाय

4208. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजरे की प्रति हैक्टर उपज 1964-65 में 380 किलोग्राम थी जो 1968-69 में कम होकर 315 किलोग्राम रह गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या बाजरे की प्रति हैक्टर उपज में वृद्धि करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) वर्षा सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थितियों और अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अलावा निम्न अन्य घटक उत्तरदायी हैं :

(1) अर्गोट रोग की ग्रहणशीलता (2) संकर बीज का तुलनात्मक रूप से अधिक मूल्य (3) मूंगफली से, जिसके अधिक मूल्य मिलते हैं, प्रतियोगिता तथा (4) पैकेज पद्धतियों को और विशेषकर उर्वरकों आदि का संतुलित प्रयोग, पूरी तरह से न अपनाया जाना।

(ग) अधिक उपज से वाजरे को विकसित करने के लिए अनुसंधान को बढ़ाने, विस्तार, शिक्षा और कृषक प्रशिक्षण के अलावा अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

अधिक उत्पादन किस्मों के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाना, बहु-फसल, सिंचाई, विशेषकर

भूमिगत जल संसाधनों का सघन विकास, बीज, उर्वरक, कीटों और रोगों से रोकथाम तथा पौध संरक्षा के लिए सुसंगठित कार्य तथा सांस्थानिक ऋणों की व्यवस्था को बढ़ाना आदि ।

दिल्ली में विस्थापित तथा शरणार्थियों की कालोनियां

4209. **श्री रा० वें० नायक** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में पुनर्वास विभाग द्वारा प्रायोजित विस्थापित व्यक्तियों/शरणार्थियों की भिन्न-भिन्न कितनी कालोनियां हैं और उन कालोनियों का कुल क्षेत्रफल कितना है ; और

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक कालोनी से जमीन किराये के रूप में कुल कितना धन एकत्र किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) एक सूची, जिसमें शरणार्थी बस्तियों के क्षेत्रफल सहित उनके नाम दिये गये हैं, संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—4078**]

(ख) पुनर्वास बस्तियों में जब तक पट्टेदार को पट्टे के कागजात जारी नहीं किये जाते, पट्टे की राशि की वसूली के लिए प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त, देहली, उत्तरदायी है । पट्टे के कागजात जारी करने के उपरान्त, पट्टे की राशि की वसूली स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा की जाती है । 1-4-1967 से 31-3-1970 तक की अवधि के अन्तर्गत, इन सभी बस्तियों में प्रादेशिक बंदोबस्त आयुक्त, देहली द्वारा 5.55 लाख रुपये पट्टे की राशि के वसूल किये गये हैं । बस्ती-वार वसूलियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । उन सम्पत्तियों के बारे में, जिनके पट्टे की राशि की वसूली भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा की जा रही है । जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा संभव समय में सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

दिनांक 13-8-1967 के प्रेस नोट के अनुसार कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को प्लाटों का आवंटन

4210. **श्री रा० वें० नायक** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की कालोनी कालकाजी, नई दिल्ली में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को प्लाटों के आवंटन के लिए 13 अगस्त, 1967 के प्रैस नोट के उत्तर में कितने आवेदन प्राप्त हुए ;

(ख) प्रेस नोट के अनुसार भूमि प्रीमियम तथा भूमि किराये (अलग-अलग बताया जाये) के रूप में अब तक कितनी राशि एकत्र की गई हैं ;

(ग) लाटरी की तारीख से लाटरी में निकाले गये विभिन्न प्लाट कितने हैं ; और

(घ) मकानों के निर्माण की लाटरी के पश्चात् अलाटियों को वास्तव में कितने प्लाट दिये गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 752 ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) 21 सितम्बर, 1969 को जो लाटरी निकाली गई थी उसमें विभिन्न श्रेणियों के जो प्लाट निकाले गये थे, वे निम्न लिखित थे :

(i)	320 वर्ग गज के—	57
(ii)	233 वर्ग गज के—	74
(iii)	160 वर्ग गज के—	337

(घ) 304 अलाटियों में से, जिन्होंने द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया है, 58 मामलों में प्लाट हस्तान्तरित कर दिये गये हैं । शेष मामलों में हस्तान्तरण प्रावस्था भाजित रीति से किये जा रहा है ।

नई दिल्ली में कालकाजी स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में जल की सप्लाई

4211. **श्री रा० वें० नायक** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में साफ किये हुए तथा साफ न किये हुए जल की नियमित सप्लाई की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या उक्त कालोनी में सड़क की रोशनी तथा सीवर डालने सम्बन्धी व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अलाटियों की उक्त सेवाएं कब तक उपलब्ध की जायेंगी और क्या, जैसा कि प्रैस नोट में कहा गया है, विभाग तब तक केवल भूमि का किराया वसूल करेगा जब तक विकास की आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था न की जाय ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) कालोनी में 1½" व्यास की स्वच्छ पीने के पानी की नाली उपलब्ध है । एक नल-कूप खोदा जा चुका है और अन्य की निकट भविष्य में खोदे जाने की सम्भावना है । कालोनी में सभी अलाटियों को मकान बनाने के प्रयोजनों के लिए बिना साफ किया पानी दिया जा रहा है । कालोनी में, विशेष प्रबन्ध कर के, पीने के प्रयोजनों के लिए शुद्ध पानी दिया जा रहा है ।

(ख) कालोनी में सड़कों पर सभी लाइनों में बिजली चालू कर दी गई है । तथापि, दिल्ली नगर निगम द्वारा सड़कों पर रोशनी तभी दी जायेगी जबकि कालोनी में 50% मकानों

का निर्माण हो जायगा। कालोनी में मलनिकासी की व्यवस्था भी पूर्ण कर दी गई है। उसे निगम द्वारा मुख्य मल-नाली से मिलाना अभी बाकी है। इसके लिए कार्य चालू है।

(ग) कालोनी में विकास कार्य प्रायः पहले ही पूर्ण हो चुका है। नगर निगम उन अलाटियों के नक्शों को पास कर रहा है जो कि निर्माण कार्य चालू करना चाहते हैं। वास्तव में 100 मकान पहले ही निर्माणाधीन हैं। इसलिए अलाटियों से भूमि के किराये की वसूली को स्थगित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औसत भारतीय को प्रामाणिक पोषक-आहार की आवश्यकता

4212. **श्री दे० अमात** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक औसत भारतीय (एक) वयस्क और (दो) बालक के लिए केलोरीज आदि प्रमाणिक पौष्टिक आहार की कितनी आवश्यकता है और कितनी प्रतिशत जनसंख्या को इससे अधिक अथवा कम पौष्टिक आहार उपलब्ध है ;

(ख) वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में तत्सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ कार्य होने की सम्भावना है और यह कार्य किस सीमा तक होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने कैलारी, प्रोटीन और खाद्य पदार्थ की मात्रा के हिसाब से भारतीय वयस्कों, मनुष्यों, स्त्रियों तथा विभिन्न ग्रुप के बच्चों के लिए संतुलित आहार हेतु आवश्यक पौष्टिक तत्वों की दैनिक मात्रा का हिसाव लगाया है (अनुबन्ध में दिया गया ब्यौरा संलग्न है)। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०— 4079/70] भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा निर्धारित आहार के मानक से ऊपर और नीचे जो जनसंख्या आती है उसकी प्रतिशतता के संबंध में कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, देश के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये आकस्मिक आहार सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या निर्धारित आहार की व्यवस्था नहीं कर सकती।

(ख) और (ग). चौथी योजना में समन्वित पोषाहार कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सामान्य कार्यक्रम में सभी प्रयत्नों के आधार के रूप में पशुपालन तथा मछली पालन के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के विस्तार करने तथा जनसंख्या के कमजोर वर्गों जिनमें स्कूल में न जाने वाले बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चे तथा गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाएं आती हैं की कुपोषण सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए एक विशिष्ट परियोजना की परिकल्पना की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम के आधार पर यह आशा की जाती है कि चौथी योजना के अन्त तक कैलारी तथा प्रोटीन की उपलब्धि में मौजूदा स्तर से वृद्धि हो जायेगी।

सहकारी क्षेत्र में मिलें खोलने के लिए लाइसेंस देना तथा गन्ना पेरने के लिए अन्य कार्यवाहियां करना

4213. **श्री दे० अमात** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण चीनी मिल समूचे गन्ने का क्रय करने में असमर्थ है तथा बहुत बड़ी मात्रा में गन्ने की फसलें खेतों में खड़ी रहती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों ने सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलें लगाने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिये हैं ; और

(ग) अब तक ऐसे आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या सरकार का विचार खेतों में शेष गन्ने की फसल की समस्या सुधारने के लिए कुछ अन्य उपाय करने का भी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) गुड़ और खण्डसारी के कम मूल्य के कारण गन्ने के गुड़ तथा खंडसारी के बनाने में प्रयुक्त न होकर चीनी बनाने में प्रयुक्त होने के कारण इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में चीनी कारखानों के लिए गन्ने की उपलब्धि बहुत अधिक रही है । लगभग सभी राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के उपाय किए थे कि चीनी कारखाने अपने-अपने क्षेत्रों में सारा उपलब्ध गन्ना पेर दें । इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के बहुत से चीनी कारखानों को न केवल जुलाई में बल्कि अगस्त में भी कार्य करना पड़ा था । तब भी, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गन्ने की कुछ फसल खेतों में खड़ी थी ।

(ख) और (ग). जी हां । पिछले दो वर्षों में सहकारी क्षेत्र में 36 चीनी कारखाने स्थापित करने हेतु आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

उपलब्ध गन्ने की पिराई की समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन कर पर छूट प्रदान की गई है ।

(2) उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने भी गन्ना खरीद कर में छूट प्रदान की है ।

(3) राज्य सरकारों ने अधिक से अधिक गुड़ तथा खंडसारी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया है ।

(4) केन्द्रीय सरकार ने गुड़ के वायदा व्यापार पर से प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये थे ।

तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 'अपना टेलीफोन लगाओ' योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदन-पत्र

4214. **श्री दे० अमात** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 'अपना टेलीफोन लगाओ' योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ;

(ख) ये आवेदन-पत्र कितनी अवधि से लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों पर कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना है और कार्य को शीघ्र करने के लिए इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1-8-1970 को 569

(ख) सबसे पुराना आवेदन-पत्र जुलाई, 1969 से लम्बित पड़ा है।

(ग) जिन एक्सचेंजों के लिए मांग लम्बित पड़ी है, उनमें अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की जा रही है। केवल तिरुपुर के 22 कनेक्शनों को छोड़कर, जो भूमिगत केबल उपलब्ध न होने के कारण तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है, इस समय प्रतीक्षा सूची में अन्य सभी आवेदकों को अप्रैल, 1971 तक कनेक्शन दे दिए जाने की सम्भावना है।

27-7-70 को बन्द कर दिये गये कटक और सम्बलपुर के आकाशवाणी केन्द्र

4215. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैजिस्ट्रेट और पुलिस ने कटक तथा सम्बलपुर स्थित प्रसार केन्द्रों के प्राधिकारियों को 27 जुलाई, 1970 को इन केन्द्रों को बन्द करने की सलाह दी थी ;

(ख) क्या उस दिन प्रसार केन्द्रों को कुछ क्षति हुई थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) कटक केन्द्र के प्रसारण 27 जुलाई, 1970 को मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन स्थगित करना पड़ा था। तथापि, सम्बलपुर से प्रसारण उत्तेजित भीड़ की हिंसा के कारण स्थगित किया गया था।

(ख) जी, हां। आकाशवाणी के सम्बलपुर केन्द्र को कुछ क्षति हुई थी।

(ग) पूरी जांच की जा रही है।

चीनी का उत्पादन बढ़ाने की मांग

4216. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी कारखाना मालिकों ने अपनी उत्पादन क्षमता 1964 में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मानक विशेष विवरणों से अधिक बढ़ाने के बारे में भारी मांग की है ;

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर हां में है तो सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति चीनी कारखानों के लिये मानक विशेष विवरणों का पुनरीक्षण कब तक करेगी ; और

(ग) इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां। कुछ कारखानों ने 1964 में निर्धारित की गई निर्दिष्टियों के आधार पर

स्थापित किये गए नये यूनिटों द्वारा प्राप्त किये जा सकने वाले स्तर से भी अधिक क्षमता को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) और (ग). कुछ उपकरणों के तकनीक तथ्य डिजाइन खाकों में अब तक हुए विकास को दृष्टि में रखते हुए 1964 के प्रारम्भ में चीनी संयंत्रों के लिए तैयार की गई मानक निर्दिष्टियों की समीक्षा हेतु जुलाई, 1970 में एक 17 सदस्यीय तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी जिसमें चीनी उद्योग तथा चीनी मिल मशीनरी निर्माताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति से 6 महीने के अन्दर अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

विदेशी प्रसारण सेवा अनुभागों में रिक्त पद

4217. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशियाई तथा इन्डोनेशियाई प्रसारण सेवाओं के प्रमुख के पद का कार्यभार सम्भालने के लिए आकाशवाणी को कोई क्षेत्र अथवा भाषा विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने में समर्थ हुई है ; और

(ख) विदेशी प्रसारण सेवा अनुभागों में पदों को भरने में बिलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इन्डोनेशियाई एकक के लिए एक सुपरवाइजर की नियुक्ति कर दी गई है, परन्तु मलेशियाई एकक के लिए नहीं।

(ख) योग्य व्यक्ति का उपलब्ध न होना। उपयुक्त व्यक्ति को भर्ती करने की कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी

4218. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) देश में बेरोजगारी तथा आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के तत्सम्बन्धी आंकड़े अलग-अलग क्या हैं ;

(ख) कितने इंजीनियर, डाक्टर अध्यापक तथा अन्य कुशल श्रमिक अभी भी बेरोजगार हैं ; और

(ग) सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या का पता लगाने के लिए गत 20 वर्षों में अब तक कोई सर्वेक्षण क्यों नहीं किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). बेरोजगारी सम्बन्धी विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में, वर्तमान और भावी बेरोजगारी का अनुमान लगाना संभव नहीं

है। उपलब्ध जानकारी केवल नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या से सम्बन्धित है जिसे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़ों में कमी लाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्न करती रही है। इस ध्येय को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने अगस्त, 1968 में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति प्रोफेसर दांतवाला की अध्यक्षता में नियुक्त की थी। इस समिति ने बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकड़ों को इकट्ठा करने की पद्धति में सुधार के लिए कई सुझाव दिये हैं। विशेषज्ञों की यह रिपोर्ट योजना आयोग के विचाराधीन है।

विवरण

नौकरी चाहने वालों का वर्गीकरण	नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या जैसे कि 31-12-1969 को थी।
1. योग	34,23,885
2. मद एक में सम्मिलित इन्जीनियर	
(I) पोस्टग्रेजुएट समेत इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट	13,101
(II) इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी	44,733
3. मद एक में सम्मिलित पोस्टग्रेजुएट समेत मैडिकल ग्रेजुएट	1,597
4. मद एक में सम्मिलित अध्यापक	1,65,640
5. मद एक में सम्मिलित दस्तकार और उत्पादन कार्य में लगे लोग	2,30,048

दिल्ली के चिड़िया घर का कार्य तथा प्रसार

4219. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चिड़ियाघर का कुल व्यय कितना है ;

(ख) गत एक वर्ष में इस चिड़ियाघर में जो नये जानवर तथा पक्षी आए हैं, उनके नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है और उन पर कितना धन व्यय किया गया है ;

(ग) गत एक वर्ष में लापरवाही तथा अन्य कारणों से कितने जानवर तथा पक्षी मरे हैं ; और

(घ) इस चिड़ियाघर का और अधिक विस्तार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) 1969-70 तक दिल्ली के चिड़ियाघर का कुल व्यय 180.00 लाख रुपये है।

(ख) अगस्त, 1969 से जुलाई, 1970 के दौरान, चिड़ियाघर में आये नये जानवरों तथा पक्षियों का एवं उनकी लागत का ब्यौरा संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-4080/70]

(ग) गत एक वर्ष (1-8-69 से 31-7-70) के दौरान बुढ़ापा तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से 95 जानवर तथा 177 पक्षियों की मृत्यु हुई, लेकिन लापरवाही के कारण कोई नहीं मरा ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली चिड़ियाघर के अधिक विस्तार के लिए 25.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

'गाडगिल आश्वासनों' के अन्तर्गत दिल्ली में शरणार्थियों के लिए वैकल्पिक आवास

4220. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जो शरणार्थी 'गाडगिल आश्वासनों' के अन्तर्गत आये हैं और जिन्हें वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया है, उनकी संख्या क्या है ;

(ख) इन शरणार्थियों का पुनर्वास करने और उन्हें वैकल्पिक आवास देने के लिए सरकार की योजना क्या है ; और

(ग) दिल्ली में इन शरणार्थियों के पुनर्वास पर अगले दो वर्षों में सरकार कितनी राशि खर्च करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी सम्बन्धित प्राधिकरणों से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

उत्पादन तथा वितरण अनुभाग में दोष होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा

4221. **श्री नन्द कुमार सोभानी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य अधिकांश सरकारी उपक्रमों की भांति दिल्ली दुग्ध योजना भी लगभग घाटे में चल रही है तथा इसके उत्पादन तथा वितरण अनुभागों में दोष उत्पन्न हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके कार्य की जांच की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना को अपनी स्थापना की अवधि सन् 1959-60 से वर्ष 1968-69 तक कुल 417.68 लाख रुपये की हानि हुई है। वर्ष 1969-70 के परीक्षित लेखे अभी तक संकलित नहीं किये गये हैं किन्तु 1969-70 की अवधि में योजना को लाभ की आशा है, गत वर्षों में उठाई गई हानि के मुख्य कारण निम्न हैं :—

(1) दूध के अधिप्राप्ति मूल्यों में क्रमिक वृद्धि ;

(2) उत्पादन लागत से कम स्तर पर विक्रय मूल्य का निर्धारण ;

(3) अधिप्राप्ति मूल्यों तथा विक्रय मूल्य के संशोधन में समय का अन्तर।

(4) स्टोर की लागत में सामान्य वृद्धि।

दूध के समय पर उत्पादन तथा वितरण में भी संचलनात्मक कठिनाइयां रही हैं।

(ख) दूध की आपूर्ति को नियमित रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिल्ली दुग्ध योजना की कार्य प्रणाली को अक्सर दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबन्ध समिति तथा शासी निकाय द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है।

Recruitment of farm Radio Officers

4222. **Shri Atam Das** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Union Public Service Commission had invited applications vide advertisement No. 917 for making selections for the posts of 14 Farm Radio Officers for the rural programme of the A. I. R, out of which two posts were reserved for the Scheduled Castes and one for the Scheduled Tribes ;

(b) the number of candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who sent in their applications for the aforesaid posts ; and

(c) the number of persons selected out of them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) 29 Scheduled Castes candidates and 5 Scheduled Tribes candidates.

(c) None.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों पर खर्च की राशि की अधिकतम सीमा में छूट के लिए तमिलनाडु सरकार का अनुरोध

4223. **डा० रानेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रति श्रमिक पर 450 रुपये के खर्च की प्रस्तावित अधिकतम सीमा में छूट दे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). कर्मचारी राज्य बीमा निगम आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। बकाया दायित्व तथा अन्य अनिवार्य खर्च

की पूर्ति के उद्देश्य से इसने यह निर्णय किया है कि पहली अप्रैल 1970 से चिकित्सा लाभ पर होने वाले खर्च की सीमा, राज्य सरकारों के हिस्से समेत 50 रुपये प्रति श्रमिक प्रतिवर्ष होनी चाहिए। तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों ने इस सीमा का विरोध किया है। 1970-71 वर्ष में प्राप्त अनुभव के आधार पर निगम इस मामले का पुनरीक्षण करेगा।

उड़ीसा के कोरापुट तथा भोलंगीर जिलों के लिए एक पृथक पोस्टल डिवीजन की मांग

4224. **श्री एस० कुण्डू : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय लोगों और संसद सदस्यों ने उड़ीसा के कोरापुट तथा भोलंगीर जिलों के लिए एक अलग पोस्टल डिवीजन की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक पृथक पोस्टल डिविजन बनाने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) डाक डिवीजनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार कोरापुट और बोलंगीर जिलों के लिए अलग डाक डिवीजनों के निर्माण का औचित्य नहीं है।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन

4225. **श्री एस० कुन्डू : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माण मजदूरों, कपड़ा, इन्जीनियरिंग तथा रेलवे और खानों में आकस्मिक मजदूरों के बारे में राज्य सरकारों के परामर्श से न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन करने के लिए हाल ही में कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल, आसाम और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा प्रमाणित न्यूनतम मजूरी क्या क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 में अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजूरी की दरों के निर्धारण/संशोधन की व्यवस्था है। किसी विशेष रोजगार के लिये अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) अधिनियम के अन्तर्गत जैसे ही न्यूनतम मजूरी-दरें निर्धारित/संशोधित की जाती

है, उनको राज्य सरकार के राजपत्रों में प्रकाशित कर दिया जाता है। भिन्न-भिन्न रोजगारों, और कभी कभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, मजूरी की दरें भिन्न-भिन्न होती हैं।

तारों के शीघ्र भेजे जाने और वितरण किये जाने के लिये कार्यवाही

4226. **श्री स० कुन्दू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तारों के वितरण में विलम्ब के बारे में बहुत सी शिकायतें की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है जिससे तार दिये जाने के पश्चात तीन घन्टे के अन्दर ही पाने वाले को मिल जायें ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जी हां, तारों के देरी से पहुंचने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तारों के परिषण और वितरण में देरी कम से कम हो, इस विषय में दूसरे उपायों के अतिरिक्त जो भी कदम उठाए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं :

(i) तारघरों का कार्य समय बढ़ाना।

(ii) रिपरफोरेटरों तथा स्वचल ट्रांसमीटरों सहित तेज गति वाली कार्य-प्रणाली चालू करना।

(iii) खुली तार वाली मुख्य लाइनों के स्थान पर सहधुरीय केबिल तथा सूक्ष्मतरंग प्रणाली का प्रयोग।

(iv) जिन इलाकों में तारों की चोरी आमतौर पर होती रहती है वहां तांबे के तार के स्थान पर तांबे के वेल्ड और एल्यूमोनियम कंडक्टरों का इस्तेमाल।

(v) पारगमन में देरी से बचने के लिए बड़े-बड़े नगरों में टेलेक्स सेवा और कई सीधे विकास मार्गों की व्यवस्था।

(vi) पारगमन परियात पर क्रम संख्या डालना समाप्त करना और परिषण के पश्चात् तारीख मोहर लगाना।

(vii) क्षेत्रीय वितरण कार्यालय खोल कर वितरण का विकेन्द्रीकरण तथा स्कूटर वितरण चालू करना।

(viii) तारों के वितरण में नियमित रूप से परीक्षण जांच का चालू किया जाना और वितरण स्टाफ के कार्य की देखभाल के लिए विशेष निरीक्षकों की नियुक्ति।

कलकत्ते में टेलीफोन व्यवस्था के प्रायः खराब रहने के बारे में कलकत्ते के वाणिज्य मंडल का प्रस्ताव

4227. **श्री स० कुन्दू** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कलकत्ता के वाणिज्य-मण्डल ने अपने एक प्रस्ताव में यह कहा है कि कलकत्ते में टेलीफोन प्रायः खराब रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दोष को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली के कार्य का एक केन्द्रीय सेवा पर्यवेक्षण यूनिट के जरिये लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा है और पर्यवेक्षण के दौरान जिन खामियों का पता लगा है उनके संबंध में समुचित कार्रवाई की जा रही है ।

Complaint Regarding Telephone Service in Khandwa City by Nimad Chamber of Commerce

4228. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Nimad Chamber of Commerce Khandwa, Madhya Pradesh has adressed complaints regarding the mismanagement of Telephone Service in Khandwa city to the Government many a time ;

(b) if so, the action taken by Government so far to remove those complaints ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Special maintenance of lines and wires in Khandwa was carried out during February and March, 1970. Subscribers' fittings have also been made permanent. Refitting of some cable distribution points will be undertaken after the current Monsoon season. Cable laying work is in progress to reduce overhead alignment in congested areas in order to decrease the fault liability. Regional Director, Telecommunications, Bombay has been asked to ensure provision of stable communication on trunk route between Indore and Bombay.

(c) Does not arise.

Supply of Imported Tractors to Madhya Pradesh

4229. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that less number of imported tractors were supplied to Madhya Pradesh as compared to other States during the year 1969-70 ; and

(b) if so, the special reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. The allotment to Madhya Pradesh as also to other States was made after taking into consideration the relative demand of tractors of various States, acreage of high-yielding varities, area under multiple cropping, existing population of tractors in the States and past allocations.

(b) Does not arise.

Central Assistance for Construction of Pucca Roads in Madhya Pradesh

4230. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to provide financial assistance for the construction of pucca roads

between the villages and the market places where the farmers sell their agricultural produce; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Export of Rice Procured in Madhya Pradesh

4231. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether some good variety of rice produced in Madhya Pradesh is fit for export to the foreign countries ;

(b) if so, whether the aforesaid variety of rice has actually been exported so far and if so, the amount of foreign exchange earned therefrom ; and

(c) the action proposed to be taken to boost the production of the said variety of rice in Madhya Pradesh and its anticipated production during the year 1971 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) In international markets there has been demand so far only for superior Basmati rice from India and this variety of rice is mainly produced in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh.

(b) and (c). Do not arise.

Programme for Development of Small and Medium Scale Sugar Industries and Rice Mills in Co-operative Sector in Madhya Pradesh

4232. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have submitted any programme for the development of small scale and medium sugar factories, rice mills and other industries in the Co-operative sector there during 1970-71 and the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the details thereof and the industrial capacity to be set up in Co-operative sector industry-wise ; and

(c) the financial assistance, if any, asked for from the Centre for the above scheme and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Jagannath Pahadia) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Fourth Plan of Madhya Pradesh envisages the setting up of 18 cooperative agricultural processing units including one cooperative sugar factory. Details of these units are given in the Statement.

Assistance from the Central Government for cooperative agricultural processing units is provided through the National Cooperative Development Corporation, which releases assistance on the basis of Annual Plan proposals received from State Government. The Annual Plan 1970 71 of Madhya Pradesh envisages the setting up of 10 agricultural cooperative processing units, including two cotton ginning and pressing units, one oil mill, five dal mills and two other units. The total outlay on the units is estimated at Rs. 16.42 lakhs approximately. Depending upon the progress in implementation, the cooperative processing units will be eligible for assistance from the National Cooperative Development Corporation through the State Government in the normal course.

In addition to the schemes included in the State Plans, there is a Central Sector Scheme under which the National Cooperative Development Corporation provides loan assistance, outside the State Plan ceilings, upto 70% of the block capital of small units, each costing less than Rs. 10 lakhs, and upto 75% of the block capital of medium units, each costing Rs. 10 to Rs. 40 lakhs. Proposals under this Central Sector scheme have been received by the N. C. D. C. from the Registrar, Cooperative Societies, Madhya Pradesh, for 5 dal mills, one oil mill, two cotton ginning and pressing units and one other unit. The N.C.D.C. will consider these proposals after they are cleared by the State Cooperative Bank and the State Government.

STATEMENT

Programme of setting up of Cooperative Agricultural Processing Units in Madhya Pradesh.

Fourth Plan period 1969-74

Physical target		Capacity of each unit
Processing		
(i) Sugar factory	1	Crushing capacity 1250 tonnes per day.
(ii) Modern rice mills	2	1 tonne per hour
(iii) Cotton ginning and pressing units.	3	12 quintals per hour
(iv) Oilseed processing units.	2	2 to 3 quintals per hour.
(v) Dal mills.	10	7.5 quintals per hour.
Total :	18	

देश में पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित धन राशि

4233. **श्री अदिचम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनता की पोषण सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित धनराशि का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में वर्तमान कमी कितनी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं तथा क्या व्यवस्था की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना से यह विदित होता है कि फिलहाल कैलारी की औसत उपलब्धि लगभग 1960 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है जबकि आवश्यकता का कम से कम स्तर 2100 से 2300 कैलारी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसी प्रकार, जहां तक सब्जी और जान्तव प्रोटीन का संबंध है, उनकी उपलब्धि क्रमशः केवल 45 ग्राम और 5.2 ग्राम प्रति व्यक्ति है

जबकि कम से कम पोषण संबंधी लक्ष्य क्रमशः 55 ग्राम और 10 ग्राम है। समस्त जनसंख्या की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई वित्तीय अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) चौथी योजना में पोषण सम्बन्धी समाकलित कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें आम कार्यक्रम में सभी के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ-साथ कृषि-सुधार करने हेतु आधार के रूप में देश व्यापी प्रयास करने और जनसंख्या के कमजोर वर्गों जिनमें स्कूल न जाने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे और गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाएं शामिल हैं, के कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए विशिष्ट प्रायोजनाओं की व्यवस्था है। अतः यह ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है कि पोषण संबंधी सुधार हेतु चौथी योजना में कितना खर्च होगा। केवल पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए कुल 4,518 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। आशा की जाती है कि इन योजनाओं से चौथी योजना के अन्त तक कैलारी और प्रोटीन की उपलब्धि वर्तमान स्तर से बढ़ जाएगी।

नगरीय तथा ग्रामीण मजदूर

4234. **श्री अदिचन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967,1968 तथा 1969 में नगरों और गावों में मजदूरों की संख्या क्या थी ;

(ख) नगरों में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं ; और क्या यह मुख्यतः इस कारण से है कि गांवों में से मजदूर नगरों में चले आये हैं ; और

(ग) गावों में श्रमिक, वर्ग की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे ग्रामीण श्रमिकों को नगरों में आने से रोका जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) अपेक्षित अवधि के सम्बन्ध में नगरों और गांवों में मजदूरों की संख्या के बारे में वर्षवार सूचना उपलब्ध नहीं है। भारत के महापंजीयक की अध्यक्षता में गठित जनसंख्या प्रक्षेपण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 1966 और 1971 के सम्बन्ध में 15 से 59 वर्ष की आयु वाले श्रमिकों के प्राक्कलन निम्नलिखित हैं :

वर्ष	श्रमिकों की संख्या (लाखों में)		
	गावों में	नगरों में	योग
1966	1528	288	1816
1971	1691	343	2034

(ख) यह मानते हुए कि जन-संख्या में श्रमिकों का अनुपात वही रहता है, तो नगरों में जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि की पत्याशां की जाती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 18 वें दौरे (1963-64) से 21 वें दौरे (1966-67) के अनुसार नगरों की संख्या में मजदूरों की संख्या का लगभग वही अनुपात रहा।

A R. C. Recommendation for Semi-Autonomous Board for Information and Broadcasting

4235. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the recommendations made by the Administrative Reforms Commission in regard to constitution of a Semi-Autonomous Board for information and broadcasting Ministry ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The Administrative Reforms Commission has not made any recommendation on this subject.

(b) Does not arise.

चयन की गई कोलोनियों में खेतीहर भूमिहीन मजदूरों का बसाया जाना

4236. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 30 जुलाई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पुनर्वास के लिये कुछ चुनी हुई कालोनियों का इस बीच अध्ययन पूरा कर लिया है तथा आवश्यक कार्यवाही कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सब राज्यों में समान रूप में उक्त नीति के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी ।

अपनी बेदखली को रोकने के लिये मेहोबा के किसानों का प्रधान मन्त्री से मिलना

4237. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 30 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 741 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेहोबा के किसानों के प्रतिनिधि घायल महिलाओं सहित एक संसद सदस्य के नेतृत्व में 28 मई, 1970 तथा 22 जून, 1970 को प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें गरीब पट्टेदारों की बेदखली को रोकने की मांग की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) जी हां । विधान सभा के सदस्य के नेतृत्व में मेहोबा किसानों का एक

प्रतिनिधि मंडल 29 मई, 1970 को प्रधान मन्त्री से मिला। संसद सदस्य के नेतृत्व में किसानों का एक अन्य प्रतिनिधि मंडल भी 22 जून, 1970 को प्रधान मंत्री से मिला।

(ख) सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि से जिला करनाल में पट्टेदारों की बेदखली के विरोध के सम्बन्ध में पट्टेदार संघर्ष समिति, जिला करनाल ने अप्रैल, 1970 के अन्त में एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया। प्रधान मंत्री सचिवालय ने हरियाणा सरकार से मामले के तथ्यों का पता लगाया तथा मालूम हुआ है कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इस तथ्य के कारण तथा ऐसे मामलों के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम होने के कारण, इन दोनों ज्ञापनों पर कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई थी।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को उद्योगों में बसाने के उद्देश्य से हांगकांग के नमूने का अध्ययन

4238. **श्री समर गुह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हांगकांग सरकार की पुनर्वास परियोजनाओं का अध्ययन कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेषज्ञों और संसद सदस्यों से गठित एक दल को हांगकांग के औद्योगिक पुनर्वास के उपायों के अध्ययन के लिए वहां भेजने का विचार है, ताकि उनमें से कुछ उपायों को पश्चिमी बंगाल तथा देश के अन्य भागों में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को उद्योगों में बसाने के लिए अपनाये जा सके ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) भारत सरकार के पुनर्वास विभाग ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव. विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना के केन्द्रों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताएं

4239. **श्री जगेश्वर यादव** :

श्री क० लकप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की समय-समय पर जांच पड़ताल की गई है और यदि हां, तो 1969-70 में कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी तथा उनके द्वारा की गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि दुग्ध केन्द्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का निकट की कैंटीनों से सम्पर्क होता है और वे उनको ऊंची दरों पर दूध बेच देते हैं तथा कार्ड-धारियों से कह देते हैं कि दूध की सप्लाई आज कम हुई है अतः इससे दूध की कमी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दूध की बोतलें देते समय यह बहाना करके कि रेजगारी नहीं है ग्राहकों को एक या दो पैसे कभी नहीं लौटाये जाते ; और

(घ) अनियमितताओं के इन मामलों की जांच करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां। सन् 1969-70 की अवधि में दूध की बोतलों की सीलें बदलने तथा टोकन-धारकों को दूध न देने आदि की गंभीर अनियमितताओं के कारण 50 डिपो एजेन्टों को निकाल दिया गया।

(ख) कभी-कभी दूध के अनधिकृत विक्रय तथा टोकन-धारकों को दूध न मिलने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

(ग) छोटी रेजगारी वापिस न करने के बारे में शिकायतें भी कभी-कभी मिलती हैं।

(घ) इन शिकायतों की शीघ्र ही जांच पड़ताल की जाती है और जो कि ऐसी अनियमिततायें करने वाले एजेन्टों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है।

Public Call Officers in Rural Areas of U. P. under IV Plan

4240. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal for opening Public Call Offices in rural areas of Uttar Pradesh during the current five year plan ; and

(b) if so, the number and names of villages District-wise where Public Call Officers will be opened ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) As per list attached. [*Placed in Library. See* No. LT—4081/70].

Foodgrains Donated by Foreign Countries

4241. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state, whether some foreign countries have given foodgrains to India in the form of donation during 1969-70, if so, the names thereof and the names of the said foodgrains along with the quantity and cost of each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : The following quantities of wheat only were received in 1969-70 from the under-mentioned countries under the Food Aid Convention of the International Grains Arrangement :—

Country	Quantity (in 000 tonnes)	Value (Rs. in lakhs)
Australia	70.0	261.1
Canada	533.3*	2791.2
Denmark	20.3	96.6
Federal Republic of Germany	63.4	277.6
European Economic Community	79.9	381.3
U. K.	5.8**	22.9

*179000 tonnes were received in advance January to March, 1969.

**This was the remnant of the Aid given in 1968-69.

मक्का के प्रति हैक्टर उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

4242. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों में मक्का तथा ज्वार के प्रति हैक्टर उत्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन फसलों के प्रति हैक्टर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्षा सम्बन्धी प्रतिकूल परिस्थितियों तथा अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अलावा निम्नलिखित अन्य घटक उत्तरदायी हैं :—

(1) कीड़ों तथा रोगों की अरोधता (2) खेती में भारी विनियोजन तथा दूषित कृषि सम्बन्धी पद्धतियां (3) नकदी की फसलों से प्रतियोगिता (4) मक्का की शीघ्र पनपने वाली किस्म का अभाव (5) पैकेज पद्धतियों का, विशेष कर उर्वरकों आदि का संतुलित प्रयोग, पूरी तरह से न अपनाया जाना ।

(ग) अनुसंधान को बढ़ाने, विस्तार, शिक्षा और कृषक प्रशिक्षण के अलावा अन्य उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाना, बहु-फसल, सिंचाई विशेषकर भूमिगत जल संसाधनों का सघन विकास, बीज, उर्वरक, कीड़ों और रोगों से रोकथाम तथा पौद संरक्षण के लिए सुसंगठित कार्य, संस्थानात्मक ऋणों की व्यवस्था को बढ़ाना आदि ।

कर्मचारी भविष्य निधि में काम करने वाले कर्मचारियों की मांगें

4243. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों की कुछ मांगें बहुत समय से अनिर्णीत पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है और भारत सरकार से उसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) से (ग). जून, 1969 में, अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी महासंघ ने केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष को एक मांग-पत्र भेजा है। महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने महासंघ से मांगों के सम्बन्ध में ऐसा संक्षिप्त ज्ञापन भेजने के लिए कहा जिसमें प्रत्येक मांग के मुख्य आधार दिये गये हों। महासंघ से अपेक्षित ज्ञापनों की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ के समानान्तर यूनियनों और संघों को मान्यता

4244. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन यूनियनों और संघों को, जो 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ के समानान्तर गठित की गई थी और जिन्हें मान्यता भी दे दी गई थी डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी यूनियनों और संघों को मान्यता देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कर्मचारी संगठनों ने ऐसी अनुचित श्रम प्रथाओं का विरोध किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं। फिर भी मान्यता प्राप्त नई यूनियनों/संघों की सदस्यता के सत्यापन का प्रश्न पहले ही श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय को भेज दिया गया है। जब गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण सितम्बर, 1968 में राष्ट्रीय डाक-तार कर्मचारी महासंघ और उससे सम्बद्ध यूनियनों की मान्यता समाप्त कर दी गई तो ऐसी नई यूनियनों/संघों को जिन्हें कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था मान्यता देना इसलिए जरूरी हो गया कि उनके माध्यम से कर्मचारियों की वाजिब शिकायतें दूर की जा सकें।

शिक्षाप्रद चलचित्रों के निर्माण के लिए वित्त

4245. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय कमी के कारण कभी-कभी निर्माता शिक्षाप्रद अच्छे चलचित्रों का निर्माण नहीं कर पाते ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें वित्तीय सहायता देने की कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता देने की योजना बनाई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). फिल्मों के कलात्मक स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से फिल्मों के निर्माण के लिए आर्थिक तथा अन्य सुविधायें देने के लिए सरकार ने मार्च, 1960 में फिल्म वित्त निगम लि०, बम्बई की स्थापना की थी। निगम की नीति कम खर्चे वाली आफ-बीट ऐसी फिल्मों के लिए ऋण देने की है, जो विशुद्ध व्यापारिक उद्देश्य से दूर हो, भारत की परम्परागत संस्कृति तथा आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती हों और दर्शकों के अन्दर जीवन संचार करती हों। ऐसी फिल्मों को, जो स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करती हों, यथार्थवादी हों और जिनके विषय राष्ट्रीय समस्याओं पर आधारित हों, प्राथमिकता दी जाती है।

त्रिपुरा को खाद्य पदार्थों की सहायता

4246. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष, 1970 के पहले सात महीनों में त्रिपुरा प्रशासन ने चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्य पदार्थों के रूप में खाद्य की कितनी मात्रा की सहायता मांगी, और इस अवधि में उस राज्य को ऐसी कितनी सहायता मंजूर की गई तथा वास्तव में सप्लाई की गई ;

(ख) वास्तविक सप्लाई आवश्यकता से कितनी कम थी और ऐसी कम सप्लाई के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कम सप्लाई के कारण चावलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है ; और इस वर्ष त्रिपुरा में इन पदार्थों का अधिकतम फुटकर मूल्य कितना था तथा गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (ग). क्योंकि त्रिपुरा प्रशासन द्वारा खाद्यान्नों के लिए कोई नियमित मासिक मांग नहीं की जाती है, चालू वर्ष के पहले सात महीनों में त्रिपुरा प्रशासन द्वारा मांगी गई किसी भी मात्रा के सम्बन्ध में बता पाना सम्भव नही है।

इस अवधि में केन्द्रीय भंडार से त्रिपुरा प्रशासन को 18,000 मी० टन चावल आवंटित

किया गया था जिसमें से वास्तव में सप्लाई की गई मात्रा 9,400 मी० टन थी। त्रिपुरा प्रशासन को कोई गेहूं सप्लाई नहीं किया गया था क्योंकि उनके पास पहले से ही गेहूं का पर्याप्त स्टाक मौजूद था। अन्य खाद्यान्नों की सप्लाई भी नहीं की गई थी।

किसी राज्य को केन्द्रीय भंडार से वास्तव में सप्लाई की गई मात्रा, उसकी आवंटित मात्रा से कम होना लाजमी सा है क्योंकि आवंटित मात्रा को वितरण स्थान पर भेजने, स्टाकों का निरीक्षण करने तथा वास्तव में उन्हें भेजने की व्यवस्था करने में समय लग जाता है।

पिछले तीन वर्षों में चल रहे मूल्यों की अपेक्षा इस वर्ष त्रिपुरा में खुले बाजारों में मूल्य पर्याप्त कम रहे हैं। चालू वर्ष के पहले सात महीनों में खुले बाजारों में चावल के अधिक से अधिक मूल्य पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस प्रकार थे :

वर्ष	मूल्य रुपये में प्रति क्विंटल की दर से
1970	155.62
1969	188.57
1968	226.13
1967	179.17

त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

4247. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से हजारों शरणार्थी प्रति मास त्रिपुरा में आ रहे हैं ; और यदि हां, तो इस वर्ष जनवरी से लेकर उस राज्य में कुल कितने शरणार्थी आ चुके हैं ;

(ख) इस समय त्रिपुरा में पारगमन शिविर में कुल कितने शरणार्थी हैं ;

(ग) वहां से उनमें कितने शरणार्थियों को बसाने तथा पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों को ले जाया जायेगा तथा उनमें से कितनों को स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाये जाने का विचार है ; और इससे उस राज्य की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय की जनसंख्या की तुलना में कितनी बढ़ जायेगी ; और

(घ) इसी अनुपात से उस राज्य के संसाधनों को बढ़ाने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) 1-1-1970 से 22-7-1970 तक पूर्वी पाकिस्तान से 3,347 व्यक्ति त्रिपुरा में आये थे।

(ख) 14-8-70 को त्रिपुरा के पबियाचेरा, अमतली तथा अरुनधुतिनगर शिविरों में 4,394 व्यक्ति रह रहे थे।

(ग) पूर्वी पाकिस्तान से जो प्रवासी त्रिपुरा में आते हैं और राज्य सरकार से राहत तथा पुनर्वास सहायता मांगते हैं, उन्हें अरूनधुतिनगर स्वागत केन्द्र/पबियाचेरा आवाजाही शिविर में अस्थाई आवास दिया जाता है। उन्हें बाद में रायपुर में माना समूह के आवाजाही केन्द्रों में भेजा जाता है जहां से उन्हें स्थाई पुनर्व्यवस्थापन के लिए भेजा जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए, त्रिपुरा इत्यादि में उनके स्थाई पुनर्व्यवस्थापन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Smuggled Goods sold by Consumer Cooperative Stores

4248. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the quantity of the smuggled goods such as watches, cloth, typewriters, cameras etc., seized by the Central Custom Department, that was said by the Consumer Cooperative Stores, to their members ; and,

(b) the terms on which the said goods were purchased from the Central Custom Department and the procedure followed in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagannath Pahadia) : (a) Confiscated consumer goods worth Rs. 3,37,47,890.52 have been made available by the Customs/Excise authorities, since January, 1968, for sale through consumer cooperative stores all over the country.

(b) Confiscated consumer goods (excluding perishables) are purchased by the National Cooperative Consumers' Federation, a federal body of the consumer cooperative stores in the country, and, by the Central Government Employees' Consumer Cooperative Society Ltd., New Delhi, from the Custom/Excise authorities at prices fixed for retail sale by those authorities. A commission of 25% and 10% is allowed by Custom/Excise authorities, on prices fixed by them, to the NCCF and the Central Government Employees' Consumer Cooperative Society, respectively. The NCCF distributes these goods in all the States and Union Territories, through the State Cooperative Consumers Federations and wholesale consumer cooperative stores, who undertake retail sales through their branches and affiliated primaries. A commission of 15% is generally allowed to the wholesale stores and the balance of 10% is shared between the NCCF and the State Federation. The Central Government Employees' Consumer Cooperative Society, which arranges sales through its retail stores in Delhi, retains the commission of 10%.

प्रचार रूपक लिखने के लिए कार्य पर लगाये गये पत्रकार

4249. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के माध्यम से प्रचार रूपक लिखने के लिए प्रसिद्ध पत्रकारों को कार्य पर लगाने की एक वार्षिक व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त राशि के अधिकांश भाग का उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्दी में कितने मूल लेख प्रकाशित किये गये हैं तथा कितने अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों और प्रसिद्ध लेखकों से लेख लिखवाने के लिए तथा फोटोग्राफ खरीदने के लिए पत्र सूचना कार्यालय के 1970-71 वर्ष के बजट में 10,000/-रुपये की व्यवस्था है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 1 अप्रैल, 1970 से 14 अगस्त, 1970 तक की अवधि के दौरान हिन्दी में रिलीज किये गये मूल लेखों की संख्या 8 है। इसी अवधि के दौरान अंग्रेजी में रिलीज किये गये तथा हिन्दी समेत सभी भाषाओं में अनुदित लेखों की संख्या 27 है।

Trunk Call Bills in respect of Telephones at Central Minister's Residences

4250. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 659 on the 26th February, 1970 regarding trunk call Bills in respect of telephones at Central Ministers' residences and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor and when the said information is likely to be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (c). The requisite information is still awaited from some of the Ministries/Departments concerned. As soon as the information is complete the same will be laid on the Table of the Lok Sabha.

Total Number of Telegraph Offices and Facility of Sending Telegrams in Hindi therefrom

4251. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Telegraph offices functioning in the country at present ;

(b) the number of those Telegraph Offices among them from where telegrams can be sent in Hindi ;

(c) the number of those Telegraph Offices among them where facilities for sending telegrams in Hindi have not been provided so far ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to provide such facilities in those Telegraph offices where arrangements for sending telegrams in Hindi do not exist at present ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The total number of Telegraph offices working in the country as on 15-6-70 is 10873.

(b) and (c). Information is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha.

(d) Expansion of Devnagari telegraph service depends on the pace of training of telegraph operations. There are 13 training classes throughout the country for training telegraph personnel for transmission of Indian Language telegrams in Devnagari script. In order to encourage operators to learn Devnagari telegraphy the following incentives have been provided :

1. One advance increment is granted on their qualifying in Hindi Morse.
2. another advance increment is given on their qualifying in Hindi teleprinter ; and
3. a lump sum of Rs. 200 is given to those operators in U.P. and M.P. who qualify in Devnagari telegraphy on their own initiative and expense without availing of the training facilities provided at the Departmental training classes.

Assessment of Properties Left behind by East Pakistan Refugees and Muslim Migrants from Eastern India to Pakistan

4252. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government have made an assessment of the value of the property left behind by about 50 lakh refugees who came to India from East Pakistan ;

(b) whether Government have also made an assessment of the value of the property left behind by the Muslims who have gone Pakistan from Eastern India ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, whether Government propose to do so now ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (d). Under the Nehru—Liaquat Pact of April, 1950, the migrants from East Pakistan retain their proprietary rights in the properties left behind by them in that country and they can sell, exchange or dispose of their property. It is neither possible nor practicable to assess the value of the property left behind by the migrants from East Pakistan or that of the Muslims who have gone to Pakistan. In the circumstances, Government does not propose to undertake an assessment of the value of these properties.

प्रस्तावित अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर के हिमालय सीमा पर कार्यक्रम

4253. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 4 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2751 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर हिमालय सीमा के पार कार्यक्रम प्रेषित करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर वित्तीय खर्च के साथ साथ इनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं, कलकत्ता के अति उच्च शक्ति वाले केन्द्र को छोड़कर ।

(ख) कलकत्ता का अति उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर हिमालय सीमा के पार कार्यक्रम प्रसारित करता है । इस पर 303 लाख रुपये खर्च आया है ।

उड़ीसा में 27 जुलाई 1970 को 'बन्द' के कारण सभी संचार सुविधाओं का अस्तव्यस्त होना

4254. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जुलाई, 1970 को उड़ीसा 'बन्द' के कारण उड़ीसा में डाक समेत विमान, स्थल तथा टेलीफोन सभी संचार सुविधायें पूर्ण रूप से अस्तव्यस्त हो गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अत्यावश्यक सेवाओं में बाधा डालने वाले 'बन्द' को रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है और उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). टेलीफोन और डाक संचार पर काफी हद तक प्रभाव पड़ा था परन्तु ये पूरे तौर पर बन्द नहीं हो गए थे। जहां तक संभव हो सका है महत्वपूर्ण स्टेशनों पर टेलीफोन सेवायें चालू रखी गई थीं। भुवनेश्वर, बिरहामपुर (जी० एम०), कटक, सम्बलपुर, झारसुगुडा, राउरकेला और बालासौर के वाहक स्टेशन, बरगढ़, टिटिलागढ़, बुनला, हीराकुड, राउरकेला, झारसुगुडा के टेलीफोन एक्सचेंज और बालासौर, सम्भलपुर और राउरकेला के विभागीय तारघर काम करते रहे। फिर भी डाकघर और रेल डाक सेवा कार्यालय, अधिकांश रूप से धरना दिये जाने के कारण बंद रहे। रेल गाड़ियों/बसों/हवाई सेवाओं के बंद रहने के कारण डाक की प्राप्ति प्रेषण का कार्य स्थगित रहा।

(ग) डाक-तार संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ निकट संपर्क बनाये रखा गया था।

Persons Engaged in Hindi Work Transferred from Delhi A.I.R.

4255. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of persons engaged on Hindi work who have so far been transferred from Delhi Station of A.I.R. during the last three years ; and

(b) the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 20.

(b) The transfers were effected due to exigencies of service, such as promotion, prolonged stay at one place, etc.

Action taken by Government on Masani Committee Report

4256. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the action being taken by Government on the report of the Masani Committee ; and

(b) whether it is proposed to treat the persons of the production-cadre as Government servants ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The report was examined and discussed with various categories of staff. The Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance has recently reviewed the recommendations of the report and the report of the SIU is awaited.

(b) All Staff Artists of A.I.R., including persons in the production cadre, are holders of civil posts, and, therefore, for all practical purposes Government servants on contract.

Promotion of Programme Executives and Assisfant Station Directors

4257. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the number of Programme Executive promoted as Assistant Station Directors during the last one year ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : Eight, Sir.

Transmission Executives working as Programme Executives

4258 **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Transmission executives who are working as Programme Executives in the various All India Rad o Stations on an *ad hoc* basis ;

(b) the time since when they have been working in that capacity ;

(c) whether Government have drawn up a scheme where under other competent persons could be appointed against the posts of Programme Executives through the Public Service Commission ; and

(d) the reasons for promoting persons on an *ad hoc* basis ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 124 as on 19.8.1970.

(b) From varying dates since 25.7 65.

(c) Recruitment Rules for direct selection of Programme Executives through the Public Service Commission are being framed.

(d) *Ad hoc* appointments had to be made because direct recruitment had not been made pending revision of recruitment rules.

Criteria for Effective Tranfers of Staff among All India Radio Stations

4259. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Persons transferred from the Delhi Station of A.I.R. to the various units of A.I.R. located in Delhi and out-side during 1968-69 and upto 30th June, 1970 ; and

(b) the criteria adopted for effecting their transfers ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 87.

(b) The transferred were effected due to exigencies of service, such as promotions, reorganisation of staff strength, prolonged stay at one place, etc.

Abolition of Development Blocks

4260. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the States have either abolished or are contemplating to abolish the development Blocks ;

(b) the number of development blocks at present in the country, Statewise ; and

(c) the amount of expenditure incurred on them so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. C. Jamir) : (a) No, Sir.

(b) The information is available in the Annual Report of the Department of Community Development for 1969-70

(c) The information has already been furnished in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 30.7.1970.

Import of Foodgrains during 1970

4261 **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantity of foodgrains imported during the first four months of 1970-71 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : About 1 million tonnes of foodgrains were imported during the first four months of 1970-71.

Hindi Version of National Labour Commission Report

4262. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Hindi version of the report of the National Labour Commission is being brought out ;

(b) if so, the names of the Translators who are translating this report, the terms on which it is being done and the expenditure incurred thereon so far ; and

(c) the reasons for not getting it translated by the Central Hindi Directorate ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). The Hindi version of the main Conclusions and Recommendations of the National Commission on Labour has already been prepared and placed on the Table of the House. The cost involved in this translation work would come to about Rs. 450.

The translation of the rest of the report is, at present, being done through the General Editor, Central Hindi Directorate, who has assigned this work to 12 translators and 4 Assistants at the usual rates approved by Government for such work. No expenditure has so far been actually incurred on this account.

Complaint against Superintendent of Post Offices, Azamgarh, Uttar Pradesh

4263. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that complaint against the Superintendent of Post Offices, Azamgarh has been lodged with the Post Master General, Lucknow and other high authorities in which charges of corruption, bribery, etc. have been levelled against him ;

(b) if so, the details of the charges levelled against him ; and

(c) whether any inquiry into these charges of corruption and bribery are being made; if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). Yes ; the alleged charges are about acceptance of bribe in the appointment of Branch Postmasters, harassment of staff and irregular expenditure in purchase of furniture and contingencies etc.

(c) The enquiry is in progress.

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों की कालोनी, कालकाजी, नई दिल्ली में अनधिकारी लोगों को प्लाटों का आवंटन

4264. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों की कालोनी में विलिंगडन अस्पताल के डाक्टरों जैसे अनधिकारी लोगों को प्लाटों का आवंटन किया गया है ;

(ख) क्या इन मामलों को नियमित करने के लिए 4 जनवरी, 1966 के प्रैस नोट के उपबन्धों के विपरीत दिल्ली में निवास की 8 वर्ष की अवधि को घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया था ;

(ग) क्या इन मामलों में निर्णय आवंटन समिति ने किया था या पुनर्वास विभाग के किसी एक अधिकारी ने इन व्यक्तियों का पक्ष लिया था ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने का और जांच के दौरान उक्त अधिकारी को कालकाजी, स्थित पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों की कालोनी से सम्बद्ध मामलों में कार्यवाही करने से रोक देने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री दामोदरम् संजीवैया) : (क) जी, नहीं। तथापि, यदि कोई विशिष्ट दृष्टान्त बताये जाएं तो उनके मामलों की छीन-बीन की जा सकती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) समिति द्वारा अपनाये गये सिद्धान्तों के आधार पर, समिति के अधिकार के अधीन बहुत से मामलों को सरकारी सदस्यों ने अन्तिम रूप दिया था।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कालकाजी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों को प्लाटों का आवंटन

4265. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग की संसदीय पमामर्शदातृ समिति की एक उप

समिति का गठन अक्तूबर, 1969 में किया गया था जिसे सम्बद्ध दस्तावेजों/कागजात की जांच के आधार पर पूर्वी पाकिस्तान, से आये विस्थापित लोगों को कालकाजी नई दिल्ली के आवंटन के मामले की जांच का कार्य सौंपा गया था ;

(ख) क्या इस उप-समिति ने 30 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से प्रीमियम निर्धारित किये जाने, भूमि के कुल प्रीमियम पर 3 प्रतिशत की दर से भूमि किराया लगाये जाने, भुगतान किश्त पर अलाटियों से ब्याज लिये जाने तथा प्लाटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से सम्बन्धित अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच की थी ;

(ग) क्या इस उप-समिति ने उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित बातों के बारे में कोई एकमत सिफारिश दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). उक्त समिति की बैठक में सर्व समिति से केवल भूमि के किराये में कमी करने की सिफारिश की गई थी अर्थात् पूनर्वास विभाग को इस प्रश्न पर वित्त मन्त्रालय के परामर्श से जांच करनी थी।

"विस्थापित व्यक्ति, पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अधिग्रहण) (दिल्ली राज्य) नियम, 1951" के अन्तर्गत स्वीकृत पट्टे की शर्तों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी संस्थाओं एवम् अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें कि पूर्व निर्धारित दर पर भूमि अलाट की गई है, दी गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि यदि पट्टे की सम्पूर्ण 99 वर्ष की अवधि को देखा जाय तो कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के अलाटियों के लिए इस विभाग द्वारा रखी गई पट्टे की शर्तें निश्चित रूप से उदार हैं और, परिणाम स्वरूप, भूमि के किराये में कमी की सहमति नहीं दी गई है।

विवरण

13 अक्तूबर, 1969, को पुनर्वास विभाग की सलाहकार समिति की बैठक में यह निश्चय किया गया था कि सलाहकार समिति के निम्नलिखित सदस्य कालकाजी कालोनी से सम्बन्धित निम्नलिखित मामलों के बारे में सुसंगत कागजातों को देखेंगे :

श्री द्वैपायन सेन

श्री बे० कृ० दासचौधरी

श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री महितोष पुरकायस्थ

सरदार बूटा सिंह

इन सदस्यों द्वारा निम्नलिखित मामलों पर विचार किया जायेगा :

(i) भूमि अर्जन और विकास मूल्य किया है और क्या नियमों के अन्तर्गत अर्जन और विकास लागत की आधी कीमत ही वसूल की जानी है ;

(ii) क्या प्रीमियम पर 3 प्रतिशत की दर से भूमि का किराया नियमानुसार है ;

(iii) क्या अलाटी अलाट हुई भूमि के द्वितीय रेहन पर ऋण देने वाले प्राधिकरणों से ऋण लेने के योग्य पात्र हैं ; और

(iv) क्या प्रीमियम की बकाया राशि पर सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर उचित है ।

2. इस मामले पर 16 दिसम्बर, 1969 को हुई पुनर्वास विभाग की सलाहकार समिति की बैठक में और चर्चा की गई थी और, विस्तृत चर्चा के उपरान्त, यह निश्चय किया गया था कि निम्नलिखित सदस्य, और अन्य जो रुचि रखते हो 23 दिसम्बर, 1969 को श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्री भागवत झा आजाद के कार्यालय, जैसलमेर हाउस, में नीचे लिखे कालोनी के मामलों और, पूर्व सूचना द्वारा अन्य मामलों, से सुसंगत रिकार्ड को देखेंगे :

श्री द्वैपायन सेन

श्री बे० कृ० दासचौधरी

श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री महितोष पुरकायस्थ

सरदार बूटा सिंह

निम्नलिखित, तथा पूर्व सूचना द्वारा उठाये गये अन्य, मामलों पर इन सदस्यों द्वारा विचार किया जायेगा :

(i) भूमि अर्जन और विकास मूल्य क्या है और क्या, नियमों के अन्तर्गत, अर्जन और विकास लागत की आधी कीमत ही वसूल की जानी है ;

(ii) क्या प्रीमियम पर 3 प्रतिशत की दर से भूमि का किराया नियमानुसार है ;

(iii) क्या अलाटी अलाट हुई भूमि के द्वितीय रेहन पर ऋण देने वाले प्राधिकरणों से ऋण लेने के योग्य पात्र हैं ; और

(iv) क्या प्रीमियम की बकाया राशि पर सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले ब्याज की दर उचित है ।

3. इन सभी मामलों पर 23 दिसम्बर, 1969, और 11 मार्च, 1970, को हुई सलाहकार समिति के सदस्यों की बैठकों में चर्चा की गई थी । 11 मार्च, 1970 को हुई बैठक में यह निश्चय किया गया था कि भूमि के किराये को कम करने के प्रश्न की पुनर्वास विभाग वित्त मन्त्रालय के परामर्श से जाँच करेगा ।

कालकाजी, नई दिल्ली स्थित पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में भूमि किराये में कमी

4266. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए पुनर्वास विभाग से सम्बद्ध परामर्श समिति की उप समिति की हुई बैठक में यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था कि भूमि के अर्जन की लागत पर भूमि के किराये में कमी करने को उचित ठहराते हुए वित्त मन्त्रालय को लिखा जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो वित्त मन्त्रालय को लिखने का क्या परिणाम निकला है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). 11 मार्च, 1970 को हुई पुनर्वास विभाग की सलाहकार समिति के सदस्यों की बैठक में यह निश्चय किया गया था कि वित्त मन्त्रालय के परामर्श से पुनर्वास विभाग भूमि के किराये में कमी के प्रश्न की जांच करेगा।

इस प्रश्न पर कि कालका जी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी में भूमि के किराये में कमी करके अलाटियों को किस प्रकार की राहत प्रदान की जा सकती है, "विस्थापित व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अधिग्रहण) (दिल्ली राज्य) निगम, 1951" के अन्तर्गत स्वीकृत पट्टे की शर्तों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें पूर्व निर्धारित दर पर भूमि अलाट की गई है, दी गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। इस सम्पूर्ण निरीक्षण के पश्चात सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यदि पट्टे की सम्पूर्ण 99 वर्ष की अवधि को देखा जाय तो कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के अलाटियों के लिए इस विभाग द्वारा रखी गई शर्तें निश्चित रूप से उदार हैं।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए भूमि के किराये को कमी करना सम्भव नहीं हुआ।

तिलहनों तथा बिनौलों के आयात को उदार बनाने के बारे में वित्त मन्त्रालय की राय

4267. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय के कुछ विशेषज्ञों ने एक "रिव्यू" में सरकार से तिलहनों तथा बिनौलों के आयात को उदार बनाने का अनुरोध किया है ताकि भारत में तेलों की कमी को दूर किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं। तथापि, वित्त मन्त्रालय यह मानता है कि खाने योग्य तेलों सहित

जिन जिन्सों की कमी महसूस की जा रही है उनके आयात का प्रबन्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) सोयाबीन तेल तथा तोरिये के और आयात करने की सम्भाव्यता का पता लगाया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

4268. **श्री सूरज भान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने प्राक्कलन समिति के 47वें प्रतिवेदन में दी गई और 1969 में गृह कार्य मन्त्रालय के आदेशों के माध्यम से परिचालित की गई विभागीय पदोन्नति समिति के गठन और उसके कार्य सम्बन्धी हिदायतों का अनुसरण नहीं किया है और संस्थान में ए० ए० ओ० और सुपरिन्टैंडेंड (ग्रेड 1 तथा 2) के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति नहीं बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अनियमितताओं को ठीक करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) प्राक्कलन समिति की 47वीं रिपोर्ट में निहित आदेश में है (जो कि गृह मन्त्रालय के आदेश में दिये गये हैं) यह व्यवस्था की गई है कि विभागीय प्रोन्नति समितियों में कार्यालय/विभाग का प्रधान, या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होना और विभाग के अन्य अधिकारी, जो उन व्यक्तियों के कार्यों से अवगत हों जिनके मामलों की वहां जांच होनी है, होने चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की प्रोन्नति समितियां सहायक प्रशासन अधिकारी और अधीक्षक (ग्रेड 1 और 2) के ग्रेड में उन्नति देने के लिए उपरोक्त आदेशों के अनुरूप है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं होता।

Effect on Class III and IV Employees of Increase in Price of Vanaspati Ghee

4269. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps to ensure that Class III and IV employees are not adversely affected by heavy increase in price of Vanaspati Ghee ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Dearness Allowance given to Class III and IV employees to counter the effect of rise in the cost of living is linked to the average cost of living indices for the proceeding twelve months, which *inter alia* includes the price of vanaspati.

(b) Does not arise.

अखबारी कागज के वितरण सम्बंधी नीति में परिवर्तन के लिए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की मांग

4270. **श्री जनार्दनन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सरकार से यह मांग की है कि वह अखबारी कागज के वितरण संबंधी अपनी नीति पर पुनर्विचार करे ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी मांग किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने, पिछली जुलाई में भुवनेश्वर में हुई अपनी बैठक में सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह अखबारी कागज वितरण संबंधी अपनी नीति में इस प्रकार संशोधन करे कि छोटे समाचारपत्रों की उनकी आवश्यकतानुसार अखबारी कागज मिले और समूहों के समाचारपत्रों का और विस्तार न हो।

समाचारपत्रों को अखबारी कागज का आवंटन प्रत्येक वर्ष लाइसेंस वर्ष के आरम्भ में बनाई गई नीति के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1970-71 के लिए अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति को घोषित करने से पूर्व उससे सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना की एक-एक प्रति 7 अप्रैल, 1970 को संसद के दोनों सदनों की मेजों पर रख दी गई थी।

ऐसे छोटे समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं, जिनकी परिचालन संख्या 15,000 तक है, की अखबारी कागज की जरूरत पूर्ण रूप से पूरी की जा रही है। समान स्वामित्व वाले या समूहों के अतिरिक्त समाचार-पत्रों को कोई अखबारी कागज नहीं दिया जाता है, और न ही उनको अखबारी कागज के अपने अधिकृत कोटे में से नए समाचार-पत्र निकालने की अनुमति दी जाती है। इसलिए अखबारी कागज आवंटन सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मछली पकड़ने के बंदरगाहों के विकास की योजना

4271. **श्री जनार्दनन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के विकास की योजना तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों में मछली पकड़ने की कितनी बन्दरगाहों का विकास किया जायेगा ; और

(ग) योजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). चौथी योजना में बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाहों के विकास की व्यवस्था की गई है। बड़े पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाहों की व्यवस्था एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत की जा रही है और छोटे पत्तनों पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत

पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से की जा रही है। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत, मद्रास और बम्बई के लिए मत्स्य बन्दरगाहें मंजूर किए गए हैं, कोचीन और रायचौक की परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं, विशाखापतनम में अन्वेषण किए गए हैं और प्रदीप नामक स्थान पर अन्वेषण करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली बन्दरगाहों की संख्या अलग-अलग परियोजना के निर्धारण और निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत, तूतिकोरिन, विजिन्झम, कारवाड़ और पोर्ट ब्लेयर में गहरे समुद्र मत्स्यहरण बन्दरगाहों की स्वीकृति दी गई है। छोटे यांत्रीकृत पोतों के लिए आठ छोटे पत्तनों पर मत्स्य बन्दरगाह मंजूर किए गए हैं। 45 स्थानों पर मत्स्य पोतों के ठहरने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से निवेष-पूर्व मत्स्य बन्दरगाह सर्वेक्षण संगठन अतिरिक्त स्थानों का सर्वेक्षण कर रहा है और योजना के अन्तर्गत इन स्थानों में मत्स्य बन्दरगाहों की व्यवस्था के विषय में परियोजना रिपोर्टें प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(ग) योजना में केन्द्रीय योजना के लिए 13.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए 6.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सामूहिक व्यवस्था है और जैसा कि प्रश्न के भाग (क) और (ख). के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, यह राशि अलग-अलग परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए प्रयोग की जायेगी।

रामपुरा, दिल्ली में डाकघर खोलना

4272. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामपुरा, दिल्ली-35 में कोई डाकघर नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक सुविधाओं के लिए उस क्षेत्र के लोगों को बहुत दूरी तक जाना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो उस क्षेत्र में डाकघर न खोले जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) रामपुरा, दिल्ली-35 में एक गैर वितरण अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर है।

(ख) रामपुरा, डाकघर के अलावा ओंकारनगर और गणेशपुरा दो और डाकघर हैं ; इनमें से प्रत्येक रामपुरा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार इस इलाके के लोग को डाक-सुविधायें प्राप्त करने के लिए कोई लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़ती है।

(ग) ऊपर के (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपर के (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

Invitation to Political Parties for A.I.R. Programmes

4273. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the criteria adopted by All India Radio for inviting political parties for participation in A.I.R. programmes;

(b) the time given to the various parties during 1969-70 ; party-wise ; and

(c) the head under which the time given for the speeches of Ministers is accounted for ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Political parties as such are not invited to broadcast over All India Radio.

(b) Does not arise.

(c) There is no such categorisation.

यौनभाव तथा हिंसा दिखाने वाले भारतीय चलचित्रों का सेंसर

4274. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

श्री मीठा लाल मीना :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यौनभाव तथा हिंसा पर अनावश्यक बल देने वाले भारतीय चलचित्रों के प्रति कड़ा रवैया अपनाने के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड को दिये गये अनुदेशों के प्रति चलचित्र उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या विदेशी चलचित्रों के सम्बन्ध में भी समान कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). भारतीय तथा विदेशी फिल्मों में हिंसा, सैक्स तथा अश्लीलता को चित्रित करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के प्रति फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सख्त रवैया बरतने का सभी फिल्म निर्माताओं द्वारा स्वागत किया गया है। तथापि, सरकार को फिल्म उद्योग के किसी भी प्रतिनिधि संगठन के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

पुराने टेलीफोन मीटरों के कारण अधिक राशि के टेलीफोन बिल

4275. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टेलीफोन सलाहकार समिति के एक सदस्य द्वारा नई दिल्ली में हाल ही में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि टेलीफोन मीटरों के पुराने हो जाने के कारण उपभोक्ताओं को अधिक राशि के बिल प्राप्त हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1969-70 में इस बारे में कितने उपभोक्ताओं ने शिकायतें की हैं और इनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकार द्वारा पुराने टेलीफोन मीटरों के स्थान पर नये मीटर न लगाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली टेलीफोन जिले में 1969-70 के दौरान उपभोक्ताओं से 2311 शिकायतें प्राप्त हुई थी । इन सभी पर कार्रवाई की गई है ।

(ग) आमतौर पर मीटर दोषपूर्ण नहीं होते और यदि मीटरों में कोई खराबी देखने में आये तो उपाय के तौर पर समुचित कार्रवाई की जाती है ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्बंधी टेप रिकार्डों को प्रसारण से पूर्व आलोचकों को सुनाया जाना

4276. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत, कला तथा ड्रामा आलोचकों को राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्बन्धी टेप रिकार्डों को प्रसारण से पूर्व सुनाने के लिए आमन्त्रित करने की सदा से प्रथा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रथा कब शुरू की गई थी ;

(ग) क्या आलोचकों के सामने कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें उन्होंने सुनने वालों को प्रभावित करने के इरादे से प्रसारण से पूर्व ही अपना 'रिव्यू' देकर इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया गया हो ; और

(घ) यदि हां, तो कब तथा इसका दुरुपयोग किसके द्वारा किया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार बिभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). यदि कार्यक्रम पहले रिकार्ड कर लिया गया हो, तो संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के टेपों को प्रत्यायित संगीत आलोचकों को फिर से सुनाया जाता है । यह प्रथा 18-4-1970 से शुरू की गई थी ।

(ग) सरकार के ध्यान में कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसूर चिड़ियाघर में एक हथिनी के पेट से शल्य चिकित्सा द्वारा बच्चा निकालना

4277. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर चिड़ियाघर में हाल ही में एक हथिनी के पेट से शल्य चिकित्सा द्वारा बच्चा निकाला गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या शल्य चिकित्सा सफल रही ; और

(ग) क्या प्राप्त अनुभव के आधार पर भारत के अन्य चिड़ियाघरों में अन्य पशुओं की ऐसी शल्य चिकित्सा की जा सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्वेत चीते

4278. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा विदेशों के विभिन्न चिड़ियाघरों में कितने श्वेत चीते जीवित हैं ;

(ख) क्या दिल्ली चिड़ियाघर में श्वेत चीतों का प्रजनन किया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने कभी यह प्रस्ताव किया था अथवा कभी उसका विचार था कि भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में श्वेत चीतों का वितरण किया जाये ;

(घ) क्या श्वेत चीतों के सम्बन्ध में रेवा के महाराज के साथ, जो सर्वप्रथम श्वेत चीते को भारत में लाये, कोई करार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) 39

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली चिड़ियाघर में केवल एक ही प्रजनन जोड़ा है । उपरोक्त चिड़ियाघर में एक अथवा दो और प्रजनन जोड़ों की वृद्धि के उपरान्त ही भारत के अन्य चिड़ियाघरों में सफेद चीतों के वितरण के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

(घ) जी हाँ ।

(ङ) महाराजा रीवा तथा भारत सरकार के मध्य हुए एक करार के अनुसार सफेद चीतों के दो जोड़े उपहार स्वरूप सरकार को प्रदान किये गये थे । इन दो जोड़ों में से एक जोड़ा सरकारी व्यय पर रीवा में और दूसरी दिल्ली चिड़ियाघर में रखा जाना था । इन दोनों जोड़ों की संतति का विभाजन महामान्य महाराजा रीवा तथा भारत सरकार में समान रूप से किया जाना था । प्रथम मादा बच्चा महाराजा रीवा को प्रदान किया जाना था ।

मैसूर चिड़ियाघर में रखे गये विभिन्न जाति के जीवों का प्रजनन

4279. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या विश्व में मैसूर चिड़ियाघर ही एक ऐसा चिड़ियाघर है जहां पकड़े गये विभिन्न जाति के जीवों का प्रजनन हो रहा है ;

(ख) यदि हाँ, अब तक प्रजनन किये गये जीवों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकारो की ओर से कुछ प्रोत्साहन दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं। केवल यही ऐसा चिड़ियाघर नहीं है जहां पकड़े गए विभिन्न जाति के जीवों का प्रजनन हो रहा है।

(ख) मैसूर चिड़ियाघर में अब तक प्रजनन किये गये जीवों और उनकी संख्या के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) प्रजनन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है क्योंकि चिड़ियाघरों का कार्य संचालन सीधा राज्य सरकारों द्वारा होता है। इस विषय में राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खंडों (ब्लाकों) में बीज उर्वरक तथा कीटनाशी औषधियां बेचने के लिए केन्द्र

4280. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक एन० ई० एस० ब्लाक के बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशी औषधियों की बिक्री के लिए अन्चल-वार केन्द्र खोलने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). राज्य के अन्दर इन आदानों के वितरण और बिक्री की व्यवस्था करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र केवल आवश्यकता के समय उन्हें आवश्यक सप्लाई का प्रबन्ध करने में सहायता देता है।

कलकत्ता क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों में वृद्धि

4281. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अपर्याप्त टेलीफोन एक्सचेंजों के कारण टेलीफोन रखने वालों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता में एक्सचेंजों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग मे राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). सरकार यह समझती है कि दूसरे महत्वपूर्ण शहरों के समान ही कलकत्ता में टेलीफोन की सभी मांगों को पूरा करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता पर्याप्त नहीं है। कई नए एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई गई है। 30-6-70 को कलकत्ता की प्रतीक्षा सूची

में 37,988 नाम दर्ज थे। मोटे तौर पर, आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक यह मांग उत्तरोत्तर पूरी हो जाएगी।

जनरल जोरावर सिंह की स्मृति में डाक टिकट

4282. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 7 मई 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9944 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून अथवा जुलाई, 1970 में टिकट संकलन सलाहकार समिति की बैठक हुई थी ;

(ख) क्या तिब्बत विजेता जनरल जोरावर सिंह के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मत्री (श्री शेर सिंह) : (क) डाक-टिकट सलाहकार समिति की बैठक 20-7-70 को हुई थी।

(ख) जी हां।

(ग) समिति ने इस प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

4283. **श्री नम्बियार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के कार्यालय के कर्मचारियों को अनुभागवार तथा वर्षवार कितना समयोपरि भत्ता दिया गया ;

(ख) क्या सरकार ने समयोपरि भत्ता देने से पूर्व कर्मचारियों के कार्यभार का पता लगाया था ;

(ग) क्या यह सच है कि समयोपरि भत्ता देने के मामले में संस्थान के निदेशक द्वारा समयोपरि भत्ते में कमी करने के विचार से अगस्त, 1967 में दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4082/70]

(ख) जी हां। समयोपरि भत्ता स्वीकृत करने से पूर्व संस्था को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा काम की आवश्यकता की जांच की जाती रही है।

(ग) जी नहीं। यह ठीक नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

छोटे किसानों की विकास सम्बंधी योजनाओं में प्रगति

4284. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1970 के अन्त तक छोटे किसानों के विकास के लिये योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) वर्ष 1970-71 में जिन स्थानों पर परियोजनाएं चालू की गई हैं उनके क्या नाम हैं ;

(ग) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों ने योजनाओं के लिये सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ). छोटे किसानों की विकास एजेन्सी स्कीम की क्रियान्विति के लिये चुने हुए क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की सहायता के लिये वाणिज्यिक बैंकों, विशेषकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों ने काफी अभिरुचि प्रदर्शित की है ।

विवरण

(क) तथा (ख). भारत सरकार ने जुलाई, 1970 के अन्त तक निम्नलिखित परियोजनायें स्वीकृत की हैं :

जहां कार्य शुरू किया गया है :

1. पुरनिया (बिहार)
2. दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
3. छिन्दवाडा (मध्य प्रदेश)
4. रतलाम-उज्जैन (मध्य प्रदेश)

पंजीकृत की गई एजेंसी ; जहां कार्य शुरू किया जाना है :

5. फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)
6. प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)
7. बदायूं (उत्तर प्रदेश)
8. राय बरेली (उत्तर प्रदेश)
9. मैसूर (मैसूर)

एजेंसियां जिन्हें अभी पंजीकृत किया जाना है :

10. विलासपुर (मध्य प्रदेश)

11. सावरकन्या (गुजरात)

12. क्विलन (केरल)

13. पटना (बिहार)

यवतमाल जिले में आरनी के स्थान पर डाकघर की नई इमारत का निर्माण

4285. **श्री देवराव पाटिल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यवतमाल जिले में आरनी में डाकघर के लिये एक नई इमारत के निर्माण का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) आरनी डाकघर अभी हाल ही में यह किराये की इमारत में बदला गया है। यह इमारत नई है और इसमें पर्याप्त स्थान है। इसलिए फिलहाल आरनी डाकघर के लिए इमारत के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

यवतमाल और बम्बई के बीच टेलीफोन लाइनों में सुधार के लिए कार्यवाही

4286. **श्री देवराज पाटिल** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यवतमाल और बम्बई के बीच टेलीफोन लाइन गत वर्ष के दौरान महीनेवार, कितनी बार खराब हुई थी और उसके क्या कारण थे ;

(ख) यवतमाल बम्बई टेलीफोन सेवा में सुधार के लिये अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उससे क्या परिणाम निकले हैं और इस बारे में भविष्य के लिये क्या योजनाएं हैं ; और

(ग) योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) चूंकि गत वर्ष में यवतमाल से बम्बई तक के लिए कोई सीधी लाइन नहीं थी और यातायात अमरावती होकर चलता था इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) तथा (ग). 13 जुलाई, 1970 को यवतमाल और बम्बई के बीच एक सीधी ट्रंक सर्किट की व्यवस्था कर दी गई है। जुलाई में इस सर्किट की कार्य-क्षमता ठीक थी। मौजूदा यातायात के अनुसार सिर्फ एक ही सीधे सर्किट का औचित्य है। आगे विकास के एक अंग के रूप में मौजूदा 3 सरणि-प्रणाली के स्थान पर एक 8 सरणि की वाहक प्रणाली लगाने की योजना तैयार की गई है। अमरावती होकर बम्बई से नागपुर तक एक कोएक्सल प्रणाली भी

लगाई जा रही है और इसके 1973-74 के दौरान चालू हो जाने की संभावना है। उसके बाद अमरावती तक कोएक्सल प्रणाली के जरिये और अमरावती से यवतमाल तक खुले तार प्रणाली पर बम्बई-यवतमाल ट्रंक सर्किटों का निर्माण किया जाएगा।

महाराष्ट्र राज्य में 1970-71 में बारानी खेती सम्बन्धी अनुसंधान तथा उस पर व्यय

4287. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारानी खेती के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 में महाराष्ट्र राज्य में जिन केन्द्रों में अनुसंधान कार्य किया जायेगा उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) वर्ष 1970-71 में उक्त योजना के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) महाराष्ट्र में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित दो मुख्य केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है : (i) कृषि अनुसंधान केन्द्र, शोलापुर (महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ) और (ii) बारानी कृषि सम्बन्धी अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान केन्द्र, अकोला (पंजाब राव कृषि विद्यापीठ)।

(ख) सम्पूर्ण योजना के लिए सन् 1970-71 में 24,72,446 रुपये की वार्षिक राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से वर्ष 1970-71 में उपरोक्त दो केन्द्रों की स्थापना के लिए 2,21,580 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

महाराष्ट्र में खेतिहर श्रमिकों तथा छोटे किसानों के लिए विकास योजनायें

4288. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में छोटे किसानों और खेतिहर श्रमिकों के लिए विकास योजनाओं के लिए चुनी गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन परियोजनाओं के लिए क्षेत्रों के चुनने के लिए क्या कारण हैं ; और

(ख) वर्ष 1970-71 में इन योजनाओं के जिए क्या वित्तीय व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र को भी दो परियोजनायें, सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की योजना को क्रियान्वित करने के लिए निर्धारित की गई हैं। राज्य सरकार ने चिपलन तथा रत्नगिरि और सतारा जिलों के पटन तालुकाज से क्रियान्विति के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की है। यह विचाराधीन है।

(ख) प्रत्येक सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों की परियोजना हेतु चार वर्ष की अवधि के लिए 100 लाख रु० की बजट व्यवस्था होगी। अनुमोदित योजनाओं के आधार पर सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 1970-71 वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकता का पता लगाया जाएगा।

भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त ट्रैक्टर बनाना

4289. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के आयात से उनकी मरम्मत तथा फालतू पुर्जो आदि की समस्यायें खड़ी हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या हमारी परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त ट्रैक्टर का विकास नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कलपुर्जों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से सब आयातित ट्रैक्टरों के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त कल-पुर्जे आयात किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थापित आयात कर्ताओं, राज्य कृषि उद्योग निगमों और ट्रैक्टरों के वास्तविक प्रयोग करने वालों को कलपुर्जों के आयात की मंजूरी दी गई है। ट्रैक्टरों और अन्य कृषि मशीनों की मरम्मत के लिए देश में पहले से ही चल रहे केन्द्रों के अतिरिक्त, विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों ने मरम्मत केन्द्र खोले हैं। खोल रहे हैं।

(ग) और (घ). देश के विभिन्न भागों में विभिन्न मृदा-स्थलाकृति और फसलों की काश्त के कारण, ट्रैक्टरों की किस्मों और अश्वशक्ति की आवश्यकताओं में अन्तर है और एक या दो मैक के ट्रैक्टर विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही सारे देश की आवश्यकतायें एक या दो निर्माताओं द्वारा प्रभावशाली ढंग से पूरी नहीं की जा सकती हैं। अत: भारत सरकार ने उनके आयात की अनुमति दी है (1) पेसे मेक। मेक्स को जिनका निर्माण कार्यक्रम औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार ने मंजूर कर दिया है और/या वे किस्में जिनके नजदीक भविष्य में निर्माण करने की आशा है, (2) वे ट्रैक्टर जिनका ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, बुदनी में या तो परीक्षण हो चुका है और संतोषजनक सिद्ध हुए हैं, या दूसरे जिनका भूतकाल में आयात किया गया है और भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत उनके सन्तोषजनक कार्यकौशल का हमें पर्याप्त अनुभव है। यह नीति भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत ट्रैक्टरों के सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है और साथ ही ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कलपुर्जों और मरम्मत की समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया है।

भारतीय उपक्रम भी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल, विशुद्ध देशीय ट्रैक्टरों का भी विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन ट्रैक्टरों के कुछ प्रोटोटाइपों का पहले ही विकास किया जा चुका है और उनका विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।

आयातित ट्रैक्टरों पर प्रीमियम

4290. **श्री वीरेंद्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित ट्रैक्टर सरकारी मूल्य से अधिक लाभ पर बिकता है ;

(ख) क्या सरकार ने ट्रैक्टरों के पुनविक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक ट्रैक्टर नियंत्रण आदेश जारी किया है ; और

(ग) यदि हां, तो आदेश जारी करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). इस विषय में सरकार को कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) सरकार अभी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

मनीपुर में रोजगार की योजना

4291. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए मनीपुर सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो समस्या के समाधान के लिए मनीपुर की सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). मनीपुर प्रशासन से सूचना इकट्ठी की जा रही है।

इम्फाल में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

4292. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) सरकार का इम्फाल में कब तक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) इसके स्थापित करने में विलम्ब का क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जैसा कि 5 मार्च, 70 को इस सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 1671 के उत्तर में पहले ही बतलाया जा चुका है, इम्फाल में पांचवी योजना की अवधि में एक मुख्य स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के चालू हो जाने की आशा है।

(ख) फिलहाल, स्वचालित एक्सचेंज के उपस्कर की सप्लाई सीमित हैं। तदनुसार कई एक्सचेंजों के स्वचलीकरण का एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो विभिन्न चरणों में पूरा होगा। ऐसे 69 और स्टेशन हैं, जहां टेलीफोन की मांगें ज्यादा हैं और मुख्य स्वचालित एक्सचेंजों के लगाये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। इन सबके लिए उपस्कर की व्यवस्था विभिन्न चरणों में ही की जा रही है।

इम्फाल में 1970-71 में अनिर्णीत पड़े टेलीफोन कनेक्शनों के मामले

4293. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 के दौरान मनीपुर में कितने टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) 1970-71 में घाटी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में और अधिक कनेक्शन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1970 के दौरान लगभग 240 कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। इनमें से 98 कनेक्शन अब तक दिये जा चुके हैं।

(ख) उखरूल और करींग में दो नये एक्सचेंज खोलकर और चूराचाँदपुर, थोम्बेल और इम्फाल के मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार कर 1971 के दौरान लगभग 185 नये कनेक्शन देने का प्रस्ताव है।

मनीपुर में भूमि के अलाटियों के नाम प्रीमियम के भुगतान को माफी के लिए उनसे आवेदन

4294. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की सरकार को मनीपुर स्थित विस्थापितों और भूमिहीन कृषकों से उनको दी गई उस भूमि के लिए जिसका निर्णय किया जा चुका है प्रीमियम के भुगतान को माफ करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने गुण-दोषों और आवंटन नियमों के अनुसार उन आवेदनों पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में प्रीमियम माफ किया जा रहा है और बिना प्रीमियम प्राप्त किये उनके पक्ष में निर्णय किया जा रहा है ; और

(घ) भूमि देने और प्रीमियम के भुगतान के मामले में सरकार की सामान्य नीति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में शरणार्थियों का बसाया जाना

4295. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर में 214 शरणार्थी परिवारों को बसाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उनको बसाने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि, 214 शरणार्थी परिवारों में से, 142 परिवार बसाये जा चुके हैं। प्रत्येक परिवार को कृषि प्रयोजन और आवासीय प्लाट के लिए भूमि अलाट कर दी गई है। शेष परिवारों के मामलों पर मनीपुर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

रोजगार तलाश करने वालों का नया पंजीकरण

4296. **श्री गणेश घोष** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक, वर्षवार तथा राज्यवार रोजगार तलाश करने वाले नये पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उक्त अवधि में वर्षवार तथा राज्यवार कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किए गये और कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-4083/70]

1000 किलोवाट के ट्रांसमिटरों वाले रेडियो स्टेशन

4297. **श्री गणेश घोष** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, तलीनी अमरीका और मध्य पूर्व के देशों के लिए प्रसारण करने वाले रेडियो स्टेशन कौन-कौन से हैं ;

(ख) 1000 किलोवाट के ट्रांसमिटरों वाले रेडियों स्टेशन कौन-कौन से है ;

(ग) इन 1000 किलोवाट के ट्रांसमिटरों को कहां-कहां से और कितने-कितने मूल्य पर प्राप्त किया गया है ; और

(घ) इस बारे में आश्वासित विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली, मद्रास तथा कलकत्ता। लतीनी अमेरीका के लिए कोई सेवा नहीं है।

(ख) कलकत्ता ।

(ग) सोवियत संघ ने 303 लाख रुपये के मूल्य पर ।

(घ) शून्य ।

पश्चिम बंगाल में सांविधिक आधार पर एक राज्य सहकार विकास निगम की स्थापना करना

4298. **श्री गणेश घोष** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार साँविधिक आधार पर एक राज्य सहकार विकास निगम की स्थापना कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उद्देश्य क्या होंगे ;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य ने ऐसा निगम स्थापित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि एक राज्य सहकारी विकास निगम की स्थापना के प्रश्न की अभी भी सरकार द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(ग) और (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार सहकारी विकास निगम किसी भी राज्य में स्थापित नहीं किये गये हैं ।

Applications for Telephone Connections Pending in Datia, Madhya Pradesh and Expansion of Datia Telephone Exchange

*4299. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications pending for telephone connections in Datia, Madhya Pradesh and since when ;

(b) the time by which the aforesaid telephone connections are expected to be given ; and

(c) the details of Government's plan for increasing the capacity of Datia Telephone Exchange ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 7. The earliest application has been pending since April, 1970.

(b) Demand notes to all applicants have been issued and connections will be provided within a month.

(c) An expansion from 100 to 150 lines has since been sanctioned and the work will be completed on receipt of necessary stores.

New Building of Telephone Exchange in Bhind District, Madhya Pradesh

4300. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the time by which the Telephone Exchange is likely to start functioning its newly

built building in Bhind District, Madhya Pradesh ; and the reasons for delay in this connection ;

(b) whether it is fact that the newly-built building is inadequate from the point of view of the present needs and the future expansion plans of the Exchange ; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The exchange is likely to start functioning in the new building by March 1971. The new building was completed in June, 1970. There has been no undue delay in shifting and expanding the present exchange.

(b) The newly built building is adequate for the immediate needs as well as for expansion in the near future.

(c) Additional accommodation will be constructed to meet the future requirements, in due course.

Expansion of Telephone Exchange, Sijonda, District Datia (Madhya Pradesh)

4301. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the present capacity of the Telephone Exchange of Sijonda town in District Datia in Madhya Pradesh and the scheme for raising its capacity ;

(b) whether it is a fact that when anybody wants to book a trunk call from Sijonda, he is told that the line is out of order ; and

(c) if so, the steps proposed to remedy the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is no telephone exchange at Syonda. A Public Call Office is working with a 20 line Magneto Switch Board for providing P.C.O. extensions. 12 extensions are working. There is a waiting list of two for which demand notes have been issued.

A scheme for installation of a 25 line Small Automatic exchange has been approved.

(b) and (c). No, Sir. The line is behaving normally and no such complaint has been received.

Opening and Upgrading of Telegraph, Phonograph and Post Offices in Bhind and Datia District of Madhya Pradesh

4302. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the programme chalked out for setting up new Telegraph or Phonograph and new Post Offices and for upgrading the present Post Offices in Bhind and Datia Districts of Madhya Pradesh during the current financial year ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Department of Communications (Shri Sher Singh) : There is no proposal to open any new Telegraphs or Phonocom Office in Bhind District during the current financial year. But it is proposed to open telegraph offices at two stations in Datia District during the current financial year.

As regards opening of new Post Offices, it is proposed to open 10 Post Offices in Bhind District and 4 in Datia District during the current financial year. During this period, it is proposed, in Bhind District, to upgrade 4 extra departmental branch Post Offices to extra departmental sub post offices and 1 extra departmental branch post office to departmental sub Post Office. In Datia District it is proposed to upgrade two extra departmental branch Post Offices to extra departmental sub Post Offices.

गो-हत्या विरोधी अभियान को फिर से आरम्भ करना

4303. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी के जगद्गुरू शंकराचार्य द्वारा गो-हत्या विरोधी अभियान फिर से आरम्भ किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किये हैं कि यदि सरकार ने देश में गो-हत्या पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया तो उक्त अभियान गम्भीर रूप ले जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी हां ।

(ख) मार्च 1970 में श्री शंकराचार्य ने सूचित किया था कि यदि भारत सरकार 8-5-1970 तक गाय तथा उसकी संतति के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए अधिनियम की घोषणा नहीं करती तो इस तिथि से एक अहिंसक आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत सरकार ने भारत के सेवा निवृत मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में 29 जून, 1967 को गो रक्षा समिति नियुक्त की जिसने गो रक्षा के प्रश्न, इस विषय के समस्त पहलुओं अर्थात् संवैधानिक, कानूनी आर्थिक तथा अन्य सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात सरकार को गायों, बछड़ों. सांडों और बैलों की रक्षा के लिए समुचित व्यावहारिक उपायों की सिफारिश करनी थी । समिति को संविधान के अनुच्छेद 48 के उपबन्धों के प्रभावसाधक रूप में कार्यान्वयन के उपायों के बारे में सुझाव देने और किसी ऐसे सुझाव पर भी कि गो तथा गो वंश के बध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए संविधान को संशोधित किया जाना चाहिए," के बारे में सुझाव भी देने थे ।

सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधियों ने अपने आपको समिति से अलग कर लेने के कारण समिति अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकी । 12 मार्च 1970 को खाद्य और कृषि मन्त्री ने एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में लोक सभा में एक वक्तव्य देते हुए कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचित संविधान के अनुच्छेद 48 में दिये गये निदेशक सिद्धांतों की क्रियान्विति के लिए भारत सरकार वचनवद्ध है और इस दिशा में सतत प्रयत्न कर रही है । उन्होंने सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और समिति के सदस्यों के रूप में कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध किया था । खाद्य और कृषि मन्त्री ने 26 मार्च, 1970 को श्री जगदगुरू शंकराचार्य जी को इस वक्तव्य और लोकसभा में 12 मार्च, 1970 को हुई चर्चा की एक प्रति भेजते हुए उन्हें तथा सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति से

अनुरोध किया था कि वे समिति की मन्त्रणाओं में भाग लेने की अपील पर गम्भीरता से विचार करें ताकि सरकार के विचारार्थ समिति अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे सके। खाद्य और कृषि मंत्री ने 26 मार्च, 1970 को राज्य सभा में भी इसी प्रकार का एक और वक्तव्य दिया था।

यद्यपि श्री जगद्गुरू शंकराचार्य और सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति को गोरक्षा समिति के कार्य में सहयोग देने के लिए सार्वजनिक अपीलों के पश्चात काफी समय व्यतीत हो गया है, तथापि अभी तक समिति के प्रतिनिधियों ने गोरक्षा समिति में अपना कार्य शुरू नहीं किया है। सरकार आशा करती है कि सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति के प्रतिनिधि सदस्य भारत सरकार के अनुरोध के उत्तर में समिति की कार्यवाही में भाग लेगें जिससे कि समिति जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर सरकार उन पर पूर्ण रूप से तथा तुरन्त विचार करेगी।

"भारत 1967" नामक वृत्त चित्र

4304. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग तीन वर्ष पूर्व श्री एस० सुखदेव ने फिल्म प्रभाग के लिए "भारत 1967" नामक 57 मिनट का एक रंगीन वृत्त-चित्र बनाया था ;

(ख) क्या फिल्म प्रभाग ने उक्त वृत्त-चित्र की 'अत्याधिक कलात्मक तथा यथार्थवत् बताते हुए प्रशंसा की थी और वास्तव में फिल्म निर्माता के नाम प्रधान मंत्री के आभार को प्रदर्शित करने वाली एक विवर्णिका प्रकाशित की थी ;

(ग) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी न मिलने के कारण वृत-चित्र का सरकारी तौर पर अभी तक प्रदर्शित (रिलीज) नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर "हां" में हैं तो इस फिल्म को प्रदर्शन के लिए देने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं जिसकी विदेशों, हमारे फिल्म प्रभाग एवं प्रधान मन्त्री ने भी प्रशंसा की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। सामान्य नित्य कर्म के रूप में फिल्म प्रभाग विभागीय या गैर-सरकारी तौर पर निर्मित फिल्मों के आभार स्वरूप फोल्डर प्रकाशित करता है।

(ग) और (घ). इस फिल्म को भारत के आवश्यक थियेट्रीकल सरकट पर प्रदर्शन हेतु रिलीज करना इसकी अधिक लम्बाई होने के कारण सम्भव नहीं है। तथापि, यह फिल्म भारतीय दूतावास द्वारा विदेशों में दर्शकों को तथा संसद सदस्यों को विशेषतया उनके लिए आयोजित फिल्म शो में दिखाई गई है। विशेष शो फिल्म प्रभाग के आडिटोरिया में भी आयोजित किए गये हैं। यह फिल्म विदेशों में आयोजित कुछ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भेजी गई थी। आव-

श्यक थियेट्रीकल सरकट पर प्रदर्शन हेतु रिलीज करने के लिए इस फिल्म का संक्षिप्त संस्करण तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा

4305. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के बारे में संसदीय सलाहकार समिति

4306. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सम्बन्धी संसदीय सलाहकार समिति ने पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के बारे में निर्णय किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल विधायी कार्य पर सलाहकार समिति ने निम्न विषयों में कानून बनाने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया :

1. वरगदारों के हितों की रक्षा निम्न प्रकार से की जायेगी :

   (1) कम से कम न्यूनतम भूमि के क्षेत्र के बारे में प्रत्येक वरगदार के पट्टे की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना ;

   (2) वरगदारों को काश्त के पीढ़ीगत अधिकार प्रदान करना ;

   (3) जहां भूमि स्वामी हल, बैल और अन्य आदान सप्लाई नहीं करते वहां वरगदारों के उत्पाद के हिस्से को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना।

   (4) वरगदारों को उत्पादन की गहाई का स्थान चुनने की छूट देना ;

   (5) यदि स्वामी अपना हिस्सा लेने से मना करे या रसीद न दे तो वरगदार उस उत्पाद को निर्धारित अधिकारी या प्राधिकारी के पास जमा करा सके ; और

(6) भगचा अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों को मुनसिफ कचहरियों से सब-डवीजनल आफिसरों के पास तबदील किया जाना ।

2. वर्तमान कानून में भूमि रखने की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित उपबन्धों की संवीक्षा इस दृष्टि से की जाये ;

(1) परिवार के सब सदस्यों के पास कुल भूमि क्षेत्र पर सीमा लागू करना ;

(2) भूमि की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए उच्चतम सीमा के स्तर को घटाना ;

(3) अधिकतम सीमा से छूट प्राप्त करने वाले भूमि के वर्गों को कम करना ।

वरगदारों से सम्बन्धित, पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1970 13-7-1970 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के उपरान्त पहले ही लागू किया जा चुका है । सलाहकार समिति में परिवार पर आधारित उच्चतम सीमा के बारे में की गई चर्चा के अनुसार प्रस्तावों को मसौदा बिल के रूप में बनाया जा रहा है ।

फालतू भूमि का अधिग्रहण करने के लिए मुआवजा देने हेतु राज्यों के वित्तीय साधनों में कमी

4307. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने बताया है कि मुआवजा देने के लिए वित्तीय साधनों की कमी के कारण फालतू भूमि के अधिग्रहण का काम रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूमि सुधार नीति की क्रियान्विति में धीमी प्रगति के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न राज्यों में भूमि सम्बन्धी कार्यों में प्रगति की जांच की है ; और

(ग) भूमि सुधारों की शीघ्र क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). भूमि सुधार के सम्बन्ध में नवम्बर, 1969 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार की प्रगति और समस्याओं की समीक्षा की गई थी । फालतू भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे की वित्तीय अदायगी की समस्या के विषय में प्रायः सभी राज्यों ने स्वयं अपनी वित्तीय योजना अपनाई हैं और ऐसे उपायों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में राज्य के अतिरिक्त राजस्व में हुई वृद्धि से मुआवजे की राशि पूरी की जा रही है । कुछ राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश ने यह अनुभव किया कि यदि राज्यों के वित्तीय संसाधनों में सुधार हो जाये तो कार्यक्रम की क्रियान्विति की प्रगति काफी तेज की जा सकती है । शीघ्र क्रियान्विति के अन्य प्रस्तावित उपाय ये थे :

(1) एक निर्धारित तिथि तक कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रशासकीय तथा

वित्तीय सहायता सहित भूमि सुधार उपायों का समुचित आयोजन और क्रय-निर्धारण ;

(2) भूमि सुधार की प्रगति पर निरन्तर दृष्टि रखने और उसकी क्रियान्विति के लिए निर्देश और सलाह देने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उच्च अधिकार समिति की स्थापना ।

(3) सामान्य राजस्व अभिकरण के कार्यों में सहायता के लिए विशेष अधिकारियों न्यायाधिकरण और अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति द्वारा प्रसासकीय संगठन को सुदृढ़ करना तथा उसका नवीकरण करना ।

(4) क्रियान्विति में सह-लाभानुभागियों और भावी-लाभानुभागियों को स्थानीय स्तर पर यथा सम्भव प्रतिनिधित्व देना ।

(5) अधिकारों के रिकार्ड की तैयारी और उनका अद्यतन रख-रखाव-विशेषकर पट्टेदारों, उप-पट्टेदारों और अंशभागियों के विषय में ।

(6) भूमि कानूनों में उपयुक्त संशोधनों सहित भूमि सुधारों के आवश्यक घटक अनुबन्ध के रूप में सहाय्य सेवा संरचना में रद्दो-बदल की आवश्यकता, ताकि कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए कृषक सांस्थानिक ऋण प्राप्त कर सकें ।

(7) भूमि सुधार अनुसंधान तथा विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की सहायता से किए गए उपायों का मूल्यांकन करना ; और

(8) कुछ मामलों में सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राज्य के कानूनों में उचित संशोधन करके संविधान के क्षेत्र में रहते हुए मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कानूनी तथा संवैधानिक कठिनाइयों को दूर करना ।

बेरोजगार संबंधी आंकड़े एकत्र करने का साधन

4308. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार देश में बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़े किन साधनों से एकत्र करती है ;

(ख) गत तीन वर्षों में दक्ष और अदक्ष व्यक्तियों की बेरोजगारी में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है ; और

(ग) चौथी पचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में क्या अनुमान है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) और (ख). देश में फैली बेरोजगारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूत्रों से मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है :

(एक) जनगणना ;

(दो) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ; और

(तीन) रास्ट्रीय नियोजन सेवा ।

फिर भी नौकरी चाहने वालों से संबंधित जानकारी जो कि बेरोजगारी की प्रवृतियों की सूचक है, केवल नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों से ही नियमित रूप से प्राप्त होती है। उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

वर्ष के अन्त में	नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या		
	अकुशल	अन्य	योग
1	2	3	4
1967	4,28,286	23,12,149	27,40,435
1968	4,48,021	25,63,621	30,11,642
1969	5,11,624	29,12,261	34,23,885

उर्वरक का मूल्य

4309. **श्री नंजा गौडर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेचे जाने वाले विभिन्न किस्मों के उर्वरकों के मूल्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उर्वरकों पर अत्यधिक मुद्रा खर्च होने के कारण क्या सरकार उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार देश में उर्वरकों के मूल्य स्थिर करने पर विचार कर रही है क्योंकि वर्तमान मूल्य किसानों की सामर्थ से बाहर हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) प्रमुख उर्वरकों के सम्बन्ध में राज्यों, सहकारी संस्थाओं तथा गैर-सरकारी पार्टियों के लिए आयातित उर्वरकों की वर्तमान पूल निर्गम कीमतें निम्न प्रकार हैं :

	राज्यों तथा सहकारी संस्थाओं के लिए वर्तमान पूल निर्गम कीमतें	गैर-सरकारी पार्टियों के लिए वर्तमान पूल निर्गम कीमतें
	(रुपये प्रति मीटरी टन)	
1. अमोनियम सल्फेट	485	485
2. यूरिया	863	871

1	2	3	4
3.	कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट (26 प्रतिशत एन०)	515	521
4.	कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट (25 प्रतिशत एन०)	490	496
5.	अमोनियम क्लोराइड	484	489.50
6.	पोटाश का मुरिएट	483	487
7.	डाइ-अमोनियम फास्फेट	1122	1131.50
8.	एन० पी० के० (14-14-14)	755	762.50
9.	एन० पी० के० (15-15-15)	832	840.00

इन कीमतों में देश के किसी भाग में किसी रेलवे स्टेशन तक पहले से अदा किया गया भाड़ा भी सम्मिलित है ।

(ख) उर्वरकों की पूल कीमत को बढ़ाने के लिए स·कार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) आयातित उर्वरकों की कीमतों मुख्यतः विदेश की अधिप्राप्ति की लागत पर निर्भर करती हैं । यद्यपि, इसका घरेलू उत्पादन की लागत से उचित सम्बन्ध रखना पड़ता है । केन्द्रीय उर्वरक पूल 'न लाभ न हानि' के आधार पर चलता है और भारत सरकार का हमेशा कम से कम सम्भव सीमा तक पूल निर्गम कीमतें निर्धारित करने का प्रयत्न रहा है । तथापि, यह कहना ठीक न होगा कि उर्वरकों की वर्तमान कीमतें किसानों के लिए लाभप्रद नहीं हैं । उर्वरकों की लागत को वर्तमान कीमतों में पूरा करने के लिए कृषि उत्पादों की कीमत पर्याप्त लाभदायक है । आशा की जाती है कि बड़े पैमाने के एककों को स्थापित कर उर्वरकों के उत्पादन की लागत तथा इसके फलस्वरूप उर्वरकों की कीमत कम होगी ।

राजनीतिक दलों द्वारा भूमि राजस्व का वसूल किया जाना

4310. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1970 के स्टेट्समैन में "लैंड रेवेन्यू दैट गोज टू पार्टी काफरस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित कथित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ राजनीतिक दल समानान्तर प्रशासन चला रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगाये गये मोटे और निजी अनुमान के अनुसार 2 करोड़ रुपये का राजस्व प्रति वर्ष वसूल करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी कार्य प्रणाली क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिदे) : (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

गाँवों के लिए पीने के जल की योजनायें

4311. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 2 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4885 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में पीने के जल की योजनाओं के सम्बन्ध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) क्या सामुदायिक विकास तथा समाज कल्याण बोर्डों जैसी अनावश्यक और अनुपयोगी मदों के लिए नियत राशि में से धन निकाल कर चौथी पंचवर्षीय योजना में गांवों के लिए पीने के जल की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था में वृद्धि करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख). प्राप्त सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । अन्य राज्य सरकारों से, जिन्हें लगातार आवश्यक ब्यौरा भेजने के लिए निवेदन किया जा रहा है, सूचना अभी प्राप्त होनी है ।

(ग) प्रारूप चतुर्थ योजना में ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया था जिसे अनुमोदित चतुर्थ योजना पत्रक (1969-74) में 125 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है । जैसा कि आदरणीय सदस्य ने सुझाव दिया है सरकार के विचाराधीन परिव्यय को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

राज्यवार ग्रामों की संख्या, जहां स्वच्छ पीने के पानी की सप्लाई आसानी से उपलब्ध है ; तथा चतुर्थ योजना में सम्भवत: इसके अन्तर्गत लिये जाने वाले ग्रामों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	जहाँ स्वच्छ पीने के पानी की सप्लाई आसानी से उपलब्ध है, ऐसे ग्रामों की संख्या	चतुर्थ योजना में सम्भवत: इसके अन्तर्गत लिए जाने वाले ग्रामों की संख्या
1	2	3	4
1.	मध्य प्रदेश	55,745	4,570
2.	मैसूर	24,677	1,700

1	2	3	4
3.	उड़ीसा	22,576 ग्राम + 4,704 छोटे ग्राम	2,000
4.	तमिल नाडु	14,453 ग्राम + 30,784 छोटे ग्राम	3,011 ग्राम + 9,510 छोटे ग्राम
5.	पंजाब	10,218	488
6.	उत्तर प्रदेश	1,83,513	8,945
7.	पश्चिम बंगाल	48,166	6,216
8.	नागालैंड	114	55
9.	दिल्ली	25	59
10.	गोवा, दमन तथा दीव	262	2
11.	मणिपुर	566	386
12.	नेफा	662	120
13.	पांडिचेरी	175	40
14.	त्रिपुरा	1,800	500
15.	दादरा तथा नगर हवेली	257 छोटे ग्राम	172 छोटे ग्राम

Ban on Shooting of Lion, Tiger, Bear and Deer to Check Extinction of Wild Life

4312. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri G. Venkataswamy :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that wild life is facing extinction due to very large number of guns in the country ;

(b) if so, whether Government contemplate to fix a time limit for imposing a ban on the hunting of lion ; tiger, bear, and deer some species of birds ; and

(c) if so, the details of the proposal in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Very large number of guns is not the only cause for the reduction in number and possible extinction of some species of wild life.

(b) and (c). (i) The Government of Gujarat have already prohibited shooting of lions since 1952.

(ii) Similarly tiger has been declared protected in the States of Mysore, Rajasthan, Kerala, Goa, Gujarat and Tamil Nadu. The States of

Orissa, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Assam, Tripura have put moratorium on tiger shooting for 5 years, U.P. for 3 years and Maharashtra for two years.

(iii) Some species of deer and birds are also protected or their shooting regulated. A list of 38 species of animals and birds declared as protected is appended. [*Placed in Library. See* No. LT-4084/70].

केरल के कनानौर जिले में मदाई के मछुओं को मछली पकड़ने का लाइसेंस पुनः जारी करना

4313. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के कनानौर जिले में मदाई के मछुओं को, जो परम्परागत रूप में अपनी जीविका के लिए मछली पकड़ने का काम करते रहे हैं, लाइसेंस देने से इंकार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और उनको लाइसेंस न देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार उनको लाइसेंस देने के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विच र करने जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदाविक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में अंशकालिक आकस्मिक श्रमिकों द्वारा सत्याग्रह तथा अनशन

4315. **श्री अ० कु० गोपालन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में अंशकालिक आकस्मिक श्रमिकों द्वारा किये जा रहे सत्याग्रह और अनशन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन श्रमिकों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) श्रमिकों का अनशन समाप्त करवाने और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

आकाशवाणी सारनाथ पर विद्यार्थियों का आक्रमण

4316. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री कृपा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 अगस्त को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की समाजवादी

युवजन सभा के नेताओं के नेतृत्व में 60 विद्यार्थियों ने सारनाथ स्थित आकाशवाणी केन्द्र पर आक्रमण किया और आकाशवाणी केन्द्र के अहाते में जबरदस्ती दाखिल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उपकरणों और सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाई गई थी ; और यदि हां, तो क्षति का अनुमान कितना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । तथापि, इस बारे में कोई अधिकृत सूचना नहीं है कि उनका किस दल से संबंध है ।

(ख) विद्यार्थियों ने प्रात: 6 बजकर 38 मिनट पर सीमा पर लगी बाढ़ को पार किया और लगभग 15 से 20 व्यक्ति ट्रांसमिटर हाल में आ घुसे । उनमें से लगभग 7 व्यक्ति स्टुडियो में गये और उन्होंने कुछ नारे प्रकाशित करने का प्रयत्न किया । उनके प्रयत्न को ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने असफल कर दिया । उसके उपरान्त वे वहां से चले गये ।

(ग) घुसपैठिये टेलीफोन के दो ईअरपीस डायाफ्राम तथा एक ईअरपीस कवर ले गये थे । उपकरणों या सम्पत्ति को अन्य कोई क्षति नहीं हुई । अनुमानित नुकसान लगभग दस रुपए है ।

सिविल इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों और नई दिल्ली नगरपालिका के मस्टर-रोल कर्मचारियों की मांग

4317. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के सिविल इन्जीनियरिंग विभाग के 1000 कर्मचारी और मस्टर-रोल कर्मचारी अपनी मांगें प्रस्तुत करने और अपनी सेवा शर्तों में सुधार करवाने तथा नगरपालिका के 2 बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करवाने में उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने के लिए उनसे मिले थे ; और

(ख) यदि हां तो उन कर्मचारियों को दिये गये आश्वासन का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) यह आश्वासन दिया गया था कि यदि कोई अन्याय किया गया, तो केन्द्रीय सरकार उस मामले की जांच करेगी ।

मालिकों द्वारा अपनी भूमि का कब्जा छोड़ने का विरोध किये जाने के कारण भूमि सुधार में विलम्ब

4318. **श्री लीबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूमि सुधार सम्बन्धी नई समिति सरकार द्वारा कब्जा छुड़वाने का जमीन के मालिकों द्वारा विरोध किये जाने के कारण भूमि सुधार में होने वाले विलम्ब पर विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक बिकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : केन्द्र में स्थापित की जा रही भूमि सुधार की केन्द्रीय समिति विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारों की प्रगति पर निरन्तर ध्यान देगी तथा प्रस्ताव तैयार करने, उपयुक्त विधान बनाने और शीघ्र क्रियान्विति में उनकी सहायता करेगी।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी निर्णय को स्थगित करना

4319. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखानों के राष्ट्रीयकरण के कार्य को स्थगित करने से पूंजी निवेश तथा इन कारखानों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकरण के लिए समुचित प्राधिकार निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या बैंक राष्ट्रीयकरण के अनुसार ही मुआवजा दिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की अपने इस फैसले की घोषणा से कि वह आगामी पिराई मौसम के दौरान चीनी कारखानों को अपने हाथ में नहीं ले रही है, कारखाना मालिकों के संदेह दूर हुए प्रतीत होते हैं और रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि मरम्मत तथा ओवर-हालिंग का कार्य किया जा रहा है।

(ख) सरकार को दी गई कानूनी सलाह के अनुसार संसद तथा राज्य विधान सभा दोनों राज्य में चीनी के व्यापार का अभिग्रहण करने में सक्षम है। जहां तक देश भर में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग तथा उसकी समस्याओं को हल करने की पद्धति के संदर्भ में चीनी उद्योग के कार्य संचालन की सम्पूर्ण छानबीन करने हेतु एक आयोग स्थापित करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। इस मामले पर आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे विचार किया जायेगा।

(ग) इस सम्बन्ध में कुछ कहना जल्दीबाजी होगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना में फर्मों तथा कृषि मजदूरों के लिए योजना

4320. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में फार्मों तथा कृषि मजदूरों के लिए एक योजना बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) देश में विभिन्न भागों में कितनी तथा कौन सी परियोजनायें आरम्भ की जायेगी ;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने इस योजना में शामिल करने के लिए आठगढ़ सब-डिवीजन, कटक सब-डिवीजन के कुछ भागों तथा कटक जिले के बांकी सब-डिवीजन की सिफारिश की है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उड़ीसा सरकार द्वारा की गई सिफारिश के सम्बन्ध में सहमत हो गई है, और यदि हां, तो योजना को कार्यान्वित किये जाने के परिणाम स्वरूप कितना वित्तीय परिव्यय होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4085/70]

(घ) भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है। तथापि उड़ीसा राज्य को ऐसी 2 परियोजनायें आवंटित की गई हैं और परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए राज्य सरकार को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे गये हैं। राज्य सरकार जिलों के चुनाव के लिए कार्यवाही कर रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

20 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3854 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Corecting statement to unstarred Question No. 3854 dated 20-3-1969

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : 20 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3854 के उत्तर में यह कहा गया था कि :

(क) डाक व तार विभाग में, इन्जीनियर पर्यवेक्षक का ग्रेड 180-10-290-द० अ० 15-380 रुपये हैं। परन्तु, उन व्यक्तियों को, जो इन्जीनियर के स्नातक होते हैं जब इस ग्रेड में पहले नियुक्त किए जाते हैं या इस ग्रेड में सेवा के दौरान इन्जीनियरी स्नातक हो जाते हैं, तीन अग्रिम वेतनवृद्धियां या वेतन में 240 रुपये प्रतिमास तक वृद्धि, इनमें से जो भी अधिक लाभदायक हो, दी जाती है। आकाशवाणी में जिस सबसे छोटे ग्रेड पर स्नातक इन्जीनियर नियुक्त किये जाते हैं, वह सहायक इन्जीनियर है जो 350-25-500-30-590-द० अ०-30-800-द० अ०-30-830-35-900 रुपये के वेतनमान में द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित पद हैं। यह सही नहीं है कि आकाशवाणी में स्नातक इन्जीनियर 210 रुपये के वेतन पर सेवा शुरू करते हैं। यह इन्जीनियरी सहायकों का शुरू का वेतन है जो स्नातक इन्जीनियर नहीं होते।

(ख) सवाल नहीं उठता।

तथापि, सही स्थिति इस प्रकार है :—

(क) डाक व तार विभाग में, इन्जीनियरी पर्यवेक्षक का ग्रेड 180-10-290-द० अ०-15-380 रुपये हैं। परन्तु उन व्यक्तियों को, जो इन्जीनियरी के स्नातक होते हैं, जब इस ग्रेड

में पहले नियुक्त किये जाते हैं या इस ग्रेड में सेवा के दौरान इन्जीनियरी स्नातक हो जाते हैं, तीन अग्रिम वेतनवृद्धियां या 240 रुपये प्रतिमास तक के वेतन में वृद्धि, इनमें से जो भी अधिक लाभदायक हो, दी जाती है। उन स्नातक इन्जीनियरों को, जो आकाशवाणी में इन्जीनियरिंग सहायक के ग्रेड में नियुक्त किये जाते हैं, कोई अग्रिम वेतन वृद्धि नहीं दी जाती और उनका मूल वेतन 210-10-290-15-320-द० अ०-15-425 द० अ०-470 रुपये के वेतनमान में 210 रुपये निश्चित किया जाता है।

(ख) आकाशवाणी में इंजीनियरिंग सहायकों का वेतन 210 रुपये से शुरू होता है, चाहे वे स्नातक इन्जीनियर हों अथवा नहीं। उन इन्जीनियरिंग सहायकों को जो स्नातक इन्जीनियर हों अग्रिम वेतन वृद्धियां देने की कोई व्यवस्था नही है।

इस हद तक उत्तर को संशोधित समझा जाए।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के भारत स्थित यूनिट का बन्द किया जाना

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ने से पूर्व क्या मैं एक निवेदन कर सकती हूँ ? पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में विवरण कुछ समय पूर्व वितरित किये जाने की प्रथा थी परन्तु आज विवरण अभी-अभी ही वितरित किया गया है। प्रस्ताव सभा-पटल पर रखने वाले सदस्य महोदय को कुछ समय पूर्व विवरण मिल जाना चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि इस पर थोड़े समय के पश्चात चर्चा होनी चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Mr. Speaker, Sir, I have not received a copy of the Statement in Hindi.

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मैं विवरण पढ़ने को तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात की शिकायत है कि विवरण की प्रतियों का अभी-अभी ही वितरण हुआ है। अतः मन्त्री महोदय इसे पढ़ कर सुनायें।

Shri Jagannath Rao Josi (Bhopal) : Mr. Speaker. Sir, the hon. member Shri Hukam Chand Kachwai should get a copy of the Hindi version of the Statement.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विवरण के विलम्ब से वितरित होने के अतिरिक्त क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि यह प्रस्ताव अन्य सदस्यों द्वारा भी सभा-पटल पर रखा गया था तथा उन्हें यह कह दिया गया कि उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है ? परन्तु अब यह प्रस्ताव कार्य सूची में है। श्री नाथ पाई तथा मुझ जैसे सदस्यों का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया था जबकि आज यह मंजूर हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन इससे अधिक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होने के कारण इसे अनिर्णीत रख लिया गया था। इस पर कल बैलट हुआ था तथा माननीय सदस्य का इसमें नाम था। इसे कल ही स्वीकार किया गया था।

श्री हेम बरुआ : मुझे मेरा नाम कार्य सूची में होने अथवा नहीं होने से इतना मतलब नहीं है जितना इस बात से कि हमें यह कह दिया गया कि इसे मंजूर नहीं किया गया है परन्तु अब यह मंजूर हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि विवरण को एक घण्टा पूर्व वितरित कर दिया जाये।

अब मन्त्री महोदय इसे पढ़े ताकि अन्य सदस्य सुनकर प्रश्न पूछ सकें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के सम्वाददाता के कथित निष्कासन तथा उक्त कारपोरेशन के भारत स्थिति यूनिट को बन्द करने का निश्चय।"

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : वक्तव्य देने से पूर्व मैं विवरण के वितरण में हुए विलम्ब के लिए खेद प्रकट करता हूं तथा आश्वासन देता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

जून मास में, ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ने लुइस माले द्वारा निर्देशित और निर्मित 'कलकत्ता' नामक एक रंगीन फिल्म और डोम मोरेस द्वारा 'दी बिविल्डर्ड जेंट' नामक दूसरी रंगीन फिल्म का प्रदर्शन किया गया था।

लन्दन में स्थित हमारे उच्च आयोग को भारतीयों और ब्रिटेन में अन्य लोगों से बहुत से पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनमें उन्होंने भारत के विरुद्ध इन अपमानजनक और पक्षपात पूर्ण फिल्मों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। पहली जुलाई को हमारे उच्चायुक्त ने ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन को पत्र लिखा और इन फिल्मों में भारत की विकृत और अनुचित तस्वीर की ओर भी ब्रिटिश विदेश कार्यालय का ध्यान दिलाया। उन्हें यह भी बताया गया कि इस प्रकार की फिल्में दिखाने से भारत और ब्रिटेन के बीच बने हुए अच्छे सम्बन्धों को और अधिक बढ़ाने में सहायता नहीं मिलेगी। यद्यपि यूनाइटेड किंगडम विदेश कार्यालय ने हमारे विचारों के साथ अपनी सहमति प्रकट की, किन्तु उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन एक स्वायत्त निगम है।

हमारे अभ्यावेदनों को देने पर भी ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन टेलीवीजन ने तथा लुइस माले ने 22 जुलाई को 7 भागों की एक क्रमिक फिल्म, जिसको "ई इन्डे फन्तोम" (घोस्ट आफ इंडिया) कहते हैं, को प्रदर्शित करना शुरू किया। जो दो फिल्में जून में दिखाई गई उनसे उन लोगों के दिमागों में जिन्होंने उनको देखा है, भारत के प्रति अपमान की भावनायें पैदा हुई हैं।

3 अगस्त को हमारे उच्चायुक्त ने ब्रिटिश विदेश कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले के विषय में बात की और ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के महानिदेशक से अनुरोध करते हुए लिखा कि भारत-ब्रिटेन की पारस्परिक सदभावना तथा मित्रता के हित में वे लुइस माले की इन फिल्मों को प्रदर्शित करना बन्द कर दें।

ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के महानिदेशक का दिनांक 5 अगस्त का उत्तर असंतोषजनक था और उन्होंने कहा कि उनका इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का कोई विचार नहीं है। तत्पश्चात 7 अगस्त को हमने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग को सूचित किया कि यदि ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन इस मामले में भारत की प्रतिष्ठा और मान का ध्यान नहीं रखता और इन फिल्मों के प्रदर्शन को नहीं रोकता तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि अब ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की भारत में न तो आवश्यकता है और न ही यह वांछनीय है।

जब ये बातचीत चल रही थी, तब भी बी० बी० सी० ने लुइस माले चित्र का प्रदर्शन जारी रखा। इस क्रम का चौथा भाग दिखाये जाने के बाद, हमारे कड़े प्रतिवेदनों के बावजूद सरकार ने 14 अगस्त को भारत में बी० बी० सी० के प्रतिनिधि तथा संवाददाता को मौखिक तथा लिखित रूप से नोटिस दिया जिसमें उसे दो सप्ताह की अवधि में यहां पर अपना कार्य बन्द करने के लिये कहा गया। नई दिल्ली में ब्रिटिश के हाई कमिश्नर तथा लन्दन में बी० बी० सी० के प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी जाती रही।

18 अगस्त को यहां पर ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने इस स्थिति को हल करने के लिये बी० बी० सी० द्वारा किये गये कुछ प्रस्ताव भेजे। इनमें स्थिति पर विचार करने के लिये भारत में बी० बी० सी० द्वारा एक उच्च-स्तरीय दूत भेजने का प्रस्ताव भी शामिल था। भारत सरकार ने सुझाव दिया कि बजाय इसके कि बी० बी० सी० का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि यहां आये, बी०बी०सी० को लन्दन में हमारे हाई कमिश्नर के साथ बातचीत करनी चाहिये।

तदनुसार बी० बी० सी० के प्रतिनिधियों ने हमारे हाई कमिश्नर के साथ कई बार बातचीत की है जिसमें उन्होंने हमारी इस मूल प्रार्थना को मानने से इन्कार कर दिया है कि इस चित्र को आगे दिखाना बन्द कर दिया जाये।

बी० बी० सी० द्वारा इन चित्रों का आगे प्रदर्शन बन्द करने से इन्कार कर देने के कारण सरकार ने यहां पर विराजमान ब्रिटेन के हाई कमिश्नर तथा लन्दन में बी० बी० सी० के प्राधिकारियों को सूचित किया कि सरकार का यह निर्णय, जो 14 अगस्त को भेजा गया, कि भारत में बी० बी० सी० का कार्य 29 अगस्त, 1970 से बन्द होना चाहिए, अब लागू किया जायेगा।

लेकिन सरकार के इस निर्णय का यह अर्थ नहीं है कि हमें ब्रिटिश सरकार अथवा लोगों से कोई द्वेष है। इसके प्रतिकूल हमें उनकी मित्रता पर गर्व है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : लुइस माले जब यहां पर था तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिये था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : देश की जनता के सम्मान पर किये गये निन्दाजनक आक्षेपों को दूर करके भारत सरकार देश की इज्जत बनाये रखना चाहती है, इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। सरकार ने इस मामले में अब तक जो कार्यवाही की है उसकी मैं प्रशंसा करती हूँ परन्तु मैं यह जानना चाहती हूँ कि सरकार की नीति क्या है ? क्या भारत सरकार की यह नीति है कि एक देश के साथ जैसी नीति अपनाई गई है वैसी दूसरे देश के साथ नहीं अपनाई है। दूसरे देशों के रेडियो हमारे देश की जनता सम्मानित व्यक्ति एवं सर्वोच्च-न्यायालय पर निन्दाजनक आक्षेप करते हैं और भारत सरकार ने रूस सरकार के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया है कि रेडियो पीस एन्ड प्रोग्रेस एक स्वतंत्र संस्था है और वह कुछ भी कर सकती है। भारत सरकार की नीति अलग-अलग देशों के प्रति अलग-अलग क्यों है ?

मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस बारे में परस्पर आधार पर कोई नीति अपनाई जाती है ? जब यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया था तो राष्ट्र हित बढ़ाने की अपेक्षा राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले चलचित्र ही दिखाये गये। यह कहा गया कि ये चलचित्र नव्य-यथार्थवादी हैं तथा विश्व में प्रचालित हैं। किशोर लड़के तथा लड़कियां ये चलचित्र देखने जा रहे थे। (**व्यवधान**) यहां पर ये चलचित्र इस तर्क के आधार पर दिखाये गये थे कि वे यथार्थवादी हैं तथा विश्व में दिखाये जा रहे हैं। सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि ये चलचित्र राष्ट्रीय संस्कृति तथा स्वरूप के लिए हितकारी नहीं है परन्तु इन चलचित्रों पर रोक लगाने के बजाय सरकार ने इन्हें बढ़ावा दिया। अब सरकार एक ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन को बन्द करने जा रही है और मास्को रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस ने हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय पर निन्दाजनक आरोप लगाये, परन्तु सरकार ने उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। केवल इतना कह दिया कि इस बात का विरोध कर दिया गया है। दो रेडियो स्टेशनों के बीच इतना भेद-भाव क्यों है ? मंत्री महोदय के वक्तव्य से प्रकट होता है कि ब्रिटेन सरकार ने, ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन द्वारा मत भेद दूर करने के बहुत से प्रस्ताव किये, जिनमें एक बी० बी० सी० के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि के भारत आने का सुझाव है ताकि स्थिति पर चर्चा की जा सके।

सरकार को कम से कम उस शिष्टमण्डल की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। ऐसा करने से आपसी सम्बन्धों पर कुप्रभाव नहीं पड़ता। ब्रिटेन सरकार ने माले की फिल्म को कम स्थानों पर दिखाये जाने का भी प्रस्ताव किया था परन्तु भारत सरकार के इस रुख से अब उसकी फिल्मों को जोर शोर से दिखाया जा रहा है। यदि प्रतिनिधि मण्डल यहाँ आता और सरकार यह कोशिश करती कि ऐसे चलचित्र बी०बी०सी० द्वारा न दिखायें जाये तो इन सब बातों पर चर्चा की जा सकती थी तथा चलचित्रों के सेंसर होने से पूर्व की स्थिति बनाई जा सकती थी (**व्यवधान**)

भारत सरकार का निर्णय, सब निर्णयों पर प्रभाव डालने वाला होता है इसलिए मैंने दो ब्राडकास्टिंग कारपोरेशनों के बीच किये गये भेदभाव पर आपत्ति उठायी है।

मैंने यह प्रश्न पूछा कि क्या भारत सरकार अब भी बी० बी० सी० के शिष्टमण्डल से वार्ता करने का विचार कर रही है और क्या भारत सरकार ने उन संस्थाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया है जो संस्थायें हमारे देश पर निन्दाजनक आक्षेप करती हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं तथा मैं उन सब का उत्तर देने की कोशिश करूंगा । प्रथम प्रश्न यह है कि क्या हमने इस कार्यवाही के करने से पूर्व बी० बी० सी० के साथ भेदभाव दूर करने वाले उपाय अपनाये हैं । जैसाकि मैं अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमने अनेक बार इन मामले पर बी० बी० सी० के साथ चर्चा की और उनसे यह कार्यक्रम रद्द करने को कहा परन्तु उन्होंने हमारे निवेदन पर ध्यान नहीं दिया इसलिए हमें यह कार्यवाही करने के लिये विवश होना पड़ा ।

जहां तक मुख्य प्रश्न की बात है कि भारत सरकार ब्राडकास्टिंग के मामले में भिन्न भिन्न देशों के साथ भिन्न भिन्न नीति अपना कर दुहरा स्तर बनाये हुये है । (व्यवधान) मैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस तथा रेडियो मास्को से जिस प्रकार का प्रसारण होता है उन दोनों प्रसारणों के बीच भेद-भाव रखा जाना है तथा यह मामला हमारे पास है । बी० बी० सी० ने अपने विशेष कार्यक्रम में चलचित्रों का प्रदर्शन किया वे हमारे राष्ट्र की बदनामी करने वाली थी । यदि इस प्रकार की घटना रूस या कहीं अन्यत्र घटी होती तो हम उनके साथ भी इसी प्रकार की कार्यवाही करते । (व्यवधान)

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत में दिखाये गये चलचित्रों का प्रश्न सदन में जो प्रश्न रखा हुआ है उसके कारण उत्पन्न नहीं होता है । यदि वह इस मामले पर अलग प्रश्न सभा-पटल पर रखें तो वह सम्बन्धित मंत्रालय से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं ।

उनका अन्तिम प्रश्न है कि क्यों हम बी० बी० सी० के साथ चर्चा जारी रखेंगे । बी०बी० सी० ने उक्त कार्यक्रम को निरस्त नहीं करने का निर्णय ले लिया है अतः अब यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । (व्यवधान)

Shri Shashi Bhushan ((Khargone) : Mr. Speaker, Sir. I congratulate the Government for taking action against the BBC. But I would like to ask certain questions. The British Broadcasting Corporation has been showing pictures on Television maligining our country and also propagating against our country since the contingent of Indian Military took police action in Goa. Few days back when a conference was going on it Rabat, the B.B C. broadcast shameful propaganda and protest against the demonstration which was held at the office of BBC in India and urged upon the Government of India to ban such demonstration immediately. Apart from that, they made propaganda against our country in France and other countries in various languages. We have been observing all these things for the last 10 to 12 years,

The people of Great Britain are not happy over an independence. I would like to know why the Government did not take this action at an early date ?

Shri Surendra Pal Singh : It is true that the B.B.C. has been conducting many such programmes wherein the real picture of India had not been depicted but the matter was then not no series which cremanted such a chaste step on our part.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, the step taken by the Government against the B.B.C is a commendable one and the whole country would appreciate it. But it is a policy of discrimination. Radio Peace and Progress and Radio Moscow always condemn our culture and great personalities, Radio Peace and Progress and Radio Moscow should not have condemned our Supreme Court. The abusive language used by Moscow

Radio and Radio Pakistan for our leader is much shameful. The Government is applying double standard in regard to closing the unit of the B.B.C. and not taking any action against Radio Peace and Progress etc. who are also maligning India. It is altogether appropriate. (*Interruption*)

Shri Surendra Pal Singh : It is not correct to compare Radio Moscow with B B . Our policy is the same for every nation. If the same kind of thing happens in Russia or elsewhere the Government will take same action as they have taken in case of B.B.C.

So far as the condemnation of our Supreme Court by Radio Peace and Progress is concerned their reference was regretting and wrong. The Government have drawn their attention to such happenings and they have assured us that they will not broadcast such news in future.

Shri Hukam Chand Kachwai : Radio Pakistan always broadcasts maliclous propaganda against India. The hon. Minister has not answered that part of the question. May I know the action taken by the Government in this regard ?

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : कल तक श्री स्वर्णसिंह सदन में यह बात जोर देकर कहते रहे हैं कि हमारा स्वतन्त्र समाज है तथा हमारे देश के किसी भी कार्य को छिपाया नहीं जाता है परन्तु जब हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम रहे रूसी पत्रकारों की वैधता पर प्रश्न किया तो मंत्री महोदय ने कोई उत्त र नहीं दिया। हम मास्को रेडियो तथा रेडियो पीस एंड प्रोग्रेस के इन संवाददाताओं को जो हमारे देश के विरुद्ध निन्दाजनक प्रचार करते हैं, राजनयिक सुविधाओं के साथ गाड़ियों (कारों) में दिल्ली में घूमने देते है। हम चाहते हैं कि विदेशी प्रकाशनों की भारतीय जांच (सेंसरशिप) पर नियन्त्रण हो। विदेशी प्रकाशनों की जांच (सेंसरशिप) पर किस प्रकार सरकार नियन्त्रण करना चाहती हैं ?

जब सरकार यह कहती है कि रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस एक स्वायत्त निगम है तो क्या उसे यह मालूम नहीं है कि बी० बी० सी० भी आरम्भ से ही एक स्वायत्त निगम है।

सरकार तो बी० बी० सी० के प्रति कड़ा रुख अपनाये हुए है। लुई माले बी० बी० सी० का कर्मचारी नहीं है। वह अपने काम से यहां आया था तथा फिल्म बनाई। बी० बी० सी० केवल उस फिल्म को दिखाने में सहायक है।

बी० बी० सी० ने एक पत्र लिखकर अफसोस प्रकट किया है तथा वे इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो भारत सरकार को पुनः उनके साथ इस मामले पर चर्चा करने में क्या कठिनाइयां है...(**व्यवधान**) यदि बी० बी० सी० अथवा वाइस आफ अमरीका अथवा मास्को रेडियो इस प्रकार का प्रचार हमारे देश के विरुद्ध करते हैं तो इन सब गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के प्रसारण के क्या कार्यक्रम हैं जिनसे वह अपनी नीति विश्व के समक्ष रख सके।

भारत में बी० बी० सी० के दिल्ली संवाददाता की प्रत्यामिति निरस्त करना सर्वथा अनुचित है। इसके लिए लुई माले उत्तरदायी है। बी० बी० सी० ने तो केवल माले द्वारा बनाये गये वृत्तचित्र को दिखाया था। (**व्यवधान**) मेरा अन्तिम प्रश्न यह है; जहां तक पाकिस्तान में उत्पन्न नई बातों का प्रश्न है, भारत सरकार विश्व के समक्ष एक स्वतंत्र प्रजातान्त्रिक समाज के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? (**व्यवधान**)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सदन के समक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय है। माननीय सदस्य श्री नन्दकुमार सोमानी द्वारा एक विशेष प्रश्न पूछा गया, वह प्रश्न सदन के समक्ष है। बी० बी० सी० की कार्य-प्रणाली पर यह एक छोटा सा प्रश्न है। माननीय सदस्य अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु क्या कोई माननीय सदस्य बी० बी० सी० का बचाव कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि बी० बी० सी० पर चर्चा हो रही है तो सरकार की सामान्य नीति के बारे में पूछना आपत्तिजनक नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु वह बी० बी० सी० का बचाव कर रहे हैं।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में डोमे मोरेस का नाम बताया। उसके कार्यों के बारे में नहीं बताया। उसने केवल फिल्म की लिपि लिखी थी। क्या वह अब भी भारत का नागरिक है ? इस बारे में क्या कार्यवाही की गई।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम कार्य सूची में नहीं है। यदि आप अनुज्ञा के बिना बोलेंगे तो वह सभा के कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री स० कुण्डू : * (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि एक ओर तो हम स्वतन्त्र समाज तथा स्वतन्त्र प्रेस की बातें करते हैं जबकि दूसरी ओर विदेशी संवाददाताओं के साथ दुहरे स्तर का बर्ताव करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहता हूँ कि यह सही नहीं है। हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं तथा सभी विदेशी संवाददाता, जहां वे जाना चाहें, जाने के लिए स्वतन्त्र हैं और जब तक उनका कार्य असत्य एवं विषैला नहीं होता है तब तक हम हस्तक्षेप नहीं करते।

बी० बी० सी० के मामले में भी, इस देश में बी० बी० सी० का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ही कार्यवाही नहीं की गई है। संगठन के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। परन्तु चूंकि जब बी० बी० सी० के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तो यह स्वाभाविक है कि उस सज्जन को जो बी० बी० सी० से सम्बन्धित है, अपना काम बन्द कर देना चाहिये था।

दूसरा प्रश्न बी० बी० सी० के साथ पुनः वार्ता करने से सम्बन्धित था। उन्होंने हमारे द्वारा रखी गई शर्तों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया तो उनसे पुनः वार्ता करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

---

* सभा के कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मुद्रण यन्त्र और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं मुद्रण यंत्र और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 20क की उपधारा (2) के अन्तर्गत, समाचार पत्रों का रजिस्ट्रीकरण (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 721 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—4069/70**]

पश्चिमी बंगाल से सम्बन्धित अधिनियम

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : मैं श्री ब० सू० मूर्ति की ओर से पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कलकत्ता महानगर क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1970 का राष्ट्रपति का अधिनियम, संख्या 18) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। जो दिनांक 13 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4072/70**]

भारतीय खाद्य निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 के लिए भारतीय खाद्य निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4071/70**]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का बजट अनुमान

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ राय) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1969-70 के लिए संशोधित अनुमानों और वर्ष 1970-71 के लिए बजट अनुमानों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०...4072/70**]

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

(श्री राम सेवक यादव)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि मुझे बाराबांकी के जिला मजिस्ट्रेट से 26 अगस्त 1970 को निम्नलिखित तार मिला। लोक सभा के सदस्य, श्री राम सेवक यादव

को 26 अगस्त, 1970 को 2 बजे म० प० पर बाराबंकी नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेशों का उल्लघंन करने के कारण गिरफ्तार किया गया और उन्हें फैजाबाद जिला जेल में भेज दिया गया।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे)
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAY)

अध्यक्ष महोदय : यह सभा रेलवे के बजट के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी। श्री को० सूर्यनारायण।

Shri Molahu Prashad (Bansgaon) : I rise on a point of order. Will you please look at items 13 and 14. It appears that it will not be deleted. You had fixed the time for it but the hon. Minister is not replying.

Mr. Speaker : The Budget is to be passed first. For this purpose him has been extended by one day.

Shri Molahu Prashad : You may intimate the date.

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर चर्चा मध्याह्न भोजन के उपरान्त करेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till a quarter past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर सत्रह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha Reassembled after lunch at Seventeen Minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल में आंतक फैलाया हुआ है केन्द्रीय रिजर्व बैंक पुलिस और स्थानीय पुलिस प्रत्येक बस्ती में जाकर आंतक पैदा कर रही है। मेरा यह कहना है कि सरकार इस सभा को बताये कि इस प्रकार की बातें कब रोकी जायेंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सरकार ने पहले यह घोषित किया था कि दुर्गापुर की हड़ताल की समाप्ति के पश्चात हड़तालियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी परन्तु आज के समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि प्रबन्धकों ने 3,000 कर्मचारियों को आरोप पत्र देने का निर्णय किया है। हम चाहते हैं कि मन्त्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करें। यह बदले की भावना है और इसको त्यागना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पश्चिमी बंगाल में कोई विधान सभा नहीं है और वहाँ राष्ट्रपति शासन है। भारत सरकार इस बात से अवगत थी कि पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी हजरा आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित कराने के लिए तीन दिन की हड़ताल करेंगे, यदि सरकार इसमें रुचि नहीं दिखायेगी तो यह प्रतिवेदन क्रियान्वित नहीं हो सकता। ऐसा सुनने में आया है कि सरकार कर्मचारियों को हड़ताल में भाग न लेने के लिए डरा रही है। मेरा कहना यह है कि इस पर वक्तव्य दिया जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वहां पर भय का साम्राज्य है। यह स्थिति मजूरी बोर्ड पंचाट को क्रियान्वित न करने के कारण उत्पन्न हुई है। मैं चाहता हूं कि श्रम तथा रोजगार मन्त्री इस पर वक्तव्य दें।

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : I have repeatedly stated that several workers of Railway Electrification have gone to Jails following the strikes. They are demanding that they should be declared Permanent as they have put in more than 12 to 15 year comes as casual labour. The Railway Minister may please make a statement on it.

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : लगभग 3,000 टिकट कलक्टर और अन्य टिकट जांच कर्मचारी दिल्ली आये थे और रेलवे मन्त्री से मिलकर उनको ज्ञापन देना चाहते थे परन्तु उनको मना कर दिया गया। आप इसका उत्तर दिलवाइये।

****श्री को० सूर्यनारायण** (एल्लूरु) : यदि हम नए रेलवे मन्त्री श्री नंदा द्वारा रेलवे सेवा में सुधार लाने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों को देखें तो मेरे विचार में किसी को इसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मन्त्री महोदय को समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनका समाधान ढूढने के लिए समय दिए बिना उन पर विक्रियता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आन्दोलन करने के बजाए हमें बैठ कर विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए।

हमें बातचीत द्वारा तथा सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए और यही एक सही लोकतंत्र मार्ग है। यदि सरकार अपने कर्मचारियों की कठिनाईयों को हल नहीं करती तो हम सरकार की निंदा कर सकते हैं। परन्तु यहां केवल भाषण देने से ही काम नही चलेगा।

मेरा यह कहना है कि मन्त्रियों के लिए पुराना नौकरशाही तरीका रातों-रात बदलना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। 1967 से तीन बार रेलवे मन्त्री बदले हैं परन्तु अभी भी रेलवे प्रशासन के समक्ष कठिनाइयां हैं, नौकरशाही उपेक्षा का मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। विजयवाडा से दिल्ली रेल द्वारा आते समय मैंने देखा है कि रेल के डिब्बे में पानी इधर-उधर चूता रहता है। यद्यपि रेलवे प्रशासन के ध्यान में इस मामले को कई बार लाया गया है परन्तु उन दोषों को दूर करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

**मूल तेलगू के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

**English Translation the speech delivered in Telugu.

यात्रियों को मध्यवर्ती स्टेशनों में स्थान-आरक्षण कराने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे स्टेशनों पर ही, जहां से रेलगाड़ियां चलनी आरम्भ होती हैं, सभी सुविधायें उपलब्ध हैं । मेरा रेलवे मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस मामले को देखें और ऐसे लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ कार्यवाही करें । यद्यपि रेलवे की आय बढ़ रही है तथापि ऐसे मामलों में लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है ।

मैं विशेषकर तटीय आंध्र के चार या पांच जिलों के लोगों की कठिनाइयों को प्रस्तुत करूंगा, उन्हें उत्तरी भारत के स्थानों की ओर जाते समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । मद्रास और कलकत्ता को रेलगाड़ियां जाती हैं परन्तु एक भी रेलगाड़ी विजयवाड़ा से आरम्भ होकर तटीय जिलों को नहीं जाती है, यह दुर्भाग्य की बात है कि रेलवे के नक्शे में वाल्तायर को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह है । यहां हिन्दुस्तान शिपयार्ड, तेल शोधक कारखाना आंध्र विश्वविद्यालय है । वहां एक नए इस्पात कारखाने की स्थापना होने वाली है । दिल्ली से विशाखापत्तनम को कोई सीधी रेलवे लाइन नहीं है । दिल्ली से वहां सीधी रेलवे सेवा न होने से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतएव जब तक सीधी रेलवे सेवा उपलब्ध नहीं की जाती है तब तक जी० टी० अथवा दक्षिण एक्सप्रैस रेलगाड़ी पर विशाखापत्तनम के लिये कुछ और डिब्बे लगाए जायें ।

विजयवाड़ा एक ऐसा केन्द्र है जहां से माल को जहाज में लादकर अन्य स्थानों पर भेजा जाता है तथा जहां के स्टेशन से यातायात बड़े पैमाने पर आरम्भ होता है । इसी स्टेशन से 10 लाख रुपये के मूल्य का खाद्यान भेजा जाता है । नागार्जुनसागर परियोजना के आरम्भ होने से विजयवाड़ा स्टेशन में और अधिक भीड़ भाड़ आरम्भ हो जायेगी आंध्र प्रदेश की सरकार ने नागार्जुनसागर को विजयवाडा से रेल द्वारा मिलाने का अनुरोध किया है । यह कहा गया था कि इस नई रेलवे लाइन की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है । परन्तु दुर्भाग्यवश न रेलवे बजट में और न रेलवे के लिए वर्तमान अनुपूरक मांगों में इसका कोई उल्लेख किया गया है । मुझे आशा है कि वे इस पर विचार करेंगे और यात्रियों को सुविधायें देने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं गत तीन वर्षों से संसद में आने और वापिस जाने के लिए रैल द्वारा यात्रा कर रहा हूँ और मैं श्री नंदा को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि रेलवे सेवा में बहुत कुछ सुधार हुआ है । इसके बावजूद रेलवे बोर्ड ने मन्त्री महोदय का घेराव किया था । मैंने कई बार यह सुझाव दिया है कि आपके पास इसके लिए एक अलग सचिवालय होना चाहिए । मेरा सुझाव यह है कि बोर्ड को दो भागों में बांटा जाये ताकि आधा भाग आपका सचिवालय बन जाये और आधा भाग बोर्ड के रूप में कार्य करे जोकि सचिवालय के नियन्त्रण में होगा और सचिवालय सम्बन्धी अधिकारों से राहित होगा । अगर ऐसा किया गया तो यात्रियों को अच्छी रेलवे सुविधा उपलब्ध होगी ।

श्री पुनाचा ने रेलवे से माल भाड़े के रूप में प्राप्त होने वाली गिरावट का उल्लेख किया है क्योंकि कुछ इन्जन भलि-भांति कार्य नहीं कर रहे हैं । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने

बजट को प्रस्तुत किये जाने के समय यह बात उठायी थी कि आप माल-भाड़े की दर को ऊंचा रख रहे और इससे निश्चय ही माल यातायात में कमी आयेगी। अब भी वर्तमान दरों को पूर्व दरों पर लाने से स्थिति संभल सकती है।

मैं काफी समय से यह कह रहा हूँ कि नवनिर्मित हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के साथ साथ पगडंडी बनाई जाये ताकि रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों के पुलों को पार करते समय बीच में ही फंस जाने का खतरा न रहे। यह एक छोटी सी बात है और आपने स्वयं कहा था कि पुलों पर पंगडंडी बनाने में केवल 4 लाख रुपये आयेंगे। वैसे पुल 340 है परन्तु केवल 30 ही पुलों पर पगडंडी बनाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा पुलों की जांच करने से भी बहुत लाभ होगा और आप रेलवे सेवा को सही शब्दों में जनता की सेवा बना सकेंगे।

मैं अन्ना-मंगलौर रेलवे लाईन का भी उल्लेख करना चाहूँगा। सम्पूर्ण पश्चिमी तट के लोगों की यह इच्छा है कि उन्हें बम्बई पहुँचने के लिए जो कि केवल 200 मील दूर है पहले मद्रास न जाना पड़े। आपने इसके लिए सर्वेक्षण करने को कहा है। परन्तु इस सर्वेक्षण कार्य में बहुत अधिक समय लग रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को अविलम्ब कराया जाये।

श्री जि० मो० बिस्वास (बाँकुरा) : यात्रियों की सुविधा हेतु ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम बनाने एवं उसे लागू करने के लिए श्री नन्दा को मैं भी बधाई देना चाहता हूँ। परन्तु इसके साथ साथ मैं रेलवे मन्त्री को यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि उनके यह प्रयास सफल नहीं होंगे क्योंकि उनके अधिकारी इस कार्यक्रम के क्रियान्वित किये जाने के विरुद्ध हैं। इस कार्यक्रम के क्रार्यान्वयन के प्रयत्नों को असफल बनाने के लिये की जा रही बातों की ओर मैं संकेत करूंगा।

रेलवे बजट में बड़ौदा के अधिकारी प्रशिक्षण कालेज के लिए खर्चे की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जा रही है इस कालेज का क्या कार्य है मेरी समझ में नहीं आता ? यहां कोई तकनीकी प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा। अच्छा यह होगा कि इस कालेज को हमेशा के लिए बन्द कर दिया जाए, क्योंकि तृतीय श्रेणी के उन कर्मचारियों के लिए, जो पदोन्नति द्वारा अधिकारी बनते हैं, प्रशिक्षण की आवश्यक्ता नहीं होती।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में हुई हड़ताल के समय श्री नन्दा ने यह आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों पर कोई अत्याचार नहीं होगा। परन्तु इस वचन के कारण उनका उपहास करवाने के लिए उस रेलवे के अधिकारियों द्वारा कुछ कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और कुछ को बन्दी बना लिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए और सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाना चाहिए। रेलवे में होने वाली हिंसात्मक हड़तालों का जहां तक सम्बन्ध है इस संबंध में मन्त्री महोदय यदि ईमानदार हैं तो वे रेल कर्मचारियों की साधारण शिकायतों की ओर ध्यान दें। हिंसात्मक हड़तालों की समस्या प्रतिशोधात्मक बातों से हल नहीं हो सकती। हाल ही में दक्षिण-पूर्वी रेलवे में हड़ताल हुई और यूनियन के महा मन्त्री और सहायक महा मन्त्री को मध्य प्रदेश सरकार ने बन्दी बना लिया इस से स्थिति और भी खराब हो गई।

इस सम्बन्ध में मैं रेलवे मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि हड़ताल के दौरान की अनुपस्थिति को "प्राप्य छुट्टी" के रूप में माना जाना चाहिए जैसा कि अशोक होटल की हाल की हड़ताल में

हुआ हैं । इससे प्रशासन को कोई हानि नहीं होगी । मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे मन्त्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सेवा-विच्छेद न हो । दक्षिण-पूर्वी रेलवे कर्मचा ी यूनियनों के नेता इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि हिंसात्मक हड़तालें हमेशा के लिए बन्द कर दी जाएं ।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि रेलवे मन्त्री इस बात को सुनिश्चित करें कि स्थायी वार्ता संगठन की बैठकें नियमित रूप से हों । यद्यपि इस प्रकार की बैठकों के करने के आदेश हैं परन्तु उनका पालन नहीं हो रहा है । यह शिकायत दूर होनी चाहिए ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अनुपूरक मांगों पर बहस के दौरान सदस्यों को मांगों से संबंधित बातों का ही उल्लेख करना होता है । इन बातों का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं आप सभा की कार्यवाही का उचित दिशा में निर्देश करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । परन्तु वास्तव में यह नियम हमेशा ही भंग किया जाता रहा है । सदस्यों के सहयोग से ही यह सम्भव हो सकता है और इस बारे में सभा का सहयोग प्राप्त करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी ।

श्री जि० मो० विश्वास : मैं बड़ौदा के अधिकारी प्रशिक्षण कालेज की बात कर रहा था और यह अनुपूरक भागों में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री जि० मो० विश्वास : मेरा विश्वास है कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे में हड़ताल के दौरान की अनुपस्थिति को भारतीय रेलवे मन्त्री 'प्राप्य छुट्टी' के रूप में मानना स्वीकार कर लेंगे ।

छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की बात भी एक अन्य सम्बन्धित बात है । पूरूलिया कोटासिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में इस सभा में अश्वासन भी दिया गया था । परन्तु अब भी चतुर्वेदी जी ने पश्चिमी बंगाल के कुछ नेताओं को पत्र लिखा है कि संसद में दिया गया अश्वासन ठीक नहीं था । इससे वहां के लोगों के दिलों में संभ्रान्ति उत्पन्न हो गई है । यदि रेलवे मन्त्री इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी ।

अन्त में जैसा कि आप जानते है, कि दक्षिण रेलवे के फायरमैनों को हड़ताल उस समय के रेलवे मन्त्री तथा रेलवे मन्त्रालय के राज्य मंत्री के इस अश्वासन पर समाप्त की गई थी कि कोई अत्याचार नहीं होगा । परन्तु हाल ही में मैं विजय वाड़ा गया था और मैंने पाया कि अनेक कर्मचारियों पर अत्यत्चार किया जा रहा है । वहां एक सम्मेलन हुआ जिसमें 2500 लोगों ने भाग लिया था वह इस बात से बड़े दुखी थे कि संसद में अश्वासन देने के उपरान्त भी उसे कार्यान्वित नहीं किया जाता । वहां दूसरी हड़ताल को रोकने के लिए मैं माननीय रेलवे मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे लोगों के मामलों पर विचार करें ।

टिकटों की जांच करने वाले लगभग 2000 कर्मचारी यहां आए हैं और वे 'वोट क्लब' पर बैठे हैं । माननीय रेलवे मन्त्री से अनुरोध है कि वे उनके प्रतिनिधियों से मिले व उनका ज्ञापन प्राप्त करें । उनकी माँग केवल यह है कि उन्हें भी परिचालक-वर्ग के रुप में स्वीकार किया जाये । माननीय सदस्य श्री चे० मु० पुनाचा ने, जो उस समय रेलवे मंत्री थे, अधिकारियों

का वेतनमान बढ़ा दिया और आश्वासन दिया कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामलों पर वे विचार करेंगे। परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है माननीय रेलवे मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि वह तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनों के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, with your permission I would like to invite the attention of hon. Minister towards Demand No. 2 and Demand No. 8, which relate to maintenance and repair of buildings and ferries. Ferries are also being run at certain places by the Railways. These Ferry ships have become very old and hence cannot be repaired properly. The result is that these are held up and the streams during the rainy season and passengers are put to difficulties.

There is another thing to which I would like to invite yonr attention. Waiting rooms and other facilities such as laterine and drinking water for passengers are not available at Pahleja ghat, which is a temporary station. These should be provided.

Electric Signalling System at Patna is not working properly. It should be attended to so that information about incoming and out going trains could be announced.

I want to say something about compensation and loss also. Though there is Railways Protection Force, there are thefts in goods trains while in transit. These days many a thefts are taking place at Chapra Railway Station. If these are checked we can control losses and damages.

I had invited the attention of hon, Railway Minister towards plot No. 2 at Chapra Station. He had informed me that a case against unauthorised occupation has been initiated. I have now heard that the case has been withdrawn. Many a people have occupied Railway land during the land grab movement. These illegal occupants harbour anti-social elements who indulge in thefts and other such acts. All this is causing loss to the Railways. This will continue till unauthorised occupation of land is not got vacated and it is given to legally entitled people.

Railways have to spend a lot of money on compensation and loss cases. Mostly these cases are lost by Railways, because proper briefing, etc. of pleaders is not done, There should be some proper arrangement for this.

A committee had been set up to go into the question of departmental catering. This committee had suggested that there should not be departmental catering and if it has to be, it should be arranged at big stations. But contrary to this suggestion it is being introduced in the name of Nationalisation at Chapra Station which is not a big station in comparison to Katihar, Gonda, Gorakhpur, etc. At Chapra the work is being carried on by a number of small shopkeeper most of whom are Harijans Muslims or displaced persons whereas there is a monopoly of one or two families at other stations. No attention has been paid to them. I would request the hon. Minister to bear this in mind while considering such matters.

श्री० रा० कृ० बिड़ला (झुंझनु) : प्रथमतः इस बड़ी संस्था में सुधार एंव दक्षता लाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के लिए मैं श्री नन्दा को बधाई दूंगा। यद्यपि इस बात में मुझे शक है कि अपने प्रयत्न में वे सफल होंगे।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : We should know the Demand on which the hon. Member is speaking. This is not a general discussion.

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । मैंने कई बार सदन को बताया है कि सदन के समक्ष माँगों पर ही सदस्य अपने आप को सीमित रखें। परन्तु वह ऐसा नहीं करते। यह उनके सहयोग से ही सम्भव है। मैं तो केवल समय पर नियन्त्रण रख सकता हूँ।

श्री रा० कृ० बिडला : सदन के समक्ष मांगों तक ही मैं अपने आप को सीमित रखूंगा ।

मुझे शक है कि श्री नन्दा के प्रयत्न सफल नहीं होंगे क्योंकि उनके अधिकारी उनकी योजना में सहयोग व उसका समर्थन नहीं कर रहे। श्री नन्दा ने अपने आप कार्यान्वित करने के लिए एक 11 सूत्री कार्यक्रम बनाया था परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि अब वह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को अन्तरित कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है मैं नहीं जानता ?

अब मैं अनुपूरक भाग संख्या 14 की बात करूंगा जो नई लाइनों के सम्बन्ध में है । श्री नवल किशोर नन्दा ने खेतडी प्रायोजना के सम्बन्ध में कल कुछ कहा था। वह स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। श्री नन्दा ने मुझे बताया है कि वहां का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है । खेतड़ी को रेल लाइन द्वारा जोड़ने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह रेल लाइन 1973 तक पूरी हो जायेगी ? क्योंकि उस समय खेतड़ी प्रायोजना में तांबे का उत्पादन आयोजित है।

इस मांग में पिलानी के संबंध में कुछ नहीं है । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिलानी एक शैक्षणिक केन्द्र है। देश के विभिन्न भागों से यहां पर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वे एक व्यक्तिगत विषय पर बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में बोल रहे हैं।

श्री रा० कृ० बिडला : यह व्यक्तिगत विषय नहीं है। सारे देश के विद्यार्थी वहां शिक्षा प्राप्त करते हैं। वह स्थान केवल मेरा नहीं वरन् सब का है। श्री कलिता की टिप्पणी पर मुझे गंभीर आपत्ति है।

खैर इस योजना में यदि निधियां उपलब्ध नहीं है तो श्री नन्दा इस प्रकार का आश्वासन दें कि इस प्रायोजना के लिए अगली पंचवर्षीय योजना में निश्चित रूप से कुछ किया जाएगा। डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा सरदार वल्लभभाई पटेल नियमित रूप से वहां जाते थे। उन्होंने इस बात पर हैरानी प्रकट की थी कि पिलानी रेलवे प्रणाली से जुडा हुआ नहीं। पिलानी के दौरे में वहां भी विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं को देखते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि देश के विद्यार्थियों को देश के बाहर पढ़ने के लिए भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण स्थान को रेल द्वारा जोडने के लिए तत्काल ही कुछ किया जाना चाहिए।

श्री नन्दा ने इस मास की 25 तारीख को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि एक विवरण सभा पटल पर रखा है। विवरण में यह बताया गया है कि अन्तिम रिपोर्ट मिलती नहीं या मिल नहीं सकती। इस प्रकार की स्थिति में मैं भी नन्दा जी से यह जानना चाहूँगा कि उन लोगों के साथ वे क्या न्याय करेंगे जिनके प्रेषण प्राप्त नहीं हुए हैं ?

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : I oppose the Supplementary Demands, amounting to Rs. 2.73 lakhs, presented by the hon. Railway Minister. There was a news-items "Hindustan" dated 26th August, 970 that 11-Point programme of Shri Gulzari Lal Nanda, Railway Migister, has gone into dolldrums. Implementation cell was created under Lt. Col. Shri Kishore. O S.D. ; *inter alia* to review the whole set up of the Railway Board. The officers did not like this very idea and put obstacles in its working. Its charge has now been transferred to the Chairman, Railway Board from that of the Railway Minister himself. The Board has its own employees to attend to the work entrusted to this cell. In the circumstances it is likely to be wound up.

As the scheme of improvement has gone to doll-drums no amount of this Supplementary Demands should be passed.

The function of the Parliament is to obtain more and more information from the Government. In reply to my question seeking information about unauthorised court mention of huts etc. and filling of land on various stations of North-Eastern Railway an assurance was given. On the second occasion in reply to a Supplementary Question by me it was stated that time, labour and expenditure involved in the collection of information would not be in commensurate with the results. I would like to know the criteria for such things.

The Railway Minister may throw light on the recommendations of the Eliaperumal Committee about the employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Railways and tell us about his reactions thereto.

I oppose this Demand.

Shri Chandrika Prasad (Balia) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to draw hon. Ministers attention to those backward areas where means of communication do not exist, there are no railway lines or there exist only narrow-gauge rail lines. These narrow-gauge lines are to be connected to broad-gauge lines as per Government policy. The hon. Minister should assure the House that priority would be accorded to backward areas in this matter, so that these areas could develop.

Plea is taken by the Railway Board that laying of new lines or conversion of narrow-gauge lines to broad-gauge line in backward areas is not economical. Railway Broad is not a private concern which has to thinks in terms of business. If this has to be the attitude the backward areas of the country would remain as such and hinder the development of the country.

As has been mentioned by the an hon. Member earlier it is important from Defence point of view also.

While converting narrow-gauge lines to broad-gauge density of population in the areas should also be considered. In certain areas there has not been any change in the number of trains during the last 50 years. Such neglected areas should also be given priority in coversion of lines.

It also happens that trains do not run in time. If this cannot be improved how can there be any gain to the public from the buildings ?

Central Government and Railway employees of the areas affected by drought, floods and other natural calamities may be rendered assistance.

Different interpretations are being given to a circular issued by the Railway Board about employment of persons. Railway officers are acting in a arbitrary manner to keep their relatives.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं संक्षेप में कुछ बातें कहूंगा। मार्च में रेलवे बजट के पास होने के तत्काल पश्चात 2.73 लाख रुपये का यह खर्च है। क्या मन्त्रालय इस बात से अनुमान नहीं लगा सकता था कि जिस महीने उसका बजट पास होना है उसी मास उसे कितना खर्च करना है ? भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में हम नहीं जानते। अच्छा यह होगा कि जब इस प्रकार की मांगें आएं तो आप हमें रेलवे की वित्तीय स्थिति का एक विवरण भी दें।

तीसरे रेलवे मन्त्री के 10-सूत्री या 11-सूत्री कार्यक्रम के संबंध में में चाहूंगा कि वे इस में सफल हों। क्या इसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं इस संबंध में वे हमें अवश्य सूचना दें। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। रेलवे विभाग में कोयले की भारी मात्रा में खपत होती है। यदि इस संबंध में पर्याप्त सतर्कता बरती जाए तो इस समय हो रह खर्च में से 30 से 40 करोड़ तक की बचत हो सकती है जो इस समय अधिकारियों, उद्योगपतियों आदि द्वारा मिल कर लूटा जा रहा है।

अन्तरिम सहायता की मांग एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है। एक रेलवे श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि रेलवे मन्त्री से मिले भी थे उन्होंने कहा कि वेतन आयोग इस विषय की जांच कर रहा है। यदि रेलवे मन्त्री ने इस संबध में अग्रणी हो कर घोषणा कर दी होती तो सभी श्रमिकों ने उनकी प्रशंसा की होती।

कई बार मैंने कहा है कि रेलवे के कार्यकरण के संबंध में एक व्यापक जांच होनी चाहिए। अलग-अलग विषयों से संबंधित जांचे तो कई बार हुई हैं परन्तु व्यापक जांच अब तक कभी नहीं हुई है। मैं चाहूँगा कि मन्त्री महोदय या तो एक जांच आयोग नियुक्त करें और या रेलवे अभि समय समिति को जांच करने एवं रिपोर्ट देने के लिए अधिकृत करें।

शाहदरा-सहारनपुर लाईन रेलवे के कर्मचारियों के भाग्य के संबंध में भी मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूँगा। 1 सितम्बर से इस को बन्द किया जा रहा है। यह रेल लाइन पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिक उर्वरक क्षेत्रों में से गुजरती है। मैं चाहूंगा कि रेलवे विभाग इस लाइन को अपने अधिकार में ले ले। मन्त्री महोदय ने कहा था कि वे श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बातों में बहुत अन्तर है।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के प्राक्कलकों की समस्या भी है। जिन कर्मचारियों का सेवा काल 5 वर्ष और 10 वर्ष के बीच में है, उन्हें अभी तक न तो स्थायी बनाया गया है और न ही उनकी समुचित वरीयता सूची तैयार की गई है। दक्षिण मध्य रेलवे के जिन 20 कर्मचारियों को नौकरी से अलग किया गया था उनके भाग्य का निर्णय अभी तक नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को सहानुभूतिपूर्वक इस मामले पर विचार करना चाहिए।

खुर्दा सड़क पर बने क्वार्टर अभी तक कर्मचारियों को नहीं दिए गए हैं जिसके कारण उनको असुविधा हो रही है। माननीय मंत्री उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी नियत क्यों नहीं करते जिनके कारण आवंटन में विलम्ब हो रहा है।

तलचर-विमलागढ़ लाईन का सर्वेक्षण हो रहा है और सर्वेक्षण समाप्त होने पर यह लाईन कटक-पारादीप लाइन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण बन जाएगी। पता लगा है कि कुछ व्यक्ति इस आधार पर लाईन बनाने का विरोध कर रहे हैं कि इस लाईन पर यातायात कम है। माननीय मंत्री को वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना चाहिए और सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होते ही लाईन के निर्माण का आदेश दे देना चाहिए।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : शोलापुर डिवीजन, जो कुछ वर्ष पूर्व मध्य जोन के अन्तर्गत था, दक्षिण मध्य जोन के अधीन कर दिया गया है। इसके बाद से काफी भ्रान्ति उत्पन्न हो गयी है। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और व्यय बढ़ गया है। मंत्री महोदय इस मामले की जांच करें और मेरा अनुरोध है कि शोलापुर डिवीजन को फिर से दक्षिण मध्य जोन के अन्तर्गत कर दिया जाए।

महाराष्ट्र में पंधारपुर मुख्य तीर्थ-स्थल है और हजारों तीर्थ-यात्री पूजा के लिए वहां जाते हैं। यह मांग रही है कि पंधारपुर को रेलवे लाईन के साथ जोड़ दिया जाए। परन्तु इस ओर कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः मेरा निवेदन है कि पंधारपुर तक रेलवे लाईन बनाई जानी चाहिए। इसी प्रकार तुलजापुर भी एक तीर्थ स्थान है और यहां तक रेलवे लाईन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। जब भी ऐसी मांग की जाती है तो उत्तर मिलता है कि धन का अभाव है। परन्तु धन के अभाव का असली कारण यह है कि धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब से रेलवे सुरक्षा दल बनाया गया है, तभी से चोरी के दावे बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रशासन पर व्यय की जाने वाली धन-राशि 35 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दी गई है। अतः प्रशासन पर व्यय किए जाने वाले धन को कम किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मरम्मत और रख-रखाव पर भी काफी धन व्यय किया जा रहा है। यदि प्रयत्न किया जाए तो व्यय को कम किया जा सकता है। मंत्री महोदय को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए।

रेलवे-बोर्ड पर भी बहुत धन व्यय किया जा रहा है। यदि मंत्री महोदय सभी महा-प्रबन्धकों को संयुक्त सचिव के अधीन कर दें और उनके साथ सीधा सम्पर्क बनाएं तो व्यय को कम किया जा सकता है। प्रति वर्ष भाड़े और किराये में वृद्धि की जा रही है और रेलवे-बोर्ड प्रशासन पर अत्याधिक धन व्यय किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे।

Shri M. A. Khan (Kasganj) ; Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to draw your kind attention towards the Berhan-Etah line. The hon. Minister had given assurance that survey of 10 uneconomic lines would be conducted. But now I have come to know that orders for only traffic survey has been given and orders for engineering survey has not been given although one year has lapsed. When I went to Bombay to attend the N.R.U.C.C. meeting, I met D.S. and other employees and I come to know that they are against continuing uneconomic lines. I suspect that these lines will be done away with. In this connection a committee was set up and this committee recommended that if this line is connected with Kasganj it can be turned into a profitable one. But I want that the hon. Minister should conduct survey at the earliest possible and make this line profitable.

I wrote a letter to the hon. Minister stating that the trains running between Agra-Kanpur should run through instead of terminating at Kasganj and then restart it from there. I have received a letter from the Ministry. It seems that the concerned authority have not cared even to see railway time-table before giving reply. In a letter it has been mentioned that 107-Up train starts at 8.05 from Kanpur and reaches Kasganj at 18.30 whence 108 down leaves Kasganj at 8.55 and reaches Kanpur at 18.40. Therefore, the passengers of 23 Up coming to Kasganj can make use of 12 Down Kumauan Express.

Now the fact is this that there is no such train 23 Up train running on this line. I oppose to the Government that action should be taken against the officials who gave wrong information.

Shri Sita Ram Kesari (Katihar) : I had written a letter to the hon. Minister that over-bridge should be constructed at Thana Birpur. I received a letter stating that there are few houses on the north side of Thana Birpur. I can challenge that as I had from that constituency. How far it is justifiable to send such irrelevent replies ?

Orders for closing down Manipur-Katihar line have been issued, It is not proper. North Eastern region is of immense importance from the point of view of defence. During Chinese aggression this line was fully utilized. I want that survey should be taken up as it is very important line.

A morning train should be provided from Manipur to Katihar *via* Birpur. There is no waiting room for ladies at Mahadevpur Ghat Station. A waiting room should be provided there.

Nangchhia Station is an important station from the business point of view. Therefore, Assam Mail must stop there.

Shri Sheo Narain (Basti) : Basti is in backward area. Now its office is being shifted to Gorakhpur. I have received a letter from the hon. Minister in which it is said : "Representing against the shifting of the office of IOW Basti, N.E. Railway." I hope that office will not be shifted to Gorakhpur.

There should be an underground bridge at the railway crossing near Basti. Railway Board should be abolished becausc it is a major obstacle. Factories are situated near Railway Stations, particularly Lucknow Railway Station, and smoke rising from furnances create suffocation. The catering in the railways is also deplorable. I hope that the hon. Minister would implement 11-point programmes. The eastern region is of strategic importance and attacks from China and Pakistan is expected at any time. I request that area should be linked with broad-gauge line.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : An atmosphere of coordination should be created between the Railway Ministry and the Railway Board. There are no over-bridges in Delhi due to which traffic for half an hour to one hour is interrupted. I request that priority should be given to construction of over-bridges in Delhi.

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) ; Previously Assam Mail used to start from Old Delhi but now it starts from New Delhi Station. This has created a trouble for the army-men because the waiting room facilities for armymen are available only at Old Delhi Station. We demand that train should again be started from the Old Delhi station so as to avoid inconvenience to armymen.

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : The Government should declare its policy regarding Railway Schools. Government should not say that it is a state matter, and should take full responsibility of managing them.

Dehradun Express, Frontier Express or other new trains running between Delhi-Bombay are jampacked and 3rd class passengers do not get seats. I want that one more passenger train should be provided on this line. There was a proposal for providing new railway line between Dhaulpur and Gangapur City but the survey has not been taken up so far. I want that the survey should be taken up at the earliest because it is dacoit infested area.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : The Railway Board should be abolished because it does not represent the aspirations of the people. The Railway Board had accepted the demand for providing a railway line at Chittor-Kota. But till now this work has not been completed. Therefore I want that the Railway Board should be abolished.

Chetak Express is a passenger train. I want that it should be converted into an exprees train. It should start from Delhi Junction.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : 1967 में 67 संसद सदस्यों ने तत्कालीन रेलवे मंत्री श्री पुनाचा को एक ज्ञापन दिया था और फलस्वरूप रेलवे बोर्ड ने आसाम-घाटी में परिवहन की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए गोहाटी विश्वविद्यालय को 30 हजार रुपये की धन-राशि की मंजूरी दी थी। लेकिन अभी तक सरकार इस मामले में चुप है। जोगीगोपा से गोहाटी होकर तिनसुखिया तक लाइन बढ़ाने का निर्णय किया जाना चाहिए। हाल ही में एक माननीय सदस्य की अध्यक्षता में उत्तरी गोलपाड़ा से एक शिष्ट-मंडल माननीय मंत्री से मिला था और उन्होंने माँग की थी कि पोकारीग्राम से ढोबरी के बीच क्षेत्र को बड़ी रेलवे लाईन के साथ जोड़ दिया जाए।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृषनगर) : कृषनगर से नावाद्वीप घाट तक लाइन रेलवे का सर्वेक्षण किया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं और कब तक यह लाईन बनकर तैयार हो जाएगी ? कृषनगर से करीमपुर के बीच रेलवे लाईन बनाने का सर्वेक्षण किया गया था और मुझे आशा है कि धन-राशि उपलब्ध होने पर इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा।

Shri Satya Narain Singh (Varanasi) : I have received a letter from the hon. Minister seeking co-operation of the Members and Railway employees to eradicate corruption. We have sent one written complaint against a signal officer who was selling railway goods to dacoits. After that when we wanted to hold a meeting, we were attacked with arms. So I would like to know whether Government will help these persons who are working to eradicate corruption ?

श्री अमृत नाहाटा (बाढ़मेर) : जुलाई मास में 24 दिन रेलवे प्राधिकारियों के कदाचरण के कारण जयपुर से बाढ़मेर तथा गादरा रोड पर रेलवे यातायात रुका रहा। क्या माननीय मंत्री इस मामले की जांच कराने को तैयार हैं ?

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई रेलवे लाईन बिछाने का मानदंड किया है ? क्या रेलवे अधिकारियों का विचार नई रेलवे लाईनें बिछाकर क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने का है ?

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : दक्षिण में राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है। दक्षिण में चार राजधानियां हैं—हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास और त्रिवेंद्रम। ऐसा होने पर भी अनुपूरक माँगों में दक्षिण भारत के लिए राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

Shri Tulshi Das Jadhav (Baramati) : Previously the contract of loading and unloading of coal was given to individual contractors. Ours being a socialistic country these contracts should be given to societies framed by workers.

The inclusion of Sholapur Division into Sikandrabad or South Zone has become troublesome for the employees. Therefore this division should be linked with Central Zone. Puna-S tara line is ready now. It should also be brought under Central Zone.

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : The hon. Minister has provided exercise books so that complaints in regard to corruption should be sent to them. Is it a fact that a few months back Shri Vishaya Bahuguna, son of the General Secretary of Congress Party, Shri Hemwati Nandan Bahuguna was appointed as railway Pleader. If so, is it the way to eradicate corruption ? What action the hon. Minister is going to take in this connection ?

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : In consultative committee meeting members were insulted by the Chairman of Railway Board ? I would like to know whether the hon. Minister will listen to grievances of the Members ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य अधिक कठिन हो गया है।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

रेलवे बजट की चर्चा के दौरान उत्पन्न हुये समस्त प्रश्नों का उत्तर देना मेरी सामर्थ्य के बाहर है.....व्यवधान.....अतः सब सदस्यों के संतोष के लिए कुछ डिवीजनों, रीजनल सलाहकार समितियों की बैठक के आधार पर बैठकें करने की प्रणाली अपनाई गई है। ऐसी 16 बैठकें होंगी जो सत्र के अन्त तक हो जायेंगी।

पहले माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में नोट परिचालित किये जाते थे परन्तु उनके द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती थी। मैं बिना पूर्व तैयारी किये प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता हूँ। इन सब मामलों में अधिकारीवर्ग विस्तारपूर्वक जानकारी रखते हैं। मैं पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद माननीय सदस्यों को उन के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में नोट भेजूंगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं परन्तु वे अनुपूरक मांगों की शृंखला के अतिरिक्त प्रश्न थे। फिर भी मैं उसका संक्षेप में उत्तर दूंगा। .....व्यवधान.....

माननीय सदस्य श्री पुनाचा ने कुछ टिप्पणियां की हैं परन्तु वे अपूर्ण जानकारी पर आधारित हैं परन्तु मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि वह रेलवे मंत्रालय तथा रेलवे के कर्मचारियों से सम्पर्क बनाये हुए हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ग्यारह सूत्री कार्यक्रम यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाया गया था परन्तु हमने राजस्व के आवश्यक पहलू पर ध्यान नहीं दिया। यह वास्तव में आवश्यक पहलू है क्योंकि यदि पर्याप्त आय नहीं होगी तो देश की जनता की बहुत सी इच्छायें पूरी करने में हम समर्थ नहीं होंगे।

स्थिति खराब है और हम चाहते हैं कि स्थिति और अधिक खराब न हो। 1966-67 से रेलवे को निरन्तर घाटा हो रहा है। 1-4-1964 से 31-3-1970 तक रेलवे को कुल 175 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पिछले चार वर्षों में लगभग 150 करोड़ रुपये का घाटा हुआ अर्थात् एक वर्ष में औसतन 37 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। माननीय सदस्य श्री पुनाचा को उन घटनाओं की जानकारी रखनी चाहिये जिनके अन्तर्गत घाटा हुआ है।

दो वर्षों में 75 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, वर्ष 1960-61 के प्रारम्भ में रेवेन्यू रिजर्व फण्ड के 63 करोड़ रुपये शेष थे। जिसमें से वर्ष 1969-70 के सामान्य राजस्व से लगभग 9 करोड़ रुपये की पूर्ति करनी पड़ी। चालू वर्ष में माल के यातायात में कमी रही है। जून के अन्त तक प्रत्याशा की तुलना में 29 लाख टन यातायात की कमी रही है। 29 लाख टन की यह कमी अधिकांश रूप से कोयला तथा इस्पात संयंत्रों से आने-जाने वाले यातायात में हुई है। यह यातायात आशा के अनुकूल नहीं रहा और पिछले वर्ष इसी अवधि में हुए यातायात से यह 13.2 लाख टन कम है। सामान्य माल का यातायात जो उच्च दर्जे का यातायात है, आशा के अनुकुल है।

जहां तक यात्री यातायात का सम्बन्ध है, इसमें वास्तव में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि 3 प्रतिशत का अनुमान था। मुख्य रूप से इस कारण चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में यात्रियों से लगभग 4½ करोड़ रुपये की आय हुई है। यात्रियों से होने वाली आय में वृद्धि से माल के यातायात से होने वाली आय में कमी पूरी हो गई है। इसमें रेलवे का कोई दोष नहीं है। चोरियों को रोकने के बारे में कुछ सुझाव आये हैं परन्तु कोई ठोस सुझाव आये तो उसका स्वागत किया जायेगा।

कहा जाता है कि 11-सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध केवल सुविधाओं से है। ऐसा नहीं है। मद संख्या 10 और 11 का संबंध माल तथा यात्रियों से है। मेरा यह दावा नहीं है कि यदि कुछ बातों पर पूरे जोर से कार्यवाही की गई तो कुछ ही महीनों में कोई क्रांन्तिकारी परिवर्तन हो जायेगा। रेलवे एक बड़ा संगठन है। कई रीतियां प्रचलित हो गई हैं, कट्टरपन बढ़ गया है और निहित स्वार्थों ने गहरा स्थान बना लिया है। इन सब चीजों को बदलने के लिए भारी परिवर्तन करना होगा और इतनी बड़ी बात सभी के सहयोग से ही संभव हो सकती है। प्रयास किया जा रहा है और इसके आखिर कुछ तो परिणाम निकलने चाहिए चाहे वे कितने ही अल्प क्यों न हो।

इस दिशा में पहला अभियान ईंधन बचाओं के नाम से चलाया गया। कोयले पर 103 करोड़ रुपये खर्च आता है और डीजल तेल पर 45 करोड़ रुपये खच आता है। इस योजना का उद्देश्य यह था कि इस दिशा में कुछ देख भाल की जाये ताकि बहुत अच्छे परिणाम निकलें। खानों से लेकर इंजनों में इसके प्रयोग तक सारी स्थितियों का पूर्ण अध्ययन किया जाये। कुछ ही सप्ताहों में 6 से 7 प्रतिशत कोयले की बचत की रिपोर्ट मिली। कुछ विभागों में यह बचत 10 से 12 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक थी।

चोरियों को रोकने के लिए भी कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जो कुछ किया जा रहा है उससे अधिक करने की आवश्यकता है। कई वर्षों से जो राशि दी जा रही है वह प्रतिवर्ष बढ़ रही है और इस समय यह 11 करोड़ रुपये हो गई है। इस आधार पर हानि को कम करने की बहुत गुंजाइश है और लगभग 5 करोड़ रुपये बचाये जा सकते हैं।

यह पूछा गया है कि क्या एन० सी० निगम, जिसकी सेवायें कुछ कार्यों में रेलवे की सहायता करने के लिये लगाई गई है, के पास अपेक्षित क्षमता है। हमारे विचार से रेलवे के हित में जो कुछ किया गया है अथवा व्यय किया गया है उससे अधिक आय होगी।

जैसा कि कहा गया है कि यह प्राकृतिक इलाज का निगम है, ऐसा नहीं है बल्कि यह एन० सी० निगम है। यह एक गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनी है आर्थिक विभाजन में गड़बड़ी को रोकने के लिए यह एक मुख्य संगठन है।

यद्यपि यह निगम कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनी है, किन्तु यह एक ऐसा संगठन है जिसमें लाभ बांटा नहीं जाता है। निगम के सभी लाभ सुव्यवस्थित ढंग से माननीय कार्य कलापों पर और इसके उद्देश्यों तथा अभियानों का, जिनमें मुख्य रूप से थे 'जीवन की आवश्यकतायें' हैं, प्रचार करने के लिए खर्च किये जाते हैं।

निगम ने अकेले ही वस्तु-सूची नियंत्रण और ईंधन मितव्ययता के क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कई उपक्रमों द्वारा साँख्यिकी किस्म नियंत्रण सेवाओं का लाभ उठाया गया है। कुल मिला कर 30 ऐसे उपक्रम हैं जिन्हें लाभ हुआ है।

इस निगम के बारे में बहुत अच्छे प्रतिवेदन मिले हैं। उदाहरण के तौर पर एस्कोर्ट्स ने, जो एन० सी० निगम को 1,10,000 रुपये प्रतिवर्ष दे रहा है, बताया है, कि उत्पादन लागतों में काफी बचत हुई है। योजना आयोग अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने एन० सी० निगम के माध्यम से सामान तथा वस्तु सूची पर लगाये गये धन का अध्ययन किया। इन वर्षों में वस्तु-सूची पर सुव्यवस्थित नियंत्रण होने के कारण सामान पर लगे धन में 50 प्रतिशत की कमी हुई है।

लगभग 80 प्रतिशत संस्थाएं हैं जो अपनी सेवाओं का और उनमें सरकारी उपक्रम भी हैं, उपयोग कर रही हैं।...(व्यवधान)

यह सत्य है कि चोरियां बढ़ रही हैं और यह भी सत्य है कि इसमें कुछ हद तक रेलवे कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा दल के बीच सांठगांठ है। वर्ष 1966 में 33 रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी कार्य करते हुए मारे गये थे तथा 10[illegible] घायल हुए थे इस प्रकार वर्ष 1969 में 33 व्यक्ति मारे गये तथा 311 व्यक्ति घायल हुये। रेलवे सुरक्षा दल को भंग करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसे पुनर्गठित करने, इसकी भरती में सुधार करने, प्रशिक्षण देने और पर्यवेक्षण करने का प्रश्न है। ऐसा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। सभी तत्वों अर्थात् अधिकारियों सहित रेलवे कर्मचारियों, सतर्कता के लोगों, रेलवे सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और चोरियों [illegible] के लिए राज्यों की पुलिस में समन्वय करने का प्रयास किया जा रहा है।

विद्युतीकरण के कार्य में संलग्न संगठन के मजदूरों के मामले का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि मजदूरों को एक दिन मुअत्तिल किया जाता है और दूसरे दिन उन्हें पुनः नियुक्त कर लिया जाता है और ऐसा करके उनका भविष्य बिगाड़ दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई यह है कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दिया जाता है। अत. वे प्रविष्टयां सेवा पुस्तिका में दर्ज करनी होती हैं।

परन्तु मुख्य प्रश्न नैमित्तिक मजदूरों का है। इस मामले पर हमने बहुत विचार किया है। किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहिये जब उसे यह मालूम ही नहीं हो कि उसे तथा उसके परिवार को क्या होने वाला है। उनके लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिये। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मकान बनवाता है, वह थोड़े समय तक कारीगरों को काम पर रखता है परन्तु वह हमेशा के लिए तो उन्हें कर्मचारी नहीं बना लेता है उसी प्रकार रेलवे में भी निर्माण कार्य चलते रहते हैं, उन कामों के लिए अनियत मजदूर रख लिये जाते हैं जो नई आरीन्तयों के निर्माण में योगदान देते हैं, फिर भी वे कर्मचारी नहीं हैं। प्रश्न यह है कि क्या हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि उन्हें कर्मचारी बनाया जाये। अतः यदि केवल रेलवे से ही कहा जाये कि 10,000 व्यक्तियों को कर्मचारी बनाया जाये, वह संभव नहीं है। नैमित्तिक मजदूरों की समस्या को दूसरे तरीके से भी सुलझाया जा सकता है।

यह प्रश्न बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया था।

एक प्रश्न यह है कि नैमित्तिक मजदूर लम्बे समय तक रेलवे में काम क्यों कर रहे हैं? इस का कारण यह है कि जब एक स्थान पर निर्माण कार्य समाप्त हो जाता है तो उन्हीं मजदूरों को दूसरे स्थान पर काम पर लगा दिया जाता है। अब लगभग 300 व्यक्तियों को जगाधारी कारखाने में लगाया जा रहा है जहां नियुक्ति के लिए कुछ क्षेत्र है।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : क्या मंत्री महोदय अपने उत्तर से सन्तुष्ट हैं।

श्री नन्दा : मैं उत्तर से सन्तुष्ट हूँ परन्तु शर्तों से संतुष्ट नहीं हूँ। इससे अधिक अच्छा उत्तर और कोई नहीं दे सकता है।

श्री कंवरलाल गुप्त : मन्त्री महोदय का वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते मैं आदर करता हूँ परन्तु यदि वह कुछ कर नहीं सकते हैं तो मंत्री पद पर क्यों हैं?

श्री नन्दा : वैसे प्रत्येक व्यक्ति को कार्य देने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि तुरन्त ही इस दिशा में कुछ कर दिया जायेगा। एक स्थान से, जब वहां काम समाप्त हो जाता है तो मजदूरों को नये स्थानों पर जहां कार्य प्रारम्भ होता है वहां लगा दिया जाता है परन्तु इससे अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता है।

Shri Janeshwer Misra (Phulpur) : It was asked that number of workers employed on the electrification schemes were in jail. Please intervene and help them get out of jail persuading them to break their strike.

श्री नन्दा : उन मजदूरों के बारे में मुझे बताया गया है कि...

एक माननीय सदस्य : उनमें से 300 मजदूर गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री नन्दा : चाहे उनकी संख्या कितनी ही हो परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जो जुर्म हो और यदि पुलिस आ जाती है तथा कानून के तहत जैसा कार्य उसे करना होता है, करती है तब वह अपराध होता है।

Shri Janeshwar Misra : Who says so ?

श्री नन्दा : यदि कोई गाड़ी रोकता है अथवा लाइन पर बैठ जाता है तो कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। मैं वर्षों से मजदूरों के प्रति सद्भावना रखता हूँ। मैं उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता।

मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। मैं चाहता हूँ कि सदन इसकी जानकारी प्राप्त करे। निर्णय ले लिये जाते हैं परन्तु क्रियान्वित नहीं किये जाते हैं। इन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

जहां तक कर्मचारियों के भाग लेने का सम्बन्ध है, इस विषय में कुछ किया जाना चाहिये। अगर इसे वास्तविकता का रूप देना है तो इसे एक साथ नहीं किया जा सकेगा। धीरे-धीरे इसका विकास करना होगा।

मैंने आदेश दे दिया है कि विभिन्न स्तरों पर हो रहे रेलवे सम्बन्धी कार्यों पर त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। इस मामले में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने की उचित व्यवस्था की जायेगी। विभिन्न रेलवे बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों और समस्याओं पर विचार करने के लिए कर्मचारियों की समिति बनाई जायेगी। कर्मचारियों की कल्याण सम्बन्धी बातों में भी उनकी बातों को महत्व दिया जायेगा इस दिशा में कम से कम कार्यक्रम क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे मुझे ठेस लगी है। वे बातें कक्ष (सेन) के बारे में हैं। मेरी यह धारणा नहीं रहती है कि रोजाना के काम की तरह किसी विशेष कार्य को भी करूं। यदि 11—सूत्री कार्यक्रम तथा सेल क्रियान्वित नहीं होंगे तो मैं यहां नहीं रहूंगा।

जहाँ तक सेल का प्रश्न है, जब भी कोई नई बात होती है तो उससे कठिनाइयां भी होती हैं और प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी।

यदि कहीं पर सुधार हुआ है तो वह सहयोग मिलने से और अधिक हो सकता है।

राज्य सभा में मैंने घोषणा की थी कि मैंने एक 11—सूत्री कार्यक्रम बनाया है तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए एक विशिष्ट कक्ष का निर्माण किया है।

करीब दो महीने पहले यह कक्ष बनाया गया था तथा इस बीच मैंने बड़े ध्यान से इस कार्य को देखा है। इसी अनुभव के आधार पर इस कक्ष के लिए मार्ग-निर्देशिका तथा कक्ष के कार्य से सम्बन्धित ढ़ांचा बनाना चाहिये।

इस कक्ष में काफी संभावनायें हैं तथा इसका रेल प्रशासन के कार्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में लाभदायक योगदान हो सकता है। इस कक्ष के दोनों प्रभागों में कार्य की अवस्था तथा सीमायें, जिनके अन्तर्गत यह कार्य करेगा, की साफ-साफ परिभाषा होनी चाहिये।

इस सारी परियोजना की आधारभूत बात गैर-सरकारी कर्मचारियों और संस्थाओं की स्वेच्छा सेवा है । शासकीय तत्वों को शामिल करने का निर्णय केवल यह सुनिश्चित करने के लिये किया गया था कि सरकारी तंत्र से आवश्यक सहयोग के अभाव के कारण स्वयं सेवी कार्यकर्ताओं के प्रयत्न निष्प्रभावी न हो जायें । गैर-सरकारी पक्ष के अधिकारियों को पूर्णतया इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि ग्यारह सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी पूर्णतया रेलवे प्रशासन के व्यापक तंत्र पर है । पहले पत्र में स्पष्ट शब्दों में इस बात पर जोर दिया गया था कि कार्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी पहले की तरह जोनल रेलवे की ही होगी । विशिष्ट कक्ष केवल एक अनुपूरक तथा गौण भूमिका अदा करेगा ।

सरकारी पक्ष को स्वयं सेवी कार्यकर्त्ताओं के सम्पर्क में रहकर इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में ध्यान रखना है । इस कक्ष के शासकीय व्यक्तियों द्वारा यदि कोई कार्य किया जायेगा तो उसे स्वयंसेवी सहायता समिति द्वारा लिये गये किसी सामान्य अथवा विशेष निर्णय के साथ ही करना होगा । जहां यह कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रशासन के अधिकारियों के सम्पर्क से परे होगा, उस वक्त रेलवे बोर्ड के सभापति की अनुमति लेनी होगी ।

संपूर्ण कक्ष द्वारा किये गये कार्य का एक मासिक प्रतिवेदन तथा एक त्रैमासिक मूल्यांकन होगा ।

गैर-सरकारी पक्ष की ओर स्थिति साधारण है । समिति के सदस्यों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से निवेदन कर दिया गया है कि वे ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के बारे में सूचना प्राप्त करते रहें । यदि सरकारी पक्ष की ओर से गैर-सरकारी पक्ष को कहीं सहयोग मिलने में कमी रही तो गैर-सरकारी पक्ष अपने संयोजक से कहेंगे और संयोजक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सरकारी पक्ष के माध्यम से इस तथ्य को संबधित अधिकारी के ध्यान में लाये ।

इस कक्ष के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया था । यह सारा विवाद अनावश्यक था । मैं यह नहीं कहता कि इसका विरोध नहीं किया गया है तथा कठिनाइयां नहीं हैं । कठिनाइयां हैं । परन्तु लगभग सभी अधिकारियों और विशेषतया विभिन्न क्षेत्रीय रेलों की ओपन लाइनों के अधिकारियों में पर्याप्त उत्साह है क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे चोरियों इत्यादि से हुये घाटे के कारण मुआवजे के भुगतान की राशि को कम करने में सफल होते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तथा उन्हें लाभ होगा । उनमें से अधिकांश अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे और आशा की जाती है कि कोई कठिनाई नहीं होगी ।

मैं जानता हूं कि मैंने काफी समय ले लिया है । मैंने सब लोगों के पत्रों का उत्तर देने के लिये रास्ते खोल रखे हैं । (व्यवधान) व्यावहारिक कार्य की हालत यह है कि मुझे पचास साठ पत्रों पर रोज हस्ताक्षर करने पड़ते हैं । उसमें भी थोड़ा समय लगता है क्योंकि उन पत्रों में से अधिकांश पत्र लोगों के स्थानान्तरण के बारे में होते हैं ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार माननीय सदस्यों के बोलने का समय निर्धारित होता है उसी प्रकार मंत्री महोदय के बोलने का समय भी होना चाहिये । यदि वह बोलते रहे...

सभापति महोदय : उन्हें प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा किये गये प्रश्न का उत्तर देना होता है जिसके कारण उनका भाषण लम्बा हो गया है । अब वह अपना भाषण समाप्त करे ।

श्री नन्दा : यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं बैठने के लिये तैयार हूँ । मैं प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ । वैसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : हमारे माननीय मित्र द्वारा पढ़े गये समाचार-पत्र के अंश का मन्त्री महोदय उत्तर दें ।

श्री नन्दा : यदि मैं और अधिक उत्तर दूंगा तो श्री मधोक कहेंगे कि वैसे ही बोल रहे हैं । मैंने सब बातें स्पष्ट कर दी हैं ताकि सन्देह दूर हो सके ।

जहां तक शाहदरा-सहारनपुर लाइन रेलवे का सम्बन्ध है, इसमें यात्रा करना सुरक्षित नहीं है । वस्तुतः उस पटरी इन्जनों तथा डिब्बों को बहुत पहले रद्द किया जाना चाहिए था । यात्रियों तथा सामान के लिये कोई अन्य मार्ग होना चाहिए था । परन्तु कर्मचारियों तथा उनके रोजगार का प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । प्रबन्धकों को यह सुझाव दिया गया है कि हमें इस मामले का प्रभावी ढंग से निबटारा करने के लिये तीन महीने का समय और दिया जाये ताकि हम विभिन्न विकल्पों का पता लगा सकें ।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये

The cut motions were put and negatived

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1970-71 के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांग (रेलवे) मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई

The following Demand for Grants (Railway) for the year 1970-71 was put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
2	विविध व्यय	2,000

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL

श्री नन्दा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रेलों के प्रयोजनार्थ वर्ष 1970-71 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि रेलों के प्रयोजनार्थ वर्ष 1970-71 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री नन्दा : महोदय, मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूं : कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियमानुसार जो सदस्य विनियोग विधेयक पर बोलना चाहते हैं वे अध्यक्षपीठ को, जिन मामलों पर चर्चा करनी है, लिख कर दे दें तथा वे मामले मांगों से सम्बन्धित होने चाहिये। जिन मामलों पर पहले चर्चा की जा चुकी है उनका उल्लेख न करें।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : हम इसे दस मिनट में समाप्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I want to draw the attention of the hon. Minister to the Railway colonies in Delhi. Their condition is very poor. Even the basic amenities *viz.*, laterine, water etc. have not been provided. I request him to, at least, provide them these amenities.

It has been suggested that in Delhi the over-bridges must be constructed because traffic is on the increase. I request the hon. Minister to solve the problem.

It is time that the poor workers must be treated sympathetically but this sympathy must not go beyond limit by which indiscipline may be created. We agree that the workers of Railway must be provided with the maximum facilities but that should not reach such a stage where the workers disobey their officers. The dismissed employees must not be appointed to decide their cases.

It is true that the hon. Minister has created a machinery. Possibly a certain lady would supervise that machinery. If there is any such machinery, the staff for that machinery should be taken out of the Railway Staff.

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्रीजी, आपने दो बातों का उल्लेख किया है। मैं नियमों का उल्लेख कर रहा हूं, पहली बात पर चर्चा हो चुकी है। दूसरी बात किसी भी मांग से सम्बन्धित नहीं है। मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूँ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I object to the appointment of the persons to the Cell which has been created for implementing the Eleven Point Programme.

Is it true that a person who is the leader of Bharat Sewak Samaj in Bihar has been appointed to the Cell. A Commission is inquiring into the bungling done by the Bharat Sewak Samaj. It is not justified to appoint any person of Bharat Sewak Samaj unless the commission takes any decision. That Cell should be reorganised.

The hon. Minister is not agreed to talk to the Railway Unions. Now-a-days there are so many departmental unions of Railway *viz.*, All-India Station Master Association,

Indian Railways Loco Mechanical Staff Association, All-India Running Staff Association and so on. All these unions must be given recognition. The time has passed when the Government listened only to All-India Railwaymen's Federation and National Federation of Indian Railwaymen. I request the hon. Minister, at least, to one held negotiations with these unions.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा, केवल पहली बात प्रासंगिक है । कृपया उसी पर बोलिये ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Deputy-Speaker, Sir. I have submitted a cut motion to the effect that there should be no Ugna Halt between Sakari and Pandol stations. But the Ministry of Railway has sanctioned that The hon. Minister assured to check that place. But still that halt has not been constructed.

The survey regarding the construction of Parsa Halt between Nirmalli and Bhagoria Stations has been conducted. There is a long distance of eight or nine miles. Why the Government are not constructing that halt ?

Apart from that the work of converting Chikana-Flag-Halt Flag-Station is not being done.

The basic problem with the Railway is the lack of sense of duty.

A book of suggestions and opinions has been given to us. What guarantee is there that our suggestions would be conveyed to the hon. Minister and he would implement them ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1970-71 की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय अतिरिक्त राशियों के संदाय और विनियोग की प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

खण्ड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नक्सलवादी गतिविधियां*

NAXALITE ACTIVITIES**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में, देश में बढ़ रही नक्सलवादी गतिविधियों पर, आधे घंटे चर्चा की होगी जिसे श्री हेम बरुआ द्वारा प्रारंभ किया जायेगा। 19 अगस्त, 1970 को हुये मतदान में प्रथम चार स्थान पाने वाले सदस्य भी प्रस्तावकर्ता के अतिरिक्त चर्चा में भाग ले सकेंगे।

श्री हेम बरुआ (मंगलदामी) : मुझे आज आधे घंटे की चर्चा पर बोलने के लिये दी गयी अनुमति के लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देश में नक्सलवादी गतिविधियां जोर-शोर से बढ़ रही हैं। बसों तथा ट्रामों को जलाया जाता है और शिक्षा संस्थाओं पर आक्रमण किया जाता है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं जैसे महात्मा गांधी, टैगोर और नेताजी की मूर्तियों का अपमान किया जाता है तथा माओ का गुणगान किया जाता है।

यदि कोई यह समझे कि राष्ट्रीय गौरव की इन वस्तुओं को नष्ट करने से भारतवासियों के मस्तिष्क से इन लोगों को हटाया जा सकता है, तो यह गलत है।

पश्चिम बंगाल पुलिस को कानु सान्याल की गिरफ्तारी तथा 44,000 बम बनाने की क्षमता वाली सामग्री का पता लगाने पर बधाई देने के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल उस की गिरफ्तारी से ही इस आन्दोलन को दबाया नहीं जा सकता है।

[**श्री श्रीचंद गोयल पीठासीन हुए।**
Shri Shrichand Goyal *in the Chair.*]

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : जो कोई घटना घटित होती है उसके लिये नक्सलवादियों पर गलत आक्षेप लगाया जाता है। यहां तक कि डकैती तथा हत्या को भी नक्सलवादी गतिविधि बताया जाता है।

श्री हेम बरुआ : यह आन्दोलन चीन द्वारा अनुसरण की गई व्यापक चाल का एक भाग है, जिसका ध्येय भारत की यथास्थिति को पलट कर देश में एक प्रकार का नक्सलवादी हिंसात्मक शासन स्थापित करना है।

नक्सलवादी लोग चीन से शस्त्र तथा गोला-बारुद प्राप्त कर रहे हैं।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-hour discussion.

कहा जाता है कि नक्सलवादियों के पास कोई विदेशी शस्त्र नहीं पाये गये। वे देशी शस्त्र ही हैं।

इन शस्त्रों में से कुछ शस्त्र तथा गोला-बारूद चीन से प्राप्त किये गये हैं। बाकी के देश में बनाये गये हैं।

बंगाली में "देशव्रती" हिन्दी में "लोक ज्योति" तथा अंग्रेजी में लिबरेशन आदि पत्रिकायें देश में असंतोष व्याप्त कर रही हैं और नक्सलवादियों को अपने हिंसात्मक आन्दोलन को फैलने में मार्ग-दर्शक का कार्य कर रही हैं। ये पत्रिकायें गुप्त रूप से प्रकाशित की जा रही हैं। सरकार उन लोगों को दंडित करने में असमर्थ है जिनका इसमें हाथ है।

दिल्ली-स्थित चीनी दूतावास सक्रिय रूप से देश में तोड़ फोड़ के कार्यों में सहायता दे रहा है। जिस कार्य को करने में चीनी दूतावास असफल रहा है वह कार्य देश में इसके एजेन्ट तथा नक्सलवादी कर रहे हैं। इतना होते हुये भी जब सरकार से सभा में चीन के साथ कूटनीतिक संबन्ध तोड़ने के लिये मांग की गई थी परन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया।

इस देश में निस्सन्देह दो प्रकार से हिंसात्मक कार्य हो रहा है। पहला तो सरकार द्वारा मूल्यों में वृद्धि करके करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से प्रभावित करना तथा दूसरा नक्सलवादियों की गतिविधियों का नग्न रूप।

नक्सलवादी इस देश में तोड़ फोड़ करने का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। यह चीन की चाल का अंग है और साथ ही इस आन्दोलन ने इस देश में समाज-विरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन दिया है।

इस देश में निहित स्वार्थों को नक्सलवादी आन्दोलन द्वारा अपने आप को गठित करने का अवसर मिला है तथा वे अधिक से अधिक गठित हो रहे हैं।

यह सच है कि नक्सलवादियों की गतिविधियां सम्पूर्ण देश में फैलती जा रही हैं। कुछ लोगों का विचार है यदि देश से आर्थिक संकट दूर हो जाये तो यह गतिविधियां भी समाप्त हो जायेंगी। किन्तु मेरा विचार है कि इनकी गतिविधियां तब भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उनका आन्दोलन भूमि सुधार पर आधारित न होकर स्वतन्त्र राज्य बनाने पर आधारित है। यह लोग मौके का लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं।

नक्सलवादी चीन से अपना सम्बन्ध बनाये हुये हैं तथा स्वयं प्रधान मंत्री ने राज्य-सभा में यह स्वीकार किया था कि श्री चारु मजूमदार ने चीन का दौरा किया था। (व्यवधान) चीन भारत का शत्रु देश है और उसके साथ सम्बन्ध बनाने में क्या कोई हानि नहीं है ? (व्यवधान) महोदय ! श्री नेहरू उन दिनों जीवित थे तथा श्री डांगे ने सभा में कहा था कि चीन एक समाजवादी देश है अतः वह भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। किन्तु चीन ने समाजवादी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुये भारत पर आक्रमण किया। अतः मेरे विचार से नक्सलवादी भी चीनी सेना को भारत में बुलाने की स्थिति तैयार कर रहे हैं।

दिल्ली स्थित चीनी दूतावास नक्सलवादियों को तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सदन में कहा गया था कि दूतावास राजनयिक सम्बन्धों को बनाये रखने

के लिये हैं किन्तु चीनी दूतावास दिल्ली में केवल राजनयिक सम्बन्ध ही नहीं बना रहा है अपितु वह नक्सलवादियों को चीन में जाने तथा वहां प्रोत्साहन प्राप्त करने की सुविधा दे रहा है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, I differ from the political attitude of the Naxalites but even then I treat them as patriots. They are struggling against the capitalism and Imperialism prevailent in the country.

Now, I would like to put certain questions in this regard. May I know the number of places wherein conspiracies are being woven in the name of Naxalites and the number of persons actually involved in them ?

I would also like to know the names of the countries whose marks are there on arms which have been confiscated from Naxalites. Has it been varified properly that those arms originally belonged to China ?

My third question is whether it is correct that the youths and the students are inspired to indulge in these activities mainly because they are frustrated and without employment opportunities ? If it is so, what steps are being taken by the Government to solve the problem of unemployment ?

Is it also a fact that the police killed certain persons belonging to the Communist Party of India in Punjab and Andhra Pradesh saying that they were Naxalites ?

In the end I would like to suggest that thousands of Naxalites being kept in persons should be treated a political prisoners. May I know whether any representation to this effect has been received by the Government and if so, the reaction of the Government thereto ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : साम्यवादी दल (मार्क्स-लेनिन) देश में रक्तपात कर रहे हैं किन्तु उन्हें किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाता। क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न साम्यवादी दलों का एक ही लक्ष्य है कि देश में प्रजातंत्र प्रणाली को समाप्त करके चीन की भाँति साम्यवादी शासन की स्थापना की जाये ? इन में केवल इतना ही अन्तर है कि साम्यवादी दल (मार्क्स-लेनिन) स्पष्टत: भारत को चीन का अनुगामी बनाना चाहता है रूस का नहीं। वास्तव में अन्य सभी साम्यवादी दलों का ध्येय एक ही है। अन्यथा वे परस्पर सहयोग क्यों करते हैं।

दूसरी बात यह है कि साम्यवादी दल सभी प्रकार के अपराधियों को, पाकिस्तानी एजेंटों और समर्थकों को शरण देता है, चाहे वह उनके सिद्धाँतों को मानता है अथवा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये बातें सच हैं।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या साम्यवादी दल शिक्षा संस्थाओं और राष्ट्रीय नेताओं पर आक्रमण करने के लिये लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है ? चीन की सांस्कृतिक क्रांति के अनुसार देश की सभी प्राचीन परम्पराओं को समाप्त कर देना चाहिये। अत: क्या साम्यवादी दल देश में उसी प्रकार की भावना उत्पन कर रहा है ?

मेरा चौथा प्रश्न यह है कि क्या यह तर्क एक बहाना मात्र नहीं है कि बेरोजगारी और आर्थिक संकट के कारण ही यह आन्दोलन पनपता जा रहा है ? वास्तव में ये लोग जनता और सरकार का ध्यान मूल समस्या से हटाना चाहते हैं जिससे उसका उचित समाधान न किया जा सके।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या स्वयं सरकार इन गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं दे रही है क्योंकि वह जानती है कि इनके पीछे और भी दो साम्यवादी दल हैं और वह इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ है ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Sir, may I know whether the Government want to suppress the movement of the Naxalites because of their extreme idiology or because of their violent activities ? Freedom of thought has been enshined in our constitution. Therefore, I want to know the basis on which Government want to quell this movement.

Secondly, may I know whether a Naxalite leader was killed during a clash between the Police and the Naxalites or he was murdered by the police after arresting him ?

Thirdly, I want to know the reasons for which Kanu Sanyal has been arrested ?

My fourth question is as to why Miss Taylor was not allowed to marry Shri Charu Mazumdar ?

In the end I would like to know the educational qualifications of the persons indulging in these activities.

Shri Naval Kishore Sharma (Daun) : Naxalites problem has become challenge to the Government machinery and it has created a sense of violence in the country. In this context I would like to know the States affected by Naxalites. Seconudly how many persons have been arrested during perpetrating Naxalite activities and what action has been taken by the Government against them ? Thirdly, is it a fact that arms were stolen from the Defence stores and supplied to Naxalites ? If so, will Government inquire into it whether any conspiracy was woven in this matter ?

My fourth point is that the anti-sccial element have intermingled with the Naxalites and in the disquise of Naxalites they indulge in every sort of disruptive activities. May I know whether the Government would keep an eye on them ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : महोदय ! माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो व्यग्रता व्यक्त की है मैं उसका स्मर्थन करता हूँ। किन्तु माननीय सदस्य श्री हेम बरुआ का यह कहना उचित नहीं है कि मैंने प्रश्न के उत्तर में जानकारी अपर्याप्त दी है। मूल प्रश्न में एक विशिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई थी और उत्तर में उपयुक्त जानकारी दी गई है। माननीय सदस्यों ने बाद में कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे हैं जो वास्तव में मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं रखते तथापि मैं उनका भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

माननीय सदस्य द्वारा दिये गये भाषण में उल्लिखित बातों के अतिरिक्त अब विशेषकर तीन बातें उठाई गई हैं। उनमें से पहली बात यह है कि नक्सलपंथियों को गतिविधियों का व्यापक ब्यौरा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल से देश के अन्य भागों में इस प्रकार की गतिविधियां कैसे फैल गईं, इसका कारण भी नहीं बताया गया। तीसरे उनके चीन के साथ सम्बन्ध का भी उल्लेख नहीं किया गया। मैं इन तीनों ही बातों पर संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा।

माननीय मित्र श्री बलराज मधोक ने प्रश्न किया है कि साम्यवादी दल और नक्सलवादियों में गठबन्धन कैसे हो गया। मैं इस सम्बन्ध में केवल माननीय सदस्यों को तथ्यों से अवगत

करा सकता हूं। साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने जब संयुक्त मोर्चा सरकारों में भाग लिया तो उनके एक दल ने सामरिक संघर्ष करने तथा संसदीय प्रक्रिया में सहयोग न देने की मांग की। इसी आधार पर उसने अपना अलग मार्ग अपनाया। सम्भवतः यह घटना 1967 की है क्योंकि आम चुनावों के बाद ही देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया था।

सामान्यतः जिसे उग्रवाद कहा जाता है उसका पहला लक्षण 1967 में नक्सलवादी में देखने को मिला था तथा उसके उपरांत यह उग्रवाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश में फैल गया। साम्यवादी दल (मार्क्स) के कुछ लोग मूल दल से अलग हो गये और उन्होंने अपनी समन्वय समिति बना ली।

उसके कुछ मास पश्चात् नक्सलवादी, श्री काकुलम आदि स्थानों पर हिंसा की घटनाएं देखी गईं। नक्सलवादी घटना के सम्बन्ध में उनके कुछ नेताओं को दण्ड भी दिया गया जिससे इस आन्दोलन को आघात पहुंचा। आंध्र प्रदेश और केरल में की गई पुलिस की कार्यवाही से वहां इन गतिविधियों पर काफी नियंत्रण हुआ। अप्रैल, 1969 में नक्सलवादी घटना के सम्बन्ध में जिन लोगों को दण्ड दिया गया था उनको मुक्त कर दिया गया तथा उनके मुक्त होने तथा पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के आगमन के कारण उग्रवादियों को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया।

महोदय ! 22 अप्रैल 1969 को सी०पी०एम०(एल) की स्थापना से एक और स्थिति उत्पन हो गई। इस दल के कुछ अन्य वर्ग आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी उठ खड़े हुये तथा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उग्रवादियों ने आसाम में भी अपनी गतिविधियां चलाने का प्रयास किया जिसपर सहज में पिछले सत्र में चर्चा भी की गई थी। श्री नवल किशोर ने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की माँग भी की है।

दूसरा प्रश्न नक्सलवादियों तथा चीन में सम्बन्ध होने के बारे में उठाया गया था। इस प्रश्न पर सदन में चर्चा की जा चुकी है तथा सरकार ने सभी तथ्यपूर्ण उपलब्ध जानकारी सभा के समक्ष रख दी है। यह सम्बन्ध विचारधारा सम्बन्धी है। माओ विचारधारा के आधारतत्वों और उपदेशों से इस आन्दोलन में भाग लेने वालों द्वारा ली गई प्रेरणा से कौन अवगत नहीं है ?

सरकार को इस बात का भी पता लगा है कि चीनी रेडियो और पत्र पत्रिकाएं नक्सलवादी गतिविधियों का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार कर रहे हैं। किन्तु इस बात की सूचना नहीं मिली है कि इन को चीन से अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। सदन में यह जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है कि चीनी दूतावास ने केरल में कुछ व्यक्तियों को कुछ धन राशि दी थी। छुपे नागाओं के माध्यम से हथियारों की सप्लाई के बारे में भी सभी को जानकारी है किन्तु इस सम्बन्ध में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि क्या नक्सलवादियों को चीन से कोई नियमित आर्थिक सहायता मिलती है। हाल ही में नक्सलवादियों से जब्त किये गये हथियारों से भी इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

श्री शिव चन्द्र झा ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या सरकार नक्सलबादियों का दमन उनकी

विचारधारा के कारण करना चाहती है अथवा उनकी गतिविधियों के कारण करना चाहती है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार प्रजातंत्र प्रणाली के अनुकूल सभी प्रकार की स्वतंत्रता जैसे विचारों की स्वतंत्रा, प्रकाशन आदि की स्वतंत्रता का अधिकार देती है। महोदय! इस सदन में सभी प्रकार की विचारधारा के माननीय सदस्य हैं तथापि हम सभी के सहयोग से कार्य करना चाहते हैं। किन्ही विषयों पर सहमति और असहमति भी व्यक्त की जाती है और सरकार देश की सभी समस्याओं के प्रजातांत्रिक ढंग से सुलझाने में विश्वास रखती है।

महोदय! नक्सलवादी हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं तथा वे संविधान में आस्था नहीं रखते। वे प्रजातंत्र प्रणाली के आधार भूत सिद्धान्तों तथा संस्थानों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः मुझे आश्चर्य है कि श्री झा ने यह प्रश्न कैसे पूछा। संसदीय प्रणाली के अनुकूल कार्य करने और हिंसा का अनुसरण करने में बहुत अन्तर है। किसी विषय में माननीय सदस्यों में मतभेद हो सकता है किन्तु हिंसा का अनुसरण करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नक्सलवादियों और उग्रवादियों की गतिविधियों का उल्लेख किया जा चुका है। प्रचार करना, पर्चे बांटना या माओ विचारधारा को लेकर नारे बाजी करना आदि उनकी प्रमुख गतिविधियां हैं तथा लाल झंडा फहराना भी इसमें सम्मिलित है।

उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों, प्रतिमाओं और गांधी जी आदि राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों पर भी आक्रमण किये हैं। क्या माननीय सदस्य यह समझते हैं कि राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों को नष्ट करने से ये लोग जनता के हृदय से उनके प्रति आस्था को समाप्त कर सकते हैं? ऐसा सोचना बचपना नहीं तो और क्या है? जिन नेताओं ने विदेशी शासन के दौरान देश की जनता में उत्साह, बल और बलिदान की भावना भरी तथा उनको एक प्रकाश दिखाया क्या जनता उन नेताओं को भूल सकती है? कभी नहीं। आज भारत तो क्या विश्व के अन्य देश भी गांधी आदि नेताओं का आभार मानते हैं। तथा विभिन्न देशों में उनकी प्रतिमायें स्थापित की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक कार्य कर्त्ताओं और नेताओं पर भी आक्रमण किये गये उनकी हत्या की गई। बंगाल से आने वाले माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे कि स्वयं साम्यवादी दल (मार्क्स) भी इनके आक्रमणों से न बच सका। एक दिन श्री पी० राममूर्ति ने इस बात की शिकायत की कि नक्सलवादियों से उन्हें भी डर है।

वास्तविकता यह है कि कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं के साथ साम्यवादी दल और साम्यवादी (मार्क्स) दल के कार्यकर्त्ताओं पर भी नक्सलवादियों के आक्रमण हुए हैं। अतः नक्सलवादियों का दृष्टिकोण नितांत भिन्न है तथा वे शक्ति और हिंसा में विश्वास करते हैं समस्याओं का शान्तिपूर्वक निबटारा करने में नहीं। इस समस्या पर विपक्षी दल के माननीय सदस्य भी राहत महसूस नहीं कर सकते क्योंकि देश में यदि इसी प्रकार की राजनीति का बोल वाला हो गया तो हमारे पूर्वजों का स्वप्न अधूरा रह जायेगा।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि नक्सलवादियों के साथ कुछ समाज विरोधी

तत्व भी मिल गये हैं। वास्तव में कुछ क्षेत्रों में नक्सलवादियों ने इन समाज विरोधी तत्वों को स्वयं सम्मिलित किया तथा इनकी सहायता से लूटपाट और डाके डाले।

हथियारों का जमा करना, उनका बनाना हथियार अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ संबधी अधिनियम तथा दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह से इन उग्रवादियों की गतिविधि में अधिक वृद्धि हुई। इन उग्रवादियों ने प्रायः राष्ट्रीय प्रतीकों, शिक्षा संस्थानों पर आक्रमण किए तथा लाल झंडे फहराये। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और विशेषकर पुलिस पर भी आक्रमण किये। अधिक गम्भीर बात यह हुई कि कुछ विद्यार्थियों पर भी इस विचारधारा का प्रभाव पड़ने लगा है। श्री शर्मा ने यह जानना चाहा है कि सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है तथा श्री मधोक ने यह आरोप लगाया है कि सरकार नक्सलवादियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं कर रही है।

मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा तो नहीं देना चाहता क्योंकि सरकार द्वारा की गई कायवाही का उल्लेख यहां कई बार किया जा चुका है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस संबन्ध में हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है तथा राज्य सरकारों को बताया जा रहा है कि हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से निकट सम्बन्ध बनाये हुए हैं तथा उन्हें इस बात की आवश्यकता से अवगत करा रही है कि इस संबंध में अत्यंत सतर्कता बरती जाये तथा इन गतिविधियों पर काबू पाने के लिए कानूनों आदि का दृढ़ता से पालन किया जाये। राज्य सरकारों को सशस्त्र पुलिस और वायरलैस आदि उपकरणों की सहायता दी गई है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने षडयंत्र आदि के मामलों में बहुत से मुकदमें चलाये हैं। तोड़ फोड़ को भड़काने वाले साहित्य को मुद्रित और प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की रही है। अवैध रूप से हथियार और गोला बारूद रखने वालों को पकड़ने के लिए की जा रही व्यवस्थित कार्यवाही से भी कुछ लाभ हुआ है।

नक्सलवादियों और उग्रवादियों द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने पर जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि जनता को इन गतिविधियों का विरोध करना चाहिए क्योंकि केवल पुलिस के सहारे इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। नक्सलवादियों द्वारा उत्पन्न की गई समस्या हम सभी के अहित में है अतः सभी राजनीति दलों का यह कर्त्तव्य है कि जनता को इनका विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करें।

जहां तक उग्रवादियों की गिरफ्तारी का सम्बन्ध है, आंध्र प्रदेश में 1641, आसाम में 388, बिहार में 625, केरल में 163, तमिल नाडु में 44, महाराष्ट्र में 15, मैसूर में 5, उड़ीसा में 237, पंजाब में 123, राजस्थान में 3 और पश्चिम बंगाल में 2,291 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश और जम्मू और काश्मीर की सरकारों से अभी तक इस सम्बन्ध में सूचना नहीं मिली है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करता हूं कि गुजरात, हरियाना, मध्य प्रदेश और नागालैंड की सरकारों ने यह जानकारी दी है कि वहां पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : क्या वे सभी जेल में है अथवा उनमें से किन्ही को जमानत पर छोड़ दिया गया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूं माननीय सदस्य यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं । पश्चिम बंगाल के न्यायलयों ने कई अवसरों पर हमसे इस बारे में पूछा गया है । वास्तव में पश्चिम बंगाल में कार्यकारिणी और न्यायपालिका में मतभेद हो गया है तथा यदि न्यायालय किसी को जमानत पर छोड़ना चाहे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते । सरकार केवल इतना कर सकती है कि मुकदमा चलाने वाले अधिकारियों को यह आदेश दिए जायें कि वे न्यायालय के समक्ष मामलों को ठीक समय पर और यथा सम्भव ठीक ढंग से प्रस्तुत करें । सरकार ने यह किया भी है तथा इसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता में जमानत पर छोड़े गये व्यक्तियों की सख्या घटी है ।

सम्भवत: श्री रामावतार शास्त्री मे प्रश्न किया था कि क्या बेरोजगारी के कारण ही युवकों में असंतोष नहीं है । महोदय ! सभी जानते हैं कि यदि पढ़ लिखकर भी युवकों को रोजगार नहीं मिलता तो उनमें असंतोष को भावना उत्पन्न हो जाती है । किन्तु बेरोजगारी की समस्या ऐसी है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी हमारे देश में कुछ अंश तक विद्यमान थी । देश में गरीबी है तथा जनसंख्या बढ़ती जा रही है । 1947 में भी यह समस्याएं भयानक रूप में विद्यमान थीं किन्तु हमने उन्हें प्रजातंत्रिक ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है । इन समस्याओं को रातों रात सुलझाना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है । अत: कुछ दिन तो अवश्य हमारे समक्ष रहेंगी । फिर भी इन समस्याओं का नाम लेकर हिंसा और लूटमार जैसी गतिविधियों को मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि हिंसा से भी इनका समाधान नहीं हो सकता । मैं स्वीकार करता हूं इस समस्या में सामाजिक-आर्थिक विमषता भी एक कारण है किन्तु फिर भी हिंसक गतिविधियों को किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता...(**व्यवधान**)...

अब मैं केवल इतना निवेदन करके अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि हमें भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है । हम किसी भी देश का अन्धानुकरण नहीं कर सकते हमने प्रजातंत्र प्रणाली अपनाई है और हमें उसी के अनुरूप कार्य करना है । इन गतिविधियों को हम अपने प्रिय सिद्धान्तों के प्रतिकूल पाते हैं ।

नियम 193 के अधीन चर्चा

DISCUSSION UNDER RULE 193

सभापति महोदय : अब सभा में भारतीय रुई निगम की स्थापना के बारे में 31 जुलाई 1970 को वैदेशिक व्यापार मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखे गए विवरण के संबंध में चर्चा उठाई जाएगी । इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है ...(**व्यवधान**) मेरे विचार से आज इसे पूरा नहीं किया जा सकता ।

———

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए भी केवल दो घन्टे का समय नियत किया गया है। वास्तव में आधे घन्टे की चर्चा भी आधे घन्टे में समाप्त न हो कर एक घन्टा ले लेती है। और आज तो स्वयं मन्त्री महोदय ने आधे घन्टे से अधिक का समय ले लिया।

महोदय ! सरकार ने रुई के व्यापार को अधिकार में लेने तथा भारतीय रुई निगम स्थापित करने के हाल ही के निर्णय में आर्थिक कारणों की अपेक्षा राजनीतिक कारण ही हैं। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक-नीतियों को विफल होते देखकर राष्ट्रीयकरण का नारा लगाना आरम्भ कर दिया है। सरकार इसके परिणामों की उपेक्षा कर रही है।

महोदय ! श्री मिश्रा ने सत्तारुढ़ कांग्रेस संसदीय दल के सदस्यों में एक परिपत्र परिचालित किया है। इस बात का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी हुआ है तथा मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है "कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई विशेषज्ञ नहीं हैं तथा इस स्थिति में मैं यह बताने में असमर्थ हूँ कि पांच से दस वर्ष बाद क्या होगा।"

क्या मन्त्री महोदय ने यह कार्य अंधेरे में छलांग लगाने जैसा नहीं किया ? क्या सरकार ने देश की प्रजातंत्र प्रणाली को कमजोर बनाने का भी कदम नहीं उठाया है ? मैं समझ रहा हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में सत्ता आने से ही सभी राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियां भी सरकार के हाथों में सिमटती जा रही हैं। रुई व्यापार एक विकेन्द्रीकृत उद्योग है जिसमें लगभग तीन करोड़ व्यक्तियों की रोज़ी निहित है किन्तु यदि इसको सरकार ने अपने अधिकार में लिया तो रातों रात वे सभी सरकार पर आश्रित हो जायेंगे तथा उनकी राजनीतिक गतिविधि बन्द हो जाएगी। मुझे आंशका है कि इससे सत्तारुढ़ दल भावी चुनावों के लिए भी मतदान को अपने पक्ष में कर लेगा। मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि इस कार्यवाही से बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त भयानक रूप धारण कर लेगी। इस समय लगभग तीन लाख व्यापारी इस उद्योग को चला रहे हैं यदि इस पर सरकारी अधिकार हो गया तो वे बेरोजगार हो जायेंगे। साथ ही यदि प्रत्येक व्यापारी के परिवार में पांच व्यक्ति भी माने जायें तो इनकी सख्या 15 लाख से अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार यदि इस उद्योग से सम्बन्धित मजदूरों की संख्या भी लगाई जाए तो बेरोजगारी की समस्या का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा।

इस समय आवश्यकता इस बात की है कि कपास के विकास पर अधिक धन राशि लगाई जाए। अब तक तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस कार्य पर केवल 80 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। यह राशि इतनी कम है कि इसका कोई उपयोग ही नहीं है। दूसरी ओर हम रुई के आयात पर 80 से 90 करोड़ रुपयों की राशि खर्च कर रहे हैं। यदि इसमें से 10 करोड़ रुपये भी कपास के विकास में खर्च किये गए होते तो अच्छे परिणाम निकलते। पिछले पाँच वर्षों से प्रति वर्ष केवल 58 लाख गांठों का उत्पादन हो रहा है। माननीय मन्त्री ने तर्क दिया है कि वर्ष 1948 की तुलना में कपास का उत्पादन दूना हो गया है। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान उत्पादन की तुलना 1948 के उत्पादन से नहीं की जानी चाहिये।

सच यह है कि रुई की मांग 75 प्रतिशत बढ़ गई है किन्तु विश्व भर में हमारे देश में

प्रति एकड़ रुई का उत्पादन सबसे कम है। अमरीका में कपास का प्रति एकड़ उत्पादन 493 पौंड है, रूस में 736 पौंड है, ब्राजील में 223 पौंड है, मैक्सीको में 618 पौंड है आदि आदि। इतना ही नहीं पाकिस्तान जैसे देश में भी प्रति एकड़ उत्पादन 254 पौंड है जबकि भारत में इसकी मात्रा केवल 117 पौंड है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में कपास का प्रति एकड़ उत्पादन सभी देशों से कम है।

हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें खेती करके दिखाने के तरीकों से यह प्रमाणित हो गया है कि पैदावार को 80 से 100 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है तथा जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां भी यदि वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाये तो उत्पादन में 60 से 75 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि यदि किसान को सुधरे हुए बीजों, उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों की नियमित प्राप्ति होती रहे तो उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।

महोदय ! यदि प्रस्तावित व्यापार निगम की अपेक्षा सरकार इसे विकास निगम का रूप दें तथा यह निगम कपास के विकास पर ध्यान दे तो देश का 80 या 90 करोड़ रुपया बच सकता है। इस रुई व्यापार पर सरकार द्वारा अधिकार करने या निगम की स्थापना करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि रुई व्यापार बड़ा जटिल है। रुई की अनेक किस्में है तथा अनेक प्रकार के काउंट हैं। विभिन्न मिलें विभिन्न प्रकार की रुई का प्रयोग करती है। भारत का रुई व्यापार विश्व में पूर्ण व्यवस्थित व्यापार माना जाता है तथा सरकार इस पर अधिकार करके इस व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगी।

रुई व्यापारी इस उद्योग की ऋण आदि देकर सहायता कर रहे हैं तथा सरकार के पास इस उद्योग की ओर से कोई शिकायत भी नहीं है। साथ ही रुई व्यापार के विरुद्ध विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने की भी कोई शिकायत नहीं है। स्वयं मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस व्यापार में विदेशी मुद्रा की हानि के बारे कोई शिकायत नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह कदम न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस समय 50 प्रतिशत रुई का आयात मिश्र तथा सूडान में कर रहे हैं। इन देशों से विशेष व्यापार समझौता इसलिए किया गया है जिससे हम इन देशों को रुपये में भुगतान कर सकें। इस पर भी हम अधिकांश रुई का आयात पी० एल०-480 के अन्तर्गत अमरीका से कर रहे हैं।

सरकार ने तर्क दिया है कि सूडान और मिश्र, जहां से हम 50 प्रतिशत रुई का आयात कर रहे हैं, ने इस व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया है और हमें भी उनके स्तर तक पहुंचने के लिये ऐसा करना चाहिए। परन्तु क्या जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और हाँगकांग जैसे अन्य बहुत से देश नहीं हैं जो मिश्र और सूडान से रुई खरीद रहे हैं और उन्होंने अपने इस व्यापार का अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। वस्तु स्थिति यह है कि ये देश बड़ी सफलता और बिना किसी कठिनाई से अपना व्यापार कर रहे हैं।

सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह उन मिलों के लिये, जिनको अपने अधिकार में लिया है और जिनका प्रबन्ध राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा किया जा रहा है, रुई खरीदेंगे। सरकार द्वारा दिये गये तर्कों में से यह एक तर्क है जिसके अनुसार सरकार इस स्थिति का अनुचित लाभ

उठाना चाहती है। वस्तुतः सरकार को अन्य खरीददारों की तरह बाजार में आना चाहिए। यदि सरकार अनाज के मामले की तरह अधिप्राप्ति की नीति अपनायेगी तो इससे अनुचित लाभ उठाया जायेगा और इसका तात्पर्य केवल आर्थिक शक्तियों का इकट्ठा करना ही होगा।

सरकार ने एक अन्य उपहासास्पद तर्क दिया हैं कि उत्पादकों को सहायक मूल्य दिया जायेगा। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि पिछले चार-पांच वर्षों में वर्तमान बाजार मूल्य सहायक मूल्यों से 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अधिक हैं जिनकी सरकार ने घोषणा की है। इसलिए ऐसी स्थिति में सहायक मूल्य देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मांग अधिक होने के कारण मूल्यों के कम होने की कोई सम्भावना भी नहीं है। अतः सरकार के इस तर्क में भी औचित्य नहीं है। एक अन्य तर्क और दिया गया है कि सरकार विशेष किस्म के उत्पादकों को भी समर्थन मूल्य देगी। परन्तु सरकार के इन तर्कों में कोई औचित्य एवं सार नहीं है।

अतः इस प्रकार का कोई कदम उठाने से पूर्व सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इस कदम से 30 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : पहले पहले जब यह प्रस्ताव रखा गया था तो इसके क्षेत्र और सीमा के बारे में कुछ अस्पष्टता थी। और ऐसा बताया गया था कि इस परियोजना को केवल आयात व्यापार तक ही सीमित करने का विचार था।

परन्तु, इसके पश्चात मन्त्री महोदय ने 3 अगस्त के अपने वक्तव्य में बताया कि सरकार देशीय व्यापार को भी अपने अधिकार में लेना चाहती है क्योंकि इसके बिना सरकारी क्षेत्र का निगम अपना कार्य नहीं कर सकता। यह बात ठीक भी हैं।

सरकार शीघ्र ही रुई के सम्पूर्ण आयात व्यापार और देशीय व्यापार को अपने एकाधिकार में लेने का प्रयत्न कर रही है। यदि मंत्री महोदय का यह विचार है कि सब कुछ हथियाने की नीति का अनुसरण कर सकते। और यदि वे ऐसा कर सकेंगे तो तुरन्त कर लेंगे।

रुई का व्यापार बहुत नाजुक व्यापार है और प्रति समय इसके मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता रहता है और इसकी मांग विश्वव्यापी है इस उद्योग के लिए बहुत ही ऊंचे स्तर की दक्षता की आवश्यकता है। भारतीय उद्योग और भारतीय व्यापार ने पीढ़ियों से इस मामले में बहुत ऊंचे स्तर की क्षमता एवं दक्षता प्राप्त कर ली है। आयात कर्त्ताओं ने अनेक वर्षों तक पारस्परिक समायोजन पद्धति के द्वारा मिलों को आर्थिक सहायता देने की प्रणाली स्थापित की है। यदि मिलों को आर्थिक सहायता नहीं मिली, जैसा कि उन्हें अब नहीं मिल रही है, तो निवेश के लिए वे धन नहीं प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में यह एक विशिष्ट प्रकार का कार्य क्षेत्र है जिसे सरकार सम्भालने में सक्षम नहीं रह पायेगी।

इस क्षेत्र में अब कोई एकाधिकार नहीं रहा है। छोटे लोग बहुत बड़ी संख्या में प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, और यहां एकाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता। लगभग 3 लाख छोटे लोग इस व्यापार की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, जिससे एक ओर किसान, रुई उत्पादक और दूसरी ओर

उपभोक्ता तथा मिलें लाभ उठा रही हैं। विश्व भर में रुई के व्यापार में लाभ भी सब से कम है। परन्तु भारत में रुई उत्पादक को संसार के रुई उत्पादकों से बहुत अधिक लाभ होता है।

अतः इस प्रकार के अत्यन्त परिष्कृत व्यापार को अपने अधिकार में लेने के बहुत ही गैर-जिम्मेदार कार्य के फलस्वरूप तीन या चार परिणाम अनिवार्य रूप में निकले हैं, जिनमें सर्व प्रथम होगा किसान को तंग करना। क्योंकि आज व्यापारी किसान के पास जाता है और उसे मूल्य देता है। परन्तु जब सरकार इस व्यापार को अपने अधिकार में ले लेगी तो सब से पहले पीड़ा का शिकार किसान ही बनेगा।

दूसरा परिणाम होगा कि मिलों और उपभोक्ताओं के लिए रुई के मूल्यों में वृद्धि की जाये, जिससे सरकार उस व्यवस्था को नष्ट करेगी जो पीढ़ियों से सुचारु रूप से काय करती रही है और इसको अकुशल, अक्षम तथा भ्रष्ट नौकरशाही व्यवस्था से बदल दिया जायेगा। रुई की थोक खरीद करने से भारतीय उद्योग संकट में पड़ जायेगा, क्योंकि थोक-विक्रेता सरकारी संस्थाओं को थोक में माल बेचना नहीं चाहेंगे। इसके साथ नियतिक देशों को भी अपने मूल्य बढ़ाने पड़ेंगे जिससे देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अधिक खर्च करनी पड़ेगी। मूल्य आशातीत बढ़ जायेंगे।

इसके तीसरे परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी में वृद्धि हो जायेगी। इस समय 3 लाख छोटे लोग इस व्यापार में छोटे व्यापारियों की हैसियत से अपनी जीविका कमा र हैं और अब उन्हें नौकरशाही आलसियों द्वारा बदला जायेगा, जो आधा कार्य भी नहीं कर पायेंगे।

गुजरात के एक बहुत ही बदनाम राजनीतिज्ञ को इस (रुई) निगम का अध्यक्ष इसलिए नियुक्त किया गया है ताकि वह इस व्यापार के साथ राजनीतिक खिलवाड़ किया जा सके, और उस अध्यक्ष के माध्यम से इस व्यापार से धन खसोटा जा सके। यदि किसी ऐसे अच्छे व्यापार प्रबन्धक की नियुक्ति की जाती जो रुई के बारे में जानकारी रखता तो यह कहना समीचीन होता कि सरकार कम से कम ईमानदार बनने का प्रयास तो कर ही रही है। परन्तु सरकार ऐसा कभी नहीं करती, वह तो किसी निगम की स्थापना करते ही अपने दल के किसी न किसी राजनीतिज्ञ को वहां नियुक्त कर देती है जिससे उसका आशय स्पष्ट हो जाता है। यह सच बात है कि ऐसा करने से किसी प्रकार का आर्थिक औचित्य नहीं है।

यदि सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई योजना है तो उसके लिए एक श्वेत-पत्र निकालना चाहिए, और उसे एक जांच समिति की नियुक्ति करनी चाहिये थी; एक मामला तैयार करना चाहिए था; राय और साक्ष्य मांगनी चाहिए थीं। परन्तु ऐसा बिलकुल नहीं किया गया। सरकार तो पहले कार्य करती है और बाद में उस कार्य को औचित्य पूर्ण ठहराने के लिए प्रयास किया जाता है।

देश में पत्रकार और व्यापारी जैसे कुछ लोग सरकार के भुलावों में आकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि सरकार अब सुधार कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदारी से कार्य सम्पादन कर रही है। अतः सरकार द्वारा रुई के व्यापार को अपने अधिकार में लेना, इस सरकार और इस देश की अर्थ व्यवस्था के पत्तन के कारण हैं।

Shri Deorao Patil (Yaotmal) : The hon. Minister has mentioned two things for setting Cotton Corporation of India. Purchase and proper distribution of domestic Cotton would be entrusted to the Cotton Trade Corporation of India which is being set up. Secondly import trade in Cotton would be entrusted to the Corporation. The purpose and objective of this corporation is that fair and good return should be guaranteed to the Cotton gromers, and also that the middleman should be eliminated. Therefore I welcome the move for setting up of Cotton Trade Corporation of India.

There is great resentment and agitation amongst the Cotton traders after it was declared that a Cotton Trade Corporation would be set up in the public sector. Cotton growers have been facing this difficulty. But now it is observed that Government is not following its basic policy and it has stated that Government would not interfere in the domestic trade, which is against the assurances given to the Cotton growers.

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : We have not changed our basic policy in this matter. The Cotton Traders have withdrawn their agitation.

Shri Deorao Patil : I wanted this clarification. But it was published in the newspapers that Government is going for changes in its basic policy.

The Mill Owner's Organisation is a very powerful organisation and it has taken complete Cotton trade in its own hands. The Mill owners purchase Cotton from the Cotton growers at very low rates and the External Affairs Ministry help these owners openly to control the cotton purchase prices from the growers. This would have adverse effect on the Cotton production resulting increase in the prices. This clearly shows that Government is ignoring the interests of the Cotton growers. It is also wrong to say that 90 percent of the prices realised goes to the Cotton growers.

The other thing is that the Department of Agriculture is responsible for formulating the price policy of agricultural produce such as foodgrains and sugar-cane of the responsibility for fixing the price of Cotton should also be entrusted to this department.

Fixing the prices of Cotton is not enough, because its effectiveness depends upon the purchasing machinery or agency. There is Food Corporation of India which deals with the purchase of foodgrains, sugar-cane, jute etc. But there is no such agency or machinery in the country for purchase of Cotton from the growers. Poor growers are on the mercy of the Traders. Therefore some machinery like Cotton Trade Corporation of India should be set up for the purpose.

Mr. Chairman : Kindly be brief so that other members could be given time to speak.

Shri Deorao Patil : Great difficulty has been noticed in the purchase of Cotton because of little experience. This trade demands vide and extensive experience. In order to check malpractice and monopoly of the traders of this Cotton trade it is imperative for the Government to take over this traders and Cotton Trade Corporation of India should function for procurement of Cotton just as Food Corporation of India producers foodgrains rather on cooperative basis.

It is said that the Cotton are fixed by the Agricultural Prices Commission. But the cost of production should be taken into account at the time of fixing the prices of Cotton. There is a difference of 50 per cent between the support prices and the prevailing prices. Now the support prices should be fixed after studying the price position of Cotton from November last to March of this year and the average of prices between this period should be taken as support price. On this basis the support price of L-147 quality of Cotton

should be between Rs. 200 and Rs. 225. Therefore the support price of Cotton should not be less than Rs. 200.

सभापति महोदय : सभा की बैठक स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोकसभा शुक्रवार 28 अगस्त, 1970/6 भाद्र 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 28, 1970/Bhadra 6, 1892 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.